फ़ज़ाइले आमाल

फ़ज़ाइले सदक़ात **2** फ़ज़ाइले हज़

शेखुल हदीस मौलाना मुहम्मद
ज़करिया (रह०) कान्धल्वी



फ़ज़ाइले सदक़ात

(भाग 1)

शैख़ुल हदीस हज़रत
मौलाना मुहम्मद ज़करिया (रह०)

www.idaraimpex.com

विषय सूची

फ़ज़ाइले सदक़ात हिस्सा अव्वल

क्या? *कहां?*

पेश लफ़्ज़

पहली फ़स्ल-माल ख़र्च करने के फ़ज़ाइल

क्या?	कहां?

क्या?	कहां?

चौथी फ़स्ल ज़कात की ताकीद

पांचवीं फ़स्ल ज़कात न देने पर वईदें

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
حَامِدًا وَّمُصَلِّیًا وَّمُسَلِّمًا

पेश लफ़्ज़

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम०

नहम-दुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम०
हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन०

अम्मा बअ्दु :- ये कुछ पन्ने अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के फ़ज़ाइल में हैं जिनके मुताल्लिक़ अपने पहले रिसाले फ़ज़ाइले हज के शुरू में लिख चुका हूँ कि चचा जान (यानी हज़रते अक़दस मौलाना शाह मुहम्मद इल्यास) नव्वरल्लाहु मर्क़ द हू को इस रिसाले का बहुत एहतिमाम था और अपनी ज़िंदगी के आख़िरी दिनों में बार बार इसकी ताकीद फरमायी और एक मर्तबा जबकि अस्र की नमाज़ खड़ी हो रही थी तक्बीर होते हुए सफ़ से आगे मुँह निकालकर इस ना पाक को हुक्म फरमाया कि देखो, इसको भूलना नहीं। उस ज़माने में चचा जान बीमारी की वजह से खुद इमामत न करते थे, इसलिये मुक़्तदियों की सफ़ ही में वह भी शरीक थे। इतने इस्रार और ताकीद के बावजूद अपनी कोताही से इसमें देरी होती ही चली गयी और न सिर्फ़ देरी बल्कि तक़रीबन इल्तवा (स्थगन) ही हो गया था कि मुक़द्दरात से शव्वाल 1366 हि० में बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन रह० का लम्बा क़ियाम पेश आया जैसा कि रिसाला फ़ज़ाइले हज के शुरू में लिख चुका हूँ और इस रिसाले के इख़्तिताम के बाद भी जब सहारनपुर वापसी की कोई सूरत पैदा न हुई तो 24 शव्वाल 1366 हि० बुध को इस रिसाले की शुरूआत कर दी गयी। हक़ तआला शानुहू अपने उस लुत्फ़ व इन्आम और करम से जो मेरी गंदगियों के बावजूद दीन और दुनिया

दोनों के एतबार से दिन ब दिन ज्यादा हैं, इसको तक्मील तक पहुँचा कर क़ुबूल फ़रमाए -

व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कल्तु व इलैहि उनीबु॰

इस रिसाले में सात फ़स्लें लिखने का ख़्याल है -

1. पहली फ़स्ल में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के फ़ज़ाइल,
2. दूसरी फ़स्ल में बुख़्ल की मज़म्मत, (कंजूसी की बुराई)
3. तीसरी फ़स्ल में सिलारहमी का खुसूसी एहतिमाम,
4. चौथी फ़स्ल में ज़कात का वजूब और फ़ज़ाइल,
5. पांचवी फ़स्ल में ज़कात अदा न करने पर वईदें,
6. छठी फ़स्ल में ज़ुहद व क़नाअत और सवाल न करने की तर्ग़ीब,
7. सातवीं फ़स्ल में ज़ाहिदों और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने वालों की हिकायात (वाकिआत)।

पहली फ़स्ल

माल ख़र्च करने के फ़ज़ाइल में

अल्लाह पाक के कलाम और उसके सच्चे रसूल सैय्यिदुल बशर के इर्शादात में ख़र्च करने की तर्ग़ीब और उसके फ़ज़ाइल इतनी कसरत से आए हैं कि हद नहीं, उनको देखने से मालूम होता है कि पैसा पास रखने की चीज़ है ही नहीं। यह पैदा ही इसलिये हुआ है कि इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए। जितनी कसरत से इस मस्अले पर इर्शादात हैं, उनका दसवां बीसवां हिस्सा भी जमा करना मुश्किल है। नमूने के तौर पर कुछ आयात और कुछ हदीसों का तर्जुमा अपनी आदत के मवाफ़िक़ पेश करता हूँ।

आयात

(١) هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (بقره ع ١)

1. (यह किताब यानी क़ुरआन शरीफ़) रास्ता बताने वाली है ख़ुदा से डरने वालों को जो यक़ीन लाते हैं ग़ैब की चीज़ों पर और क़ायम रखते (पढ़ते) हैं नमाज़ को और जो कुछ हमने उनको दिया है, उसमें से ख़र्च करते हैं और वे लोग ऐसे हैं जो यक़ीन रखते हैं ईमान लाते हैं (उस किताब पर भी जो आप पर नाज़िल की गयी और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाज़िल की गयीं और आख़िरत पर भी वे यक़ीन रखते हैं। यही लोग उस सही रास्ते पर हैं जो उनके रब की तरफ़ से मिला है। और यही लोग फ़लाह (कामयाबी) को पहुंचने वाले हैं।

(बक़र: रूकूअ् 1,)

फ़ायदा - इस आयते शरीफ़ा में कई मज़मून क़ाबिले ग़ौर हैं -

(अ) रास्ता बताने वाली है, ख़ुदा से डरने वालों को यानी जिसको मालिक का ख़ौफ़ न हो, मालिक को मालिक न जानता हो, वह अपने पैदा करने वाले से जाहिल हो, उसको क़ुरआन पाक का बताया हुआ रास्ता कब नज़र आ सकता है, रास्ता उसी को नज़र आता है जिसमें देखने की सलाहियत भी हो, जिसमें देखने का ज़रिया आँख ही न हो, वह क्या देखेगा, इसी तरह जिसके दिल में मालिक का ख़ौफ़ ही न हो, वह मालिक के हुक्म की क्या परवाह करेगा।

(ब) नमाज़ को क़ायम रखना यह है कि उसको उसके आदाब और शर्तों की रियायत रखते हुए पाबंदी और एहतिमाम से अदा करे जिस का तफ़्सीली बयान रिसाला 'फ़ज़ाइले नमाज़'[1] में गुज़र चुका है, उसमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ का यह इर्शाद नक़ल किया गया है कि नमाज़ को क़ायम करने से मुराद यह है कि उसके रूकूअ् व सजदों को अच्छी तरह अदा करे। पूरी तरह मुतवज्जह रहे और ख़ुशूअ् के साथ पढ़े।

क़तादा रज़ि॰ कहते हैं कि नमाज़ का क़ायम करना उसके औक़ात की हिफ़ाज़त रखना और वुज़ू का और रकूअ् व सजदों का अच्छी तरह अदा करना है।

(स) फ़लाह को पहुंचना बहुत ऊंची चीज़ है। फ़लाह का लफ़्ज़ जहां कहीं भी आता है, वह अपने मफ़्हूम (मतलब) में दीन और दुनिया की बहबूद और कामियाबी को लिए हुए होता है।

1. फ़ज़ाइले नमाज़।

इमाम राग़िब रह० ने लिखा है कि दुन्यवी फ़लाह उन ख़ूबियों का हासिल कर लेना है जिनसे दुन्यवी ज़िंदगी बेहतरीन बन जाए और वह बक़ा और ग़िना (मालदारी) और इज़्ज़त हैं और उख़रवी फ़लाह चार चीज़ें हैं –

1. वह बक़ा जिसको कभी फ़ना न हो,

2. वह मालदारी जिसमें फ़क़्र का शुबह भी न हो,

3. वह इज़्ज़त जिसमें किसी क़िस्म की ज़िल्लत न हो,

4. वह इल्म जिसमें जहल का दख़ल न हो और जब फ़लाह को मुतलक़ बोला गया तो उसमें दीन व दुनिया दोनों की फ़लाह आ गयी।

(٢) لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج (بقره ع ٢٢)

2. सारा कमाल इसी में नहीं है कि तुम अपना मुंह मश्रिक़ (पूरब) की तरफ़ कर लो या मग़रिब (पश्चिम) की, लेकिन असल कमाल तो यह है कि कोई शख़्स अल्लाह पर ईमान लाये और क़ियामत के दिन पर और फ़रिश्तों पर और अल्लाह की किताबों पर और सब पैग़म्बरों पर और अल्लाह की मुहब्बत में माल देता हो अपने रिश्तेदारों को और यतीमों को और ग़रीबों को और मुसाफ़िरों को और लाचारी में सवाल करने वालों को और क़ैदियों और ग़ुलामों की गरदन छुड़ाने में ख़र्च करता हो और नमाज़ को क़ायम रखता हो और ज़कात को अदा करता हो कि असल कमालात ये चीज़ें हैं।

आयते शरीफ़ में उनकी कुछ और सिफ़ात का ज़िक्र फ़रमा कर इर्शाद है कि यही लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तक़ी हैं।

फ़ायदा – हज़रत क़तादा रज़ि० कहते हैं कि यहूद मग़रिब की तरफ़ नमाज़ पढ़ते थे और नसारा (ईसाई) मश्रिक़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ते थे, इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई और भी कई हज़रात से इस क़िस्म का मज़मून नक़ल किया गया है। *(दुर्रे मंसूर)*

इमाम जस्सास रह॰ ने लिखा है कि आयते शरीफ़ा में यहूद और नसारा पर रद्द है कि जब उन्होंने क़िब्ला के मंसूख़ होने यानि बैतुल मुक़द्दस के बजाए काबा को क़िब्ला क़रार देने पर एतराज़ किया तो हक़ तआला शानुहू ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी कि नेकी अल्लाह की इताअत में है, बग़ैर उसकी इताअत (फ़रदमांबरदारी) के मश्रिक़ व मग़िरब की तवज्जोह कोई चीज़ नहीं है।

(अह्कामुल क़ुरआन)

अल्लाह की मुहब्बत में माल देता हो का यह मतलब है कि इन चीज़ों में अल्लाह जल्ल शानुहू की मुहब्बत और ख़ुश्नूदी की वजह से ख़र्च करे। नाम व दिखावे और अपनी शोहरत, इज़्ज़त की वजह से ख़र्च न करे कि इस इरादे से ख़र्च करना नेकी बर्बाद करना और गुनाह सर लेने के मिस्दाक़ है। अपना माल भी ख़र्च किया और अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां बजाए सवाब के गुनाह हुआ।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हक़ तआला शानुहू तुम्हारी सूरतों और मालों की तरफ़ नहीं देखते कि कितना ख़र्च किया बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों की तरफ़ देखते हैं (कि किस नियत और किस इरादे से ख़र्च किया।) *(मिश्कात)*

एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा ख़ौफ़ शिर्के असग़र (छोटे शिर्क) का है। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! शिर्के असग़र क्या है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, दिखावे के लिये अमल करना।

हदीसों में बहुत कसरत से दिखावे के लिए ख़र्च करने पर तंबीह की गयी है जो आइन्दा आएगी। यह तर्जुमा इस सूरत में है कि आयते शरीफ़ा में अल्लाह की मुहब्बत में दुनियां मुराद हो।

कुछ उलमा ने ख़र्च करने की मुहब्बत का तर्जुमा किया है यानी जो ख़र्च किया हो, उस पर मसरूर (ख़ुश) हो। यह न हो कि उस वक़्त तो ख़र्च कर दिया, फिर उस पर क़लक़ (अफ़सोस) हो रहा है कि मैंने क्यों ख़र्च कर दिया, कैसी बेवक़ूफ़ी हुई, रूपया कम हो गया वग़ैरह वग़ैरह। *(अह्कामुल क़ुरआन)*

और अक्सर उलमा ने माल की मुहब्बत का तर्जुमा किया है, यानि बावजूद माल की मुहब्बत के इन मौक़ों में ख़र्च करे। एक हदीस में है, कि किसी शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! माल की मुहब्बत का क्या मतलब है?

माल से तो हर एक को मुहब्बत होती है, हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जब तू माल ख़र्च करे तो उस वक़्त तेरा दिल तेरी अपनी ज़रूरतें जताए और अपनी हाजत का डर दिल में पैदा हो कि उम्र अभी बहुत बाक़ी है, मुझे एहतियाज न हो जाये।

एक हदीस में है, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया, बेहतरीन सदक़ा यह है कि तू ऐसे वक़्त में ख़र्च करे, जब तन्दरूस्त हो, अपनी ज़िंदगी और बहुत ज़माने तक दुनिया में रहने की उम्मीद हो। ऐसा न कर कि सदक़ा करने को टालता रहे यहां तक कि जब दम निकलने लगे और मौत का वक़्त क़रीब आ जाये तो कहने लगे, इतना फ़लां को दिया जाये और इतना फ़लानी जगह दिया जाये कि अब तो वह फ़लां का हो गया।

(दुर्रे मंसूर)

मतलब यह है कि जब अपने से मायूसी हो गयी और अपनी ज़रूरत और हाजत का डर न रहा तो आपने कहना शुरू कर दिया कि इतना फ़लां मस्जिद में, इतना फ़लां मदरसे में, हालांकि अब वह गोया वारिस का माल बन गया। अब हलवाई की दुकान पर नाना जी की फ़ातिहा है। जब तक अपनी ज़रूरतें मौजूद थीं तब तो ख़र्च करने की तौफ़ीक़ न हुई, अब जबकि वह दूसरे के यानी वारिस के पास जाने लगा तो आपको अल्लाह वास्ते देने का जज़्बा पैदा हुआ। इसी वास्ते शरीअते पाक ने हुक्म दे दिया कि मरते वक़्त का सदक़ा एक तिहाई माल में असर कर सकता है। अगर कोई उस वक़्त सारा माल भी सदक़ा करके मर जाये तो वारिसों की इजाज़त के बग़ैर तिहाई से ज़्यादा में उसकी वसीयत मोतबर न होगी। इस आयते शरीफ़ा में माल को यतामा (यतीमों), मसाकीन वग़ैरह पर ख़र्च करने को मुस्तक़िल तौर पर ज़िक्र फ़रमाया है और आख़िर में ज़कात को अलग से ज़िक्र फ़रमाया है, जिससे मालूम होता है कि ये ख़र्चे ज़कात के अलावा बाक़ी माल में से हैं। इसका बयान अहादीस के तहत में नं॰ 1 पर आ रहा है।

(۳) وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْکُمْ اِلَی التَّھْلُکَۃِ ۚ وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ (بقرہ ع ۲٤)

3. 'और तुम लोग अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो और अपने आपको अपने हाथों तबाही में न डालो और (ख़र्च वग़ैरह को) अच्छी तरह किया करो। बेशक हक़ ताआला महबूब रखते हैं अच्छी तरह काम करने वालों को'।

फ़ायदा- हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि 'अपने आपको हलाकत में न डालो, यह फ़क़्र (तंगी और ग़ुरबत)-के डर से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च का छोड़ देना है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हलाकत में डालना यह नहीं है कि आदमी अल्लाह के रास्ते में क़त्ल हो जाए, बल्कि यह कि अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से रूक जाना है।

हज़रत ज़ह्हाक बिन ज़ुबैर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि अंसार रज़ि॰ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करते थे और सदक़ा किया करते थे। एक साल क़हत हो गया। उनके ख़्यालात बुरे हो गये और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना छोड़ दिया। इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई।

हज़रत असलम रज़ि॰ कहते हैं कि हम कुस्तुन्तुनिया की जंग में शरीक थे, कुफ़्फ़ार की बहुत बड़ी जमाअत मुक़ाबले पर आ गयी। मुसलमानों में से एक शख़्स तलवार लेकर उनकी सफ़ में घुस गया। दूसरे मुसलमानों ने शोर किया, कि अपने आप को हलाकत में डाल दिया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ि॰ भी इस जंग में शरीक थे, वह खड़े हुए और इर्शाद फ़रमाया कि यह अपने आप को हलाकत में डालना नहीं है। तुम इस आयते शरीफ़ा का मतलब यह बताते हो, यह आयत तो हमारे बारे में नाज़िल हुई। बात यह हुई थी कि जब इस्लाम को तरक़्क़ी होने लगी और दीन के मददगार बहुत से पैदा हो गए तो हमारी यानी अंसार की चुपके चुपके यह राय हुई कि अब अल्लाह जल्ल शानुहू ने इस्लाम को ग़लबा तो अता फ़रमा ही दिया और लोगों में दीन के मददगार बहुत से पैदा हो गये, हमारे माल-खेतियां वग़ैरह मुद्दत से ख़बरगीरी पूरी न हो सकने की वजह से बर्बाद हो रही हैं। हम उनकी ख़बरगीरी और इस्लाह कर लें, इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई और हलाकत में अपने को डालना अपने मालों की इस्लाह में मश्ग़ूल हो जाना और जिहाद को छोड़ देना है।' *(दुर्रे मंसूर)*

(٤) وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط (بقره ع ٢٧)

4. 'लोग आपसे पूछते हैं कि ख़ैरात में कितना ख़र्च करें, आप फ़रमा दीजिए कि जितना (ज़रूरत से) ज़्यादा हो।'

(बक़रः रूकूअ् 27)

फ़ायदा - यानी माल तो ख़र्च ही करने के वास्ते है जितनी अपनी ज़रूरत हो उसके मुवाफ़िक़ रख कर जो ज़ायद हो वह ख़र्च कर दे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि अपने अहल व अयाल (घर वालों व बाल, बच्चों) के ख़र्च से जो बचे, वह अफ़्व (ज़रूरत से ज़्यादा) है।

हज़रत अबू यमामा रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि ऐ आदमी ! जो तुझ से ज़ायद है उसको तू ख़र्च कर दे, यह बेहतर है तेरे लिए और तू उसको रोक कर रखे यह तेरे लिये बुरा है और ज़रूरत के लायक़ पर कोई मलामत नहीं। और ख़र्च करने में उन लोगों से शुरूआत कर जो तेरे अयाल में हैं और ऊंचा हाथ यानी देने वाला हाथ बेहतर है उस हाथ से जो नीचे हो (यानी लेने के लिए फैला हुआ हो।)

हज़रत अता रज़ि॰ से भी यही नक़ल किया गया कि अफ़्व से मुराद ज़रूरत से ज़ायद है। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत अबू सईद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि जिसके पास सवारी ज़ायद हो, वह ऐसे शख़्स को सवारी दे जिसके पास सवारी नहीं है और जिसके पास तोशा ज़ायद हो वह ऐसे शख़्स को तोशा दे जिसके पास तोशा न हो। (हुज़ूर सल्ल॰ ने इस क़दर एहतिमाम से यह बात फ़रमाई कि) हमें यह गुमान होने लगा कि किसी शख़्स का अपने किसी ऐसे माल में हक़ ही नहीं है जो उसकी ज़रूरत से ज़ायद हो। *(अबू दाऊद)*

और कमाल का दर्जा है भी यही कि आदमी की अपनी वाक़ई ज़रूरत से ज़ायद जो चीज़ है वह ख़र्च ही करने के वास्ते है, जमा करके रखने के वास्ते नहीं है।

कुछ उलमा ने अफ़्व का तर्जुमा सहल का किया है यानी जितना आसानी से ख़र्च कर सके कि उसको ख़र्च करने से ख़ुद परेशान हो कर दुन्यवी तक्लीफ़ में मुब्तला न हो और दूसरे का हक़ ज़ाया होने से आख़िरत की तक्लीफ़ में मुब्तला न हो।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि कुछ आदमी इस

तरह सदक़ा करते थे कि अपने खाने को भी उनके पास न रहता था, यहां तक कि दूसरे लोगों को उन पर सदक़ा करने की नौबत आ जाती थी। इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक शख़्स मस्जिद में तशरीफ़ लाये। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनकी हालत देखकर लोगों से कपड़ा ख़ैरात करने को इर्शाद फ़रमाया, बहुत से कपड़े चंदे में जमा हो गये। हुज़ूर सल्ल॰ ने उनमें से दो कपड़े उन साहब को अता फ़रमा दिए। उसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने सदक़ा करने की तर्ग़ीब दी और लोगों ने सदक़े का माल दिया तो उन साहब ने भी दो कपड़ों में से एक सदक़े में दे दिया, तो हुज़ूर सल्ल॰ ने नाराज़ी का इज़्हार फ़रमाया और उनका कपड़ा वापस फ़रमा दिया। *(दुर्रे मंसूर)*

क़ुरआन पाक में अपनी ज़रूरत के बावजूद ख़र्च करने की तर्ग़ीब भी आई है, लेकिन यह उन्हीं लोगों के लिए है जो इसको ख़ुशदिली से बर्दाश्त कर सकते हों, उनके दिलों में वाक़ई तौर पर आख़िरत की अहमियत दुनिया पर ग़ालिब आ गयी हो जैसे कि आयात के सिलसिले में नं॰ 38 पर यह मज़मून तफ़्सील से आ रहा है।

(۵) مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۭ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○ (بقرہ ۳۲)

5. कौन है ऐसा शख़्स जो अल्लाह जल्ल शानुहू को क़र्ज़ दे अच्छी तरह क़र्ज़ देना, फिर अल्लाह तआला उसको बढ़ा कर बहुत ज़्यादा कर दे (और ख़र्च करने से तंगी का ख़ौफ़ न करो) कि अल्लाह जल्ल शानुहू ही तंगी और फ़राख़ी करते हैं। (उसी के क़ब्ज़े में है।) और उसी की तरफ़ मरने के बाद लौटाए जाओगे।

फ़ायदा: अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने को क़र्ज़ से इसलिए ताबीर किया गया है कि जैसे क़र्ज़ की अदाएगी और वापसी ज़रूर होती है, इसी तरह अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का अज्र व सवाब और बदला ज़रूर मिलता है, इसलिये उसको क़र्ज से ताबीर किया।

हज़रत उमर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला को क़र्ज़ देने से

अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना मुराद है।

हज़रत इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई तो हज़रत अबुद्दहदाह अंसारी रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! अल्लाह जल्ल शानुहू हमसे क़र्ज़ मांगते हैं हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, बेशक, वह अर्ज़ करने लगे अपना दस्ते मुबारक मुझे पकड़ा दीजिए ताकि मैं आप के दस्ते मुबारक पर एक अह्द करूं। हुज़ूर सल्ल॰ ने अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने मुआहदे के तौर पर हुज़ूर सल्ल॰ का हाथ पकड़ कर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मैं ने अपना बाग़ अपने अल्लाह को क़र्ज़ दे दिया। उनके बाग़ में छः सौ दरख़्त खजूरों के थे और उसी बाग़ में उनके बीवी बच्चे रहते थे, यहां से उठकर फिर अपने बाग़ में गये और अपनी बीवी उम्मे दह्दाह रज़ि॰ से आवाज़ देकर कहा कि चलो इस बाग़ से निकल चलो, यह बाग़ मैं ने अपने रब को दे दिया।

दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ ने उस बाग़ को कुछ यतीमों पर तक़्सीम कर दिया।

एक हदीस में है कि जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई -

मन् जा अ बिल् ह स नति (आयत)

'जो एक नेकी करे उसको दस गुना सवाब मिलेगा', तो हुज़ूर सल्ल॰ ने दुआ की कि या अल्लाह ! मेरी उम्मत का सवाब इससे भी ज़्यादा कर दे। उसके बाद यह आयत -

'मन् ज़ल्लज़ी युक़्रिज़ुल्ला-ह'

नाज़िल हुई। हुज़ूर सल्ल॰ ने फिर दुआ की, या अल्लाह ! मेरी उम्मत का सवाब बढ़ा दे, फिर

म-स-लुल्ल-ज़ी-न युन्फ़िक़ू-न (आयत)

जो नम्बर 7 पर आ रही है नाज़िल हुई। हुज़ूर सल्ल॰ ने फिर दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्मत का सवाब बढ़ा दे, इस पर

इन् न मा युवफ़्फ़स्साबिरू न अज् र हुम बिग़ैरि हिसाब॰ (सूरः ज़ुमर रूकूअ् 2) नाज़िल हुई कि सब्र करने वालों को उनका सवाब पूरा-पूरा दिया जायेगा, जो बे अंदाज़ा और बेशुमार होगा।

एक हदीस में है कि एक फ़रिश्ता निदा (आवाज़) करता है कि, कौन

है जो आज क़र्ज़ दे और कल को पूरा बदला ले ले।

एक और हदीस में है कि अल्लाह जल्ल शानुहू फ़रमाते हैं, ऐ आदमी अपना ख़ज़ाना मेरे पास अमानत रख दे, न उसमें आग लगने का अंदेशा है, न ग़र्क़ हो जाने का, न चोरी का। ऐसे वक़्त में वह तुझ को पूरा का पूरा वापस करूँगा जिस वक़्त तुझे उसकी इंतिहाई ज़रूरत होगी। (दुर्रे मंसूर)

(٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا
بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط (بقره ع ٣٤)

6. ऐ ईमान वालो ! ख़र्च कर लो उन चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं, इसके पहले कि वह दिन आ जाए जिसमें न तो ख़रीद व फ़रोख़्त हो सकती है, न दोस्ती होगी, न किसी की (अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर) सिफ़ारिश होगी।

फ़ायदा:- यानी उस दिन न तो ख़रीद व फ़रोख़्त है कि कोई उस दिन दूसरों की नेकियां ख़रीद ले, न दोस्ती है कि ताल्लुक़ात में कोई दूसरे से नेकियां मांग ले, न वग़ैर इजाज़त के सिफ़ारिश का किसी को हक़ है कि अपनी तरफ़ से खुशामद करके सिफ़ारिश ही करा ले, ग़रज़ जितने अस्बाब दूसरे से मदद हासिल करने के हुआ करते हैं, वह सभी उस दिन मौजूद न होंगे, उस दिन के वास्ते कुछ करना है तो आज का दिन है। जो बोना है बो लिया जाये उस दिन तो खेती के काटने ही का दिन है जो बोया गया है, वह काट लिया जाएगा, ग़ल्ला हो या फूल, कांटे हों या ईंधन। हर शख़्स ख़ुद ही ग़ौर कर ले कि वह क्या बो रहा है।

(٧) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ (بقره ع ٣٦)

7. जो लोग अल्लाह के रास्ते में (यानि ख़ैर के कामों में) अपने मालों को ख़र्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसा कि एक दाना हो जिसमें सात बालें उगी हों और हर बाल में सौ दाने हों। (तो एक दाने से सात सौ दाने मिल गये) और अल्लाह जल्ल शानुहू जिस को चाहे

ज़्यादा अता फ़रमा देते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू बड़ी वुसअत वाले हैं। (उनके यहां किसी चीज़ की कमी नहीं) और जानने वाले हैं (कि ख़र्च करने वाले की नीयत का हाल भी उन को ख़ूब मालूम है।)

फ़ायदाः– एक हदीस में आया है कि आमाल छः क़िस्म के हैं और आदमी चार क़िस्म के हैं। आमाल की छः क़िस्में ये हैं कि दो अमल तो वाजिब करने वाले हैं और दो अमल बराबर सराबर हैं और एक अमल दस गुना सवाब रखता है और एक अमल सात सौ गुना सवाब रखता है। जो वाजिब करने वाले हैं। वे तो ये हैं कि जो शख़्स इस हालत में मरे कि शिर्क न करता हो, वह जन्नत में दाख़िल होकर रहेगा और जो ऐसी हालत में मरे कि शिर्क करता हो वह जहन्नम में दाख़िल होकर रहेगा और बराबर सराबर ये हैं कि जो शख़्स किसी नेकी का इरादा करे और अमल न कर सके, उसको एक सवाब मिलता है और जो गुनाह करे उसको एक बदला मिलता है और जो शख़्स कोई नेकी करे उसको दस गुना सवाब मिलता है और जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे उसको हर ख़र्च का सात सौ गुना सवाब मिलता है और आदमी चार तरह के हैं–

एक - वे लोग हैं जिन पर दुनिया में भी वुसअत है, आख़िरत में भी,

दूसरे- वे जिन पर दुनिया में वुसअत, आख़िरत में तंगी,

तीसरे - वे जिन पर दुनिया में तंगी, आख़िरत में वुसअत,

चौथे - वे जिन पर दुनिया में भी तंगी और आख़िरत में भी तंगी,

(कंज़ुल उम्माल)

कि यहां के फ़क्र के साथ आमाल भी ख़राब हुए, जिन की वजह से वहां भी कुछ न मिला। दुनिया और आख़िरत दोनों ही बर्बाद हो गयीं।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि जो शख़्स एक खजूर के बराबर भी सदक़ा करे बशर्ते कि पाक माल से हो, ख़बीस माल न हो, इसलिये कि हक़ तआला शानुहू तय्यब माल ही को क़ुबूल करते हैं, तो हक़ तआला उस सदक़े की परवरिश करते हैं जैसा कि तुम लोग अपने बछेरे की परवरिश करते हो, हत्ता कि वह सदक़ा बढ़ते बढ़ते पहाड़ के बराबर हो जाता है। *(मिश्कात शरीफ़)*

एक और हदीस में है कि जो शख़्स एक खजूर अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है, हक़ तआला शानुहू उसके सवाब को इतना बढ़ाते हैं कि वह उहद

पहाड़ से बड़ा हो जाता है। उहद का पहाड़ मदीना तय्यबा का बहुत बड़ा पहाड़ है। इस सूरत में सात सौ से बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब हो जाता है।

एक हदीस में आया है कि जब यह सात सौ गुने वाली आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अल्लाह जल्ल शानुहू से सवाब के ज़्यादा होने की दुआ की, इस पर पहली आयत नं॰ 5 वाली नाज़िल हुई। *(बयानुल क़ुरआन)*

इस क़ौल के मुवाफ़िक़ इस आयते शरीफ़ा का नुज़ूले मुक़द्दम हुआ, दूसरी हदीस में इसका उलटा आया है, जैसा कि पहले नं॰ 5 के तहत में गुज़रा है।

(٨) اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا یُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًی لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝

(بقره ع ٣٦)

8. जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं फ़िर न तो (जिसको दिया उस पर) एहसान जताते हैं और न ही किसी तरह उस को तक्लीफ़ पहुंचाते हैं तो उनके लिए उन के रब के पास इस का सवाब है और (क़ियामत के दिन) न तो उनको किसी क़िस्म का ख़ौफ़ होगा और न वे ग़मगीन होंगे।

फ़ायदाः- यह आयते शरीफ़ा पहली आयत के बाद ही है और इस रूकूअ् में सारा ही मज़मून इसी के मुताल्लिक़ है। अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की तर्ग़ीब और एहसान जता कर उसको बर्बाद न करने पर तंबीह है और किसी और तरह से तक्लीफ़ पहुंचाने का यह मतलब है कि अपने इस एहसान की वजह से उसके साथ गिरा हुआ बर्ताव करे, उस को ज़लील समझे।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि कुछ आदमी जन्नत में दाख़िल न होंगे। उनमें से एक वह शख़्स है जो अपने दिए हुए पर एहसान जताये। दूसरा वह शख़्स है जो मां बाप की नाफ़रमानी करे। तीसरा वह है जो शराब पीता रहता हो वग़ैरह वग़ैरह। *(दुर्रे मंसूर)*

इमाम ग़ज़्ज़ाली रह॰ ने एह्या में सदक़े के आदाब में लिखा है कि उसको 'मन्न' और 'अज़ा' से बर्बाद न करे। मन्न और अज़ा की तफ़सील में

उलमा के कई क़ौल हैं कुछ उलमा ने लिखा है कि मन्न यह है कि ख़ुद उस से इसका तज़्किरा करे और अज़ा यह है कि उस का दूसरों से इज़्हार करे।

कुछ ने फ़रमाया है कि मन्न यह है कि इस अता के बदले में उससे कोई बेगार ले और अज़ा यह है कि उसको फ़क़ीरी का ताना दे। कुछ ने फ़रमाया है कि मन्न यह है कि इस अता की वजह से अपनी बड़ाई उस पर ज़ाहिर करे और अज़ा यह है कि उसको सवाल की वजह से झिड़के।

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि असल मन्न यह है कि अपने दिल में अपना उस पर एहसान समझे, इसी की वजह से फिर ऊपर वाली बातें ज़ाहिर होती हैं, हालांकि उस फ़क़ीर का अपने ऊपर एहसान समझना चाहिए कि उसने अल्लाह जल्ल शानुहू का हक़ उससे क़ुबूल करके उसको बरीयुज़्ज़िमा बना दिया[1] और उसके माल की पाकी का सबब बना और जहन्नम के अज़ाब से जो ज़कात के रोकने की वजह से होता, निजात दिलायी। *(एह्याउल उलूम)*

मशहूर मुहद्दिस इमाम शाबी रह॰ फ़रमाते हैं कि जो शख़्स अपने आपको सवाब का इससे ज़्यादा मुहताज न समझे जितना फ़क़ीर को अपने सदक़े का मुहताज समझता है, उसने अपने सदक़े को जाया कर दिया और वह सदक़ा उसके मुँह पर मार दिया जाता है। *(एहया उल उलूम)*

क़ियामत का दिन निहायत ही सख़्त रंज व ग़म और ख़ौफ़ का दिन है जैसा कि इस रिसाले के ख़त्म पर आ रहा है, उस दिन किसी का बे-ख़ौफ़ होना, ग़मगीन न होना बहुत ऊँची चीज़ है।

(۹)اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِیَ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ ط وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ (بقره ع ۳۷)

9. सदक़ात को अगर तुम ज़ाहिर करके दो तब भी अच्छी बात है और अगर तुम उन को चुपके से फ़क़ीरों को दे दो तो यह तुम्हारे लिये ज़्यादा बेहतर है और हक़ तआला शानुहू तुम्हारे कुछ गुनाह माफ़ कर देंगे और अल्लाह जल्ल शानुहू को तुम्हारे कामों की ख़बर है। (दूसरी आयत में इर्शाद है)

1. यानी ज़िम्मेदारी से बचा लिया।

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَھُمْ بِالَّیْلِ وَالنَّھَارِ سِرًّا وَّعَلَانِیَةً فَلَھُمْ اَجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ ج وَلَاخَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَاھُمْ یَحْزَنُوْنَ ○ (بقرہ ع ۳۸)

जो लोग अपने मालों को ख़र्च करते हैं, रात दिन, पोशीदा और खुल्लम खुल्ला, उनके लिए उनके रब के पास इसका सवाब है और कि़यामत के दिन न उनको कोई ख़ौफ़ होगा और न वे ग़म में होंगे।

फ़ायदाः- इन दोनों आयतों में सदक़ा को छुपाकर देना और खुल्लम खुल्ला ज़ाहिर करके देना दोनों तरीक़ों की तारीफ़ की गयी है और बहुत सी अहादीस और कुरआन पाक की आयात में रिया की यानी दिखलावे के लिए काम करने की बुराई और उसको शिर्क बताया है और सवाब को ज़ाया कर देने वाला, बल्कि गुनाह को लाज़िम कर देने वाला बताया है, इसलिए पहले यह समझ लेना चाहिए कि दिखलावा और चीज़ है और यह ज़रूरी नहीं है कि जो काम खुल्लम खुल्ला किया जाये, वह रिया ही हो, बल्कि रिया यह है कि अपनी बड़ाई ज़ाहिर करने के वास्ते, अपनी शोहरत के वास्ते, अपना कमाल ज़ाहिर करने और इज़्ज़त हासिल करने के वास्ते कोई काम किया जाए तो वह रिया है, जो अल्लाह जल्ल शानुहू की रज़ा और ख़ुश्नूदी हासिल करने के लिए किया जाये और अल्लाह की ख़ुश्नूदी किसी मस्लहत से ऐलान ही में हो तो वह रिया नहीं है, इसके बाद हर अमल ख़ासतौर पर सदक़ा में अफ़ज़ल यही है कि वह छुपा कर किया जाए कि इसमें रिया का एहतिमाल (शक) भी नहीं रहता और सदक़ा लेने वाले की ज़िल्लत और तकलीफ़ से भी अम्न है और यह भी मस्लहत है कि उस वक़्त अगरचे रिया न हो, लेकिन जब आम तौर से लोगों में सख़ावत मशहूर होने लगे तो तकब्बुर और ख़ुदबीनी[1] पैदा होने का एहतिमाल है। और यह भी है कि लोगों में अगर शोहरत होगी तो फिर बहुत से लोग सवालात से परेशान करने लगेंगे और अपने मालदार होने की शोहरत से दुन्यवी नुक़्सानात कई क़िस्म के पैदा होने लगेंगे। हुकूमत के टैक्स, चोरों की निगाहें, हासिदों की दुश्मनी।

इमाम ग़ज़ाली रह० फ़रमाते हैं कि सदक़ा का छुपे तौर से देना रिया और शोहरत से ज़्यादा बईद है और हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद भी नक़ल किया गया है कि अफ़ज़ल सदक़ा किसी तंगदस्त का अपनी कोशिश से किसी नादार को

1. यानी अपने आप को बड़ा समझना और घमण्ड करना।

चुपके से दे देना है और जो शख़्स अपने सदक़े का तज़्किरा करता है वह अपनी शोहरत का तालिब है और जो मज्मे में देता है वह रियाकार है।

पहले बुज़ुर्ग इख़्फ़ा में[1] इतनी कोशिश करते थे कि वह यह भी नहीं पसंद करते थे कि फ़क़ीर को भी इसका इल्म हो कि किसने दिया। इसलिए कुछ तो नाबीना फ़क़ीरों को छांट कर देते थे और कुछ सोते हुए फ़क़ीर की जेब में डाल देते थे और कुछ किसी दूसरे के ज़रिए से दिलवाते कि फ़क़ीर को पता न चले और उसको हया (शर्म) न आवे। बहरहाल अगर शोहरत और रिया मक़्सूद है तो नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम है।

इमाम ग़ज़ाली रह० ने लिखा है कि जहां शोहरत मक़्सूद होगी वह अमल बेकार हो जाएगा, इसलिये कि ज़कात का वजूब माल की मुहब्बत को ख़त्म करने के वास्ते है और हुब्बे जाह (ओहदे व मरतबे की मुहब्बत) का मर्ज़ लोगों में हुब्बे माल (माल की मुहब्बत) से भी ज़्यादा होता है और आख़िरत में दोनों ही हलाक करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन बुख़्ल (कंजूसी) की सिफ़त तो क़ब्र में बिच्छू की सूरत में मुसल्लत होती है और रिया और शोहरत की सिफ़त अज़्दहा की सूरत में मुन्तक़िल हो जाती है। *(एहया उल उलूम)*

एक हदीस में है कि आदमी की बुराई के लिए इतना ही काफ़ी है कि उंगलियों से उसकी तरफ़ इशारा किया जाने लगे, दीनी उमूर में इशारा हो या दुन्यवी उमूर में।

हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रह० फ़रमाते हैं कि जो शख़्स अपनी शोहरत को पसंद करता हो, उसने अल्लाह तआला से सच्चाई का मामला नहीं किया।

अय्यूब सख़्तियानी रह० फ़रमाते हैं कि जो शख़्स अल्लाह तआला से सच्चाई का मामला करता है उसको यह पसंद हुआ करता है कि कोई उसका घर भी न जाने कि कहाँ है। *(एहया उल उलूम)*

हज़रत उमर रज़ि० एक मर्तबा मस्जिदे नबवी में हाज़िर हुए तो देखा कि हज़रत मुआज़ रज़ि० हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र शरीफ़ के पास बैठे हुए रो रहे हैं। हज़रत उमर रज़ि० ने दर्याफ़्त किया कि क्यों रो रहे हो? हज़रत

1. यानी छिपा कर देने में।

मुआज़ रज़ि॰ ने फ़रमाया कि मैंने हुज़ूर सल्ल॰ से सुना था कि रिया का थोड़ा सा हिस्सा भी शिर्क है और हक़ तआला शानुहू ऐसे मुत्तक़ी लोगों को महबूब रखता है जो ज़ाविया-ए-ख़मूल (गुमनामी) में रहते हों कि अगर कहीं चले जायें तो कोई तलाश न करे और मज्मा में आयें तो कोई उनको पहचाने भी नहीं। उनके दिल हिदायत के चिराग़ हों और हर गर्दआलूद तारीक मक़ाम से ख़लासी पाने वाले हों। *(एहयाउल उलूम)*

ग़रज़ रिया की मज़म्मत (बुराई) बहुत सी आयात और अहादीस में वारिद हुई है, लेकिन इन सबके बावजूद कभी एलान में दीनी मस्लहत होती है, मसलन दूसरों को तर्ग़ीब की ज़रूरत के मौक़े पर एक आध शख़्स के सदक़े से दीनी अहम ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकतीं। ऐसे वक़्त में सदक़े का इज़्हार दूसरों की तर्ग़ीब का सबब बनकर ज़रूरत के पूरा होने का सबब बन जाता है, इसलिये हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि क़ुरआन पाक को आवाज़ से पढ़ने वाला ऐसा है जैसाकि एलान के साथ सदक़ा करने वाला और क़ुरआन पाक को आहिस्ता पढ़ने वाला ऐसा है जैसा कि चुपके से सदक़ा करने वाला। *(मिश्कात शरीफ़)*

कि क़ुरआन पाक का भी वक़्त के तक़ाज़े के मुनासिब कभी आवाज़ से पढ़ना अफ़ज़ल होता है और कभी आहिस्ता पढ़ना।

पहली आयते शरीफ़ा के मुताल्लिक़ बहुत से उलमा से नक़ल किया गया कि इस आयते शरीफ़ा में सदक़ा-ए-फ़र्ज़ यानी ज़कात और सदक़ा-ए-नफ़्ल दोनों का बयान है और सदक़ा-ए-फ़र्ज़ का एलान से अदा करना अफ़ज़ल है, जैसा कि और फ़राइज़ का भी यही हुक्म है कि उनका एलान के साथ करना अफ़ज़ल है, इसलिये कि इसमें दूसरों की तर्ग़ीब के साथ अपने ऊपर से इस इल्ज़ाम और इत्तिहाम का दफ़ा करना मक़्सूद है कि यह ज़कात अदा नहीं करता। इसी वजह से दूसरी मस्लिहतों के अलावा नमाज़ में जमाअत मश्रूअ् हुई कि इसमें उसके अदा करने का एलान है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ फ़रमाते हैं कि अल्लामा तबरी रह॰ वग़ैरह ने इस पर उलमा का इज्माअ नक़ल किया है कि सदक़ा-ए-फ़र्ज़ में एलान अफ़ज़ल है और सदक़ा-ए-नफ़ल में इख़्फ़ा (छुपाना) अफ़ज़ल है।

ज़ैन बिन अलमुनीर रह॰ कहते हैं कि यह हालात के इख़्तिलाफ़ से

मुख़्तलिफ़ होता है, मसलन अगर हाकिम ज़ालिम हो और ज़कात का माल मख़्फ़ी हो तो ज़कात का इख़्फ़ा औला होगा और अगर कोई शख़्स मुक़्तदा है, उसके फ़ेअ्ल का लोग इत्तिबाअ् करेंगे तो सदक़ा-ए-नफ़्ल का भी एलान औला होगा। *(फ़त्हुल बारी)*

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० ने आयते शरीफ़ा (ऊपर ज़िक्र हुई) की तफ़्सीर में इर्शाद फ़रमाया है कि हक़ तआला शानुहू ने नफ़्ल सदक़े में आहिस्ता के सदक़े को एलानिया के सदक़े पर सत्तर दर्जा फ़ज़ीलत दी है और फ़र्ज़ सदक़े में एलानिया को मख़्फ़ी सदक़े पर पच्चीस दर्जा फ़ज़ीलत दी है और इसी तरह और सब इबादात के नवाफ़िल और फ़राइज़ का हाल है। *(दुर्रे मंसूर)*

यानी दूसरी इबादात में भी फ़राइज़ को एलान के साथ अदा करना छुप कर अदा करने से अफ़्ज़ल है कि फ़राइज़ छुप कर अदा करने में अपने ऊपर तोहमत है। दूसरे यह भी नुक़सान है कि अपने मुताल्लिक़ीन ये समझेंगे कि यह शख़्स फ़लां उबादत करता ही नहीं और इससे उनके दिलों में इस इबादत की वक़्अत और अहमियत कम हो जायेगी और नवाफ़िल में भी अगर दूसरों के इत्तिबाअ् और इक़्तिदा का ख़्याल हो तो एलान अफ़्ज़ल है।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि० के वास्ते से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल किया गया है कि नेक अमल का चुपके से करना एलानिया से अफ़ज़ल है; मगर उस शख़्स के लिये जो इत्तिबाअ् का इरादा करे।

हज़रत अबू उमामा रज़ि० कहते हैं कि हज़रत अबूज़र रज़ि० ने हुज़ूर सल्ल० से दर्याफ़्त किया कि कौन सा सदक़ा अफ़्ज़ल है। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि किसी फ़क़ीर को चुपके से कुछ दे देना और नादार की कोशिश अफ़्ज़ल है, और असल यही है कि नफ़्ली सदक़े का मख़्फ़ी तौर से अदा करना अफ़ज़ल है, अलबत्ता अगर कोई दीनी मस्लहत एलान में हो तो एलान भी अफ़ज़ल हो जाता है, लेकिन इस बात में अपने नफ़्स और शैतान से बे फ़िक्र न रहे कि वह सदक़े को बर्बाद करने के लिये दिल को यह समझाये कि एलान में मस्लहत है बल्कि बहुत ग़ौर से इसको जांच ले कि एलान में वाक़ई दीनी मस्लहत है या नहीं और सदक़ा करने के बाद भी इसका तज़्किरा न करता फिरे कि यह भी एलानिया सदक़ा करने में दाख़िल हो जाता है।

एक हदीस में आया है कि आदमी कोई अमल मख़्फ़ी करता है तो वह

मख़्फ़ी अमल लिख लिया जाता है, फिर जब वह उसका किसी से इज़्हार कर दे तो वह मख़्फ़ी से एलानिया में मुंतक़िल कर दिया जाता है। फिर अगर वह लोगों से कहता फिरे तो वह एलानिया से रिया में मुंतक़िल कर दिया जाता है। *(एहयाउल उलूम)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है कि सात आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह जल्ल शानुहू उस दिन अपने साए में रखेंगे, जिस दिन अल्लाह के सिवा कहीं साया न होगा, (यानी क़ियामत के दिन)

1. एक आदिल बादशाह (हाकिम)

2. दूसरे वह नौजवान, जो अल्लाह जल्ल शानुहू की इबादत में नश्व व नुमा पाता है।[1]

3. तीसरे वह शख़्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो,

4. चौथे वे दो शख़्स जिनमें सिर्फ़ अल्लाह की वजह से मुहब्बत हो, कोई दुन्यवी ग़रज़ एक की दूसरे से जुड़ी हुई न हो, उसी पर उनका आपस में इज्तिमाअ् हो और उसी पर अलाहिदगी हो,

5. पांचवे वह शख़्स, जिसको कोई हसब नसब वाली ख़ूबसूरत औरत अपनी तरफ़ मुतवज्जह करे और वह कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इसी तरह कोई मर्द किसी औरत को मुतवज्जह करे और वह औरत यही कह दे,

6. छठे वह शख़्स जो इतना छुपा कर सदक़ा करे कि बायें हाथ को भी ख़बर न हो कि दाहिने हाथ ने क्या ख़र्च किया,

7. सातवें वह शख़्स जो तंहाई में अल्लाह जल्ल शानुहू को याद करके रो पड़े,

इस हदीस में सात आदमी ज़िक्र फ़रमाये हैं, दूसरी अहादीस में इनके अलावा और भी कुछ लोगों के मुताल्लिक़ यह वारिद हुआ है कि वे इस सख़्त दिन में अर्श के साए के नीचे होंगे। उलमा ने उनकी तायदाद बयासी तक गिनवायी है जिनको साहिबे इत्तिहाफ़ ने नक़्ल किया है।

बहुत सी अहादीस में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद नक़्ल किया गया है कि मख़्फ़ी सदक़ा अल्लाह के गुस्से को ख़त्म कर देता है। हज़रत सालिम बिन

1. यानी पलता बढ़ता है।

अबिल जअद रज़ि॰ कहते हैं कि एक औरत अपने बच्चे के साथ जा रही थी। रास्ते में भेड़िये ने उस बच्चे को उचक लिया। यह औरत उस भेड़िये के पीछे दौड़ी। इतने में एक साइल रास्ते में मिला। उस ने सवाल किया। औरत के पास एक रोटी थी। वह साइल को दे दी। वह भेड़िया वापस आया और उसके बच्चे को छोड़कर चला गया। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि तीन आदमियों को हक़ तआला शानुहु महबूब रखते हैं और तीन आदमियों से नाराज़ हैं। जिन को हक़ तआला महबूब रखते हैं–

1. उनमें से एक तो वह शख़्स है कि एक आदमी किसी मज्मे से कुछ सवाल करने आया, जो महज़ अल्लाह तआला के वास्ते से सवाल करता था कि उसकी उन लोगों से कुछ क़राबत भी न थी। एक शख़्स उस मज्मे से उठा और उन की ग़ीबत में चुपके से साइल को कुछ दे दिया, जिस के देने की अल्लाह जल्ल शानुहू के सिवा किसी को भी ख़बर न हो।

2. दूसरे वह शख़्स महबूब है कि एक जमाअत रात भर सफ़र में चली और जब नींद उन चलने वालों पर ग़ालिब हो गयी हो और वे थोड़ी देर आराम लेने के लिए सवारियों से उतरे हों, उन में उस वक़्त कोई शख़्स बजाए लेटने के नमाज़ में खड़ा होकर हक़ तआला शानुहू के सामने आजिज़ी करने लगा हो।

3. तीसरा वह शख़्स है कि एक जमाअत जिहाद कर रही हो, और कुफ़्फ़ार से मुक़ाबले में हार होने लगे और लोग पीठ फेरने लगें, उस वक़्त यह शख़्स उन में से सीना तान कर मुक़ाबले में डट जाए, यहां तक कि शहीद हो जाए या फ़त्ह हो जाए।

और तीन शख़्स जिनसे हक़ तआला शानुहू नाराज़ हैं -

1. उनमें से एक वह शख़्स है, जो बूढ़ा होकर भी ज़िना में मुब्तला हो।

2. दूसरे वह शख़्स है जो फ़क़ीर होकर तकब्बुर करे।

3. तीसरा वह मालदार है जो ज़ालिम हो।

अहादीस के सिलसिले में नं॰ 15 पर भी यह हदीस आ रही है। एक और हदीस में है, हज़रत जाबिर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ ने ख़ुत्बा पढ़ा, जिसमें इर्शाद फ़रमाया, ऐ लोगो ! मरने से पहले अपने गुनाहों से तौबा कर लो और नेक अमल करने में जल्दी किया करो। ऐसा न हो किसी दूसरे काम में मशग़ूली हो जाए और वह रह जाए और अल्लाह जल्ल शानुहू के साथ

अपना रिश्ता जोड़ कर और कसरत से उसका ज़िक्र करके और मख़्फ़ी और एलानिया सदक़ा करके कि इससे तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी शकिस्तगी की इस्लाह की जाएगी।

एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन हर शख़्स अपने सदक़े के साए में होगा, जब तक हिसाब का फ़ैसला न हो यानी क़ियामत के दिन जब आफ़ताब निहायत क़रीब होगा, हर शख़्स पर उसके सदक़ात की मिक़्दार से साया होगा। जितना ज़्यादा सदक़ा दिया होगा, उतना ही ज़्यादा साया होगा।

एक दूसरी हदीस में है कि सदक़ा क़ब्रों की गर्मी को दूर करता है और हर शख़्स क़ियामत के दिन अपने सदक़े से साया हासिल करेगा।

और यह मज़्मून तो बहुत सी रिवायात में आया है कि सदक़ा बलाओं को दूर करता है। इस ज़माने में जबकि मुसलमानों पर उनके आमाल की बदौलत हर तरफ़ से हर क़िस्म की बलाएं मुसल्लत हो रही हैं, सदक़ात की बहुत ज़्यादा कसरत करनी चाहिये, ख़ास कर जबकि देखती आँखों उम्र भर का जमा किया हुआ खड़े खड़े छोड़ना पड़ जाता है। ऐसी हालत में बहुत एहतिमाम से बहुत ज़्यादा मिक़्दार में सदक़ात करते रहना चाहिए। कि इसमें वह माल भी ज़ाया होने से महफ़ूज़ हो जाता है जो सदक़ा किया गया। और उसकी बरकत से अपने ऊपर से बलाएं भी हट जाती हैं, मगर अफ़सोस कि हम लोग इन हालात को अपने आँखों से देखते हुए भी सदक़ात का एहतिमाम नहीं करते।

एक हदीस में है कि सदक़ा बुराई के सत्तर दरवाज़े बंद करता है। एक हदीस में है कि सदक़ा अल्लाह जल्ल शानुहू के गुस्से को दूर करता है और बुरी मौत से हिफ़ाज़त करता है।

एक हदीस में है कि सदक़ा उम्र को बढ़ाता है और बुरी मौत को दूर करता है और तकब्बुर और फ़ख़्र को हटाता है।

एक हदीस में है कि हक़ तआला शानुहू एक रोटी के लुक़्मे से या एक मुट्ठी भर खजूर या और कोई ऐसी ही मामूली चीज़, जिस से मिस्कीन की ज़रूरत पूरी होती हो, तीन आदमियों को जन्नत में दाख़िल फ़रमाते हैं –

एक साहबे ख़ाना, (घर का मालिक) जिसने सदक़े का हुक्म दिया,

दूसरे घर की बीवी, जिसने रोटी वग़ैरह पकायी,

तीसरे वह ख़ादिम, जिसने फ़क़ीर तक पहुँचाया।

यह हदीस बयान फ़रमा कर इर्शाद फ़रमाया, सारी तारीफ़ें हमारे अल्लाह के लिए हैं, जिसने हमारे ख़ादिमों को भी सवाब में फ़रामोश नहीं किया।

एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि जानते हो बड़ा सख़्त ताक़तवर कौन है। लोगों ने अर्ज़ किया कि जो मुक़ाबले में दूसरे को पछाड़ दे। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, बड़ा बहादुर वह है जो गुस्से के वक़्त अपने ऊपर क़ाबू पाए हुए हो। फिर दर्याफ़्त फ़रमाया, जानते हो कि बांझ कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया कि जिसके औलाद न हो। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि नहीं, बल्कि वह आदमी है जिसने कोई औलाद आगे न भेजी हो। फिर हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, जानते हो फ़कीर कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया जिसके पास माल न हो। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया फ़क़ीर और पूरा फ़क़ीर वह है जिसके पास माल हो और उसने आगे कुछ न भेजा (कि वह उस दिन ख़ाली हाथ खड़ा रह जाएगा, जिस दिन उसको सख़्त ज़रूरत होगी)।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया कि अपने नफ़्स को अल्लाह तआला से ख़रीद ले अगरचे एक खजूर के टुकड़े ही के साथ क्यों न हो। मैं तुझे अल्लाह जल्ल शानुहू के किसी मुतालबे से नहीं बचा सकता। ऐ आइशा ! कोई मांगने वाला तेरे पास से ख़ाली न जाए चाहे बकरी का खुर ही क्यों न हो। *(दुर्रे मंसूर)*

इमाम ग़ज़्ज़ाली रह॰ ने लिखा है कि पहले लोग इसको बुरा समझते थे कि कोई दिन सदक़ा करने से ख़ाली जाए, चाहे एक खजूर ही क्यों न हो चाहे एक रोटी का टुकड़ा ही क्यों न हो, इसलिये कि हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि क़ियामत में हर शख़्स अपने सदक़े के साए में होगा। *(एहया अव्वल)*

(١٠) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰى وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ (بقره ع ٣٨)

10. हक़ तआला शानुहू सूद को मिटाते हैं और सदक़ात को बढ़ाते हैं।

फ़ायदाः- सदक़ात का बढ़ाना इससे पहले बहुत सी रिवायात में गुज़र चुका है कि आख़िरत में उस का सवाब पहाड़ के बराबर होता है यह तो आख़िरत के एतबार से था और दुनिया में भी अक्सर बढ़ता है कि जो शख़्स सदक़ा इख़्लास के साथ कसरत से करता रहता है उसकी आमदनी में इज़ाफ़ा

होता रहता है जिसका दिल चाहे तजुर्बा करके देख ले, अलबत्ता इख़्लास शर्त है, रिया और फ़ख़र न हो और सूद आख़िरत में तो मिटाया ही जाता है दुनिया में भी अक्सर बर्बाद हो जाता है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़्ल फ़रमाते हैं कि सूद अगरचे बढ़ा हुआ हो लेकिन उस का अन्जाम कमी की तरफ़ होता है और मामर रज़ि॰ कहते हैं कि चालीस साल में सूद में कमी हो जाती है।

हज़रत ज़ह्हाक रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि सूद दुनिया में बढ़ता है और आख़िरत में मिटा दिया जाता है।

हज़रत अबू बर्ज़ा रज़ि॰ फ़रमाते हैं हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि आदमी एक टुकड़ा देता है वह अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां इस क़दर बढ़ता है कि उहद पहाड़ के बराबर हो जाता है।

(11) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (ال عمران ع ۱۰)

11. ऐ मुसलमानो ! तुम (कामिल) नेकी को हासिल न कर सकोगे, यहां तक कि उस चीज़ को ख़र्च न करो जो तुम को (ख़ूब) महबूब हो।

फ़ायदाः- हज़रत अनस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि अंसार में सब से ज़्यादा दरख़्त खजूरों के हज़रत अबू तल्हा रज़ि॰ के पास थे और उनका एक बाग़ था। जिसका नाम बीरेहा था, वह उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद था। यह बाग़ मस्जिदे नबवी के सामने ही था। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अक्सर उस बाग़ में तशरीफ़ ले जाते और उसका पानी नोश फ़रमाते जो बहुत ही बेहतरीन पानी था। जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई तो हज़रत अबूतल्हा रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! हक़ तआला शानुहू यूँ इर्शाद फ़रमाते हैं -

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (ال عمران ع ۱۰)

"लन् तनालुल् बिर् र हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम् मा तुहिब्बून॰"

और मुझे अपनी सारी चीज़ों में बीरेहा सबसे ज़्यादा महबूब है, मैं उसको

अल्लाह के लिए सदक़ा करता हूँ और उसके अज्र व सवाब की अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ। आप जहां मुनासिब समझें उस को ख़र्च फ़रमाएं। हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया, वाह! वाह! बहुत ही नफ़े का माल है। मैं यह मुनासिब समझता हूँ कि इसको अपने रिश्तेदारों में तक़्सीम कर दो। अबू तल्हा रज़ि० ने अर्ज़ किया, बेहतर है और उसको अपने चचाज़ाद भाईयों और दूसरे रिश्तेदारों में बांट दिया।

एक और हदीस में है, अबू तल्हा रज़ि० ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरा बाग़ जो इतनी बड़ी मालियत का है, वह सदक़ा है और मैं अगर इसकी ताक़त रखता हूँ कि किसी को इसकी ख़बर न हो तो ऐसा करता, मगर बाग़ ऐसी चीज़ नहीं जो मख़्फ़ी (छुपी) रह सके।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि० फ़रमाते हैं कि मुझे जब इस आयते शरीफ़ा का इल्म हुआ तो मैं ने उन सब चीज़ों में ग़ौर किया जो अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुझे अता फ़रमायी थीं, मैंने देखा कि इन सबमें मुझे सबसे ज़्यादा महबूब अपनी बांदी मर्जाना है। मैंने कहा कि वह अल्लाह के वास्ते आज़ाद है। इसके बाद अगर मैं उस चीज़ से जिसको अल्लाह के वास्ते दे दिया हो, दोबारा नफ़ा हासिल करना गवारा करता तो उस बांदी से आज़ाद कर देने के बाद निकाह कर लेता। (कि वह जायज़ था और इससे सदक़े में कुछ कमी न होती थी, लेकिन चूंकि इसमें सूरते सदक़े में रूजूअ् की सी थी) यह मुझे गवारा न हुआ, इसलिये उसका निकाह अपने ग़ुलाम हज़रत नाफ़ेअ् रज़ि० से कर दिया।

एक और हदीस में है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि० नमाज़ पढ़ रहे थे, तिलावत में जब इस आयते शरीफ़ा पर गुज़र हुआ तो नमाज़ ही में इशारे से अपनी एक बांदी को आज़ाद कर दिया। हक़ तआला शानुहू और उसके पाक रसूल सल्ल० के इर्शादात की वक़्अत और उन पर अमल करने में पेशक़दमी तो कोई इन हज़रात सहाबा-ए-किराम रज़ि० से सीखे, वाक़ई यही हज़रात इसके मुस्तहिक़ थे कि हुज़ूर सल्ल० के सहाबी बनाये जाते। हुज़ूर सल्ल० की ख़ादिमियत इन्हीं हज़रात के शायाने शान थी। रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व अर्ज़ाहुम अज्मईन०

हज़रत उमर रज़ि० ने हज़रत अबू मूसा अश्अरी रज़ि० को लिखा कि जलूला की बांदियों में से एक बांदी उनके लिये ख़रीद दें, उन्होंने एक बेहतरीन

बांदी खरीद कर भेज दी। हज़रत उमर रज़ि॰ ने उस बांदी को अपने पास बुलाया और यह आयते शरीफ़ा पढ़ी और उसको आज़ाद कर दिया।

हज़रत मुहम्मद बिन मुन्कदिर रज़ि॰ कहते हैं कि जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ि॰ के पास एक घोड़ा था जो उनको अपनी सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा महबूब था, वह उसको लेकर हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि यह सदक़ा है। हुज़ूर सल्ल॰ ने उसको क़ुबूल फ़रमा लिया और लेकर उनके साहबज़ादे हज़रत उसामा रज़ि॰ को दे दिया। हज़रत ज़ैद रज़ि॰ के चेहरे पर इससे कुछ गरानी के आसार ज़ाहिर हुए। (कि घर के घर ही में रहा, बाप के बजाए बेटे का हो गया) हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने तुम्हारा सदक़ा क़ुबूल कर लिया यानी तुम्हारा सदक़ा अदा हो गया। अब मैं चाहे इसको तुम्हारे बेटे को दूँ या किसी और रिश्तेदार को या अजनबी को (इसलिये कि तुम तो बेटे को नहीं दे रहे जिस से ख़ुदग़रज़ी का शुब्ह हो, तुम तो मुझे दे चुके, अब मुझे इख़्तियार है कि मैं जिसको दिल चाहे दे दूँ।)

क़बीला बनी सुलैम के एक शख़्स कहते हैं कि हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ रबज़ा नाम के एक गांव में रहते थे, वहां उनके पास ऊँट थे और उनका चराने वाला एक बूढ़ा आदमी था। मैं भी वहां उनके करीब ही रहता था। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि मैं आपकी ख़िदमत में रहना चाहता हूँ, आपके चरवाहे की मदद करूँगा और आपके फ़ुयूज़ हासिल करूँगा शायद अल्लाह जल्ल शानुहू आपकी बरकात से मुझे भी नफ़ा अता फ़रमा दें। हज़रत अबूज़र रज़ि॰ ने फ़रमाया मेरा साथी वह है (यानी ऐसे शख़्स को मैं अपना साथी बना सकता हूँ) जो मेरा कहना माने, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मुज़ाईका नहीं, वरना मेरे साथ रहने का इरादा न करो। मैं ने पूछा कि आप किस चीज़ में मेरी इताअत चाहते हैं, फ़रमाया कि जब मैं कोई चीज़ किसी को देने के लिए माँगू तो सब से बेहतर छांट कर दो। मैं ने क़ुबूल कर लिया और एक ज़माने तक उनकी ख़िदमत में रहा। उनको मालूम हुआ कि इस घाट पर जो लोग आबाद हैं उनको तंगी है। मुझसे फ़रमाया कि एक ऊँट मेरे ऊँटों में से लाओ। मैं ने वायदा के अनुसार तलाश किया तो उन सब में बेहतरीन एक ऊँट नर था, जो बहुत सधा हुआ था, उस जैसा कोई जानवर उनमें नहीं था। मैंने उसके ले जाने का इरादा किया। लेकिन मुझे ख़्याल हुआ कि उसकी ख़ुद यहां भी (जुफ़ती वग़ैरह के लिए)

ज़रूरत रहती है, उसको छोड़कर बाक़ी ऊँटों में जो सबसे अफ़ज़ल और बेहतर जानवर था, वह एक ऊँटनी थी। मैं उसको ले गया। इत्तिफ़ाक़ से हज़रत की नज़र उस ऊंट पर पड़ गयी जिसको मैं मस्लहत की वजह से छोड़कर गया था मुझसे फ़रमाने लगे तुमने मुझ से ख़ियानत की। मैं समझ गया और उस ऊंटनी को वापस लाकर वह ऊंट ले गया। आपने हाज़िराने मज्लिस से मुख़ातिब होकर फ़रमाया कि दो आदमी ऐसे चाहिएं जो एक सवाब का काम करें। दो शख़्सों ने अपने आपको पेश किया कि हम हाज़िर हैं। फ़रमाया कि अगर तुम्हें कोई उज़्र न हो तो इस ऊंट को ज़िब्ह कर के इसके गोश्त के इतने टुकड़े किये जायें जितने घर उस घाट पर आबाद हैं और सब घरों में एक एक टुकड़ा उसके गोश्त का पहुँचा दिया जाए और मेरा घर भी उनमें शुमार कर लिया जाए और उसमें भी उतना ही जाए जितना और घरों में जाए ज़्यादा न जाए। उन दोनों ने क़ुबूल कर लिया और तामीले इर्शाद कर दी। जब इससे फ़ारिग़ हो गये तो मुझे बुलाया और फ़रमाया कि मुझे यह मालूम न हो सका कि तुम मेरे उस वायदे को जो शुरू में हुआ था भूल गये थे। तब तो मैं माज़ूर समझता हूँ या तुमने बावजूद याद होने के उसको पसे पुश्त डाल[1] दिया था। मैंने अर्ज़ किया कि मैं भूला तो नहीं था मुझे वह याद था, लेकिन जब मैं ने तलाश किया और यह ऊंट सबसे अफ़ज़ल मिला तो मुझे आप की ज़रूरियात का ख़्याल पैदा हुआ कि आप को ख़ुद इसकी ज़रूरत है। फ़रमाने लगे कि महज़ मेरी ज़रूरत की वजह से छोड़ा था? मैं ने अर्ज़ किया कि महज़ इसी वजह से छोड़ा था। फ़रमाने लगे कि मैं अपनी ज़रूरत का वक़्त बताऊं। मेरी ज़रूरत का वक़्त वह है कि जब मैं क़ब्र के गढ़े में डाल दिया जाऊंगा, वह दिन मेरी मुहताजी का दिन होगा। तेरे हर माल में तीन शरीक हैं।

एक- तो मुक़द्दर शरीक है, मालूम नहीं कि तक़्दीर अच्छे माल को ले जाए या बुरे को वह किसी चीज़ का इन्तिज़ार नहीं करती (यानि जिस माल को मैं उम्दा और बेहतर और अपने दूसरे वक़्त के लिए कार आमद समझ कर छोड़ दूँ, मालूम नहीं कि दूसरे वक़्त वह मेरे काम आ सकेगा या नहीं) तो फिर उसी वक़्त क्यों न उसको आख़िरत का ज़ख़ीरा बना कर अल्लाह के बैंक में जमा कर दूँ।

दूसरा- शरीक वारिस है जो हर वक़्त इस इन्तिज़ार में रहता है कि कब

1. पीठ पीछे।

तू गढ़े में जावे ताकि वह सारा माल वसूल करे।

तीसरा- तू खुद उस माल का शरीक है (कि अपने काम में ला सकता है) पस इसकी कोशिश कर कि तू तीनों शरीकों में कम हिस्सा पाने वाला न हो। (ऐसा न हो कि मुक़द्दर उसको ले उड़े, कि वह ज़ाया हो जाये या वारिस ले उड़े, इससे बेहतर यही है कि तू उसको जल्दी से हक़ तआला शानुहू के ख़ज़ाने में जमा कर दे।)

इसके अलावा हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है -

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (ال عمران ع ١٠)

लन् तनालुल् बिर् र हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम् मा तुहिब्बून॰

और यह ऊँट जब मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है तो क्यों न इसको अपने लिए मख़्सूस करके महफ़ूज़ कर लूँ और आगे भेज दूँ।

एक और हदीस में आया है, हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि एक जानवर का गोश्त हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में पेश किया गया। हुज़ूर सल्ल॰ ने खुद उसको पसंद नहीं किया, मगर दूसरों को खाने से मना भी नहीं किया। मैं ने अर्ज़ किया कि इसको फ़क़ीरों को दे दूँ। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया ऐसी चीज़ें उनको मत दो जिनको खुद खाना पसंद नहीं करती हो।

एक हदीस में है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ शकर ख़रीद कर ग़रीबों पर तक़्सीम कर देते । हज़रत के ख़ादिम ने अर्ज़ किया कि अगर शकर की बजाए खाना तक़्सीम कर दिया जाये तो ग़रीबों को इससे ज़्यादा नफ़ा हो। फ़रमाया, सही है मेरा भी यही ख़्याल है लेकिन हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है -

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (ال عمران ع ١٠)

लन् तनालुल् बिर् र हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम् मा तुहिब्बून॰

और मुझे शकर (मीठा) ज़्यादा मर्ग़ूब (पसंदीदा) है। *(दुर्रे मंसूर)*

ये हज़रात किसी चीज़ को अफ़्ज़ल समझते हुए भी हक़ तआला शानुहू और उसके पाक रसूल सल्ल॰ के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ पर अमल करने की अक्सर कोशिश किया करते थे। इसकी बहुत सी मिसालें हदीसों में मौजूद हैं यह मुहब्बत की इंतिहा है कि महबूब की ज़ुबान से निकली हुई बात पर अमल करना है,

चाहे अफ़ज़ल दूसरी चीज़ हो।

(آل عمران ع ۱۴)

(۱۲)وَسَارِعُوْٓا اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ
وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ
وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۚ

12. और दौड़ो उस बख़्शिश की तरफ़ जो तुम्हारे रब की तरफ़ से है और दौड़ो उस जन्नत की तरफ़ जिसका फैलाव सारे आसमान और ज़मीन हैं जो तैयार की गयी है ऐसे मुत्तक़ी लोगों के लिए जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं फ़राख़ी में भी और तंगी में भी और ग़ुस्से को ज़ब्त करने वाले हैं और लोगों की ख़ताओं को माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह जल्ल शानुहू महबूब रखते हैं एहसान करने वालों को।

फ़ायदा:- उलमा ने लिखा है कि कुछ लोगों ने बनी इस्राईल की इस बात पर रश्क किया था कि जब कोई शख़्स उनमें से गुनाह करता तो उसके दरवाज़े पर वह लिखा हुआ होता और उसका कफ़्फ़ारा भी कि फ़लां काम इस गुनाह के कफ़्फ़ारे में किया जाए, मसलन नाक काट दी जाये, कान काट दिया जाए वग़ैरह-वग़ैरह। इन हज़रात को इस पर रश्क था कि कफ़्फ़ारा आदा करने से उस गुनाह के ज़ायल (ख़त्म) हो जाने का यक़ीन था और गुनाह की अहमियत इन हज़रात की निगाह में इतनी सख़्त थी कि इस क़िस्म की सज़ाओं को भी इसके मुक़ाबले में हल्का और क़ाबिले रश्क समझते थे। इन हज़रात के जो वाक़िआत हदीस की किताबों में आते हैं, वे वाक़ई ऐसे ही हैं कि बशरीयत से किसी गुनाह के सरज़द हो जाने के बाद[1] उसकी हैबत और अहमियत उन पर बहुत ज़्यादा मुसल्लत हो जाती, मर्द तो मर्द थे ही औरतों में भी यही ज़ज़्बा था। एक औरत से ज़िना सादिर हो गया, ख़ुद हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुई, ख़ुद एतराफ़े जुर्म किया और गुनाह से पाक होने के शौक़ में अपने आप को संगसार होने के लिए पेश किया और सगसार हो गयी; क्यों? इस लिए कि गुनाह की हैबत (डर) उनके दिल में इस मरने से बहुत ज़्यादा थी।

नमाज़ पढ़ते हुए हज़रत अबू तलहा रज़ि॰ के दिल में अपने बाग़ क़ा ख़्याल गुज़र गया, उसको अल्लाह के रास्ते में सदक़ा करके चैन पड़ी। महज़ इस

1. इंसान होने की हैसियत से किसी गुनाह के हो जाने के बाद।

ग़ैरत में कि नमाज़ में दुनिया की चीज़ का ख़्याल आ गया, ऐसी चीज़ जो नमाज़ में अपनी तरफ़ मुतवज्जह करे अपने पास नहीं रखनी।

एक और अंसारी के साथ भी इस क़िस्म का क़िस्सा गुज़रा कि खजूरें शबाब पर आ रही थीं, नमाज़ में उनका ख़्याल आ गया (कि कैसी पक रही हैं?)

हज़रत उस्मान रज़ि॰ की ख़िलाफ़त का ज़माना था। उनकी ख़िदमत में हाज़िर हो कर बाग़ का क़िस्सा ज़िक्र करके उनके हवाले कर दिया, जिसको उन्होंने पचास हज़ार में फ़रोख़्त करके उसकी क़ीमत दीनी कामों पर ख़र्च कर दी।

हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने एक मुश्तबह लुक़्मा एक मर्तबा ग़लती से खा लिया। बार बार पानी पी पी कर कै की कि यह नाजायज़ लुक़्मा बदन का हिस्सा न बन जाए। बहुत से वाक़िआत इन हज़रात के अपने रिसाले 'हिकायाते सहाबा' में लिख चुका हूँ। ऐसी हालत में इन हज़रात को अगर इस पर रश्क हो कि बनू इसराईल के गुनाहों का कफ़्फ़ारा उनको मालूम हो जाता था और इससे गुनाह ख़त्म हो जाता था, बे-महल नहीं। हम ना अहलों का ज़ेहन भी यहां तक नहीं पहुँचता कि गुनाह इस क़दर सख़्त चीज़ है, ग़रज़ इन हज़रात के इस रश्क पर अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने लुत्फ़ व करम और अपने महबूब सय्यिदुल मुर्सलीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उम्मत पर फ़ज़्ल व इनआम की वजह से यह आयते शरीफ़ा नाज़िल फ़रमायी कि ऐसे नेक कामों की तरफ़ दौड़ो जिनसे अल्लाह जल्ल शानुहू की मग़्फ़िरत मयस्सर हो जाए।

हज़रत सईद बिन जुबैर रह॰ इस आयते शरीफ़ा की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि नेक आमाल के ज़रिए से अल्लाह जल्ल शानुहू की मग़्फ़िरत की तरफ़ सबक़त करो और ऐसी जन्नत की तरफ़ सबक़त करो जिसकी वुसअत इतनी है कि सातों आसमान बराबर एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाएं जैसा कि एक कपड़ा दूसरे के बराबर जोड़ दिया जाता है और इसी तरह सातों ज़मीनें एक दूसरे के साथ जोड़ दी जाएं तो जन्नत की वुसअत उनके बराबर होगी।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से भी यही नक़ल किया गया कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक दूसरे के बराबर जोड़ दी जाएं तो जन्नत की चौड़ाई उनके बराबर होगी।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ के गुलाम हज़रत कुरैब रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मुझे हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ ने तौरात के एक आलिम के पास भेजा और

उनकी किताबों से जन्नत की वुसअत का हाल दर्याफ़्त किया, उन्होंने हज़रत मूसा अला नबिय्यिना व अलैहिस्सलाम के सहीफ़े निकाले और उनको देख कर बताया कि जन्नत की चौड़ाई इतनी है कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक दूसरे के साथ जोड़ दी जाएं तो उस के बराबर हों, यह तो चौड़ाई है और उसकी लम्बाई का हाल अल्लाह तआला को मालूम है।

हज़रत अनस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जंगे बद्र में हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि लोगो ! ऐसी जन्नत की तरफ़ बढ़ो जिसकी चौड़ाई सारे आसमान और ज़मीन हैं।

हज़रत उमैर बिन हम्माम अंसारी रज़ि॰ ने (ताज्जुब से) अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! ऐसी जन्नत जिसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया बेशक, हज़रत उमैर रज़ि॰ ने अर्ज़ किया वाह! वाह! या रसूलल्लाह खुदा की क़सम, मैं उसमें दाख़िल होने वालों में ज़रूर हूँगा। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, हाँ ! हाँ ! तुम उसमें जाने वालों में हो। उसके बाद हज़रत उमैर रज़ि॰ ने कुछ खजूरें ऊँट के हौदज में से निकाल कर खाना शुरू कीं। (कि लड़ने की ताक़त पैदा हो) फिर कहने लगे कि इन खजूरों के खा चुकने का इंतज़ार तो बड़ी लम्बी ज़िंदगी है, यह कह कर उन को फेंक कर लड़ाई की जगह चल दिए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए।

(दुर्रे मंसूर)

इस आयते शरीफ़ा में मोमिनों की एक ख़ास तारीफ़ यह भी ज़िक्र की गयी कि गुस्से को पीने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले, यह बड़ी ऊँची और ख़ास सिफ़त है।

उलमा ने लिखा है कि जब तेरे भाई से लग़्ज़िश (ख़ता) हो जाए तो तू उसके लिए सत्तर उज़्र पैदा कर और फिर अपने दिल को समझा कि उसके पास इतने उज़्र हैं और जब तेरा दिल उनको क़ुबूल न करे तो बजाए उस शख़्स के अपने दिल को मलामत कर कि तुझ में किस क़दर क़सावत और सख़्ती है कि तेरा भाई सत्तर उज़्र कर रहा है और तू उनको क़ुबूल नहीं करता और अगर तेरा भाई कोई उज़्र करे तो उसको क़ुबूल कर, इसलिए कि हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जिस शख़्स के पास कोई उज़्र करे और वह क़ुबूल न करे तो उस पर इतना गुनाह होता है, जितना चुंगी के मुहर्रिर को। हुज़ूर सल्ल॰ ने मोमिन की यह सिफ़त बतायी है कि जल्दी गुस्सा आ जाए और जल्दी ही ख़त्म हो जाए।

यह नहीं फ़रमाया कि गुस्सा न आता हो, बल्कि यह फ़रमाया कि जल्दी ख़त्म हो जाता हो।

इमाम शाफ़ई रह॰ का इर्शाद है कि जिसको गुस्से की बात पर गुस्सा न आता हो, वह गधा है और जो राज़ी करने पर राज़ी न हो वह शैतान है। इसलिए हक़ तआला शानुहू ने गुस्से को पीने वाले फ़रमाया। यह नहीं फ़रमाया कि उनको गुस्सा न आता हो। *(एह्या)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स ऐसी हालत में गुस्से को पी ले कि उसको पूरा करने पर क़ादिर हो तो हक़ तआला शानुहू उसको अम्न और ईमान से भरपूर करते हैं। *(दुर्रे मंसूर)*

यानी मजबूरी का नाम सब्र तो हर जगह होता है, कमाल यह है कि क़ुदरत के बावजूद सब्र करे।

एक हदीस में है कि आदमी गुस्से का घूँट पी डाले, इससे ज़्यादा पसंदीदा कोई घूँट अल्लाह जल्ल शानुहू के नज़दीक नहीं है। जो इस घूँट को पी ले, हक़ तआला शानुहू उसके बातिन को ईमान से भर देते हैं।

एक और हदीस में है, जो शख़्स क़ुदरत के बावजूद गुस्सा पी जाए अल्लाह तआला क़ियामत में सारी मख़्लूक़ के सामने उसको बुलाकर फ़रमायेंगे कि जिस हूर को दिल चाहे इंतिख़ाब कर (छांट) ले।

हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि बहादुर वह नहीं है जो दूसरों को पछाड़ दे, बहादुर वह है जो गुस्से में अपने आप पर क़ाबू पा ले।

हज़रत अली बिन इमाम हुसैन रज़ि॰ की एक बांदी उनको वुज़ू करा रही थी कि लोटा हाथ से गिरा, जिससे उनका मुँह ज़ख़्मी हो गया। उन्होंने तेज़ निगाह से बांदी को देखा। वह कहने लगी अल्लाह तआला का इर्शाद है 'वल् काज़िमीनल् ग़ै-ज़'। हज़रत अली रज़ि॰ ने फ़रमाया मैं ने अपना गुस्सा पी लिया। उस ने फिर पढ़ा, 'वल् आफ़ी न अनिन्ना सि' आपने फ़रमाया तुझे अल्लाह तआला माफ़ करे। उसने पढ़ा- वल्लाहु युहिब्बुल् मुहसिनी न, आपने फ़रमाया तू आज़ाद है। *(दुर्रे मंसूर)*

एक मर्तबा एक मेहमान के लिए उनका ग़ुलाम गर्म गर्म गोश्त का प्याला भरा हुआ ला रहा था। वह उनके छोटे बच्चे के सर पर गिर गया वह मर गया आपने ग़ुलाम से फ़रमाया कि तू आज़ाद है और ख़ुद बच्चे की तज्हीज़ व

तक्फ़ीन में लग गए।

(रौज़)

(۱۳)اِنَّمَاالْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَاذُكِرَاللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَاتُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ٥ۚ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ٥ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ
دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ٥ (انفال ع ۱)

13. बस ईमान वाले तो वे लोग होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह जल्ल शानुहू का ज़िक्र आ जाए तो उसकी अज़्मत के ख़्याल से उनके दिल डर जाएं और जब अल्लाह जल्ल शानुहू की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती हैं तो वे उनके ईमान को और ज़्यादा मज़बूत कर देती हैं। और वे लोग अपने रब ही पर तवक्कुल करते हैं और नमाज़ को क़ायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से अल्लाह के वास्ते ख़र्च करते हैं बस यही हैं, सच्चे-ईमान वाले उनके लिये बड़े बड़े दर्जे हैं उनके रब के पास और उनके लिए मग़्फ़िरत है और उनके लिए इज़्ज़त की रोज़ी है।

फ़ायदाः- हज़रत अबुद्दर्दा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि दिल का डर जाना ऐसा होता है जैसे कि खजूर के ख़ुश्क पत्तों में आग लग जाना। इसके बाद अपने शागिर्द शह्र बिन हौशब रज़ि॰ को ख़िताब करके फ़रमाते हैं कि ऐ शहर ! तुम बदन की कपकपी नहीं जानते? उन्होंने अर्ज़ किया, जानता हूँ। फ़रमाया, उस वक़्त दुआ किया करो। उस वक़्त की दुआ क़ुबूल होती है।

हज़रत साबित बनानी रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग ने फ़रमाया कि मुझे मालूम हो जाता है कि मेरी कौन सी दुआ क़ुबूल हुई और कौन सी नहीं हुई। लोगों ने अर्ज़ किया कि यह किस तरह मालूम हो जाता है, फ़रमाया कि जिस वक़्त मेरे बदन पर कपकपी आ जाए और दिल ख़ौफ़ज़दा हो जाए और आँखों से आँसू बहने लगें, उस वक़्त की दुआ मक़्बूल होती है।

हज़रत सदी रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र आ जाए का मतलब यह है कि कोई शख़्स किसी पर ज़ुल्म का इरादा करे या किसी और गुनाह का क़स्द करे और उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर; तो उसके दिल में अल्लाह का ख़ौफ़ पैदा हो जाए।

हारिस बिन मालिक अंसारी रज़ि॰ एक सहाबी हैं। एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर थे। हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया, हारिस! क्या हाल है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मैं बेशक सच्चा मोमिन बन गया। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि सोचकर कहो, क्या कहते हो, हर चीज़ की एक हक़ीक़त होती है, तुम्हारे ईमान की क्या हक़ीक़त है (यानि तुमने किस बात की वजह से यह तय कर लिया कि मैं सच्चा मोमिन बन गया) अर्ज़ किया कि मैंने अपने नफ़्स को दुनिया से फेर लिया, रात को जागता हूँ, दिन को प्यासा रहता हूँ। (यानि रोज़ा रखता हूँ) और जन्नत वालों की आपस में मुलाक़ातों का मंज़र मेरी आँखों के सामने रहता है और जहन्नम वालों के शोर व शग़ब और वावैला का नज़ारा भी आँखों के सामने है (यानि दोज़ख़ जन्नत का तसव्वुर हर वक़्त रहता है) हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, हारिस! बेशक तुमने दुनिया से अपने नफ़्स को फेर लिया। उसको मज़बूत पकड़े रहो। तीन मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ ने यही फ़रमया।

(दुर्रे मंसूर)

और ज़ाहिर बात है कि जिस शख़्स के सामने हर वक़्त दोज़ख़ और जन्नत का मंज़र रहेगा वह दुनिया में कहाँ फंस सकता है।

(١٤) وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ○ (انفال ع٨)

14. और जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे, उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जायेगा और तुम पर किसी क़िस्म का ज़ुल्म न किया जायेगा।

फ़ायदा:- जिन आयात और अहादीस में सवाब बढ़ा कर मिलने का बयान है, वे इसके मनाफ़ी नहीं हैं, उसका मतलब यह है कि उन आमाल में किसी क़िस्म की कमी नहीं होगी, बाक़ी सवाब की मिक़्दार क्या होगी, वह मौक़े की ज़रूरत, ख़र्च करने वाले की नीयत और हालात के एतिबार से जितनी भी बढ़ जाये, यह तो आख़िरत के एतिबार से है और बहुत सी बार दुनिया में भी उसका पूरा बदल मिलता है जैसा कि दूसरी आयात और अहादीस से इसकी ताईद होती है जैसा कि आयात के तहत में नं॰ 20 पर और अहादीस के तहत में नं॰ 8 पर आ रहा है और इस लिहाज़ से अगर इस आयते शरीफ़ा में इस तरफ़ इशारा हो तो बईद नहीं।

(١٥) قُلْ لِعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَیُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰھُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِیَۃً مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ یَوْمٌ لَّا بَیْعٌ فِیْہِ وَلَا خِلٰلٌ ۝ (ابراھیم ع ٥)

15. जो मेरे ख़ास ईमान वाले बंदे हैं, उनसे कह दीजिए कि वे नमाज़ को क़ायम रखें और हमारे दिये हुए रिज़्क़ से ख़र्च करते रहें, पोशीदा तौर से भी और एलानिया भी ऐसे दिन के आने से पहले, जिसमें न ख़रीद व फ़रोख़्त होगी न दोस्ती होगी।

फ़ायदा:- पोशीदा तौर से भी और एलानिया भी यानी जिस वक़्त जिस क़िस्म का सदक़ा मुनासिब हो कि हालात के एतिबार से दोनों क़िस्मों की ज़रूरत होती है और हो सकता है कि मतलब यह हो कि फ़र्ज़ सदक़ात भी जिनका एलानिया अदा करना बेहतर है और नवाफ़िल भी, जिनका इख़्फ़ा (छुपाना) बेहतर है, जैसा कि आयते शरीफ़ा न॰ 9 के तहत में गुज़रा और उस दिन से मुराद क़ियामत का दिन है जैसा कि आयते शरीफ़ा न॰ 6 में गुज़रा और नमाज़ को क़ायम रखना सबसे पहली आयते शरीफ़ा में गुज़र चुका है।

हज़रत जाबिर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुत्बा पढ़ा, उसमें फ़रमाया, लोगो ! मरने से पहले पहले तौबा कर लो (ऐसा न हो कि मौत आ जाए और तौबा रह जाए) और मशाग़िल की कसरत से पहले पहले नेक आमाल कर लो, (ऐसा न हो कि फिर मश्ग़लों की कसरत से वक़्त न मिले) और अपना और अपने रब का ताल्लुक़ मज़बूत कर लो, उसकी याद की कसरत के साथ और मख़्फ़ी और एलानिया सदक़े की कसरत के ज़रिए से कि इसकी वजह से तुम्हें रिज़्क़ भी दिया जाएगा। तुम्हारी मदद भी होगी, तुम्हारी शिकस्ताहाली भी दूर होगी। *(तर्ग़ीब)*

(١٦) وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِیْنَ ۙ الَّذِیْنَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُھُمْ وَالصّٰبِرِیْنَ عَلٰی مَآ اَصَابَھُمْ وَالْمُقِیْمِی الصَّلٰوۃِ ۙ وَمِمَّا رَزَقْنٰھُمْ یُنْفِقُوْنَ ۝ (حج ع ٥)

16. आप ख़ुशख़बरी दीजिए उन आजिज़ी करने वाले मुसलमानों को, जो ऐसे हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जो मुसीबतें उन पर पड़ती हैं उन पर सब्र करते हैं और नमाज़ को क़ायम रखने वाले हैं और जो हमने उनको दिया है उससे ख़र्च करते हैं।

फ़ायदा:-'मुख़्बितीन' जिसका तर्जुमा 'आजिज़ी' करने वालों का लिखा गया है इसके तर्जुमे में उलमा के कई क़ौल हैं इसका असल तर्जुमा पस्ती की तरफ़ जाने वालों का है। कुछ उलमा ने इसका तर्जुमा ख़ुदाई अहकाम के सामने गरदन झुका देने वालों का किया है कि वे भी गरदन को नीचे की तरफ़ ले जाते हैं।

कुछ ने तवाज़ोअ् करने वालों का किया है कि वे तो गरदन झुकाने वाले हर वक़्त ही हैं।

हज़रत मुजाहिद रह॰ ने इसका तर्जुमा 'मुत्मइन लोगों' से किया है।

हज़रत अम्र बिन औस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मुख़्बितीन वे लोग हैं, जो किसी पर ज़ुल्म न करें और अगर उन पर ज़ुल्म किया जाए तो वे बदला न लें।

ज़ह्हाक रह॰ कहते हैं मुख़्बितीन मुतवाज़ेअ् लोग हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से ज़िक्र किया गया कि वह जब हज़रत रबीअ् बिन ख़ुसैम रज़ि॰ को देखते तो फ़रमाते कि मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मुख़्बितीन याद आ जाते हैं।

(١٧) وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ ٥
اُولٰٓئِكَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ ٥ (مؤمنون ع ٤)

17. और जो लोग (अल्लाह की राह में) देते हैं, जो कुछ देते हैं और उस पर भी उन के दिल इससे डरते रहते हैं कि वे अल्लाह के पास जाने वाले हैं। यही लोग हैं जो नेकियों में दौड़ने वाले हैं और यही हैं वे लोग जो नेकियों की तरफ़ सबक़त करने वाले हैं।

फ़ायदा:- यानी बावजूद अल्लाह की राह में ख़र्च करने के इससे डरते रहते हैं कि देखिए अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां इन नेकियों का क्या हश्र हो, क़ुबूल होती हैं या नहीं। यह हक़ तआला शानुहू की ग़ायत अज़्मत और उलूवे मर्तबा (यानी ऊँचे दर्जे) की वजह से है। जो शख़्स जितना ऊँचे मर्तबे का होता है उतना ही उसका ख़ौफ़ ग़ालिब होता है ख़ास कर उस शख़्स के लिए जिसके दिल में वाक़ई अज़्मत हो तथा वे इससे भी डरते रहते हैं कि इसके ख़र्च करने में नीयत भी हमारी ख़ालिस है या नहीं। बहुत सी बार नफ़्स और शैतान के मक्र की वजह से आदमी किसी चीज़ को नेकी समझता रहता है और वह नेकी नहीं

होती, जैसा की सूरः कह्फ़ के आख़िरी रूकुअ् में इर्शाद है :-

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

'आप कह दीजिए कि हम तुम को ऐसे आदमी बताएं जो आमाल के एतिबार से सबसे ज़्यादा ख़सारे (घाटे) वाले हैं। ये वे लोग हैं जिनकी कोशिशें दुनिया में गयी गुज़री हो गयीं और वे समझते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं।'

हज़रत हसन बसरी रह० फ़रमाते हैं कि मोमिन नेकियां करके डरता है और मुनाफ़िक़ बुराईयां करके बे ख़ौफ़ होता है। 'फ़ज़ाइले हज' में कितने ही वाक़िआत इस क़िस्म के ज़िक्र हो चुके हैं कि जिनके दिलों में हक़ तआला शानुहू की अज़्मत और जलाल कामिल दर्जे का होता है, वे ज़बान से लब्बैक कहते हुए इससे डरते हैं कि कहीं यह मर्दूद न हो जाए। हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं, 'या रसूलल्लाह ! वल्लज़ी न युअ्तून' (आयत) यह आयते शरीफ़ा उन लोगों के बारे में है कि एक आदमी चोरी करता है, ज़िना करता है, शराब पीता है और दूसरे गुनाह करता है और इस बात से डरता है कि उसको अल्लाह की तरफ़ रूजूअ् करना है (यानी उसको अपने गुनाहों की वजह से हक़ तआला जल्ल शानुहू के हुज़ूर में पेश होने का डर होता है कि वहां जाकर क्या मुँह दिखाएगा) हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया, नहीं, बल्कि ये वे लोग हैं कि एक आदमी रोज़ा रखता है, सदक़ा देता है नमाज़ पढ़ता है और वह इसके बावजूद इससे डरता है कि वह उससे क़बूल न हो।

दूसरी हदीस में है, हज़रत आइशा रज़ि० ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये वे लोग हैं जो ख़ताएं करते हैं, गुनाह करते हैं, और वे डरते हैं। हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया, नहीं बल्कि वे लोग हैं जो नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, सदक़े देते हैं और उनके दिल डरते रहते हैं।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से नक़ल किया गया कि वे लोग आमाल करते हैं डरते हुए।

सईद बिन जुबैर रज़ि० फ़रमाते हैं कि वे सदक़ात देते हैं और क़ियामत में अल्लाह जल्ल शानुहू के सामने खड़े होने से और हिसाब की सख़्ती से डरते हैं।

हज़रत हसन बसरी रह० से नक़ल किया गया कि ये वे लोग हैं जो नेक अमल करते हैं और इससे डरते हैं कि कहीं उन आमाल की वजह से भी अज़ाब से निजात न मिले। (दुर्रे मंसूर)

हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन रज़ि० जब वुज़ू करते तो चेहरे का रंग ज़र्द (पीला) हो जाता और जब नमाज़ को खड़े होते तो बदन पर कपकपी आ जाती, किसी ने इसकी वजह पूछी तो इर्शाद फ़रमाया, जानते भी हो, किसके सामने खड़ा होता हूँ। (रौज़)

'फ़ज़ाइले नमाज़ में अनेक वाक़िआत इस क़िस्म के ज़िक्र किए गए और 'हिकायाते सहाबा' रज़ि० का एक बाब मुस्तक़िल अल्लाह तआला जल्ल शानुहू से डरने वालों के बयान में है।

(١٨) وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوْا أُولِي الْقُرْبٰى
وَالْمَسَاكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا
أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (نور ع ٣)

18. और जो लोग तुममें (दीन के ऐतिबार से) बुज़ुर्गी वाले (और दुनिया के एतिबार से) वुसअत (गुंजाइश) वाले हैं वे इस बात की क़सम न खाएं कि अह्ले क़राबत को और मसाकीन को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को न देंगे और उनको यह चाहिए कि वे माफ़ कर दें और दरगुज़र कर दें, क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तआला तुम्हारे क़ुसूरों को माफ़ कर दे। (पस तुम भी अपने क़ुसूरवारों को माफ़ कर दो) बेशक अल्लाह तआला ग़फ़ूरुर्रहीम है।

फ़ायदा:- सन् 06 हि० में ग़ज़्वा-ए-बनिल मुस्तलिक़ के नाम से एक जिहाद हुआ है, जिसमें हज़रत आइशा रज़ि० भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हमराह थीं, उनकी सवारी का ऊँट अलग था, उस पर हौदज था। यह अपने हौदज में रहती थीं। जब चलने का वक़्त होता कुछ आदमी हौदज को उठाकर ऊँट पर बांधा देते थे, बहुत हल्का फुल्का बदन था उठाने वालों को इसका एहसास भी न होता था कि इस में कोई है या नहीं, इसलिए कि जब चार आदमी मिलकर हौदज को उठाएं उसमें कमसिन हल्की फुल्की औरत के वज़न का क्या पता चल सकता है। मामूल के मुताबिक़ एक मंज़िल पर क़ाफ़िला उतरा

हुआ था। जब रवानगी का वक़्त हुआ तो लोगों ने उनके हौदज को बांध दिया। यह उस वक़्त इस्तिन्जे के लिए तशरीफ़ ले गयी थीं। वापस आयीं तो देखा कि हार नहीं है जो पहन रही थीं। यह उसको तलाश करने चली गयीं। पीछे यहां क़ाफ़िला रवाना हो गया। यह तंहा उस जंगल बयाबान में खड़ी रह गयीं। उन्होंने ख़्याल फ़रमाया कि रास्ते में जब हुज़ूर सल्ल॰ को मेरे न होने का इल्म होगा तो आदमी तलाश करने इसी जगह आयेगा, वह वहीं बैठ गयीं और जब नींद का ग़लबा हुआ तो सो गयीं। अपने नेक आमाल की वजह से दिली इत्मीनान तो हक़ तआला शानुहू ने इन सब हज़रात को कमाल दर्जे का अता फ़रमा ही रखा था। आजकल की कोई औरत होती, तो तन्हा जंगल बयाबान में रात को नींद आने का तो ज़िक्र ही क्या, ख़ौफ़ की वजह से रो कर चिल्ला कर सुबह कर देती।

हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बुज़ुर्ग सहाबी थे जो क़ाफ़िले के पीछे इसलिए रहा करते थे कि रास्ते में गिरी पड़ी चीज़ की ख़बर रखा करें। वह सुबह के वक़्त जब उस जगह पहुँचें तो एक आदमी को पड़े देखा और चूँकि पर्दे के नाज़िल होने से पहले हज़रत आइशा रज़ि॰ को देखा था इसलिए यहां उनको पड़ा देख कर पहचान लिया और ज़ोर से -

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजि ऊन॰ पढ़ा।

उनकी आवाज़ से उनकी आँख खुली और मुंह ढक लिया। उन्होंने अपना ऊँट बिठाया यह उस पर सवार हो गयीं और वह ऊँट की नकेल पकड़ कर ले गये और क़ाफ़िले में पहुँचा दिया।

अब्दुल्लाह बिन उबई जो मुनाफ़िक़ों का सरदार और मुसलमानों का सख़्त दुश्मन था उसको तोहमत लगाने का मौक़ा मिल गया और ख़ूब इसकी शोहरत की। उसके साथ कुछ भोले मुसलमान भी इस तज़्किरे में शामिल हो गये और अल्लाह की क़ुदरत और शान एक माह तक यह ज़िक्र तज़्किरे होते रहे। लोगों में कसरत से इस वाक़िए का चर्चा होता रहा और कोई वही (ख़ुदाई पैग़ाम) वग़ैरह हज़रत आईशा रज़ि॰ की बराअत[1] की नाज़िल न हुई। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और मुसलमानों को इस हादसे का सख़्त सदमा था और जितना भी सदमा होना चाहिए था, वह ज़ाहिर है। हुज़ूर सल्ल॰ मर्दों से और औरतों से इस बारे में मश्विरा फ़रमाते थे, हालात की तह्क़ीक़ फ़रमाते थे,

1. यानी उस तोहमत से पाक होने के सिलसिले में।

मगर यक्सूई की कोई भी सूरत न होती। एक माह के बाद सूरः नूर का एक मुस्तक़िल रूकूअ् क़ुरआन पाक में हज़रत आइशा रज़ि॰ की बराअत में नाज़िल हुआ, और अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से उन लोगों पर सख़्त इताब हुआ जिन्होंने बे दलील, बे सबूत इस तोहमत को फैलाया था। इस वाक़िए को शोहरत देने वालों में हज़रत मिस्तह रज़ि॰ एक सहाबी भी थे जो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के रिश्तेदार थे और हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ उनकी ख़बर गीरी और मदद फ़रमाया करते थे। इस तोहमत के क़िस्से में उनकी शिर्कत से हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ को रंज हुआ और होना भी चाहिए था कि उन्होंने अपने होकर बे तह्क़ीक़ बात को फैलाया। इस रंज में हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ ने क़सम खा ली कि मिस्तह रज़ि॰ की मदद न करेंगे। इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई जो ऊपर लिखी गयी। रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के अलावा कुछ दूसरे सहाबा रज़ि॰ ने भी ऐसे लोगों की मदद से हाथ खींच लिया था, जिन्होंने इस तोहमत के वाक़िए में ज़्यादा हिस्सा लिया था।

हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि मिस्तह रज़ि॰ ने इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया और हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ के रिश्तेदार थे, उन्हीं की परवरिश में रहते थे। जब बराअत नाज़िल हुई तो हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ ने क़सम खा ली कि उन पर ख़र्च न करेंगे, इस पर यह आयत 'व ला याअ्तलि' नाज़िल हुई और आयते शरीफ़ा के नाज़िल होने के बाद हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ ने उनको अपनी परवरिश में फिर ले लिया।

एक दूसरी हदीस में है कि इस आयते शरीफ़ा के बाद हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ ने जितना पहले से ख़र्च करते थे उसका दो गुना कर दिया।

एक और हदीस में है कि दो यतीम थे जो हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ की परवरिश में थे, जिनमें से एक मिस्तह रज़ि॰ थे। हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ ने दोनों का नफ़्क़ा बंद करने की क़सम खा ली थी।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि सहाबा रज़ि॰ में कई आदमी ऐसे थे, जिन्होंने हज़रत आइशा रज़ि॰ के ऊपर बोहतान में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से बहुत से सहाबा किराम रज़ि॰ जिनमें हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ भी हैं, ऐसे थे, जिन्होंने क़सम खा ली थी कि जिन लोगों ने इस बोहतान की इशाअत में हिस्सा लिया, उन पर ख़र्च न करेंगे। इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई कि बुज़ुर्गी वाले और वुसअत वाले हज़रात इस की क़सम न खाएं कि सिलारहमी

न करेंगे और जिस तरह पहले ख़र्च करते थे, उसी तरह ख़र्च न करेंगे।

(दुर्रे मंसूर)

किस क़दर मुजाहिदा-ए-अज़ीम है कि एक शख़्स किसी की बेटी की आबरूरेज़ी में झूठी बातें कहता फिरे और फिर वह उसकी इआनत (मदद) उसी तरह करे जिस तरह पहले से करता था, बल्कि उससे भी दो गुना कर दे।

(۱۹) تَتَجَافٰی جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا
وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَ ○ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِیَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْیُنٍ ج
جَزَآءً بِمَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ○ (سجدہ ع ۲)

19. रात को उन के पहलू बिस्तरों से अलाहिदा रहते हैं, इस तरह कि वे लोग अपने रब को (अज़ाब के) ख़ौफ़ से और (सवाब की) उम्मीद से पुकारते रहते हैं और हमारी दी हुई चीज़ों से ख़र्च करते हैं, पस कोई नहीं जानता कि ऐसे लोगों की आंखों की ठंडक का क्या क्या सामान ख़ज़ाना-ए-ग़ैब में मौजूद है। यह सब बदला है उनके नेक आमाल का।

फ़ायदा:- रात को उनके पहलू, बिस्तरों से अलाहिदा रहते हैं के मुताल्लिक़ उलमा-ए-तफ़्सीर के दो क़ौल हैं -

एक यह कि इससे मग़्रिब और इशा का दर्मियान मुराद है। बहुत से आसार से इस की ताईद होती है। हज़रत अनस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि यह आयते शरीफ़ा हमारे बारे में नाज़िल हुई। हम अंसार की जमाअत मग़्रिब की नमाज़ पढ़कर अपने घर वापस न होते थे, उस वक़्त तक कि हुज़ूर सल्ल॰ के साथ इशा की नमाज़ न पढ़ लें। इस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई।

एक और रिवायत में हज़रत अनस रज़ि॰ ही से नक़ल किया गया कि मुहाजिरीन सहाबा रज़ि॰ की एक जमाअत का मामूल यह था कि वे मग़्रिब के बाद से इशा तक नवाफ़िल पढ़ा करते थे, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

हज़रत बिलाल रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हम लोग मग़्रिब के बाद बैठे रहते और सहाबा रज़ि॰ की एक जमाअत मग़्रिब से इशा तक नमाज़ पढ़ती थी। उस पर यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई।

अबदुल्लाह बिन ईसा रज़ि॰ से भी यही नक़ल किया गया कि अंसार की एक जमाअत मग़्रिब से इशा तक नवाफ़िल पढ़ती थी उस पर यह आयते शरीफ़ा

नाज़िल हुई।

दूसरा क़ौल यह है कि इससे तहज्जुद की नमाज़ मुराद है। हज़रत मुआज़ रज़ि॰ हुज़ूरे अक्दस सल्ल॰ का इर्शाद नक़ल करते हैं कि इससे रात का क़ियाम मुराद है। एक हदीस में मुजाहिद रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रात के क़ियाम का ज़िक्र फ़रमाया और हुज़ूर सल्ल॰ की आंखों से आंसू जारी हो गये और यह आयते शरीफ़ा तिलावत फ़रमायी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ फ़रमाते हैं, तौरात में लिखा है जिन लोगों के पहलू रात को बिस्तरों से दूर रहते हैं उनके लिए हक़ तआला शानुहू ने ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी आदमी के दिल पर उनका वस्वसा भी पैदा हुआ, न उनको कोई मुक़र्रब फ़रिश्ता जानता है, न कोई नबी, और रसूल, और इसका ज़िक्र क़ुरआन पाक की इस आयते शरीफ़ा में है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ भी हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वे चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिनको न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल पर उनका वस्वसा गुज़रा।

रौज़ुर्रियाहीन वग़ैरह में सैकड़ों वाक़िआत ऐसे लोगों के ज़िक्र हैं जो सारी रात मौला की याद में रो-रो कर गुज़ार देते थे।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह॰ का चालीस साल तक इशा के वुज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ना ऐसी मारूफ़ चीज़ है, जिससे इंकार की गुंजाइश नहीं और माहे मुबारक में दो क़ुरआन शरीफ़ रोज़ाना एक दिन का, एक रात का ख़त्म करना भी मारूफ़ है।

हज़रत उस्मान रज़ि॰ का सारी रात जागना और एक रक्अत में पूरा क़ुरआन शरीफ़ पढ़ लेना भी मशहूर वाक़िआ है।

हज़रत उमर रज़ि॰ बहुत सी बार इशा की नमाज़ पढ़ कर घर में तशरीफ़ ले जाते और घर जाकर नमाज़ शुरू कर देते और नमाज़ पढ़ते पढ़ते सुबह कर देते।

हज़रत तमीम दारी रज़ि॰ मशहूर सहाबी हैं। एक रक्अत में तमाम

क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना और कभी एक ही आयत को सुबह तक बार बार पढ़ते रहना उनका मामूल था।

हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ि॰ सोने के लिए लेटते और इधर उधर करवटें बदल कर यह कह कर खड़े हो जाते या अल्लाह जहन्नम के ख़ौफ़ ने मेरी नींद उड़ा दी और सुबह तक नमाज़ पढ़ते रहते।

हज़रत उमैर रज़ि॰ एक हज़ार रक्अत, नफ़्ल और एक लाख मर्तबा तस्बीह रोज़ाना पढ़ते।

हज़रत उवैस क़र्नी रह॰ मशहूर ताबिअी हैं। हुज़ूर सल्ल॰ ने भी उनकी तारीफ़ फ़रमायी और उनसे दुआ कराने की लोगों को तर्ग़ीब दी। किसी रात को फ़रमाते कि आज की रात रूकूअ् करने की है और सारी रात रूकूअ् में गुज़ार देते। किसी रात फ़रमाते कि आज की रात सज्दे की है और सारी रात सज्दे में गुज़ार देते थे। *(इक़ामतुल् हुज्ज:)*

ग़रज़ इन हज़रात के वाक़िआत रात भर मालिक की याद में महबूब की तड़प में गुज़ार देने के इतने ज़्यादा हैं कि उनका एहाता ना मुम्किन है। यही हज़रात हक़ीक़तन इस शेर के मिस्दाक़ थे –

हमारा काम है रातों को रोना यादे दिलबर में,
हमारी नींद है महवे ख़्याले यार हो जाना !!

काश हक़ तआला शानुहू इन हज़रात के जज़्बात का ज़रा सा साया इस नापाक पर भी डाल देता।

(۲۰) قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَیَقْدِرُلَهٗ ط
وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ ج وَهُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ ○(سبا ع ۵)

20. आप कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में से जिस को चाहे, रोज़ी की वुस्अत अता करता है और जिस को चाहे, रोज़ी की तंगी देता है और जो कुछ तुम (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करोगे, अल्लाह तआला उसका बदला अता करेगा और वह सब से बेहतर रोज़ी देने वाला है।

फ़ायदा:- यानी तंगी और फ़राख़ी अल्लाह तआला शानुहू की तरफ़ से है, तुम्हारे ख़र्च को रोकने से फ़राख़ी नहीं होती और ख़र्च ज़्यादा करने से तंगी

नहीं होती, बल्कि अल्लाह के रास्ते में जो ख़र्च किया जाए उसका बदला आख़िरत में तो मिलता ही है दुनिया में भी अक्सर उसका बदला मिलता है।

एक हदीस में है कि हज़रत जिब्रील अलैहि० ने अल्लाह जल्ल शानुहू का यह इर्शाद नक़ल किया, मेरे बन्दो! मैं ने तुमको अपने फ़ज़्ल से अता किया और तुम से क़र्ज़ मांगा, पस जो शख़्स मुझे अपनी खुशी और रज़ा व रग़बत से देगा, मैं उसका बदल दुनिया में जल्दी दूँगा, और आख़िरत में उसके लिए ज़ख़ीरा बना कर रखूँगा। और जो खुशी से न देगा, बल्कि उससे मैं अपनी दी हुई चीज़ जबरन छीन लूँगा और वह उस पर सब्र करेगा और सवाब की उम्मीद रखेगा, उसके लिए मैं अपनी रहमत वाजिब कर दूँगा और उसको हिदायत याफ़्ता लोगों में लिखूँगा और उसके लिए अपने दीदार को मुबाह कर दूँगा। *(कन्ज़)*

किस क़दर हक़ तआला शानुहू का एहसान है कि अपनी खुशी से न देने की सूरत में भी अगर बंदा जब्र से लिए जाने में भी सब्र कर ले तो उसके लिए भी अज्र फ़रमा दिया, हालांकि जब वह हक़ तआला की अता की हुई चीज़ खुशी से वापस नहीं करता, जबरन् उससे ली जाती है। तो फिर अज्र का क्या मतलब, लेकिन हक़ तआला शानुहू के एहसानात का कोई शुमार हो सकता है?

हज़रत हसन फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस आयते शरीफ़ा के बारे में फ़रमाया कि तुम जो कुछ अपने अह्ल व अयाल पर ख़र्च करो, बग़ैर इस्राफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्ची) और बग़ैर कंजूसी के वह सब अल्लाह के रास्ते में है।

हज़रत जाबिर रज़ि० हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करते हैं कि आदमी जो कुछ शरई नफ़्क़ा में ख़र्च करे अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां उसका बदल है, सिवाय इसके कि जो तामीर में ख़र्च किया हो या गुनाहों में।

हज़रत जाबिर रज़ि० हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करते हैं कि हर एहसान सदक़ा है और जो कुछ आदमी अपने नफ़्स पर और अपने अहल व अयाल पर ख़र्च करे वह सदक़ा है और जो कुछ अपनी आबरू की हिफ़ाज़त पर ख़र्च करे वह सदक़ा है और मुसलमान जो कुछ (शरीअत के मुवाफ़िक़) ख़र्च करता है, वह सदक़ा है, अल्लाह जल्ल शानुहू उसके बदल के ज़िम्मेदार हैं, मगर वह ख़र्च जो गुनाह में हो, या तामीर में।

हकीम तिर्मिज़ी रह॰ ने हज़रत ज़ुबैर रज़ि॰ से एक मुफ़स्सल क़िस्सा नक़ल किया जो अहादीस के ज़ैल में नं॰ 12 पर मुफ़स्सल आ रहा है। अल्लामा सुयूती रह॰ ने दुर्रे मंसूर में उसको हकीम तिर्मिज़ी की रिवायत से मुफ़स्सल नक़ल किया है, लेकिन ख़ुद उन्होंने 'लआलिल् मस्नूअः' में उसको बहुत मुख़्तसर तौर पर इब्ने अदी रह॰ की रिवायत से मौज़ूआत में नक़ल किया है।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि रोज़ाना सुबह को दो फ़रिश्ते हक़ तआला शानुहू से दुआ करते हैं। एक दुआ करता है, ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को उसका बदल अता फ़रमा। दूसरा अर्ज़ करता है ऐ अल्लाह! रोक के रखने वाले के माल को हलाक कर। अहादीस के तहत में यह हदीस नं॰ 2 पर आ रही है। और तजुर्बे में भी अक्सर यही आया है कि जो हज़रात सख़ावत करते हैं अल्लाह जल्ल शानुहू के दरबार से फ़ुतूहात का दरवाज़ा उनके लिए हर वक़्त खुला रहता है और जो लोग कंजूसी से जोड़ जोड़ कर रखते हैं अक्सर कोई आसमानी आफ़त, बीमारी, मुक़द्दमा चोरी वग़ैरह ऐसी चीज़ पेश आ जाती है जिससे बरसों का अन्दोख़्ता दिनों में ज़ाया हो जाता है और अगर किसी के दूसरे नेक आमाल की बरकत से और उसकी नेक नीयती से उस पर कोई ऐसा ख़र्च नहीं पड़ता तो नालायक़ औलाद बाप के अन्दोख़्ता को जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, महीनों में बराबर कर देती है।

हज़रत अस्मा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि मुझ से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि ख़ूब ख़र्च किया कर और गिन गिन कर मत रख कि अल्लाह जल्ल शानुहू तुझे भी गिन गिन कर अता करेगा और जमा करके मत रख कि अल्लाह जल्ल शानुहू तुझ से भी जमा कर के रखने लगेगा। अता कर जितना तुझ से हो सके। *(मिश्क़ात, बुख़ारी, मुस्लिम)*

एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत बिलाल रज़ि॰ के पास तशरीफ़ ले गये। उनके पास एक ढेरी खजूरों की रखी थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया यह क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया कि आइन्दा की ज़रूरत के लिए रख लिया है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुम इससे नहीं डरते कि इसका धुआं जहन्नम की आग में देखो। बिलाल ख़ूब ख़र्च करो और अर्श के मालिक से कमी का ख़ौफ़ न करो। *(मिश्क़ात)*

यहां ज़रूरत के दर्जे में भी आइंदा के लिए ज़ख़ीरा रखने पर इताब है और जहन्नम का धुआं देखने की वईद है। हज़रत बिलाल रज़ि॰ के शायाने शान यही चीज़ थी, इसलिए कि यह उन आली मर्तबा लोगों में हैं, जिनके लिए हुज़ूर सल्ल॰ इसको गवारा न फ़रमा सकते थे कि उनको कल का फ़िक्र हो और उनको अपने मालिक पर इसका पूरा भरोसा न हो कि जिसने आज दिया वह कल को भी देगा? हर शख़्स की एक शान और उसका एक मर्तबा हुआ करता है। "ह-सनातुल् अब्रारि सय्यिआतुल् मुक़र्रबीन्" मशहूर कहावत है कि आमी नेक लोगों के लिए जो चीज़ें नेकियां हैं मुक़र्रब लोगों की शान में वे भी कोताहियां शुमार हो जाती हैं। बहुत से वाक़िआत इसकी नज़ीरें हैं।

बहरहाल माल रखने के वास्ते हरगिज़ नहीं, जमा करने की चीज़ बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ़ ख़र्च करने के वास्ते पैदा हुआ है, अपनी ज़ात पर कम से कम और दूसरों पर ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करना इसका फ़ायदा है, लेकिन यह बात निहायत ही अहम और ज़रूरी है कि हक़ तआला शानुहू के यहां सारा मदार नीयत पर ही है। 'इन्न-मल् अअ्मालु बिन्निय्याति' मशहूर हदीस है कि आमाल का मदार नीयत पर ही है जहां नेक नीयती हो, महज़ अल्लाह के वास्ते ख़र्च करना हो, चाहे अपने नफ़्स पर हो, चाहे अह्ल व आयाल पर, चाहे अक़रबा (क़रीबी लोगों) पर, चाहे अग़्यार (ग़ैरों) पर, वह बरकात व समरात लाए बग़ैर नहीं रह सकता और जहां बद नीयती हो, शोहरत और इज़्ज़त मक़्सूद हो, नेक नामी और दूसरी अग़राज़ मिल गयी हों, वहां नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम हो जाता है। वहां बरकत का सवाल ही नहीं रहता।

(٢١) اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُ الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۝ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ
مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ۝
(فاطر ع ٤)

21. जो लोग क़ुरआन पाक की तिलावत करते रहते हैं और नमाज़ को क़ायम रखते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है, उसमें से पोशीदा और एलानिया ख़र्च करते हैं, वे ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें घाटा नहीं है और यह इसलिए ताकि हक़ तआला शानुहू उनको उनके आमाल की उजरतें भी पूरी-पूरी अता करे और इसके अलावा अपने फ़ज़्ल से (बतौर इनाम के) और ज़्यादा अता करे। बेशक वह बड़ा

बख़्शने वाला, बड़ा क़दरदान है।

फ़ायदाः- हज़रत क़तादा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि ऐसी तिजारत से, जिस में घाटा नहीं, जन्नत मुराद है, जो न कभी बर्बाद होगी, न ख़राब होगी और अपने फ़ज़्ल से ज़्यादती से मुराद वह है जिसको (क़ुरआन पाक में) 'व ल-दै ना मज़ीद' से ताबीर किया है। (दुर्रे मंसूर)

यह आयत जिसकी तरफ़ हज़रत क़तादा रज़ि॰ ने इशारा किया है सूरः 'क़ाफ़' की आयत है। जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद हैः-

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ۝

इन (जन्नत वालों) के लिए जन्नत में हर वह चीज़ मौजूद होगी जिसकी ये ख़्वाहिश करेंगे और (उनकी चाही हुई चीज़ों के अलावा) हमारे पास उनके लिए और भी ज़्यादा है (जो हम उनको अता करेंगे) और इसकी तफ़्सीर में अहादीस में बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें ज़िक्र की गयीं, जो बड़ी तफ़्सील तलब हैं और इनमें सब से ऊँची चीज़ हक़ तआला शानुहू की रज़ा का परवाना है और बार-बार की ज़ियारत जो खुश किस्मत लोगों को नसीब होगी और यह इतनी बड़ी दौलत कैसी कम मेहनत चीज़ों पर मुरत्तब है। जिनमें कोई मशक़्क़त नहीं उठानी पड़ती। अल्लाह की राह में कसरत से ख़र्च करना, नमाज़ को क़ायम रखना और क़ुरआन पाक की तिलावत कसरत से करना, जो ख़ुद दुनिया में भी लज़्ज़त की चीज़ है, क़ुरआन पाक की कसरते तिलावत के कुछ वाक़िआत अभी गुज़र चुके हैं और कुछ वाक़िआत 'फ़ज़ाइले क़ुरआन' में ज़िक्र किये गये, उनको ग़ौर से देखना चाहिये।

(۲۲) وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى
بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ (شورى ع ٤)

22. और जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म माना और नमाज़ को क़ायम किया और उनका हर मुहतम बिश्शान[1] काम मश्विरे से होता है और जो हमने उनको दिया है, उससे वह ख़र्च करते रहते हैं (ऐसे लोगों के लिये हक़ तआला शानुहू के यहां जो अताया हैं वे दुनिया के साज़ व

1. शानदार।

सामान से बदरजहा बेहतर और पायदार हैं।)

फ़ायदा:- इन आयात में कामिल लोगों की बहुत सी सिफ़ात ज़िक्र की हैं और उनके लिए हक़ तआला शानुहू ने अपने पास जो है और वह दुनिया की नेमतों से बदरजहा बेहतर है उसका वायदा फ़रमाया है। उलमा ने लिखा है कि इन आयात में:-

लिल्लज़ी न आ म नू व अला रब्बिहिम य-त-वक्कलून॰

से तरतीब वार हज़रात ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन रज़ियाल्लाहु अन्हुम अजमईन की ख़ुसूसी सिफ़ात और वक़्ती हालात की तरफ इशारा है और हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ि॰ से लेकर हज़रत अली रज़ि॰, और हज़रात हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन के ज़माने तक के अहवाल से ख़िलाफ़त की ज़ीनत की तरफ़ इशारा है और उसी तर्तीब से सिफ़ात व अह्वाल पर तंबीह है जिस तर्तीब से उन हज़रात की ख़िलाफ़त हुई और इन आयात में इशारे के तौर पर आख़िरत में इन हज़रात ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन रज़ियाल्लाहु अन्हुम अज्मईन के लिए बहुत कुछ अताया का वायदा है और अल्फ़ाज़ के उमूम से उन सब लोगों के लिए वायदा है जो इन सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करने का एहतिमाम करें। काश! हम मुसलमानों को दीन का शौक़ होता और क़ुरआन और हदीस के बताए हुए बेहतरीन अख़्लाक़ को तलाश करके अपनाने का जज़्बा होता, मगर हमारे अख़्लाक़ इस क़दर गिरते जा रहे हैं बल्कि गिर चुके हैं कि उनको देखकर ग़ैर मुस्लिमों को इस्लाम से नफ़रत होती है। इन ग़रीबों को यह मालूम नहीं कि इस्लामी अख़्लाक पर आज कल मुसलमान चल ही नहीं रहे हैं। वे मुसलमान के जो अख़्लाक़ देखते हैं उन्हीं को इस्लामी अख़्लाक़ समझते हैं। फ़ इल ल्लाहिल मुश्तका॰

(۲۳) وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ٥ (ذاریات ع ۱)

23. और उनके मालों में सवाल करने वालों का और (सवाल न करने वाले) नादार का हक़ है।

फ़ायदा:- ऊपर से कामिल ईमान वालों की ख़ास सिफ़तें बयान हो रही हैं जिनके ज़ैल (तहत) में उनकी एक ख़ास सिफ़त यह भी है कि वे सदक़ात इतने कसरत और ऐसे एहतिमाम से देते हैं कि गोया यह उनके ज़िम्मे हक़ हो गया है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि उनके अम्वाल में हक़ है यानी

ज़कात के अलावा जिस से वे सिला रहमी करते हैं और मेहमानों की दावत करते हैं और महरूम लोगों की मदद करते हैं।

मुजाहिद रज़ि॰ कहते हैं कि इससे ज़कात के अलावा मुराद है।

इब्राहीम रज़ि॰ कहते हैं कि वे लोग अपने मालों में ज़कात के अलावा और भी हक़ समझते हैं।

इब्ने अब्बास रज़ि॰ कहते हैं कि महरूम वह परेशान हाल है जो दुनिया का तालिब हो और दुनिया उससे मुँह फेरती हो और आदमियों से सवाल न करता हो। एक और हदीस में उनसे नक़ल किया गया कि महरूम वह है जिसका कोई हिस्सा बैतुल माल में न हो।

हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि महरूम वह तंगी में पड़ा हुआ शख़्स है जिसकी कमाई उसको काफ़ी न हो।

अबू क़ुलाबा रज़ि॰ कहते हैं कि यमामा में एक आदमी था एक मर्तबा सैलाब आया और उसका सब कुछ माल व मताअ् बहा कर ले गया। एक सहाबी रज़ि॰ ने फ़रमया कि इसको महरूम कहते हैं, इसकी मदद की जाए।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल फ़रमाते हैं कि मिस्कीन वह शख़्स नहीं है जिसको एक एक लुक़्मा दर बदर फिराता है, यानी दरवाज़ों से भीख मांगता है। असल मिस्कीन वह है जिसके पास न खुद इतना माल हो जो उसकी हाजत को पूरा करे और न लोगों को उसका हाल मालूम हो कि उसकी मदद की जाए। यही शख़्स दरअसल महरूम है।

हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ि॰ ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस आयते शरीफ़ा के मुताल्लिक़ सवाल किया तो हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि माल में ज़कात के अलावा और भी हक़ हैं। *(दुर्रे मंसूर)*

यह हदीस इसी फ़स्ल की अहादीस में नं॰ 16 पर आएगी, इसके बाद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयते शरीफ़ा पढ़ी -

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ (بقرہ ع ۲۲)

इस आयते शरीफ़ा का कुछ हिस्सा नं॰ 2 पर गुज़र चुका है। इस आयत में मसाकीन वग़ैरह के देने का जिक्र अलाहिदा है और ज़कात देने का ज़िक्र

अलाहिदा है, जिसमें इस बात की तर्ग़ीब दी गयी है कि आदमी को सिर्फ़ ज़कात ही पर किफ़ायत न करना चाहिए, बल्कि इसके अलावा भी अपने माल को अल्लाह के रास्ते में कसरत से ख़र्च करना चाहिये। मगर आज हम लोगों के लिए ज़कात का ही अदा करना वबाल हो रहा है कितने मुसलमान ऐसे हैं जो ज़कात को भी अदा नहीं करते, हाँ शादी और तक़रीबात की लग्व (बेकार) रस्मों में घर भी गिरवी रख देंगे जहां दुनिया में माल बर्बाद हो और आख़िरत में गुनाह का वबाल हो।

(٢٤) اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ط
فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○ (حديد ع ١)

24. तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और जिस माल में उसने तुमको दूसरों का क़ायम मक़ाम बनाया है, उसमें से (उसकी राह में) ख़र्च करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए और (उन्होंने अल्लाह की राह में) ख़र्च किया, उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है।

फ़ायदाः- क़ायम मक़ाम का मतलब यह है कि यह माल पहले किसी और के पास था, अब कुछ रोज़ के लिये तुम्हारे पास है, तुम्हारी आंख बंद हो जाने के बाद किसी और के पास चला जायेगा। ऐसी हालत में इसको जोड-जोड़ कर रखना बेकार है। यह बे मुरव्वत माल न सदा किसी के पास रहा न रहेगा। खुश नसीब है वह जो इसको अपने पास रखने की तद्बीर कर ले और वह सिर्फ़ यही है कि इसको अल्लाह जल्ल शानुहू के बैंक में जमा करा दें, जिसमें न ज़ाया होने का अन्देशा है, न छूट जाने का ख़तरा है और दुनिया में रहते हुए हर वक़्त ख़तरा ही ख़तरा है और आजकल तो क़ुदरत ने आंखों से दिखा दिया कि बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी जागीरें साज़ व सामान सब का सब खड़े खड़े हाथ से निकलकर दूसरों के क़ब्ज़े में आ गया। कल तक जिन मकानात के बिना किसी और के साझे खुद मालिक थे, आज दूसरों को अपनी आँखों से अपना जान शीन उनमें देखते हैं, फिर भी इब्रत हासिल नहीं होती।

(٢٥) وَمَالَكُمْ اَنْ لَّاتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط لَايَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط اُولٰٓئِكَ

اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۟ (حدید ع ١)

25. और तुम्हें क्या हो गया, क्यों नहीं ख़र्च करते अल्लाह के रास्ते में, हालांकि सब आसमान-ज़मीन आख़िर में अल्लाह ही की मीरास है। जो लोग मक्का मुकर्रमा के फ़त्ह होने से पहले अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर चुके हैं और जिहाद कर चुके हैं, वे बराबर नहीं हो सकते (उन लोगों के जिनका ज़िक्र आगे है, बल्कि) वे बढ़े हुए हैं दर्जे में उन लोगों से जिन्होंने फ़त्हे मक्का के बाद ख़र्च किया और जिहाद किया और अल्लाह तआला ने सवाब का वायदा तो सब ही से कर रखा है (चाहे फ़त्हे मक्का से पहले ख़र्च और जिहाद किया हो या बाद में) और अल्लाह तआला को तुम्हारे आमाल की पूरी ख़बर है।

फ़ायदा:- अल्लाह तआला की मीरास होने का मतलब यह है कि जब सब आदमी मर जायेंगे तो आख़िर में आसमान ज़मीन, माल मताअ् सब उसी का रह जायेगा कि उस पाक ज़ात के सिवा कोई भी बाक़ी न रहेगा तो जब सब कुछ सबको छोड़ना ही है तो फिर अपनी ख़ुशी से अपने हाथ से क्यों न ख़र्च करें कि इसका सवाब भी मिले, इसके बाद आयते शरीफ़ा में इस पर तंबीह की गयी कि जिन लोगों ने फ़त्हे मक्का से पहले अल्लाह तआला के काम पर ख़र्च किया या जिहाद किया, उनका मर्तबा बढ़ा हुआ है उन लोगों से जिन्होंने फ़त्हे मक्का के बाद ख़र्च किया या जिहाद किया इसलिए कि फ़त्ह से पहले एहतियाज ज़्यादा थी और जो चीज़ जितनी ज़्यादा हाजत के वक़्त ख़र्च की जाएगी उतना ही ज़्यादा सवाब होगा, जैसा कि सिलसिला-ए-अहादीस में नं॰ 13 पर आ रहा है।

लोगों को ज़रूरत के वक़्त बहुत ज़्यादा ख़्याल करना चाहिए और ऐसे वक़्त को जिसमें दूसरों को ज़रूरत हो अपने ख़र्च करने के लिए बहुत ग़नीमत समझना चाहिए। हक़ तआला शानुहू ने सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ में भी यह तफ़रीक़ फ़रमा दी कि जिन हज़रात ने फ़त्हे मक्का से पहले ख़र्च किया उनके सवाब को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इसी तरह हमेशा ख़्याल रखना चाहिये कि किसी की ज़रूरत के वक़्त उस पर ख़र्च करना बहुत ऊँची चीज़ है।

(٢٦) مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۟ (حدید ع ٢)

26. कौन शख़्स ऐसा है जो अल्लाह जल्ल शानुहू को क़र्ज़ हसना दे, फिर अल्लाह तआला उसके सवाब को उसके लिए बढ़ाता चला जाये और उसके लिए बेहतरीन बदला है।

फ़ायदा:- नं॰ 5 पर एक आयते शरीफ़ा इसके मयानों जैसी गुज़र चुकी है, ख़ास एहतिमाम की वजह से इस मज़्मून को दोबारा इर्शाद फ़रमाया है और क़ुरआने पाक में बार बार इस पर तंबीह की जा रही है कि आज अल्लाह के रास्ते में ख़र्च का दिन है। जो ख़र्च करना है कर लो मरने के बाद हसरत के सिवा कुछ नहीं है।

(٢٧) اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ٥ (حديد ع٢)

27. बेशक सदक़ा देने वाले मर्द और सदक़ा देने वाली औरतें (और ये सदक़ा देने वाले) अल्लाह तआला जल्ल शानुहू को क़र्ज़ा-ए-हस्ना दे रहे हैं, उनका सवाब बढ़ाया जायेगा और उनके लिए नफ़ीस अज्र है।

फ़ायदा:- यानी जो लोग सदक़ा करते हैं वे हक़ीक़त में अल्लाह जल्ल शानुहू को क़र्ज़ देते हैं, इसलिए कि यह भी क़र्ज़ की तरह से सदक़ा देने वालों को वापस मिलता है। पस यह बहुत ज़्यादा मुआवज़ा और बदला लेकर ऐसे वक़्त में वापस होगा जो वक़्त सदक़ा करने वाले की सख़्त हाजत और सख़्त ज़रूरत और सख़्त मजबूरी का होगा। लोग शादियों के वास्ते, सफ़रों के वास्ते और दूसरी ज़रूरतों के वास्ते थोड़ा-थोड़ा जमा करके रखते हैं कि फ़लां ज़रूरत का वक़्त आ रहा है औलाद की शादी करना है, इसके लिए हर वक़्त फ़िक्र में लगे रहते हैं। और जो गुंजाइश मिले कुछ न कुछ कपड़ा ज़ेवर वग़ैरह ख़रीद कर डालते रहते हैं कि उस वक़्त दिक़्क़त न हो। आख़िरत का वक़्त तो ऐसी सख़्त हाजत और ज़रूरत का है कि उस वक़्त न किसी से ख़रीदा जा सकता है, न क़र्ज़ लिया जा सकता है, न भीख मांगी जा सकती है ऐसे अहम और कठिन वक़्त के वास्ते तो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुम्किन हो जमा करते रहना निहायत ही दूरअंदेशी और कार आमद बात है। थोड़ा थोड़ा जमा करते रहना यहां तो मालूम भी न होगा और वहां वह पहाड़ों की बराबर मिलेगा।

(٢٨) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ قف وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ (حشر ع ١)

28. (और इसमें उन लोगों का भी हक़ है) जो लोग दारूल इस्लाम में (यानी मदीना मुनव्वरा में पहले से रहते थे) और ईमान में उन (मुहाजिरीन के आने) से पहले से क़रार पकड़े हुए हैं (यानि इन मुहाजिरीन के आने से पहले ही वे ईमान ले आये थे और ये ऐसी ख़ूबी के लोग हैं कि) जो लोग उनके पास हिजरत करके आते हैं उनसे ये लोग (यानि अंसार) मुहब्बत करते हैं और मुहाजिरीन को जो कुछ मिलता है. उससे ये अपने दिलों में कोई ग़रज़ नहीं पाते (कि उसको लेना चाहें या उस पर रश्क करें) और इन मुहाजिरीन को अपने ऊपर तर्जीह देते हैं चाहे ख़ुद उन पर फ़ाक़ा ही क्यों न हो और (हक़ यह है कि) जो शख़्स अपनी तबीअत के लालच से महफ़ूज़ रहे वही लोग फ़लाह पाने वाले हैं।

फ़ायदा:- ऊपर की आयात में बैतुलमाल के मुस्तहिक़्क़ीन का ज़िक्र हो रहा है कि किन किन लोगों का उसमें हक़ है, मिनजुम्ला उनके इस आयते शरीफ़ा में अंसार का ज़िक्र है और उनके ख़ुसूसी औसाफ़ की तरफ़ इशारा है, जिनमें से एक यह है कि उन्होंने अपने घर में रह कर ईमान और कमालात हासिल किये हैं और अपने घर रह कर कमालात का हासिल करना आमतौर से मुश्किल हुआ करता है, दुन्यवी धंधे और दूसरे उमूर अक्सर आड़ बन जाते हैं। और दूसरी ख़ास सिफ़त अंसार की यह है कि ये लोग मुहाजिरीन से बेहद मुहब्बत करते हैं।

इस्लाम की इब्तिदाई तारीख़ का जिसको इल्म है वह इन हज़रात के हालात और इनकी मुहब्बत के वाक़िआत से हैरत में रह जाता है। कुछ वाक़िआत 'हिकायाते सहाबा' में भी गुज़र चुके हैं। एक वाक़िआ मिसाल के तौर पर यहां लिखता हूँ कि -

जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ़ लाये तो मुहाजिरीन और अंसार के दर्मियान में हुज़ूर सल्ल० ने भाई

चारा इस तरह फ़रमा दिया था कि हर मुहाजिर का एक अंसारी के साथ ख़ुसूसी जोड़ पैदा कर दिया था और एक एक मुहाजिर को एक एक अंसारी का भाई बना दिया था इसलिए कि हज़राते मुहाजिरीन परदेसी हज़रात हैं उनको अजनबी जगह हर क़िस्म की मुश्किल पेश आयेगी। अंसार मुक़ामी हज़रात हैं वे अगर उन लोगों की ख़ास तौर से ख़बरगीरी और मुआवनत (मदद) करेंगे तो उनको सहूलियतें पैदा हो जाएंगी। कैसा बेहतरीन इंतिज़ाम था हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कि इसमें मुहाजिरीन को भी हर क़िस्म की सहूलियत हो गई और अंसार को भी दिक़्क़त न हुई कि एक शख़्स की ख़बरगीरी हर शख़्स को आसान है, इसी सिलसिले में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि॰ ख़ुद अपना क़िस्सा बयान फ़रमाते हैं कि जब हम लोग मदीना तैयबा आये तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मेरे और सअद बिन रबीअ् रज़ि॰ के दर्मियान भाई बन्दी का रिश्ता जोड़ दिया। सअद बिन रबीअ् रज़ि॰ ने मुझसे कहा कि मैं अंसार में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ मेरे माल में से आधा तुम ले लो और मेरी दो बीवियां हैं, उनमें से भी तुम्हें जो पसंद हो, मैं उसको तलाक़ दे दूँ, जब उसकी इद्दत पूरी जो जाए तुम उससे निकाह कर लेना। *(बुख़ारी)*

यज़ीद बिन असम रज़ि॰ कहते हैं कि अंसार ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दरख़्वास्त की कि हम सब की ज़मीनें मुहाजिरीन पर आधी आधी बांट दीजिए। हुज़ूर सल्ल॰ ने इस को क़ुबूल नहीं फ़रमाया बल्कि यह इर्शाद फ़रमाया कि खेती वग़ैरह में ये लोग काम करेंगे और पैदावार में हिस्सेदार होंगे। *(दुर्रे मंसूर)*

कि इनकी मेहनत से तुमको मदद मिलेगी और तुम्हारी ज़मीन से इनको मदद मिलेगी। इस क़िस्म के ताल्लुक़ात और आपस की मुहब्बत महज़ दीनी बिरादरी पर आज अक़्ल में भी मुश्किल से आएगी। अल्लाह तआला की शान है कि आज वह मुसलमान जिसका ख़ुसूसी इम्तियाज़ ईसार और हमदर्दी थी महज़ ख़ुद ग़रज़ी और नफ़्स परवरी में मुब्तला है दूसरों को जितनी भी तक्लीफ़ पहुँच जाए अपने को राहत मिल जाए। कभी मुसलमान का शेवा यह था कि ख़ुद तक्लीफ़ उठाए दूसरों को राहत पहुँच जाए। मुसलमानों की तारीख़ इससे भरी पड़ी है। एक बुज़ुर्ग की बीवी बहुत ज़्यादा बदख़ुल्क़ थीं हर वक़्त तक्लीफ़ें देती थीं। किसी ने उनसे अर्ज़ किया कि आप उसको तलाक़ दे दीजिए। फ़रमाया मुझे यह ख़ौफ़ है कि फिर यह किसी दूसरे से निकाह करेगी और इसकी बद ख़ुल्क़ी

से उसको तक्लीफ़ पहुँचेगी। *(एहया)*

कैसी बारीक चीज़ है। आज हम में से भी कोई इसलिये तक्लीफ़ उठाने को तैयार है कि किसी दूसरे को तक्लीफ़ न पहुँचे?

तीसरी सिफ़त आयते शरीफ़ा में अंसार की यह बयान की कि मुहाजिरीन को अगर ग़नीमत वग़ैरह में से कहीं से कुछ मिलता है तो इससे अंसार को दिलतंगी या रश्क नहीं होता और हसन बसरी रह० कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि मुहाजिरीन को अंसार पर जो उमूमी फ़ज़ीलत दी गयी उससे अंसार को गरानी नहीं हुई। *(दुर्रे मंसूर)*

चौथी सिफ़त यह बयान की गयी है कि वे बावजूद अपनी एहितयाज और फ़ाक़ा के दूसरों को अपने ऊपर तर्जीह देते हैं। इसके वाक़िआत बहुत कसरत से उनकी ज़िंदगी की तारीख़ में मिलते हैं। जिनमें से कुछ वाक़िआत मैं अपने रिसाले 'हिकायाते सहाबा रज़ि०' के बाब 'ईसार व हमदर्दी' में लिख चुका हूँ। मिन्जुम्ला उनके वह मशहूर वाक़िआ भी है जो इस आयते शरीफ़ा के शाने नुज़ूल में ज़िक्र किया जाता है कि एक साहब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और भूख की और तंगी की शिकायत की। हुज़ूर सल्ल० ने अपनी बीवियों के घरों में आदमी भेजा मगर कहीं भी कुछ खाने को न मिला तो हुज़ूर सल्ल० ने बाहर मर्दों से इर्शाद फ़रमाया कि कोई साहब ऐसे हैं जो इनकी मेहमानी क़ुबूल करें। एक अंसारी, जिन का नाम मुबारक कुछ रिवायात में अबू तल्हा रज़ि० आया उनको अपने घर ले गये और अपनी बीवी से कहा कि यह हुज़ूर सल्ल० के मेहमान हैं इनकी ख़ूब ख़ातिर करना और घर में कोई चीज़ इनसे बचा कर न रखना। बीवी ने कहा कि घर में तो सिर्फ़ बच्चों के लिए कुछ खाने को रखा है और कुछ भी नहीं है। हज़रत अबू तल्हा रज़ि० ने फ़रमाया कि बच्चों को बहला कर सुला दो और जब हम खाना लेकर मेहमान के साथ बैठें तो तुम चिराग़ को दुरूस्त करने के लिए उठकर उसको बुझा देना ताकि हम न खाएं और मेहमान खा लें। चुनांचे बीवी ने ऐसा ही किया।

सुबह को जब हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िरी हुई तो हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू को इन मियां बीवी का तर्ज़ बहुत पसंद आया और यह आयते शरीफ़ा इनकी शान में नाज़िल हुई। *(दुर्रे मंसूर)*

अहादीस के सिलसिले में नं० 13 पर एक हदीस शरीफ़ इस आयते

शरीफ़ा की तफ़्सीर के तौर पर आ रही है। इसके बाद अल्लाह जल्ल शानुहू का पाक इर्शाद है कि जो शख़्स अपनी तबीअत के शुह्ह (लालच) से बचा दिया जाए वही लोग फ़लाह को पहुँचने वाले हैं। शुह्ह का तर्जुमा तब्ई हिर्स व बुख़्ल है यानि तब्ई तक़ाज़ा बुख़्ल का हो चाहे अमल से बुख़्ल न हो। इसलिए उलमा से इसकी तफ़्सीर में मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ नक़ल किये गए। हिर्स और लालच से उसको ताबीर करना सही है जो अपने माल में भी होता है, दूसरे के माल में भी होता है।

एक शख़्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मैं तो हलाक हो गया। उन्होंने इर्शाद फ़रमाया कि क्यों? वह कहने लगे कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने इर्शाद फ़रमाया कि जो लोग शुह्ह से बचाए जाएं वही फ़लाह को पहुँचने वाले हैं और मुझ में यह मर्ज़ पाया जाता है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरे पास से कोई भी चीज़ निकल जाए। हज़रत इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ ने फ़रमाया कि यह शुह्ह नहीं है यह बुख़्ल है, अगरचे बुख़्ल भी अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन शुह्ह यह है कि दूसरों का माल ज़ुल्म से खावे।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ से भी इसके क़रीब ही नक़ल किया गया। वह फ़रमाते हैं कि शुह्ह यह नहीं है कि आदमी अपने माल को ख़र्च करने से रोक ले, यह तो बुख़्ल हुआ और यह भी बहुत बुरी चीज़ है लेकिन शुह्ह यह है कि दूसरे की चीज़ पर निगाह पड़ने लगे।

हज़रत ताऊस रह॰ कहते हैं बुख़्ल यह है कि आदमी अपने माल को ख़र्च न करे और शुह्ह यह है कि दूसरे के माल में बुख़्ल करे यानी कोई दूसरा ख़र्च करे उससे भी दिल में तंगी होती हो।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि शुह्ह बुख़्ल से ज़्यादा सख़्त है इसलिए कि बख़ील तो अपने माल को रोकता है और बस, और शहीह् अपने माल को भी रोकता है और यह भी चाहता है कि दूसरों के पास जो कुछ है वह भी उसके पास आ जाए।

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल किया गया कि जिस शख़्स में तीन ख़स्लतें हों वह शुह्ह से बरी है –

1. माल की ज़कात अदा करता हो,

2. मेहमानों की मेहमानदारी करता हो, और

3. लोगों की मुसीबतों में मदद करता हो।

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद आया है कि इस्लाम को कोई चीज़ ऐसा नहीं मिटाती जैसा कि शुह्ह मिटाता है।

एक और हदीस् में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद नक़्ल किया गया है कि अल्लाह के रास्ते का ग़ुबार और जहन्नम का धुआं ये दोनों चीज़ें किसी एक शख़्स के पेट में जमा नहीं हो सकतीं और ईमान और शुह्ह किसी एक के दिल में कभी जमा नहीं हो सकते।

एक हदीस में हज़रत जाबिर रज़ि० हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़्ल करते हैं कि ज़ुल्म से बचो इसलिए कि ज़ुल्म क़ियामत में तेह बतेह अंधेरा होगा (यानी ऐसा सख़्त अंधेरा पैदा करेगा कि अंधेरे की तह पर तह जम जाएगी) और अपने आप को शुह्ह से बचाओ कि उसने तुमसे पहले लोगों को हलाक किया कि इसी वजह से उन लोगों ने दूसरे लोगों के ख़ून बहाए और इसी की वजह से अपनी मेहरम औरतों से ज़िना किया।

हज़रत अबू हुरैरह० रज़ि० हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़्ल करते हैं कि अपने आपको शुह्ह और बुख़्ल से बचाओ कि उसने तुमसे पहले लोगों को क़त-ए-रहमी पर डाल दिया और उनको अपने मेहरमों से ज़िना करने पर डाल दिया और उनको ख़ून बहाने पर डाल दिया यानी अगर आदमी अजनबी औरत से ज़िना करे तो उसे कुछ देना पड़े और बेटी से ज़िना करे तो मुफ़्त ही में काम चल जाए और माल की वजह से लूट मार तो ज़ाहिर है।

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं कि एक शख़्स का इंतिक़ाल हुआ तो लोग कहने लगे कि यह जन्नती आदमी था। हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया तुम्हें इसके सारे हालात का क्या इल्म है? क्या बईद है कि कभी उसने ऐसी बात ज़बान से निकाली हो जो बेकार हो या ऐसी चीज़ में बुख़्ल किया हो जो उसको नफ़ा न पहुँचाती हो

दूसरी हदीस में यह क़िस्सा इस तरह नक़्ल किया गया कि उहद की लड़ाई में एक साहब शहीद हो गये। एक औरत उनके पास आयी और कहने लगी, बेटा तुझे शहादत मुबारक हो। हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया तुम्हें इसकी क्या ख़बर है कि इसने कभी कोई बेकार बात ज़ुबान से नहीं कही हो या ऐसी

चीज़ में बुख़्ल किया हो, जो उसकी ज़रूरत की न हो। (दुर्रे मंसूर)

कि ऐसी मामूली चीज़ में बुख़्ल करना भी हिर्स और लालच की इन्तिहा होता है। वरना मामूली चीज़ें जिनमें अपना नुक़्सान न हो, बुख़्ल के क़ाबिल नहीं होतीं।

(٢٩) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ○ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ ۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ (منافقون ع ٢)

29. ऐ ईमान वालो ! तुम को तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से ग़ाफ़िल न कर दें और जो ऐसा करेगा, ऐसे ही लोग ख़सारा वाले हैं और जो कुछ हमने तुमको दिया है उसमें से इससे पहले पहले ख़र्च कर लो कि तुममें से किसी को मौत आ जाए और वह कहने लगे, ऐ मेरे रब! मुझको थोड़े दिन की मुहलत और क्यों न दे दी कि मैं ख़ैरात कर देता और नेक लोगों में हो जाता और अल्लाह जल्ल शानुहू किसी शख़्स को भी जब उसकी मौत का वक़्त आ जाए हरगिज़ मोहलत नहीं देता और अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की ख़बर है।

(मुनाफ़िक़ून रूकूअ् 2)

फ़ायदा:- माल व मताअ् की मशग़ूली, अह्ल व अयाल की मशग़ूली ऐसी चीज़ें हैं। जो अल्लाह जल्ल शानुहू के अह्कामात की तामील में कोताही का सबब बनती हैं। लेकिन यह बात यक़ीनी और तै है कि मौत के वक़्त का किसी को हाल मालूम नहीं है कि कब आ जाए, उस वक़्त अलावा हसरत और अफ़सोस के कुछ भी न हो सकेगा और देखती आंखों अह्ल व अयाल, माल व मताअ् सब को छोड़कर चल देना होगा। आज मोहलत है जो करना है कर लो -

रंगा ले न चुनरी, गुंधा ले न सर,
तू क्या क्या करेगी अरी दिन के दिन !
न जाने बुला ले पिया किस घड़ी,
तू देखा करेगी खड़ी दिन के दिन !

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि जिस शख़्स के पास इतना माल हो कि हज कर सके, उस पर ज़कात वाजिब हो और अदा न करे तो वह मरने के वक़्त दुनिया में वापस लौटने की तमन्ना करेगा। किसी शख़्स ने इब्ने अब्बास रज़ि० से कहा कि दुनिया में लौटने की तमन्ना काफ़िर करते हैं मुसलमान नहीं करते। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० ने यह आयते शरीफ़ा तिलावत की कि इसमें मुसलमानों ही के मुताल्लिक़ अल्लाह तआला ने इर्शाद फ़रमाया है।

एक दूसरी हदीस में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से नक़ल किया गया कि इस आयते शरीफ़ा में मोमिन आदमी का ज़िक्र है। जब उसकी मौत आ जाती है और उसके पास इतना माल हो जिस पर ज़कात वाजिब हो और ज़कात अदा न की हो या उस पर हज फ़र्ज़ हो गया हो और हज अदा न किया हो या कोई और हक़ अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक़ूक़ में से अदा न किया हो तो वह मरने के वक़्त दुनिया में वापसी की तमन्ना करेगा ताकि ज़कात और सद्क़ात अदा करे। लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू का पाक इर्शाद है कि जिसका वक़्त आ जाए वह हरगिज़ मुअख़्ख़र नहीं होता। *(दुर्रे मंसूर)*

क़ुरआन पाक में बार बार इस पर तंबीह की गयी है कि मौत का वक़्त हर शख़्स के लिए एक तै शुदा वक़्त है। इसमें ज़रा सी भी तक़्दीम या ताख़ीर[1] नहीं हो सकती। आदमी सोचता रहता है कि फ़लां चीज़ को सदक़ा करूँगा, फ़लां चीज़ को वक़्फ़ करूँगा, फ़लां फ़लां के नाम वसीयत लिखूँगा, मगर वह अपने सोच और फ़िक्र में ही रहता है। उधर से एक दम बिजली के तार का बटन दबा दिया जाता है और यह चलते चलते मर जाता है। बैठे बैठे मर जाता है, सोते सोते मर जाता है। इसलिए तज्वीज़ों और मश्वरों में हरगिज़ ऐसे कामों में ताख़ीर न करना चाहिये जितना जल्द हो सके अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने में अल्लाह के यहां जमा कर देने में जल्दी करना चाहिये। वल्लाहुल् मुवफ़्फ़िक़०। (अल्लाह ही तौफ़ीक़ देने वाला है।)

(۳۰) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا

1. पहले या बाद में होना।

اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ٥ لَايَسْتَوِىٓ اَصْحٰبُ

النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ٥(حشر ع ٣)

30. ऐ ईमान वालो ! अल्लाह से डरते रहो और हर शख़्स यह ग़ौर कर ले कि उसने कल (क़ियामत) के दिन के वास्ते क्या चीज़ आगे भेज दी है। अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह तआला को तुम्हारे आमाल की सब ख़बर है और उन लोगों की तरह से मत बनो जिन्होंने अल्लाह तआला को भुला दिया। (पस उसकी सज़ा में) अल्लाह तआला ने ख़ुद उनको उनकी जान से भुला दिया। यही लोग फ़ासिक़ हैं और याद रखो कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। जन्नत वाले ही कामियाब हैं (हक़ीक़ी कामियाबी सिर्फ़ जन्नत वालों ही की है।)

(हश्र, रूकूअ् 3)

फ़ायदाः- अल्लाह जल्ल शानुहू ने उनको उनकी जान से भुला दिया का यह मतलब है कि उनकी ऐसी अक़्ल मार दी गयी कि वे अपने नफ़ा नुक़्सान को भी नहीं समझते और जो चीज़ें उनको हलाक करने वाली हैं उनको इख़्तियार करते हैं।

हज़रत जरीर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैं दोपहर के वक़्त हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था कि क़बीला मुज़र की एक जमाअत हाज़िर हुई जो नंगे पांव, नंगे बदन, भूखे थे। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब उन पर फ़ाक़े की हालत देखी तो हुज़ूर सल्ल॰ का चेहरा-ए-अन्वर मुतग़य्यर हो गया। उठकर अंदर मकान में तशरीफ़ ले गये। (ग़ालिबन घर में कोई चीज़ उनके क़ाबिल तलाश करने के लिए तशरीफ़ ले गये होंगे) फिर बाहर मस्जिद में तशरीफ़ लाए, हज़रत बिलाल रज़ि॰ से अज़ान कहने का हुक्म फ़रमाया और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मिंबर पर तशरीफ़ ले गये और हम्द व सना के बाद क़ुरआन पाक की कुछ आयात तिलावत कीं जिनमें ये आयात भी थीं, जो ऊपर लिखी गयीं। फिर हुज़ूर सल्ल॰ ने सदक़ा करने का हुक्म फ़रमाया और यह इर्शाद फ़रमाया कि सदक़ा करो, इससे पहले कि सदक़ा न कर सको। सदक़ा करो, इससे पहले कि तुम सदक़ा करने से आजिज़ हो जाओ, कोई शख़्स जो भी दे सके, दीनार दे सके, दिरम दे

सके, कपड़ा दे सके, गेहूँ दे सके, जौ दे सके, खजूर दे सके, यहां तक कि खजूर का टुकड़ा ही दे सके, वह दे दे। एक अंसारी उठे और एक थैला भरा हुआ लाए जो उनसे उठता भी न था। हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में पेश किया। हुज़ूर सल्ल० का चेहरा-ए-अन्वर खुशी से चमकने लगा। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि जो शख़्स बेहतर तरीक़ा जारी करे उसको उसका भी सवाब है। और जो उस पर अमल करेंगे उनका भी सवाब उसको होगा, इस तरह पर कि अमल करने वालों के सवाब में कुछ कमी न होगी और इसी तरह अगर कोई शख़्स कोई बुरा तरीक़ा जारी करता है तो उसका गुनाह तो उसको होगा ही जितने आदमी उस पर अमल करेंगे उन सब का गुनाह भी उसको होगा। इस तरह से कि उनके गुनाहों के वबाल में कुछ कमी न होगी।

इसके बाद सब लोग मुतफ़र्रिक़ होकर चले गये, कोई दीनार (अशर्फ़ी) लाया, कोई दिरहम लाया, कोई ग़ल्ला लाया, ग़रज़ ग़ल्ला और कपड़े के दो ढेर हुज़ूर सल्ल० के क़रीब जमा हो गये और हुज़ूर सल्ल० ने वह सब क़बीला मुज़र के आने वालों पर तक़सीम कर दिये। *(नसई, दुर्रे मंसूर)*

एक हदीस में आया है लोगो ! अपने लिए कुछ आगे भेज दो। अनक़रीब वह ज़माना आने वाला है जबकि हक़ तआला शानुहू का इर्शाद ऐसी हालत में कि न कोई वास्ता दर्मियान में होगा, न कोई पर्दा दर्मियान में होगा। यह होगा, क्या तेरे पास रसूल नहीं आए जिन्होंने तुझे अह्काम पहुँचा दिये हों ? क्या मैं ने तुझको माल अता नहीं किया था ? क्या मैं ने तुझे ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दिया था ? तूने अपने लिए क्या चीज़ आगे भेजी ? वह शख़्स इधर उधर देखेगा कुछ नज़र न आएगा, आंखों के सामने जहन्नम होगी। पस जो शख़्स उससे बच सकता हो बचने की कोशिश करे, चाहे खजूर के एक टुकड़े ही से क्यों न हो। *(कन्ज़)*

बड़ा सख़्त मंज़र होगा, बड़ा सख़्त मुतालबा होगा, दहकती हुई, दोज़ख़ सामने होगी और हर आन उसमें फेंक दिए जाने का अंदेशा होगा। उस वक़्त अफ़सोस होगा कि हमने दुनिया में सब कुछ क्यों न ख़र्च कर दिया। आज फ़र्ज़ी ज़रूरतों से हम ख़र्च करने से हाथ खींचते हैं। लेकिन अगर आज आंख बंद हो जाए तो सारी ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी और एक सख़्त ज़रूरत जहन्नम से बचने की सर पर मौजूद रहेगी।

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने एक मर्तबा ख़ुत्बे में फ़रमाया कि यह

बात अच्छी तरह जान लो कि तुम लोग सुबह से शाम ऐसी मुद्दत में चलते हो, जिसका हाल तुमसे पोशीदा है कि कब वह ख़त्म हो जाए पस अगर तुमसे हो सके तो ऐसा करो कि यह मुद्दत एहतियात के साथ ख़त्म हो जाए और अल्लाह ही के इरादे से तुम ऐसा कर सकते हो। एक क़ौम ने अपने औक़ात को ऐसे उमूर में ख़र्च कर दिया, जो उनके लिए कारआमद न थे। अल्लाह जल्ल शानुहू ने तुम्हें उन जैसा होने से मना किया है और इर्शाद फ़रमाया है –

وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوااللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ۔

"व ला तकूनू कल्लज़ी न नसुल्ला ह फ़ अन्साहुम अन्फ़ु स हुम॰"

कहां हैं तुम्हारे वे भाई, जिनको तुम जानते थे वे अपना ज़माना ख़त्म करके चले गए और उनके अमल ख़त्म हो गये और अब वे अपने अपने अमल पर पहुँच गये जैसे भी किए (अच्छे किए होंगे, तो मज़े उड़ा रहे होंगे, बुरे किए होंगे तो उनको भुगत रहे होंगे) कहां हैं वे, गुज़रे हुए ज़माने के जाबिर लोग, जिन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए, ऊँची, ऊँची दीवारों से अपनी मुहाफ़िज़त की, अब वे पत्थरों और टीलों के नीचे पड़े हैं। यह अल्लाह का पाक कलाम है कि न इसके अजाइब ख़त्म होते हैं, न इसकी रौशनी मांद पड़ती है, इससे आज रौशनी हासिल कर लो, अंधेरे के दिन के वास्ते और इससे नसीहत पकड़ लो, अल्लाह जल्ल शानुहू ने एक क़ौम की तारीफ़ की, पस फ़रमाया –

كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَّكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ (الاية)

"कानू युसारिऊ न फ़िल् ख़ैराति व यद् ऊ न-ना र-ग़-बंव्व र-ह-बंव्व कानू लना ख़ाशिईन॰"

वे लोग नेक कामों में दौड़ते थे और हमको पुकारते थे रग़बत करते हुए और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। *(अल-अंबिया, रूकूअ् 6)*

उस कलाम में कोई खूबी नहीं, जिससे अल्लाह की रिज़ा मक़्सूद न हो और उस माल में कोई भलाई नहीं जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च न हो और वह आदमी अच्छा नहीं जिसका हिल्म उसके गुस्से पर ग़ालिब न हो और वह आदमी बेहतर नहीं जो अल्लाह की रिज़ा के मुक़ाबले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह करे। *(दुर्रे मंसूर)*

(۳۱) اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ o
فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ط
وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ o (تغابن ع ۲)

31. इसके सिवा दूसरी बात नहीं कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक आज़माईश की चीज़ है (पस जो शख़्स उनमें पड़ कर भी अल्लाह को याद रखे तो) उस के लिए अल्लाह के पास बड़ा अज्र है। पस जहां तक हो सके अल्लाह से डरते रहो और उसकी बात सुनो और मानो और (अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहा करो) यह तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा और जो शख़्स अपने नफ़्स के शुह्ह यानी लालच से महफ़ूज़ रहा, पस यही लोग फ़लाह को पहुँचने वाले हैं

(तग़ाबुन रूकूअ् 2)

फ़ायदा:- शुह्ह बुख़्ल का आला दर्जा है जैसा कि नं॰ 28 पर गुज़र चुका। माल और औलाद के इम्तिहान की चीज़ होने का यह मतलब है कि यह बात जांचनी है कि कौन शख़्स इनमें फंसकर अल्लाह जल्ल शानुहू के अह्काम को और उसकी याद को भुला देता है और कौन शख़्स इनके बावजूद अल्लाह जल्ल शानुहू की फ़रमांबरदारी करता और उसकी याद में मशग़ूल रहता है और नमूने के लिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का उस्वा (नमूना) सामने है। यहां किसी के एक दो बीवियां होंगी, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नौ बीवियां थीं, औलाद भी थी, बेटे-बेटियां, नवासे सब कुछ मौजूद था। हुज़ूर सल्ल॰ के अलावा हज़राते सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के हालात दुनिया के सामने हैं और बहुत तफ़्सील से किताबों में मौजूद हैं।

हज़रत अनस रज़ि॰ की औलाद का शुमार ही मुश्किल है। एक मौक़े पर फ़रमाते हैं कि मेरी औलाद की औलाद तो अलाहिदा रही, ख़ुद बिला वास्ता अपनी औलाद में से एक सौ पच्चीस तो दफ़न कर चुका हूँ। *(इसाबा)*

और जो ज़िन्दा रहे वे इनके अलावा और औलाद की औलादें मज़ीद-बरआं,[1] इसके बावजूद उन हज़राते सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ बेशुमार है जिनसे कसरत से

1. यानी इनके भी अलावा।

अहादीस नक़ल की गयीं। और जिहाद में कसरत से शिर्कत करते रहे हैं। औलाद की इतनी कसरत न तो इल्म की मश्गूली में रूकावट हुई न जिहाद से।

हज़रत ज़ुबैर रज़ि॰ जिस वक़्त शहीद हुए नौ बेटे, नौ बेटियां, और चार बीवियां थीं, और कई पोते बेटों से भी बड़े थे। *(बुख़ारी)*

जिनका बाप की ज़िंदगी में इंतिक़ाल हो गया, वे अलाहिदा इसके बावजूद न कभी नौकरी की न कोई और शग़ल, जिहाद में उम्र गुज़ारी।

इसी तरह और बहुत से हज़रात का हाल है कि न माल उनको दीन से रूकावट होता था और न औलाद की कसरत, और उनमें से जो लोग तिजारत पेशा थे उनके लिए तिजारत भी दीन के कामों से मानेअ् न होती थी। खुद हक़ तआला शानुहू ने उनकी तारीफ़ क़ुरआन पाक में फ़रमायी -

"रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजार-तुन॰" *(सूरः नूर, रूकूअ 5)*

वे ऐसे लोग हैं जिनको ख़रीद व फ़रोख़्त अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज़ क़ायम करने से और ज़कात अदा करने से नहीं रोकती। वे लोग ऐसे दिन से डरते हैं जिस दिन दिल और आंखें उलट पलट हो जाएंगी। और इसका अंजाम यह होगा कि हक़ तआला उनको उनके आमाल का बहुत अच्छा बदला देगा और उनको अपने फ़ज़्ल से (बदले के अलावा इनाम के तौर पर) और भी ज़्यादा देगा।

इस आयते शरीफ़ा की तफ़्सीर में बहुत से आसार में यह मज़्मून ज़िक्र किया गया है कि जो लोग तिजारत करते थे, तिजारत उनको अल्लाह तआला की याद से मानेअ् (रोकने वाली) न होती थी। जब अज़ान सुनते फ़ौरन अपनी अपनी दुकानें छोड़कर नमाज़ के लिए चल देते। *(दुर्रे मंसूर)*

(٣٢) اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ع (تغابن ع ٢)

32. अगर तुम अल्लाह जल्ल शानुहू को अच्छी तरह (यानि इख़्लास से) क़र्ज़ दोगे तो वह उसको तुम्हारे लिए बढ़ाता चला जाएगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा और अल्लाह जल्ल शानुहू बड़ी क़द्र करने वाला है (कि थोड़े से अमल को भी क़ुबूल कर लेता है) और बड़ा

बुर्दबार है (बड़े से बड़े गुनाह पर भी मुवाख़ज़ा में जल्दी नहीं करता) पोशीदा और ज़ाहिर आमाल का जानने वाला है, ज़बरदस्त है, हिक्मत वाला है।

फ़ायदा:- आयात में 25, 26, 27, पर इस क़िस्म के मज़ामीन गुज़र चुके हैं। यह अल्लाह जल्ल शानुहू का ख़ास लुत्फ़ व करम है कि हमारी ख़ैर ख़्वाही और बन्दों पर करम की वजह से जो चीज़ें उनके लिए अहम और ज़रूरी हैं उनको बार बार ताकीद के साथ फ़रमाया जाता है और हम लोग इन आयात को बार बार पढ़ते हैं। और मुतमइन हो जाते हैं कि बहुत सवाब क़ुरआन पाक के पढ़ने का मिल गया। यह करीम का एहसान और इनआम है कि वह अपने पाक कलाम के महज़ पढ़ने पर भी सवाब अता फ़रमाये, लेकिन यह कलामे पाक महज़ पढ़ने के लिए तो नाज़िल नहीं हुआ, पढ़ने के साथ साथ उसके पाक इर्शादात पर अमल भी तो होना चाहिए। एक चीज़ को मालिकुल मुल्क, अपना आक़ा, अपना मुहसिन, अपना मुरब्बी, अपना राज़िक़ अपना ख़ालिक़ बार बार इर्शाद फ़रमाए और हम कहें कि हमने आपका इर्शाद पढ़ लिया बस काफ़ी है, यह हमारी तरफ़ से कितना सख़्त ज़ुल्म है?

(۳۳) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ط
وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ
اَجْرًا ط وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (مزمل ع ۲)

33. और तुम लोग नमाज़ को क़ायम रखो और ज़कात देते रहो और अल्लाह जल्ल शानुहू को क़र्ज़े हसना देते रहो और जो नेकी भी तुम अपने लिए ज़ख़ीरा बना कर आगे भेज दोगे उसको अल्लाह जल्ल शानुहू के पास जाकर उससे बहुत बेहतर और सवाब में बढ़ा हुआ पाओगे और अल्लाह तआला से गुनाह माफ़ कराते रहो। बेशक अल्लाह जल्ल शानुहू मग़्फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है।

फ़ायदा:- उसको अल्लाह जल्ल शानुहू के पास जाकर उससे बेहतर पाने का मतलब यह है कि जो कुछ दुनिया की चीज़ें ख़रीदने में ख़र्च किया जाता है या दुन्यवी ज़रूरतों में ख़र्च किया जाता है और उसका बदला दुनिया में मिलता है, मसलन एक रूपये के दो सेर गन्दुम दुनिया में मिलते हैं, आख़िरत के बदल

को इस पर क़ियास नहीं करना चाहिए बल्कि आख़िरत में जो बदल उन चीज़ों का मिलता है जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च की जायें वे मिक़्दार के एतिबार से भी और कैफ़ियत के लिहाज़ से भी बदरजहा ज़ायद उस बदल से होगा, जो दुनिया में उस पर मिलता है, चुनांचे आयत नं॰ 7 के तहत में गुज़र चुका है कि अगर तय्यिब माल से नेक नीयती के साथ एक खजूर भी सदक़ा की जाए तो हक़ तआला शानुहू उस के सवाब को उहद पहाड़ के बराबर फ़रमा देते हैं। काश ! इस क़ुदर ज़्यादा मुआवज़ा देने वाले करीम की हम क़द्र करते और ज़्यादा से ज़्यादा क़ीमत उसके यहां जमा करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माल बड़ी सख़्त ज़रूरत के वक़्त हमको मिलता और इसके साथ ही इस आयते शरीफ़ा में अल्लाह जल्ल शानुहू फ़रमाते हैं कि जिस क़िस्म की नेकी भी तुम आगे भेज दोगे उसका मुआवज़ा ऐसा ही मिलेगा। रिसाला 'बरकाते ज़िक्र' में बहुत तफ़्सील से ऐसी रिवायतें गुज़र चुकी हैं। एक मर्तबा "सुब्हानल्लाह या अल्हम्दु लिल्लाह या ला इला-ह इल्लल्लाहु या अल्लाहु अक्बर"

कहने का सवाब अल्लाह तआला शानुहू के यहां उहद पहाड़ से ज़्यादा मिल जाता है, बशर्ते कि इख़्लास से कहा जाए और इख़्लास की शर्त आख़िरत के हर काम में है। इख़्लास बग़ैर वहां किसी चीज़ की पूछ नहीं और इसी चीज़ के पैदा करने के वास्ते बुज़ुर्गों की जूतियां सीधी करनी पड़ती हैं कि यह दौलत उनके क़दमों में पड़ने से मिलती है।

(٣٤) اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ٥ عَيْنًا
يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ٥ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ
يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ٥ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا
وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ٥ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا
شُكُوْرًا ٥ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ٥ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ
ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ٥ وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً
وَّحَرِيْرًا ٥ مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا
زَمْهَرِيْرًا ٥ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ٥ وَيُطَافُ
عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ٥ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ

قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا o وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا o عَيْنًا
فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا o وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج اِذَا
رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا o عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّ اِسْتَبْرَقٌ
وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا o اِنَّ هٰذَا كَانَ
لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا o (دهر ع ۱)

34. बेशक नेक लोग (जन्नत में) ऐसे जामे शराब पियेंगे, जिनमें काफ़ूर की आमेज़िश होगी, ऐसे चश्मों से भरे जायेंगे जिनसे अल्लाह के ख़ास बन्दे पीते हैं। (इन चश्मों में यह अजीब बात होगी) कि वे जन्नती लोग इन चश्मों को जहां चाहें ले जायेंगे (यानी ये चश्मे उनके इशारों के ताबेअ् होंगे) ये ऐसे लोग हैं जो मन्नतों को पूरा करते हैं। (और इसी तरह दूसरे वाजिबात को) और ऐसे दिन से डरते हैं जिस दिन की सख़्ती फैली हुई होगी (यानी आम होगी कि हर शख़्स उस दिन कुछ न कुछ परेशानी में मुब्तला होगा) ये वे लोग हैं। जो अल्लाह तआला की मुहब्बत में खाना खिलाते हैं, मिस्कीन को और यतीम को और क़ैदी को (इसके बावजूद कि वह क़ैदी काफ़िर और लड़ाई में बर सरे पैकार होते थे) और वे लोग (अपने दिल में या ज़ुबान से) कहते हैं। कि हम तुमको सिर्फ़ अल्लाह के वास्ते खिलाते हैं, न तो हम इसका बदला चाहते हैं न शुक्रिया चाहते हैं (बल्कि इस वजह से खिलाते हैं कि हम अपने रब की तरफ़ से सख़्त और तल्ख़ दिन का (यानी क़ियामत के दिन का) ख़ौफ़ रखते हैं। पस अल्लाह जल्ल शानुहू उनको उस दिन की सख़्ती से महफ़ूज़ रखेगा और उनको ताज़गी और सुरूर अता करेगा और उनको इस पुख़्तगी के बदले में जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा, इस, हालत में कि वे जन्नत में मसहरियों पर तकिया लगाये बैठे होंगे, न वहां गर्मी की तपिश पावेंगे न सर्दी (बल्कि मोतदिल मौसम होगा) और दरख़्तों के साए उन लोगों पर झुके होंगे और उनके ख़ोशे उनके मुतीअ् होंगे (कि जिस वक़्त जिसको पसंद करेंगे वह क़रीब आ जाएगा) और उनके पास (खाने पीने के लिए) चांदी के बर्तन और शीशे के आबख़ोरे लाए जायेंगे, ऐसे शीशे जो चांदी के होंगे (यानी वे शीशे बजाए कांच के चांदी के बने हुए होंगे और जो

उस आलम में दुश्वार नहीं) और उनको भरने वालों ने सही अंदाज़ से भरा होगा। (कि न ज़रूरत से कम, न ज़्यादा) और वहां (काफ़ूरी शराब के अलावा) ऐसी शराब के जाम भी पिलाए जायेंगे जिनमें सोंठ की आमेज़िश होगी। (जैसा कि झंजर की बोतल में होता है) ये ऐसे चश्मे से भरे जायेंगे जिसका नाम सलसबील है। काफ़ूर ठंडा होता है और सोंठ गर्म (मक़्सद यह है कि वहां मुख़्तलिफ़ुल मिज़ाज शराबें हैं।) और उसको ऐसे लड़के लेकर आते रहेंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। और ऐसे (हसीन) कि अगर तू उनको देखे तो यह गुमान करे कि ये मोती हैं जो बिखरे हुए हैं (और जो चीज़ें ऊपर ज़िक्र की गयीं यही फ़क़त नहीं बल्कि) जब तू उस जगह को देखेगा तो वहां बड़ी बड़ी नेमतें और बहुत बड़ा मुल्क नज़र आयेगा और उन लोगों पर वहां बारीक रेशम के सब्ज़ कपड़े होंगे और मोटे रेशम के भी (ग़रज़ मुख़्तलिफ़ अन्वाअ् के बेहतरीन लिबास होंगे) और हाथों में चांदी के कंगन पहनाये जायेंगे और हक़ तआला शानुहू उनको ऐसी शराब पिलायेंगे जो निहायत पाकीज़ा होगी और यह कहा जायेगा कि ये तुम्हारे आमाल का बदला है और तुमने जो कोशिश दुनिया में की थी वह क़ाबिले क़द्र है।

फ़ायदा:- इस कलामे पाक में शराब का तीन जगह ज़िक्र आया है और तीनों जगह शराब की नोइय्यत और तरीक़ा-ए-इस्तेमाल जुदा है। पहली जगह उनका ख़ुद पीना मज़्कूर है। दूसरी जगह ख़ादिमों के पिलाने का ज़िक्र है और तीसरी जगह ख़ुद रब्बुल आलमीन मालिकुल मुल्क की तरफ़ पिलाने की निस्बत है। क्या बईद है कि ये अब्रार की तीन क़िस्मों अद्ना, औसत, आला के एतिबार से हो। इन आयात में जितने फ़ज़ाइल, इक्राम और एज़ाज़ के नेक काम करने वालों के, बिल ख़ुसूस अल्लाह की रिज़ा में खिलाने वालों के ज़िक्र किए गये हैं, अगर हममें ईमान का कमाल हुआ तो इन वायदों के बाद कौन शख़्स ऐसा हो सकता है जो हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह कोई चीज़ भी घर में अल्लाह और उसके रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के नाम के सिवा छोड़े।

इन आयात में कई बातें क़ाबिले तवज्जोह हैं -

1. पहले चश्मों के बारे में ज़िक्र हुआ कि जन्नती लोग उन चश्मों को जहां चाहेंगे ले जायेंगे,

मुजाहिद रह० इसकी तफ़सीर में कहते हैं कि वे लोग उन चश्मों को जहां चाहेंगे खींच लेंगे।

क़तादा रज़ि० कहते हैं कि उनके लिए काफ़ूर की आमेज़िश (मिलावट) होगी और मुश्क की मुहर उन पर लगी हुई होगी और वे उस चश्मे को जिधर को चाहेंगे उधर को उसका पानी चलने लगेगा।

इब्ने शौज़ब रह० कहते हैं कि उन लोगों के पास सोने की छड़ियां होंगी वे अपनी छड़ियों से जिस तरफ़ इशारा करेंगे उसी तरफ़ को वे नहरें चलने लगेंगी।

2. मन्नतों के पूरा करने के मुताल्लिक़ क़तादा रज़ि० से नक़ल किया गया कि अल्लाह के तमाम अह्काम को पूरा करने वाले लोग हैं। इसी वजह से शुरू में उनको अब्रार से ताबीर किया गया है।

मुजाहिद रह० कहते हैं कि इससे वे मन्नतें मुराद हैं जो अल्लाह के हक़ में की गयी हों (यानी कोई शख़्स रोज़ों की नज़्र कर ले ऐतिकाफ़ की नज़्र कर ले, इसी तरह इबादात की नज़्र कर ले।)

इक्रिमा रज़ि० कहते हैं कि शुक्राने की मन्नतें मुराद हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से नक़ल किया गया कि हुज़ूर सल्ल० की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मैं ने यह मन्नत मान रखी थी कि मैं अपने आपको अल्लाह के वास्ते ज़िब्ह कर दूँगा। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी चीज़ में मश्ग़ूल थे, तवज्जोह नहीं फ़रमायी। यह साहब हुज़ूर सल्ल० के सुकूत से इजाज़त समझे और (हुज़ूर सल्ल० से अर्ज़ कर देने के बाद) उठे, दूर जाकर अपने आप को ज़िब्ह करने लगे। हुज़ूर सल्ल० को इसका इल्म हुआ। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए जो मन्नत को पूरा करने का इस क़दर एहतिमाम करें। इसके बाद (उनको अपने ज़िब्ह करने से मना फ़रमाया और) उनसे फ़रमाया कि अपनी जान के बदले सौ ऊँट अल्लाह के नाम पर ज़िब्ह करें (इसलिए कि अपने आपको ज़िब्ह करना ना जायज़ है और जान का फ़िदया दियत में सौ ऊँट है।)

3. क़ैदियों के खिलाने से आयते शरीफ़ा में मुश्रिक क़ैदी मुराद हैं, इसलिए कि उस ज़माने में मुश्रिक क़ैदी ही होते थे, मुसलमान क़ैदी उस वक़्त न थे और जब काफ़िरों के खिलाने पर यह सवाब है तो मुसलमान क़ैदी इसमें

ब तरीक़े औला आ गये।

मुजाहिद रह॰ कहते हैं कि जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बद्र के क़ैदियों को (जो काफ़िर थे) पकड़ कर लाए, तो सात हज़राते सहाबा-ए-किराम, हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ उमर रज़ि॰, अली रज़ि॰, ज़ुबैर रज़ि॰, अब्दुर्र हमान रज़ि॰, सअद रज़ि॰, अबू उबैदा रज़ि॰ ने उन पर ख़ास तौर से ख़र्च किया, जिस पर अंसार ने कहा कि हमने तो अल्लाह के वास्ते इनसे क़िताल किया था। तुम इतना ज़्यादा ख़र्च कर रहे हो। इस पर 'इन्नल अबरा-र' से उन्नीस आयतें इन हज़रात की तारीफ़ में नाज़िल हुईं।

हज़रत हसन रज़ि॰ कहते हैं कि जब ये आयतें नाज़िल हुईं उस वक़्त क़ैदी मुश्रिकीन थे।

हज़रत क़तादा रज़ि॰ कहते हैं कि जब अल्लाह जल्ल शानुहू ने इन आयात में क़ैदी के साथ एहसान करने का हुक्म फ़रमाया है, हालांकि उस वक़्त क़ैदी मुश्रिक थे तो मुसलमान क़ैदी का हक़ तुझ पर और भी ज़्यादा हो गया।

इब्ने जुरैज रह॰ कहते हैं कि उस ज़माने में मुसलमान क़ैदी न थे, मुश्रिक क़ैदियों के बारे में यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी ख़ैर ख़्वाही का हुक्म फ़रमाते थे।

अबू रज़ीन रज़ि॰ कहते हैं कि मैं शक़ीक़ बिन सलमा रज़ि॰ के पास था। कुछ मुश्रिक क़ैदी वहां से गुज़रे तो शक़ीक़ रज़ि॰ ने मुझे उन पर सदक़ा करने का हुक्म दिया और यह आयते शरीफ़ा तिलावत की।

4. न इसका बदला चाहते हैं, न इसका शुक्रिया चाहते हैं का मतलब ये है कि यह हज़रात इसको भी गवारा न करते थे कि उनके एहसान का कोई बदला, चाहे शुक्रगुज़ारी और दुआ ही के क़बील से हो, उनको दुनिया में मिले। ये अपना सब कुछ आख़िरत ही में लेना चाहते थे।

हज़रत आइशा रज़ि॰ और हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ का मामूल नक़ल किया गया है कि जब वे किसी फ़क़ीर ज़रूरत मंद के पास कुछ भेजतीं तो क़ासिद से कहतीं कि चुपके से सुनना कि वह इस पर क्या अल्फ़ाज़ कहता है और जब क़ासिद वे अल्फ़ाज दुआ वग़ैरह के आकर नक़ल करता तो उसी किस्म की दुआएं वे फ़क़ीर को देतीं और यह कहतीं कि उसकी दुआओं का यह बदला है ताकि हमारा सदक़ा ख़ालिस आख़िरत के वास्ते रह जाए।

हज़रत उमर रज़ि॰ और उनके साहबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि॰ का भी इसी किस्म का मामूल नक़ल किया गया है। *(एहया)*

हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रह॰ का इर्शाद है कि जो शख़्स माल ख़र्च करने के वास्ते तलब करने वाले का इंतिज़ार करे, वह सख़ी नहीं। सख़ी वह है जो अल्लाह के हुक़ूक़ को ख़ुद से उसके नेक बंदों तक पहुँचाए और उनसे शुक्रिए का उम्मीदवार न रहे। इसलिए कि उसको अल्लाह के सवाब पर कामिल यक़ीन हो। *(एहया)*

5. जन्नत के ख़ोशे उनके मुतीअ् होंगे का मतलब यह है कि वे उनकी ख़्वाहिश के ताबेअ् होंगे।

हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ि॰ कहते हैं कि जन्नती लोग जन्नत के फलों को खड़े बैठे लेटे, जिस हाल में चाहेंगे खा सकेंगे।

मुजाहिद रह॰ कहते हैं कि वे लोग अगर खड़े होंगे तो वे फल ऊपर को हो जायेंगे और वे लोग अगर बैठेंगे तो वे झुक जायेंगे और अगर वे लेटेंगे तो वे और ज़्यादा झुक जायेंगे। दूसरी रिवायत में उनसे नक़ल किया गया कि जन्नत की ज़मीन चांदी की है और उसकी मिटी मुश्क है और उसके दरख़्तों की जड़ें सोने की हैं और उनकी टहनियां और पत्ते मोतियों के और ज़बरजद के हैं। जिनके दर्मियान फल लटके हुए हैं अगर वे खड़े हुए खाना चाहेंगे तो कोई दिक़्क़त नहीं, बैठकर या लेट कर खाना चाहेंगे तो उसके बक़द्र झुक जायेंगे।

6. चांदी के शीशों का मतलब यह है कि चांदी से ऐसे बनाए जाएंगे जैसाकि शीशा होता है।

हज़रत इब्नेअब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि अगर दुनिया में तू चांदी को लेकर इस क़दर बारीक करे कि मक्खी के पर के बराबर बारीक कर दे जब भी उसके अंदर का पानी नज़र न आयेगा। लेकिन जन्नत के आबख़ोरे चांदी के होकर शीशे की तरह साफ होंगे।

दूसरी रिवायत में है कि जन्नत की हर चीज़ का नमूना दुनिया में है, लेकिन चांदी के ऐसे आबख़ोरों का नमूना दुनिया में नहीं है।

क़तादा रज़ि॰ कहते हैं कि अगर सारी दुनिया के आदमी जमा होकर चांदी का ऐसा बर्तन बना दें जिसमें शीशे की तरह से अंदर की चीज़ नज़र आए तो नहीं बना सकते। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ की एक रिवायत से मालूम होता है कि इन आयात का शाने नुज़ूल हज़रत अली रज़ि॰ और हज़रत फ़ातिमा रज़ि॰ का एक वाक़िआ है जो इसी रिसाले के ख़त्म पर हिकायात में नं॰ 41 पर आ रहा है और मुतअद्दद वाक़िआत का किसी आयत का शाने नुज़ूल होना कोई मुस्तब्अद बात नहीं[1]। बसा औक़ात ऐसा हुआ है कि एक ज़माने में कुछ वाक़िआत पेश आए, उस ज़माने में कोई आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई, तो वह आयते शरीफ़ा सब वाक़िआत के मुताल्लिक़ हो सकती है।

(۳۵) قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ٥ وَذَكَرَاسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ٥ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ٥ۖ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ٥ (اعلٰى)

35. बा-मुराद हो गया वह शख़्स जो पाक हो गया और अपने रब का नाम लेता रहा और नमाज़ पढ़ता रहा, बल्कि तुम लोग तो दुनिया की ज़िंदगी को मुक़द्दम रखते हो, हालांकि आख़िरत दुनिया से बहुत ज़्यादा बेहतर और हमेशा रहने वाली चीज़ है।

फ़ायदाः- "पाक हो गया" कि मुतअद्दद तफ़्सीरें उलमा से नक़ल की गयी हैं। बहुत से उलमा का क़ौल है कि उससे सदक़ा-ए-फ़ित्र अदा करना मुराद है जैसा कि मुतअद्दद रिवायात में आया है और बहुत से उलमा ने इसको आम क़रार दिया है।

सईद बिन जुबैर रज़ि॰ कहते हैं कि पाक हो गया का मतलब यह है कि जो अपने माल से पाक हो गया।

क़तादा रज़ि॰ कहते हैं कि बा-मुराद हो गया वह शख़्स जिसने अपने माल से अपने ख़ालिक़ को राज़ी कर लिया।

हज़रत अबुल अह्वस रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हक़ तआला शानुहू उस शख़्स पर रहम फ़रमाता है जो सदक़ा करे, फ़िर नमाज़ पढ़े। फिर उन्होंने यह आयत पढ़ी ।

एक रिवायत में उनसे यह नक़ल किया गया कि जो शख़्स इसकी ताक़त रखता हो कि नमाज़ से पहले कुछ सदक़ा कर दिया करे वह ऐसा किया करे।

1. यानी कोई ना-मुम्किन बात नहीं।

हज़रत इब्ने मस्ऊद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जो शख़्स नमाज़ पढ़ने का इरादा करे, क्या हर्ज है कि कुछ सदक़ा इससे पहले कर दिया करे, फिर यह आयते शरीफ़ा पढ़ी।

हज़रत अर्फ़जा रज़ि॰ कहते हैं कि मैं ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ से 'सब्बिहिस्-म' पढ़ने की दर्ख़्वास्त की। उन्होंने सुनाना शुरू की और जब इस आयत पर पहुँचे 'बल तुअ्सिरू नल ह्यातद्दुन्या' तो पढ़ना छोड़कर लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया कि हमने दुनिया को आख़िरत पर तर्जीह दी। लोग चुप बैठे थे। फिर फ़रमाया कि हमने दुनिया को तर्जीह दी, इसलिए कि हमने उसकी ज़ीनत को, उसकी औरतों को, उसके खाने पीने को देखा और आख़िरत की चीज़ें हमसे पोशीदा थीं, पस इस मौजूद चीज़ में लग गये और उस वायदे की चीज़ को छोड़ दिया।

क़तादा रज़ि॰ कहते हैं कि तमाम लोग हाज़िर (यानी दुनिया में मौजूद चीज़) में लग गए और उसको इख़्तियार कर लिया। सिवाए उनके जिनको अल्लाह ने महफ़ूज़ रखा, हालांकि आख़िरत भलाई में बढ़ी हुई थी। और देरपा थी।

हज़रत अनस रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' बन्दों को अल्लाह जल्ल शानुहू की नाराज़ी से महफ़ूज़ रखता है। जब तक कि दुनिया को दीन पर तर्जीह न दें और जब दुनिया को दीन पर तर्जीह देने लगें तो 'ला इला-ह इल्ल-ल्लाहु' भी उन पर लौटा दिया जायेगा और यह कहा जायेगा कि तुम झूठ बोलते हो।

एक दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद मनक़ूल है कि जो शख़्स –

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَاشَرِیْکَ لَہٗ

ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरी-क लहू॰ की शहादत लेकर आये, वह जन्नत में दाख़िल होगा, जब तक कि उसके साथ दूसरी चीज़ न मिला दे। (यानी अपने इस कलाम में खोट और मैल पैदा न कर दे।)

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन मर्तबा यही बात इर्शाद फ़रमायी, मज्मा चुप-चाप था (हुज़ूर सल्ल॰ ग़ालिबन इस बात के मुनतज़िर थे कि कोई पूछे और मज्मा अदब और रौब की वजह से चुप था) दूर से एक शख़्स

ने दर्याफ़्त किया, या रसूलल्लाह मेरे मां बाप आप पर क़ुर्बान ! दूसरी चीज़ मिलाने का क्या मतलब है ? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, दुनिया की मुहब्बत और उसको तर्जीह देना और उसके लिए माल जमा करके रखना और ज़ालिमों का सा बर्ताव करना।

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जो शख़्स दुनिया से मुहब्बत रखता है, वह आख़िरत को नुक़्सान पहुँचाता है और जो आख़िरत से मुहब्बत रखता है, वह दुनिया को नुक़्सान पहुँचाता है, पस ऐसी चीज़ की (यानी आख़िरत की) मुहब्बत को तर्जीह दो जो बाक़ी रहने वाली है। उस चीज़ (यानी दुनिया) पर जो फ़ना हो जाने वाली है।

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि दुनिया उस शख़्स का घर है, जिसका आख़िरत में घर नहीं और उस शख़्स का माल है, जिसका आख़िरत में माल नहीं और उसके लिए वही शख़्स जमा करता है जिसको अक़्ल नहीं।

एक और हदीस में है कि अल्लाह तआला के नज़दीक उसकी मख़्लूक़ात में से कोई चीज़ दुनिया से ज़्यादा मब्ग़ूज़ (नापसन्दीदा) नहीं है और उसने जब से उसको पैदा किया है, कभी भी उसकी तरफ़ नज़रे इल्तिफ़ात नहीं फ़रमायी।

एक और हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ है कि दुनिया की मुहब्बत हर ख़ता की जड़ है।

(दुर्रे मंसूर)

रिसाले के ख़त्म पर छठी फ़स्ल में दुनिया और आख़िरत के मुताल्लिक़ बहुत सी आयात और अहादीस का ज़िक्र इख़्तिसार के साथ आ रहा है, उन आयात के अलावा जो अब तक ज़िक्र हो गयी हैं और भी बहुत सी आयात में अल्लाह जल्ल शानुहू की राह में ख़र्च करने की तर्ग़ीब वारिद हुई है और जिस बात को अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने पाक कलाम में बार बार मुख़्तलिफ़ उन्वान से मुतअद्दद तरह की तर्ग़ीबों से ज़िक्र फ़रमाया हो, उसकी अहमियत का क्या पूछना, बिलख़ुसूस जब कि यह सब कुछ उसी का अता किया हुआ है।

एक शख़्स किसी अपने नौकर को कुछ रूपये देकर यह कहता है कि इसको अपनी ज़रूरियात में ख़र्च कर लो और मेरी ख़ुशी यह है कि इसमें से कुछ पस अंदाज़ करके फ़लाँ जगह भी ख़र्च कर देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो

मैं इससे बहुत ज़्यादा दूँगा। हर शख़्स समझ सकता है कि ऐसी हालत में कौन ऐसा होगा जो उसमें से पस अंदाज़ करके उस जगह इस उम्मीद पर ख़र्च न करेगा कि इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह जल्ल शानुहू के इतने इर्शादात के बाद फिर अहादीस के ज़िक्र करने की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती, लेकिन चूँकि अहादीस भी अल्लाह जल्ल शानुहू के पाक कलाम की तौज़ीह और तफ़्सीर ही हैं इसलिए तक्मील के तौर पर कुछ अहादीस का तर्जुमा भी लिखा जाता है-

अहादीस

(۱) عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةؓ قال قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم
لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی ان لا یمر علی ثلث لیال وعندی
منه شئی الاشئی ارصده لدین رواه البخاری (مشکوٰة)

1. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है कि अगर मेरे पास उहद के पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मुझे यह बात पसंद नहीं कि मेरे ऊपर तीन दिन गुज़र जाएं इस हाल में कि मेरे पास उसमें से कुछ भी हो अलावा इसके कि कोई चीज़ अदा-ए-क़र्ज के लिए रख ली जाए। *(मिश्कात)*

फ़ायदा:- उहद का पहाड़ मदीना तय्यिबा का मशहूर पहाड़ है जो बहुत बड़ा पहाड़ है। हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि अगर उसके बराबर सोना मेरे पास हो तो मेरी ख़्वाहिश यह है कि तीन दिन के अंदर-अंदर उस सब को तक़्सीम कर दूँ। कुछ भी अपने पास न रखूं। तीन दिन की क़ैद नहीं है इसलिए ज़िक्र फ़रमाया कि इतनी बड़ी मिक़्दार के ख़र्च करने के लिए कुछ न कुछ वक़्त तो लगेगा ही अलबत्ता अगर क़र्ज़ ज़िम्मे हो और जिसको देना है वह उस वक़्त मौजूद न हो तो उसको अदा करना चूंकि सदक़े से मुक़द्दम है इसलिए उसके अदा करने के लिए कुछ रोकना और महफ़ूज़ रखना पड़े तो दूसरी जानिब इससे ज़्यादा अहमियत क़र्ज़ के अदा करने की साबित होती है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की यह ख़ुसूसी आदते शरीफ़ा थी कि ज़ख़ीरा रखने का वहां गुज़र ही न था। हज़रत अनस रज़ि॰ जो हुज़ूर सल्ल॰ के मख़्सूस ख़ादिम, हर वक़्त के मशहूर ख़िदमत गुज़ार हैं, फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ कल के लिए कोई चीज़ ज़ख़ीरा बना कर नहीं रखते थे।

हज़रत अनस रज़ि॰ ही से दूसरी हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में कहीं से तीन परिन्द आए। उनमें से एक हुज़ूर सल्ल॰ ने अपने ख़ादिम को मरहमत फ़रमा दिया। दूसरे दिन वह ख़ादिम उस परिन्द को लेकर हाज़िर हुए। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया मैं ने तुम्हें मना नहीं कर रखा कि कल के वास्ते कोई चीज़ न रखो, कल की रोज़ी अल्लाह जल्ल शानुहू खुद मरहमत फ़रमाएंगे।

हज़रत समुरा रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद नक़ल करते हैं कि मैं कई मर्तबा दोबारी को महज़ इसलिए देखने जाता हूँ कि कहीं उसमें कोई चीज़ पड़ी न रह जाए और मेरी मौत इस हाल में आ जाए कि वह मेरे पास हो।

(तर्ग़ीब)

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ मशहूर सहाबी हैं, बड़े ज़ाहिद हज़रात में थे। माल से अदावत के उनके बहुत से अजीब वाक़िआत हैं, जिनमें से एक अजीब क़िस्सा आयात के तहत में नं॰11 पर गुज़र चुका है, उनसे भी यह हदीस नक़ल की गयी है। कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ के साथ था। हुज़ूर सल्ल॰ ने उहद पहाड़ को देखकर यह फ़रमाया कि अगर यह पहाड़ सोने का बन जाए तो मुझे यह पसंद नहीं कि उसमें से एक दीनार भी मेरे पास तीन दिन से ज़्यादा ठहरे, मगर वह दीनार जिसको मैं क़र्ज़ के अदा करने के लिए महफ़ूज़ रखूं। फिर हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि बहुत ज़्यादा माल वाले ही अक्सर कम सवाब वाले हैं, मगर वह शख़्स जो इस तरह, इस तरह अदा करे।

हदीस नक़ल करने वाले ने इस तरह इस तरह की सूरत दोनों हाथ मिला कर दाएं बाएं जानिब करके बतायी यानी दोनों हाथ भर कर दाएं तरफ़ वाले को दे दे और बाएं तरफ़ वाले को, यानी हर शख़्स को खूब तक़सीम करे।

(बुख़ारी)

इन्हीं हज़रत का एक और क़िस्सा मिश्कात शरीफ़ में आया है कि यह हज़रत उस्मान रज़ि॰ के ज़माना-ए-ख़िलाफ़त में उनकी ख़िदमत में हाज़िर थे। हज़रत उस्मान रज़ि॰ ने हज़रत काब रज़ि॰ से कहा कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ि॰ का इंतिक़ाल हो गया और उन्होंने तर्के में माल छोड़ा है, तुम्हारा क्या ख़्याल है, कुछ ना-मुनासिब तो नहीं हुआ? काब रज़ि॰ ने फ़रमाया अगर वह इस माल में अल्लाह के हुक़ूक़ को अदा करते रहे हों तो फिर क्या मुज़ाइक़ा है? हज़रत अबूज़र रज़ि॰ के हाथ में एक लकड़ी थी। उससे हज़रत काब रज़ि॰ को मारना

शुरू कर दिया कि मैं ने ख़ुद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि अगर यह पहाड़ सोने का हो जाए और मैं उसको सब को ख़र्च कर दूं और वह क़ुबूल हो जाए तो मुझे यह पसंद नहीं कि मैं उसमें से छः औक़िया भी अपने बाद छोड़ूं। इसके बाद अबूज़र रज़ि॰ ने हज़रत उस्मान रज़ि॰ से कहा कि मैं तुम्हें क़सम देकर पूछता हूँ, क्या हुज़ूर सल्ल॰ से तुमने यह हदीस तीन मर्तबा सुनी है? हज़रत उस्मान रज़ि॰ ने कहा बेशक सुनी है।

इनका एक और क़िस्सा बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरह में आया है। अह्नफ़ बिन क़ैस रज़ि॰ कहते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा में क़ुरैश की एक जमाअत के पास बैठा था। एक साहब तशरीफ़ लाए, जिनके बाल सख़्त थे। (यानी तेल वग़ैरह लगा हुआ नहीं था) कपड़े भी मोटे थे हैअत भी ऐसी ही थी यानी बहुत मामूली सी। उस मज्मे के पास खड़े होकर अव्वल सलाम किया, फिर फ़रमाया कि ख़ज़ाना जमा करने वालों को ख़ुशख़बरी दो उस पत्थर की जो जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर वह उनके पिस्तान पर रख दिया जाएगा, जिसकी शिद्दत और गर्मी से गोश्त वग़ैरह पक कर मोंढ़े के ऊपर से उबलने लगेगा फिर वह पत्थर मोंढ़े पर रखा जाएगा तो वह सब कुछ पिस्तान से बहने लगेगा। यह कह कर वह मस्जिद के एक स्तून के पास जाकर बैठ गये। अह्नफ़ रज़ि॰ कहते हैं कि मैं उनको जानता न था कि यह कौन बुज़ुर्ग हैं। मैं उनकी बात सुनकर उनके पीछे पीछे चल दिया और उसी स्तून के पास बैठ गया और मैंने अर्ज़ किया कि उस मज्मे वालों ने आप की बात की तरफ़ कुछ तवज्जोह नहीं की, बल्कि उस गुफ़्तगू को नापसंद समझा। वह फ़रमाने लगे ये बेवक़ूफ़ हैं, कुछ समझते नहीं हैं। मुझ से मेरे महबूब ने कहा है। अह्नफ़ ने पूछा कि आपके महबूब कौन हैं? कहने लगे हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम। ऐ अबूज़र तुम उहद का पहाड़ देखते हो, मैं यह समझा कि किसी जगह काम को भेजना मक़्सूद है, इसलिए यह दिखलाना है कि कितना दिन बाक़ी है। मैं ने कहा जी हाँ, देख रहा हूँ। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि अगर मेरे पास इस पहाड़ के बराबर सोना हो तो मेरा दिल चाहता है कि इस सारे को ख़र्च कर दूँ, मगर तीन दीनार (जिनका बयान दूसरी रिवायात में है।) इसके बाद अबूज़र रज़ि॰ ने कहा लेकिन ये लोग समझते नहीं, दुनिया को जमा करते जाते हैं और मुझे ख़ुदा की क़सम! न तो उनसे दुनिया की तलब, न दीन का इस्तिफ़्ता करना है (फिर मैं क्यूँ दबूँ, मुझे तो साफ़ साफ़ कहना है। *(फ़त्ह)*

हज़रत अबूज़र रज़ि॰ का एक वाक़िआ दूसरी फ़स्ल के सिलसिला-ए-आयत में नं॰ 5 पर भी आ रहा है।

(٢) عَنْ ابی هریرةؓ قال قال رسولُ الله صلی اللّٰهُ علیه وسلم مامن یوم یصبح العباد فیه الاملکان ینزلان فیقول احدهما اللّٰهمّ اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللّٰهمّ اعط ممسکا تلفا متفق علیه ۔ (مشکوٰة)

2. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि रोज़ाना सुबह के वक़्त दो फ़रिश्ते (आसमान से) नीचे उतरते हैं। एक दुआ करता है ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को बदल अता फ़रमा। दूसरा फ़रिश्ता दुआ करता है, ऐ अल्लाह रोक कर रखने वाले का माल बर्बाद कर। *(मिश्कात)*

फ़ायदाः- क़ुरआन पाक की आयात में भी नं॰ 20 पर जो आयत गुज़री है उससे इसकी ताईद होती है जिसका मज़्मून यह है कि जो कुछ तुम ख़र्च करोगे, अल्लाह तआला उसका बदल अता करेगा और उस जगह और भी मुतअद्दद रिवायात इसकी ताईद में गुज़र चुकी हैं।

हज़रत अबूदर्दा रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि जब भी आफ़्ताब निकलता होता है तो उसकी दोनों तरफ़ फ़रिश्ते एलान करते हैं जिसको जिन्न व इन्स के सिवा सब सुनते हैं कि ऐ लोगों! अपने रब की तरफ़ चलो, थोड़ी चीज़ जो किफ़ायत का दर्जा रखती हो उस ज़्यादा मिक़्दार से बहुत बेहतर है जो अल्लाह से ग़ाफ़िल कर दे और जब आफ़्ताब छुपता है, तो उसके दोनों जानिब दो फ़रिश्ते ज़ोर से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ख़र्च करने वाले को बदल अता फ़रमा और रोक कर रखने वाले के माल को बर्बाद कर। *(ऐनी, अहमद की रिवायत)*

एक हदीस में है कि जब आफ़्ताब तुलूअ् होता है तो उसके दोनों जानिब दो फ़रिश्ते आवाज़ देते हैं कि या अल्लाह, ख़र्च करने वाले का बदल जल्दी अता फ़रमा और या अल्लाह, रोक कर रखने वाले के माल को जल्दी हलाक फ़रमा।

एक और हदीस में है कि आसमान में दो फ़रिश्ते हैं जिनके मुताल्लिक़ सिर्फ़ यही काम है कोई दूसरा काम नहीं, एक कहता रहता है, या अल्लाह, ख़र्च

करने वाले को बदल अता कर। दूसरा कहता है, या अल्लाह, रोक कर रखने वाले को हलाकत अता फ़रमा। *(कन्ज़)*

इससे मालूम होता है कि सुबह व शाम की ख़ुसूसियत नहीं। उनकी हर वक़्त यही दुआ है।, लेकिन पहली रिवायत की बिना पर मालूम होता है कि ये फ़रिश्ते आफ़्ताब निकलने के वक़्त और ग़ुरूब के वक़्त ख़ास तौर से यह दुआ करते हैं और मुशाहिदा और तजुर्बा भी इसकी ताईद करता है कि माल जमा करके रखने वालों पर अक्सर ऐसी चीज़ें मुसल्लत हो जाती हैं, जिनसे वह सब ज़ाया हो जाता है। किसी पर मुक़द्दमा मुसल्लत हो जाता है, किसी पर आवारगी सवार हो जाती है, किसी के चोर पीछे लग जाते हैं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० ने लिखा है कि बर्बादी कभी तो बेऐनिही उस माल की होती है और कभी साहबे माल की, यानी वह ख़ुद ही चल देता है। और कभी बर्बादी नेक आमाल के ज़ाया होने से होती है कि वह उसमें फंस कर नेक आमाल से जाता रहता है और इसके बिल्-मुक़ाबिल जो ख़र्च करता है उसके माल में बरकत होती है बल्कि एक हदीस में आया है कि जो शख़्स सद्क़ा अच्छी तरह करता है, हक़ तआला शानुहू उसके तर्के में अच्छी तरह नियाबत करते हैं। *(एहया)*

यानी उसके मरने के बाद भी उसका माल वारिस बर्बाद नहीं करते, लग्व (बेकार) चीज़ों में ज़ाया नहीं करते, वरना अक्सर रईसों के लड़के बाप के माल का जो हश्र करते हैं, वह मालूम ही है।

इमाम नववी रह० ने लिखा है कि जो ख़र्च पसंदीदा है वह वही ख़र्च है जो नेक कामों में हो, अह्ल व आयाल के नफ़्क़े में हो, या मेहमानों पर ख़र्च हो या दूसरी इबादतों में हो।

क़ुर्तबी रह० कहते हैं कि यह फ़र्ज़ इबादत और नफ़्ल इबादत दोनों को शामिल है, लेकिन नवाफ़िल से रोकने वाला बद्-दुआ का मुस्तहिक़ नहीं होता, मगर यह कि उसकी तबीअत पर ऐसा बुख़्ल मुसल्लत हो जाए, जो वाजिबात में भी ख़ुशी से ख़र्च न करे। (फ़क़त) लेकिन आइन्दा हदीस तअ्मीम[1] की तरफ़ इशारा करती है।

1. यानी आम हुक्म की तरफ़

(۳) عَن ابی امامةؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابداء بمن تعول رواه مسلم(مشكوٰة)

3. हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि आदम के बेटे तू ज़रूरत से ज़ायद माल को ख़र्च कर दे यह तेरे लिए बेहतर है और तू उसको रोक कर रखे तो यह तेरे लिए बुरा है और बक़द्र किफ़ायत रोकने पर मलामत नहीं और ख़र्च करने में जिनकी रोज़ी तेरे ज़िम्मे है, उनसे इब्तिदा कर (कि उन्हीं पर ख़र्च करना दूसरों से मुक़द्दम है।)

फ़ायदाः- इस मज़्मून की ताईद भी आयात में नं॰ 4 पर गुज़र चुकी है कि हक़ तआला शानुहू ख़ुद ही फ़रमा चुके हैं कि जितना ज़ायद हो वह ख़र्च कर दो। उस जगह यह हदीस शरीफ़ भी गुज़र चुकी है, एहतिमाम और तौज़ीह की वजह से यहां दोबारा ज़िक्र की गयी। हक़ीक़त यही है कि अपने से जो माल ज़ायद हो वह जमा करके रखने के वास्ते है ही नहीं। उसके लिए बेहतरीन बात यही है कि वह अल्लाह के बैंक में जमा कर दिया जाए, जिसको कोई ज़वाल नहीं, उस पर कोई आफ़त नहीं आती और ऐसे सख़्त मुसीबत के वक़्त काम आने वाला है, जिस वक़्त के मुक़ाबले में यहां की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। और वहां उस वक़्त कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। असासा सिर्फ़ वही होगा जो अपने साथ ले गया है।

दूसरी चीज़ इस हदीस शरीफ़ में यह है कि बक़द्र किफ़ायत रोकने पर मलामत नहीं यानी जितने की वाक़ई ज़रूरत हो कि उसके बग़ैर गुज़र मुश्किल हो या दस्ते सवाल दराज़ करना पड़े उसको महफ़ूज़ रखने पर इल्ज़ाम नहीं है और जिनकी रोज़ी अपने ज़िम्मे है, अह्ल व अयाल हों या दूसरे लोग हों हत्ताकि जानवर भी, अगर मह्बूस कर रखा है तो उसकी ख़बरगीरी अपने ज़िम्मे है उसको ज़ाया और बर्बाद करने का गुनाह और वबाल होता है।

हदीस पाक में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि आदमी के गुनाह के लिए यही बहुत है कि जिसकी रोज़ी उसके ज़िम्मे हो उसको ज़ाया कर दे।

(मिश्कात)

अब्दुल्लाह बिन सामित रज़ि॰ कहते हैं कि मैं हज़रत अबूज़र रज़ि॰ के साथ था कि उनका वज़ीफ़ा जो बैतुलमाल में था, वह उनको मिला वह अपनी ज़रूरियात ख़रीदने के लिए जा रहे थे उनकी बांदी साथ थी जो उनकी ज़रूरतें मुहय्या कर रही थी। उसके पास ज़रूरी चीज़ों के बाद सात अशर्फ़ियां बच गयीं। उन्होंने बांदी से फ़रमाया कि इन के पैसे ले आ (ताकि उनको तक़्सीम कर दें) मैं ने कहा कि अगर इन अशर्फ़ियों को आप अभी रहने दें कि और ज़रूरत पेश आएंगी, मेहमान भी आते रहते हैं। फ़रमाया कि मुझ से मेरे दोस्त (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह क़रारदाद की थी कि जो सोना या चांदी बांध कर रखा जाएगा, वह मालिक पर आग की चिंगारी है, जब तक कि उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च न कर दिया जाए। *(तर्ग़ीब)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ़ से अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ को ख़र्च कर देने की इतनी तर्ग़ीबात वारिद हुई हैं कि कुछ सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ को यह ख़्याल होने लगा कि आदमी को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ रखने का हक़ ही नहीं।

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हम हुज़ूर सल्ल॰ के साथ एक सफ़र में जा रहे थे कि एक शख़्स अपनी ऊँटनी को कभी इधर कभी उधर ले जाते थे। इस पर हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि जिस शख़्स के पास सवारी ज़ायद हो वह उस को दे दे जिसके पास सवारी नहीं, और जिसके पास तोशा ज़ायद हो वह उसको दे दे जिसके पास तोशा नहीं, यहां तक कि हमें यह गुमान होने लगा कि आदमी का अपनी ज़रूरत से ज़्यादा में कोई हक़ ही नहीं। *(अबू दाऊद)*

उन साहब का अपनी ऊँटनी को इधर उधर फिराना या तो उस पर तफ़ाखुर और बड़ाई की वजह से था, तब तो हुज़ूर सल्ल॰ के आइंदा इर्शाद के मुख़ातिब यही साहब हैं और हासिल यह है कि ज़रूरत से ज़ायद चीज़ तफ़ाख़ुर[1] के लिए नहीं होती, दूसरों की मदद के लिए होती है और कुछ उलमा ने कहा है कि यह फिराना उसकी ना क़ाबिले बयान हालत दिखाने के वास्ते सूरते सवाल था, इस सूरत में हुज़ूर सल्ल॰ के इर्शाद के मुख़ातब दूसरे हज़रात हैं।

1. यानी घमण्ड और बड़ाई के लिए नहीं।

(٤) عن عقبة بن الحارثؓ قال صليت وراء النبی صلی الله علیه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعًا فتخطی رقاب الناس الی بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج علیهم فرانی انهم قدعجبوا من سرعته قال ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرهت ان یحبسنی فامرت بقسمته رواه البخاری (مشکوٰة)

4. उक़्बा रज़ि॰ कहते हैं कि मैं ने मदीना तय्यिबा में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे अस्र की नमाज़ पढ़ी। हुज़ूर सल्ल॰ ने नमाज़ का सलाम फेरा और थोड़ी देर बाद उठकर निहायत जल्दी के साथ लोगों के मोंढों से गुज़रते हुए अज़्वाजे मुतह्हरात के घरों में से एक घर में तशरीफ़ ले गए। लोगों में हुज़ूर सल्ल॰ के इस तरह जल्दी तशरीफ़ ले जाने से तश्वीश पैदा हुई कि न मालूम क्या बात पेश आ गयी। हुज़ूर सल्ल॰ मकान से वापस तशरीफ़ लाये तो लोगों की हैरत को महसूस फ़रमाया। इस पर हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि मुझे सोने का एक टुकड़ा याद आ गया था जो घर में रह गया था। मुझे यह बात गरां गुज़री (कि कभी मौत आ जाये और वह रह जाए और मैदाने हश्र में उसकी जवाब दही और उसका हिसाब) मुझे रोक ले, इसलिए उसको जल्दी बांट देने को कह कर आया हूँ। *(मिश्कात)*

फ़ायदा:– इसी क़िस्से में दूसरी हदीस में है कि मुझे यह बात नापसंद हुई कि कहीं मैं उसको भूल जाऊँ और वह रात को मेरे पास रह जाए। इस से भी बढ़कर एक और क़िस्सा हदीस में आया है। हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की बीमारी में हुज़ूर सल्ल॰ के पास छः सात अशर्फ़ियां थीं (उसी वक़्त कहीं से आ गयी होंगी) हुज़ूर सल्ल॰ ने मुझे हुक्म फ़रमाया कि उन को जल्दी से बांट दो। हुज़ूर सल्ल॰ की बीमारी की शिद्दत की वजह से मुझे तक़्सीम करने की मोहलत न मिली। हुज़ूर सल्ल॰ ने दयार्फ़्त फ़रमाया कि वे अशर्फ़ियां तक़्सीम कर दीं? मैं ने अर्ज़ किया आपकी बीमारी ने बिल्कुल मोहलत न दी, फ़रमाया उठाकर लाओ, उनको लेकर हाथ पर रखा और फ़रमाया कि अल्लाह के नबी का क्या गुमान है (यानी उसको

किस क़दर नदामत होगी) कि अगर वह इस हाल में अल्लाह जल्ल शानुहू से मिले कि ये उस के पास हों। *(मिश्कात)*

एक और हदीस में हज़रत आइशा रज़ि॰ से इसी क़िस्म का एक और क़िस्सा नक़ल किया गया, जिसमें वारिद है कि रात ही को कहीं से आ गयी थीं। हुज़ूर सल्ल॰ की नींद उड़ गयी। जब अख़ीर रात में मैं ने उनको ख़र्च कर दिया जब नींद आयी। *(एहया)*

हज़रत सुहैल रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ के पास सात अशर्फ़ियां थीं, जो हज़रत आइशा रज़ि॰ के पास रखी थीं, हुज़ूर सल्ल॰ ने हज़रत आइशा रज़ि॰ से फ़रमाया कि वह अली रज़ि॰ के पास भेज दो। यह फ़रमाने के बाद हुज़ूर सल्ल॰ पर ग़शी तारी हो गयी जिसकी वजह से हज़रत आइशा रज़ि॰ उसमें मश्ग़ूल हो गयीं। थोड़ी देर बाद इफ़ाक़ा हुआ तो फिर यही फ़रमाया और फिर ग़शी हो गयी। बार बार ग़शी हो रही थी। आख़िर हुज़ूर सल्ल॰ के बार बार फ़रमाने पर हज़रत आइशा रज़ि॰ ने हज़रत अली रज़ि॰ के पास वे भेज दीं। उन्होंने तक़्सीम फ़रमा दीं। यह क़िस्सा तो दिन में गुज़रा और शाम को पीर की रात हुज़ूर सल्ल॰ की ज़िंदगी की आख़िरी रात थी। हज़रत आइशा रज़ि॰ के घर में चिराग़ में तेल भी न था। एक औरत के पास चिराग़ भेजा कि हुज़ूर सल्ल॰ की तबीअत ज़्यादा ख़राब है, विसाल का वक़्त क़रीब है, इस में घी डाल दो कि उसी को जला लें। *(तर्ग़ीब)*

हज़रत उम्मे सलमा रज़ि॰ से इस क़िस्म का एक और क़िस्सा नक़ल किया गया, वह फ़रमाती हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ तशरीफ़ लाये और आप के चेहरा-ए-मुबारक पर तग़य्युर (गरानी) का असर था। मैं यह समझी कि तबीअत नासाज़ है। मैं ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! आप के चेहरे पर कुछ गरानी का असर है। क्या बात हुई? फ़रमाया सात दीनार रात आ गये थे, वे बिस्तरे के कोने पर पड़े हैं, अब तक ख़र्च नहीं हुए। *(इराक़ी एहया)*

हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हदाया तो आते ही रहते थे, लेकिन दिन हो या रात, सेहत हो या बीमारी, उस वक़्त तक तबीअत मुबारक पर बोझ रहता था जब तक वे ख़र्च न जो जाएं और हद है कि अपने घर में बीमारी की शिद्दत में रात को जलाने के लिए तेल भी नहीं, लेकिन सात अशर्फ़ियां मौजूद होने पर भी घर की ज़रूरत का न हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ख़्याल आया, न उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि॰ को ही याद आया कि थोड़ा सा

तेल भी मंगा लें, मुझे अपने वालिद साहब नव्वरल्लाहु मर्क़दहू का यह मामूल देखने का बारहा मौक़ा मिला कि रात को वह अपनी मिल्क में कोई रूपया पैसा नहीं रखना चाहा करते थे। क़र्ज़ा तो हमेशा ही सर रहा हत्ता कि विसाल के वक़्त भी सात आठ हज़ार रूपया क़र्ज़ था। इसलिए रात को अगर रूपयों की कोई मिक़्दार होती तो वह किसी क़र्ज़ख़्वाह के हवाले कर देते और पैसे होते तो वे बच्चों में से किसी को दे देते और फ़रमाया करते थे मेरा नहीं जी चाहता कि रात को यह गंदगी मेरे पास रहे, मौत का एतिबार नहीं है। इस से बढ़कर मैंने हज़रते अक़्दस क़ुद्वतुज़्ज़ाहिदीन शाह अब्दुर्रहीम साहब रायपुरी नव्वरल्लाहु मर्क़दहू के मुताल्लिक़ सुना है कि हज़रत के पास फ़ुतूहात की कसरत थी और जब कुछ जमा हो जाता तो बहुत एहतिमाम से उसको ख़ैर के मौक़ों में तक़्सीम फ़रमा दिया करते। इसके बाद फिर कहीं से कुछ आ जाता तो चेहरा-ए-मुबारक पर गरानी के आसार होते और इर्शाद फ़रमाते कि यह और आ गया। आख़िर में हज़रत रह॰ ने अपने पहनने के कपड़े भी तक़्सीम फ़रमा दिये थे और अपने मख़्सूस ख़ादिम हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब[1] ज़ा द मज्दुहुम से फ़रमाया था कि बस, अब तो तुम से कपड़ा मुस्तआर (मांगा हुआ) लेकर पहन लिया करूँगा। अल्लाह के औलिया की शानें और अंदाज़ भी अजीब हुआ करते थे। यह भी एक वल्वला है कि जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएं, इस दुनिया के मताअ् का ज़ख़ीरा मिल्क में न हो।

(٥) عن ابی ھریرۃؓ قال قال رجل یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرًا قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشی الفقر وتامل الغنی ولا تمھل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان متفق علیہ (مشکوٰۃ)

5. एक आदमी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! कौन सा सदक़ा सवाब के एतिबार से बढ़ा हुआ है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया यह कि तू सदक़ा ऐसी हालत में करे कि तन्दरूस्त हो, माल की हिर्स दिल में हो, अपने फ़क़ीर हो जाने का डर हो, अपने मालदार होने की तमन्ना हो और सदक़ा करने को उस वक़्त तक मुअख़्ख़र न कर कि रूह हलक़ तक

1. हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर साहिब रायपुरी रह॰ ने भी 16 अगस्त 1962 ई॰ को विसाल फ़रमाया।

पहुँच जाये, यानी मरने का वक़्त क़रीब आ जाये, तो तू यों कहे कि इतना माल फ़लां-फ़लां (मस्जिद) का और इतना माल फ़लां (मदरसे) का, हालांकि अब माल फ़लां (वारिस) का हो गया। *(मिश्कात)*

फ़ायदाः- फ़लां (वारिस) का हो गया, का मतलब यह है कि वारिस का हक़ उसमें शामिल हो गया, इसलिए वसीयत सिर्फ़ एक तिहाई में हो सकती है और मौत की बीमारी के सदक़ात भी तिहाई में हो सकते हैं। इससे ज़्यादा हक़ मरने वाले को नहीं है। इसी वास्ते एक और हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि आदमी कहता है। कि मेरा माल, मेरा माल ! हालांकि उसका माल सिर्फ़ तीन चीज़ें है, जो खा लिया, या पहन लिया, या अल्लाह के ख़ज़ाने में सदक़ा कर के जमा कर दिया, इसके अलावा जो रह गया, वह जाने वाला है। यानी यह शख़्स उसको लोगों के लिए छोड़ने वाला है। *(मिश्कात)*

एक और हदीस में है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में एक दिरम सदक़ा कर दे, वह इससे बेहतर है कि मरते वक़्त सौ दिरम सदक़ा करे। *(मिश्कात)*

इसलिए कि वाक़ई मरते वक़्त तो वह गोया दूसरे के माल में से सदक़ा कर रहा है कि अब उसका क्या रहा। उसको तो बहरहाल इस माल को छोड़कर जाना है।

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद नक़ल किया गया कि जो शख़्स मरते वक़्त सदक़ा करता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसांकि कोई शख़्स जब ख़ूब पेट भर ले तो बचे हुए खाने का हद्या तोहफ़ा किसी के पास लेकर जाए। *(मिश्कात)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुख़्तलिफ़ मिसालों से इस पर तंबीह फ़रमायी कि असल सदक़े का वक़्त तन्दरूस्ती और सेहत का है कि अपने नफ़्स से असल मुक़ाबला उसी वक़्त है लेकिन इन सब का यह मतलब नहीं कि मरते वक़्त सदक़ा या वसीयत बेकार है, बहरहाल सवाब उसका भी है, ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत वह भी बनता है, अलबत्ता इतना सवाब नहीं होता, जितना अपनी ज़रूरतों और राहतों के मुक़ाबले में सदक़ा करने का सवाब है। हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ○

तर्जुमाः- तुम पर यह फ़र्ज़ किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मौत आने लगे, अगर वह माल छोड़े तो वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों के लिए कुछ वसीयत कर जाये, जो मारूफ़ तरीक़े पर हो जिनको ख़ुदा का ख़ौफ़ है, उनके ज़िम्मे यह ज़रूरी चीज़ है।

(सूरः बक़र, रूकूअ़ 22,)

यह हुक्म जो इस आयते शरीफ़ा में ज़िक्र किया गया, इब्तिदा-ए-इस्लाम का है।, उस वक़्त माँ बाप के लिए यही वसीयत फ़र्ज़ थी। इसके बाद जब मीरास का हुक्म नाज़िल हुआ, तो वालिदैन और जिन रिश्तेदारों का हक़ शरीअत ने मुक़र्रर कर दिया, उनके लिए वसीयत का हुक्म मंसूख़ (ख़त्म) हो गया, लेकिन जिन रिश्तेदारों का हक़ शरीअत ने मुक़र्रर नहीं किया उनके लिए एक तिहाई माल में वसीयत का हक़ अब भी बाक़ी है, लेकिन मीरास के हुक्म से पहले यह फ़र्ज़ था, अब फ़र्ज़ नहीं है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि इस आयते शरीफ़ा के हुक्म से उनको वसीयत मंसूख़ हो गयी जो वारिस बनते हैं। और जो वारिस नहीं बनते, उनको वसीयत मंसूख़ नहीं हुई है।

क़तादा रज़ि॰ कहते हैं कि इस आयते शरीफ़ा में वसीयत अब उन के लिए रह गयी है जो वारिस नहीं होते, चाहे वे रिश्तेदार हों या न हों।

(दुर्रे मंसूर)

एक हदीस में अल्लाह जल्ल शानुहू का इर्शाद आया है कि ऐ आदम के बेटे! तू ज़िंदगी में बख़ील (कन्जूस) था, मरने के वक़्त इस्राफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्ची) करने लगा। दो बुराईयां इकट्ठा न कर। एक ज़िन्दगी में 'बुख़्ल' की, दूसरी मरने के वक़्त की, तू अपने ऐसे रिश्तेदारों को देख जो तेरी मीरास से महरूम हैं और उनके लिए कुछ वसीयत कर जा। *(कन्ज़)*

आयात नं॰ 2 पर ख़ुद हक़ तआला जल्ल शानुहू के पाक कलाम में भी इस तरफ़ इशारा गुज़र चुका है कि सदक़ा उस वक़्त का अफ़ज़ल है जबकि आदमी को माल की मुहब्बत सता रही हो, इसके मुक़ाबले में कि दिल सर्द हो चुका हो।

एक हदीस में है कि अल्लाह जल्ल शानुहू उस शख़्स से नाराज़ होते हैं। जो अपनी ज़िंदगी में तो बख़ील हो और मरने के वक़्त सख़ी हो। *(कन्ज़)*

इसलिए जो लोग सदक़ात व औक़ाफ़ में मरने के वक़्त का इंतिज़ार करते रहते हैं, यह पसंदीदा चीज़ नहीं है। अव्वल तो इसी का इल्म किसी को नहीं है कि कब और किस तरह मौत आ जाए।

मुतअद्द (कितने ही) वाक़िआत इस क़िस्म के क़ाबिले इब्रत देखने में आये कि मरने के वक़्त बहुत कुछ सदक़ात और औक़ाफ़ करने की उमंगें लोगों में थीं, लेकिन बीमारी ने ऐसा घेरा कि मोहलत ही न लेने दी। किसी पर फ़ालिज गिर गया, किसी की ज़बान बंद हो गयी, कहीं वारिस तीमारदार बीच में हायल हो गये और अगर इन सब अवारिज़ से बच कर उसकी नौबत आ भी जाए, जो बहुत कम आती है, तब भी वह दर्जा सवाब का तो होता नहीं, जो अपनी ख़्वाहिशात को नुक़्सान पहुँचा कर सदक़ा करने का है। अलबत्ता अगर अपनी ज़िन्दगी में कोताही से न कर सका हो, तो मरने ही के वक़्त को ग़नीमत समझे कि मरने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। सब दो चार दिन रोकर भूल जाते हैं, रोज़ाना के यह मुशाहदे हैं। जो कुछ ले जाना है ख़ुद अपने साथ ले जाओ, काम देगा।

(٦) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقۃ فخرج بصدقتہ فوضعہا فی ید سارق فاصبحوا یتحدثون تصدق اللیلۃ علی سارق فقال اللّٰہم لک الحمد علی سارق لا تصدقن بصدقۃ فخرج بصدقتہ فوضعہا فی ید زانیۃ فاصبحوا یتحدثون تصدق اللیلۃ علی زانیۃ فقال اللّٰہم لک الحمد علی زانیۃ لا تصدقن بصدقۃ فخرج بصدقتہ فوضعہا فی ید غنی فاصبحوا یتحدثون تصدق اللیلۃ علی غنی فقال اللّٰہم لک الحمد علی سارق وزانیۃ وغنی فاتی فقیل لہ اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ واما الزانیۃ فلعلہا ان تستعف عن زناہا واما الغنی فلعلہ یعتبر فینفق مما اعطاہ اللہ متفق علیہ (مشکوٰۃ)

6. (बनी इस्राईल के) एक आदमी ने अपने दिल में कहा कि सदक़ा करूँगा, चुनांचे रात को चुपके से एक आदमी के हाथ में माल

देकर चला आया। सुबह को लोगों में आपस में चर्चा हुआ कि रात कोई शख़्स एक चोर को सदक़ा दे गया। उस सदक़ा करने वाले ने कहा , या अल्लाह! उस चोर पर सदक़ा करने में भी तेरे ही लिए तारीफ़ है (कि इससे भी ज़्यादा बद-हाल को दिया जाता, तो भी मैं कर ही क्या सकता था?) फिर उसने दोबारा ठानी कि आज रात को फिर सदक़ा करूँगा। (कि पहला तो ज़ाया हो गया) चुनांचे रात को सदक़े का माल लेकर निकला और उसको एक औरत को दे आया (यह ख़्याल किया होगा कि यह तो चोरी क्या करेगी?) सुबह को चर्चा हुआ कि रात कोई शख़्स फ़लां बदकार औरत को सदक़ा दे गया। उसने कहा, या अल्लाह! तेरे ही लिए तारीफ़ है, ज़िना करने वाली औरत पर भी (कि मेरा माल तो इस से भी कम दर्जे के क़ाबिल था) फिर तीसरी मर्तबा इरादा किया कि आज रात को ज़रूर सदक़ा करूँगा। चुनांचे रात को सदक़ा लेकर गया और उस को एक शख़्स को दे दिया जो मालदार था। सुबह को चर्चा हुआ कि रात को एक मालदार को सदक़ा दिया गया। इस सदक़ा देने वाले ने कहा, या अल्लाह ! तेरे ही लिए तारीफ़ है, चोर पर भी, ज़िना करने वाली औरत पर भी और ग़नी पर भी। रात को ख़्वाब में देखा कि (तेरा सदक़ा क़ुबूल हो गया है) तेरा सदक़ा चोर पर इसलिये कराया गया कि शायद वह अपनी चोरी की आदत से तौबा कर ले और ज़ानिया पर इसलिए कि वह शायद ज़िना से तौबा कर ले (जब वह यह देखेगी कि बग़ैर मुंह काला कराये भी अल्लाह जल्ल शानुहू अता फ़रमाते हैं, तो उसको ग़ैरत आयेगी) और ग़नी पर इसलिए ताकि उसको इब्रत हासिल हो (कि अल्लाह के बन्दे किस तरह छुप कर सदक़ा करते हैं, इसकी वजह से) शायद वह भी उस माल में से जो उसको अल्लाह तआला ने अता फ़रमाया है, सदक़ा करने लगे।

फ़ायदा:- एक हदीस में यह क़िस्सा और तरह से ज़िक्र किया गया है। मुम्किन है कि वह कोई दूसरा क़िस्सा हो कि इस क़िस्म के मुतअद्दद वाक़िआत में कोई इश्काल नहीं और अगर वह यही क़िस्सा है तो इससे उस क़िस्से की कुछ वज़ाहत (ख़ुलासा) होती है।

ताऊस रह० कहते हैं कि एक शख़्स ने मन्नत मानी कि जो शख़्स सब से पहले इस आबादी में नज़र पड़ेगा उस पर सदक़ा करूँगा। इत्तिफ़ाक़ से सबसे

पहले एक औरत मिली, उसको सदके का माल दे दिया। लोगों ने कहा कि यह तो बड़ी ख़बीस औरत है। उस सदक़ा करने वाले ने इसके बाद जो शख़्स सबसे पहले नज़र पड़ा उसको माल दे दिया। लोगों ने कहा कि यह तो बद-तरीन शख़्स है। उस शख़्स ने इसके बाद जो सबसे पहले नज़र पड़ा उस पर सदक़ा किया। लोगों ने कहा कि यह तो सबसे मालदार शख़्स है। सदक़ा करने वाले को बड़ा रंज हुआ, तो उसने ख़्वाब में देखा कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने तेरे तीनों सदके क़ुबूल कर लिए। वह औरत फ़ाहिशा थी, लेकिन महज़ नादारी की वजह से उसने यह फ़ेल इख़्तियार कर रखा था। जब से तूने उसे माल दिया है, उसने यह बुरा काम छोड़ दिया। दूसरा शख़्स चोर था और वह भी तंगदस्ती की वजह से चोरी करता था, तेरे माल देने पर उसने चोरी से अलाहिदगी इख़्तियार कर ली। तीसरा शख़्स मालदार है और कभी सदक़ा न करता था, तेरे सदक़ा करने से उसको इब्रत हासिल हुई कि मैं इससे ज़्यादा मालदार हूँ इसलिए इससे ज़्यादा सदक़ा करने का मुस्तहिक़ हूँ, अब उसको सदक़ा करने की तौफ़ीक़ हो गयी। *(कन्ज़)*

इस हदीस शरीफ़ से यह बात वाज़ेह हो गयी कि अगर सदक़ा करने वाले की नीयत इख़्लास की हो और इसके बावजूद वह बेमहल पहुँच जाये तो इसमें भी अल्लाह जल्ल शानुहू की कोई हिक्मत होती है, इससे रंजीदा न होना चाहिए। आदमी का अपना काम यह है कि अपनी नीयत इख़्लास की रखे कि असल चीज़ अपना ही इरादा और फ़ेल है और इन सदक़ा करने वाले बुज़ुर्ग की फ़ज़ीलत भी ज़ाहिर है कि बावजूद अपनी कोशिश के जब सदक़ा बे जगह सर्फ़ हो गया तो उसकी वजह से बद दिल होकर सदक़ा करने का इरादा तर्क नहीं किया, बल्कि दोबारा तिबारा सदके को अपने मस्रफ़ पर ख़र्च करने की कोशिश करते रहे। यही वह उनका इख़्लास और नेक नीयती थी, जिसकी बरकत से तीनों सदके क़ुबूल भी हो गये और क़ुबूल की बशारत भी ख़्वाब में ज़ाहिर हो गयी।

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ फ़रमाते हैं कि इस हदीस से यह बात मालूम हुई कि अगर सदक़ा ज़ाहिर के एतिबार से अपने महल पर ख़र्च न हुआ हो तो उसको दोबारा अदा करना मुस्तहब है और दोबारा अदा करने से उकताना नहीं चाहिए। जैसा कि कुछ बुज़ुर्गों से मन्क़ूल है कि ख़िदमत को क़ता न कर, अगरचे क़ुबूल न होने के आसार ज़ाहिर हों।

अल्लामा ऐनी रह॰ फ़रमाते हैं कि इससे यह बात भी मालूम हुई कि

अल्लाह जल्ल शानुहू आदमी की नेक नीयती का बदला ज़रूर अता फ़रमाते हैं, इसलिए कि इन सदक़ा करने वालों ने ख़ालिस अल्लाह के वास्ते सदक़ा करने का इरादा किया था। (इसीलिए रात को छुपा कर दिया था) तो हक़ तआला शानुहू ने उसको क़ुबूल फ़रमाया और बे-महल ख़र्च हो जाने की वजह से मर्दूद नहीं हुआ।

(۷) عن علیؓ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بادروا
بالصدقة فان البلاء لا یتخطاها رواه رزین (مشکوٰة)

7. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि सदक़ा करने में जल्दी किया करो, इसलिए कि बला सदक़े को फांद नहीं सकती।

फ़ायदा:- यानी अगर कोई बला मुसीबत आने वाली होती है, तो वह सदक़ा की वजह से पीछे रह जाती है। एक ज़ईफ़ (कमज़ोर) हदीस में आया है कि सदक़ा बुराई के सत्तर दरवाज़ों को बंद करता है।

एक हदीस में आया है कि हुज़ूर सल्ल ने इर्शाद फ़रमाया, अपने मालों को ज़कात अदा करके पाक करो और अपने बीमारों का सदक़ा से इलाज करो और मुसीबतों की मौजों का दुआ से इस्तिक़बाल करो। *(तर्ग़ीब)*

कन्ज़ुल उम्माल में कई अहादीस के ज़ैल (तहत) में यह मज़्मून आया है कि अपने बीमारों की सदक़े से दवा किया करो और तजुर्बा भी इसका शाहिद है कि सदक़े की कसरत बीमारी से शिफ़ा है।

एक हदीस में आया है कि सदक़े से बीमारों का इलाज किया करो कि सदक़ा आबरू रेज़ियों को भी हटाता है और बीमारियों को भी हटाता है और नेकियों में इज़ाफ़ा करता है और उम्र बढ़ाता है। *(कन्ज़)*

एक हदीस में आया है कि सदक़ा करना सत्तर बलाओं को रोकता है, जिन में कम से कम दर्जा जुज़ाम और बर्स[1] की बीमारी है। *(कन्ज़)*

एक हदीस में आया है कि अपने तफ़क्कुरात और ग़मों की तलाफ़ी सदक़ा से किया करो, इससे हक़ तआला शानुहू तुम्हारी मज़र्रत को भी दफ़ा करेगा और तुम्हारी दुश्मन पर मदद करेगा। *(कन्ज़)*

1. कोढ और सफ़ेद दाग़ की बीमारी।

एक और सही हदीस में आया है कि जब कोई शख़्स किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाए तो जब तक पहनने वाले के बदन पर एक भी टुकड़ा उस कपड़े का रहेगा पहनाने वाला अल्लाह की हिफ़ाज़त में रहेगा।

इब्ने अबिल जअद रज़ि॰ कहते हैं कि सदक़ा बुराईयों के सत्तर दरवाज़े बंद करता है। *(एहया)*

एक हदीस में है कि सुबह को सवेरे सवेरे सदक़ा कर दिया करो, इसलिए कि बला सदक़े से आगे नहीं बढ़ती। *(तर्ग़ीब)*

आयात के ज़ैल में नं॰ 9 पर इब्ने अबिल जअद रज़ि॰ की नक़ल से एक वाक़िआ भी भेड़िए का गुज़र चुका है और मुतअद्दद रिवायात इस मज़्मून की गुज़र चुकी हैं। हज़रत अनस रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि सदक़ा हक़ तआला शानूहू के ग़ुस्से को दूर करता है और बुरी मौत को हटाता है। *(मिश्कात)*

उलमा ने लिखा है कि सदक़ा मरने के वक़्त शैतान के वस्वसे से महफ़ूज़ रखता है और मर्ज़ की शिद्दत की वजह से ना-शुक्री के अल्फ़ाज़ कहने से हिफ़ाज़त करता है और ना-गहानी मौत को रोकता है, ग़रज़ हुस्ने ख़ात्मा का मुईन (मददगार) है।[1]

एक हदीस में आया है कि सदक़ा क़ब्र की गर्मी को ज़ायल करता है और आदमी क़ियामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा। *(कन्ज़)*

यानी जितना ज़्यादा सदक़ा करेगा उतना ही ज़्यादा साया होगा।

हज़रत मुआज़ रज़ि॰ ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो जन्नत में दाख़िल कर दे और जहन्नम से दूर रखे। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया तुमने बहुत बड़ी बात पूछी और वह बहुत आसान चीज़ है जिस पर अल्लाह जल्ल शानुहू आसान कर दे और वह यह है कि अल्लाह जल्ल शानुहू की इख़्लास से इबादत करो, किसी को उसका शरीक न बनाओ, नमाज़ को क़ायम करो, ज़कात अदा करते रहो, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो और बैतुल्लाह शरीफ़ का हज करो। इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें ख़ैर के दरवाज़े बताऊँ यानी (जिन दरवाज़ों

1. यानी बेहतर ख़ात्मे के लिए मददगार साबित होती है

से आदमी ख़ैर तक पहुँचता है) और वे ये हैं - रोज़ा ढाल है (यानी जैसे ढाल की वजह से आदमी दुश्मन के हमले को रोकता रहता है, उसी तरह रोज़े के ज़रिए शैतान के हमलों को रोकता है।) और सदक़ा ख़ताओं को ऐसा बुझा देता है जैसा पानी आग को बुझा देता है और रात के दर्मियानी हिस्से में नमाज़ भी (ऐसी ही चीज़) है। इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने यह आयते शरीफ़ा तिलावत फ़रमायी -'त-त-जाफ़ा जुनूबुहुम॰' यह आयते शरीफ़ा आयात के ज़ैल (तहत) में नं॰ 19 पर गुज़र चुकी है। फिर हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि मैं तुमको सारे काम का सर और उसका सतून और उसकी बुलंदी बताऊँ। सब का सर तो इस्लाम है (कि इसके बग़ैर तो कोई चीज़ मोतबर ही नहीं) और इसका सतून नमाज़ है (कि जैसे बग़ैर सतून के मकान का बाक़ी रहना मुश्किल है, ऐसे ही बग़ैर नमाज़ के इस्लाम का बक़ा मुश्किल है।) और इसकी बुलंदी जिहाद है (यानी जिहाद से इसको बुलंदी मिलती है।) फिर हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि इन सब चीज़ों की जड़ बताऊँ (जिस पर सारी बुनियाद क़ायम होती है) हुज़ूर सल्ल॰ ने अपनी ज़बाने मुबारक पकड़ कर इर्शाद फ़रमाया कि इसको क़ाबू में रखो, हज़रत मुआज़ रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! क्या हम उस पर भी पकड़े जायेंगे जो कुछ बात चीत ज़बान से कर लेते हैं ? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, तुझको तेरी माँ रोए ऐ मुआज़ ! क्या आदमियों को नाक के बल औंधे मुँह जहन्नम में ज़बान के अलावा कोई और चीज़ भी डालती है।

(मिश्कात)

'तुझको तेरी माँ रोए' अरब के मुहावरे में तंबीह के लिए बोला जाता है। हासिल यह है कि हम ज़बानों को जो क़ैंची की तरह चलाते रहते हैं वह सब मज्मूआ आमालनामे में तुलेगा और उसमें लग्व (बेकार) और बेहूदा, ना-जायज़ चीज़ें जितनी बोलते हैं वे जहन्नम में जाने का सबब होती हैं।

एक और हदीस में आया है कि आदमी अल्लाह जल्ल शानुहू की ख़ुश्नूदी का कोई कलमा ज़बान से निकालता है, जिसको वह बोलने वाला कुछ अहम भी नहीं समझता, लेकिन हक़ तआला शानुहू उस कलमे की वजह से उसके दर्जे जन्नत में बुलंद कर देते हैं और आदमी अल्लाह जल्ल शानुहू की नाराज़गी का कलमा ज़बान से निकालता है, जिसको वह कहने वाला सरसरी समझता है, लेकिन उस कलमे की वजह से जहन्नम में फेंक दिया जाता है।

एक रिवायत में है कि जहन्नम में इतनी दूर फेंक दिया जाता है जैसा

कि मश्रिक़ से मग़रिब दूर है।

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल० का पाक इर्शाद है कि जो शख़्स दो चीज़ों का ज़िम्मा ले ले कि बे-महल इस्तेमाल नहीं करेगा, एक वह चीज़ जो दो जबड़ों के दर्मियान है (यानी ज़बान) और दूसरी वह चीज़ जो दो टांगों के दर्मियान है (यानी शर्मगाह) तो मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ।

एक और हदीस में है कि जहन्नम में आदमियों को कसरत से यही दो चीज़ें डालती हैं।

एक हदीस में है कि एक आदमी कोई कलमा ज़बान से निकालता है और महज़ इतनी ग़रज़ होती है कि लोग ज़रा हंस पड़ेंगे, तफ़रीह होगी, लेकिन उसके वबाल से जहन्नम में इतनी दूर फेंक दिया जाता है, जितनी आसमान से ज़मीन दूर है।

हज़रत सुफ़्यान सक़फ़ी रज़ि० ने हुज़ूर सल्ल० से पूछा कि आपको अपनी उम्मत पर सबसे ज़यादा डर किस चीज़ का है? हुज़ूर सल्ल० ने अपनी ज़बाने मुबारक पकड़ कर फ़रमाया कि इसका। *(मिश्कात)*

इनके अलावा और बहुत सी रिवायात में मुख़्तलिफ़ उन्वानों से यह चीज़ वारिद हुई है। हम लोग इससे बहुत ही ग़ाफ़िल हैं। यक़ीनन आदमी को इसका अक्सर लिहाज़ रखना चाहिए कि ज़बान से जो कुछ कह रहा है, उससे अगर कोई नफ़ा न पहुँचे तो कम से कम किसी आफ़त और मुसीबत तो में गिरफ़्तार न हो।

हज़रत सुफ़्यान सौरी रह० मशहूर इमामे हदीस और फ़िक़्ह हैं फ़रमाते हैं मुझ से एक गुनाह सादिर हो गया था। जिसकी वजह से पांच महीने तहज्जुद से महरूम रहा। किसी ने पूछा ऐसा क्या गुनाह हो गया था? फ़रमाया एक शख़्स रो रहा था। मैंने अपने दिल में यह कहा था, यह शख़्स रियाकार है। *(एहया)*

यह दिल में कहने की नहूसत है, हम लोग इससे कहीं ज़्यादा सख़्त लफ़्ज़ ज़बान से लोगों के मुताल्लिक़ कहते रहते हैं और बे-वजह कहते रहते हैं और अगर उससे मुख़ालफ़त भी हो, फिर तो उसके ऊपर बुहतान बांधने में ज़रा भी कमी नहीं करते, उसके हर हुनर को ऐब और हर ऐब को ज़्यादा वक़ीअ़ बता कर शोहरत कर देते हैं।

(۸) عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانقصت صدقۃ من مال ومازاد اللہ عبدًا بعفوالاعزا وماتوا ضع احد للّٰہ الا رفعہ رواہ مسلم (مشکوٰۃ)

8. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि सदक़ा करना माल को कम नहीं करता और किसी ख़तावार के क़ुसूर को माफ़ कर देना माफ़ करने वाले की इज़्ज़त ही को बढ़ाता है और जो शख़्स अल्लाह जल्ल शानुहू की रिज़ा की ख़ातिर तवाज़ो इख़्तियार करता है, तो हक़ तआला शानुहू उसको रफ़अत और बुलंदी अता फ़रमाते हैं।

फ़ायदा:- इस हदीस पाक में तीन मज़मून वारिद हुए हैं -

1. यह कि सदक़ा देने से ज़ाहिर के एतिबार से अगरचे माल में कमी मालूम होती है, लेकिन हक़ीक़त में माल में उससे कमी नहीं होती, बल्कि उसका बदल और बेहतरीन बदल आख़िरत में तो मिलता ही है, जैसा कि अब तक की सब आयात और रिवायात से बकसरत मालूम हो चुका है, दुनिया में भी अक्सर उसका बदल मिलता है जैसा कि आयात में नं० 14 पर इसकी तरफ़ इशारा गुज़र चुका है और नं० 20 पर तो गोया इसकी तस्रीह (खुलासा) गुज़र चुकी है कि जो कुछ तुम (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करोगे, अल्लाह जल्ल शानुहू उसका बदल अता करेगा और उस आयत के ज़ैल में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुतअद्दद इर्शादात इसकी ताईद में गुज़र चुके हैं और अहादीस के ज़ैल (तहत) में नं० 2 पर हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद गुज़र चुका है कि रोज़ाना दो फ़रिश्ते यह दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को बदल अता फ़रमा और रोकने वाले को बर्बादी अता कर।

हज़रत अबू कब्शा रज़ि० फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया है कि तीन चीज़ें हैं, मैं क़सम खा कर बयान करता हूँ और इसके बाद एक बात ख़ास तौर से तुम्हें बताऊँगा, इसको अच्छी तरह महफ़ूज़ रखना वह तीन बातें जिन पर मैं क़सम खाता हूँ उनमें से अव्वल यह है कि किसी बन्दे का माल सदक़ा करने से कम नहीं होता और दूसरी यह है कि जिस शख़्स पर ज़ुल्म किया जाए और वह उस पर सब्र करे तो हक़ तआला शानुहू उस सब्र की वजह से उसकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं और तीसरी यह है कि जो शख़्स लोगों से मांगने का दरवाज़ा खोलेगा, हक़ तआला शानुहू उस

पर फ़क़्र का दरवाज़ा खोलते हैं। इन तीन के बाद एक बात तुम्हें बताता हूँ, उसको महफ़ूज़ रखो, वह यह है कि दुनिया में चार क़िस्म के आदमी होते हैं-

1. एक वह जिसको हक़ तआला शानुहू ने इल्म भी अता फ़रमाया और माल भी अता फ़रमाया। वह (अपने इल्म की वजह से) अपने माल में अल्लाह से डरता है (कि उसकी ख़िलाफ़े मर्ज़ी ख़र्च नहीं करता), बल्कि सिला रहमी करता है और अल्लाह के लिए उस माल में नेक अमल करता है, इसके हुक़ूक़ अदा करता है। यह शख़्स सबसे ऊँचे दर्जों में है।

2. दूसरा वह शख़्स है जिसको अल्लाह जल्ल शानुहू ने इल्म अता फ़रमाया और माल नहीं दिया। उसकी नीयत सच्ची है। वह तमन्ना करता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी फ़लां की तरह से (नेक कामों में) ख़र्च करता, तो हक़ तलाआ शानुहू उसकी नीयत की वजह से उसको भी वही सवाब देता है, जो पहले का है और ये दोनों सवाब में बराबर हो जाते हैं।

3. तीसरे वह शख़्स है जिसको अल्लाह तआला जल्ल शानुहू ने माल अता किया मगर इल्म नहीं दिया, वह अपने माल में गड़बड़ करता है (बे-महल, लह्व व लअिब और शह्वतों में ख़र्च करता है), न उस माल में अल्लाह का ख़ौफ़ करता है, न सिला रहमी करता है, न हक़ के मुवाफ़िक़ ख़र्च करता है। यह शख़्स (क़ियामत में) ख़बीस तरीन दर्जे में होगा

4. चौथा वह शख़्स है जिसको अल्लाह जल्ल शानुहू ने न माल अता किया, न इल्म दिया, वह तमन्ना करता है, अगर मेरे पास माल हो तो मैं भी फ़लां (यानी नं॰ 3) की तरह ख़र्च करूँ। तो उसको उसकी नीयत का गुनाह होगा और वबाल में यह और नं॰ 3 बराबर हो जायेंगे।

(मिश्कात, तिर्मिज़ी की रिवायत)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि सदक़ा करना माल को कम नहीं करता और जब कोई शख़्स सदक़ा करने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वह माल फ़क़ीर के हाथ में जाने से पहले अल्लाह जल्ल शानुहू के पाक हाथ में जाता है (यानी क़ुबूल होता है) और जो शख़्स ऐसी हालत में दस्ते सवाल बढ़ाता है कि बग़ैर सवाल के उसका काम चल जाता हो तो हक़ तआला शानुहू उस पर फ़क़्र का दरवाज़ा खोल देते हैं।

(तर्ग़ीब)

हज़रत क़ैस बिन सुलअ् अंसारी रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मेरे भाईयों ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मेरी शिकायत की कि यह बहुत इस्राफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्ची) करता है और अपने माल को बेजा ख़र्च करता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! मैं बाग़ में से अपना हिस्सा ले लेता हूँ और अल्लाह के रास्ते में भी ख़र्च करता हूँ। और जो मुझ से मिलने आते हैं उनको भी खिलाता हूँ। हुज़ूर सल्ल॰ ने मेरे सीने पर हाथ मार कर तीन बार फ़रमाया कि ख़र्च किया कर, अल्लाह जल्ल शानुहू तुझ पर ख़र्च फ़रमायेंगे। इसके कुछ अर्से बाद मैं एक जिहाद के सफ़र में चला तो मेरे पास सवारी भी अपनी थी और अपने सब घर वालों से ज़्यादा सरवत (मालदारी) मुझे हासिल थी। *(तर्ग़ीब)*

यानी जो लोग बड़ी एहतियात के साथ ख़र्च करते थे, उनके पास इतना न था जितना मुझ बे-हद ख़र्च करने वाले के पास था।

हज़रत जाबिर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ुत्बे में इर्शाद फ़रमाया, ऐ लोगो ! अल्लाह से तौबा करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाये और नेक कामों में जल्दी करो इससे पहले कि तुम इधर उधर मशग़ूल हो जाओ और अपने और अल्लाह जल्ल शानुहू के दर्मियान ताल्लुक़ात को जोड़ लो, उसका ज़िक्र कसरत से करके और मख़्फ़ी और एलानिया सदक़ा बहुत कसरत से देकर कि इसकी वजह से तुम्हें रिज़्क़ दिया जाएगा, तुम्हारी मदद की जाएगी, तुम्हारे नुक़्सान की तलाफ़ी की जाएगी। *(तर्ग़ीब)*

एक हदीस में आया है कि सदक़े के ज़रिये रिज़्क़ पर मदद चाहो।

दूसरी हदीस में आया है कि सदक़े के ज़रिए से रिज़्क़ उतारो। *(कन्ज़)*

एक हदीस में आया है कि सदक़े से माल में ज़्यादती होती है। *(कन्ज़)*

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि॰ कहते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि तीन चीज़ें हैं। क़सम है उस पाक ज़ात की , जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि मैं इन चीज़ों पर क़सम खाता हूँ, अव्वल यह है कि सदक़ा करने से माल कम नहीं होता, इसलिए ख़ूब सदक़ा किया करो। दूसरे यह कि जिस बन्दे पर कोई ज़ुल्म किया जाए और वह उसको

माफ़ कर दे तो हक़ तआला शानुहू क़ियामत में उसकी इज़्ज़त बढ़ाते हैं। तीसरी बात यह है कि नहीं खोलता कोई बन्दा सवाल के दरवाज़े को मगर हक़ तआला शानुहू उस पर फ़क़्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। *(तर्ग़ीब)*

हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नक़ल किया गया कि सदक़ा करने से माल कम नहीं होता, पस सदक़ा किया करो। *(दुर्रे मंसूर, अव्वल)*

कम न होने का मतलब बज़ाहिर यही है कि हक़ तआला शानुहू उसका बेहतरीन बदल बहुत जल्द अता फ़रमाते हैं।

हज़रत हबीब अजमी रह॰ मशहूर बुज़ुर्ग हैं, उनकी बीवी एक मर्तबा आटा गूंधकर बराबर के घर से आग लेने गयीं, पीछे कोई साइल आ गया। हज़रत हबीब रह॰ ने वह आटा उस साइल को दे दिया, यह जब आग लेकर आयीं तो आटा नदारद। ख़ाविंद से पूछा, आटा क्या हुआ? वह कहने लगे कि वह रोटी पकने गया है। उनको यक़ीन न आया। इस्रार करने लगीं। उन्होंने फ़रमाया कि वह तो मैं ने सदक़ा कर दिया। कहने लगीं, सुब्हानल्लाह ! तुमने इतना भी ख़्याल न किया कि इतना ही आटा था, अब सब क्या खाएंगे, आख़िर हमारे लिए भी तो कुछ चाहिए था। वह कह ही रही थीं, कि एक आदमी बड़े प्याले में गोश्त और रोटियां लेकर हाज़िर हुआ। कहने लगीं कैसे जल्दी पका लाए और सालन इज़ाफ़े में साथ लाए। *(रौज़)*

इस क़िस्म के वाक़िआत कसरत से पेश आते हैं, मगर हम चूंकि हक़ तआला शानुहू के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते, इसलिए ग़ौर भी नहीं करते कि यह नेमत किस चीज़ के बदले में मिली, ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि इत्तिफ़ाक़न फ़लां चीज़ मिल गयी, वरना क्या होता, हालांकि वह चीज़ आती है ख़र्च करने की वजह से।

(۹) عن ابی هریرةؓ عن النبی صلی الله علیه وسلم قال بینا رجل بفلاة من الارض فسمع صوتا فی سحابة اسق حدیقة فلان فتنحی ذلک السحاب فافرغ ماءه فی حرة فاذا شرجة من تلک الشراج قد استوعبت ذلک الماء کله فتتبع الماء فاذا رجل قائم فی حدیقته یحول الماء بمسحاته فقال له یا عبد الله ما اسمک قال فلان الاسم الذی سمع فی السحابة فقال له یا عبد الله لم تسألنی عن اسمی فقال انی سمعت

صوتا فى السحاب الذى هذا ماء ه ويقول اسق حديقة فلان لا سمك
فما تصنع فيها قال اما اذا قلت هذا فانى انظر الى ما يخرج منها
فاتصدق بثلثه واكل انا وعيالى ثلثا وارد فيها ثلثه رواه مسلم (مشكوٰة)

9. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि एक शख़्स एक जंगल में था। उसने एक बादल में से आवाज़ सुनी कि फ़लां शख़्स के बाग़ को पानी दे। इस आवाज़ के बाद फ़ौरन वह बादल एक तरफ़ चला और एक पथरीली ज़मीन में ख़ूब पानी बरसा और वह सारा पानी एक नाले में जमा होकर चलने लगा। यह शख़्स जिसने आवाज़ सुनी थी, उस पानी के पीछे चल दिया। वह पानी एक जगह पहुँचा जहां एक शख़्स खड़ा हुआ बेलचे से अपने बाग़ में पानी फेर रहा था। उसने बाग़ वाले से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने वही नाम बताया जो उसने बादल में से सुना था। फिर बाग़ वाले ने उससे पूछा कि तुमने मेरा नाम क्यों दयार्फ़्त किया? उसने कहा कि मैं ने उस बादल में जिसका पानी यह आ रहा है यह आवाज़ सुनी थी कि फ़लां शख़्स के बाग़ को पानी दे, और तुम्हारा नाम बादल में सुना था। तुम इस बाग़ में ऐसा क्या काम करते हो? (जिसकी वजह से बादल को यह हुक्म हुआ कि उसके बाग़ को पानी दो) बाग़ वाले ने कहा कि जब तुमने यह सब कहा तो मुझे भी कहना पड़ा। मैं इसके अंदर जो कुछ पैदा होता है उसको (तीन हिस्से करता हूँ), एक हिस्सा यानी तिहाई तो फ़ौरन अल्लाह के रास्ते में सदक़ा कर देता हूँ और एक तिहाई मैं और मेरे अहल व अयाल खाते हैं और एक तिहाई इसी बाग़ की ज़रूरियात में लगा देता हूँ।

फ़ायदा:- किस क़दर बरकत है अल्लाह के नाम पर सिर्फ़ एक तिहाई आमदनी ख़र्च करने की कि पर्दा-ए-ग़ैब से उनके बाग़ की परवरिश के सामान होते हैं और खुली मिसाल है उस मज़्मून की जो पहली हदीस में गुज़रा कि सदक़ा करने से माल कम नहीं होता कि बाग़ की एक तिहाई पैदावार सदक़ा की थी और तमाम बाग़ के दोबारा फल लाने के इन्तिज़ामात हो रहे हैं। इस हदीस शरीफ़ से एक बेहतरीन सबक़ और भी हासिल होता है, वह यह कि आदमी को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिए

मुतअय्यन कर लेना ज़्यादा मुफ़ीद है और तजुर्बा भी यही है कि अगर आदमी यह तै कर ले कि इतनी मिक़्दार अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करनी है, तो फिर ख़ैर के मसारिफ़ और ख़र्च करने के मवाक़े बहुत मिलते रहते हैं और अगर यह ख़्याल करे कि जब कोई कारे ख़ैर होगा उस वक़्त देखा जाएगा तो अव्वल तो कोई कारे ख़ैर ऐसी हालत में बहुत कम समझ में आते हैं और हर मौक़े पर नफ़्स और शैतान यही ख़्याल दिल में डालते हैं कि यह कोई ज़रूरी ख़र्च तो है नहीं और अगर कोई बहुत ही अहम काम ऐसा भी हो जिसमें ख़र्च करना खुली ख़ैर है तो अक्सर मौजूद नहीं होता और मौजूदगी में भी अपनी ज़रूरियात सामने आकर कम से कम ख़र्च करने को दिल चाहता है और अगर महीने के शुरू ही में तन्ख़्वाह मिलने पर एक हिस्सा अलाहिदा करके रख दिया जाए या रोज़ाना तिजारत की आमदनी में से सन्दूक़ची का एक हिस्सा अलाहिदा करके उसमें मुतअय्यिना मिक़्दार डाल दी जाया करे कि यह सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है तो फिर ख़र्च के वक़्त दिल तंगी नहीं होती कि उसको तो बहरहाल वह मिक़्दार ख़र्च करना ही है। बड़ा मुजर्रब नुस्ख़ा है, जिसका दिल चाहे कुछ रोज़ तजुर्बा करके देख ले।

अबू वाइल रज़ि॰ कहते हैं कि मुझको हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ ने क़ुरैज़ा की तरफ़ भेजा और यह इर्शाद फ़रमाया कि मैं वहां जाकर वही अमल इख़्तियार करूँ जो बनी इस्राईल का एक नेक मर्द करता था कि एक तिहाई सदक़ा कर दूँ, और एक तिहाई उसमें छोड़ दूँ और एक तिहाई उनके पास ले आऊँ। *(कन्ज़)*

इससे मालूम होता है कि सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ भी इस नुस्ख़े पर अमल फ़रमाते थे।

(١٠) عن ابی ہریرۃً قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفرلامراۃ مومسۃ مرت بکلب علی راس رکی یلہث کادیقتلہ العطش فنزعت خفہا فاوثقتہ بخمارہا فنزعت لہ من الماء فغفرلہا بذلک قیل ان لنا فی البہائم اجرًا قال فی کل ذات کبد رطبۃ اجر متفق علیہ. (مشکوٰۃ)

10. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है

कि एक फ़ाहिशा औरत (रंडी) की इतनी बात पर बख़्शिश कर दी गयी कि वह चली जा रही थी उसने एक कुएं पर देखा कि एक कुत्ता खड़ा हुआ है जिसकी ज़बान प्यास की शिद्दत की वजह से बाहर निकली पड़ी है। और वह मरने को है। उस औरत ने अपने पांव का (चमड़े का) मोज़ा निकाला और उस को अपनी ओढ़नी में बांध कर कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी ने पूछा! क्या हम लोगों को जानवरों के सिलसिले में भी सवाब मिलता है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, हर जिगर रखने वाले (यानी जानदार) पर एहसान करने पर सवाब है। (मुसलमान हो या काफ़िर, आदमी हो या जानवर।) *(मिश्कात)*

फ़ायदाः– यह क़िस्सा बनी इस्राईल की एक रंडी का है जैसा कि कुछ रिवायात में इसकी तसरीह है। *(कन्ज़)*

बुख़ारी शरीफ़ वग़ैरह में एक और क़िस्सा इसी क़िस्म का एक मर्द का भी आया है। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि एक शख़्स जंगल में चला जा रहा था। उसको प्यास की शिद्दत ने बहुत परेशान किया। वह एक कुएं में उतरा और जब पानी पी कर बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास से बेताब है और प्यास की शिद्दत कि वजह से गारे में मुंह मार रहा है। उस शख़्स को ख़्याल हुआ कि उसको भी प्यास की वही तक्लीफ़ हो रही है जो मुझे थी। कोई चीज़ पानी निकालने की थी नहीं, इसलिए अपने पांव का मोज़ा निकाला और दोबारा कुएं में उतर कर उसको भरा और अपने मोज़े को मुंह से पकड़ कर दोनों हाथों की मदद से ऊपर चढ़ा और यह पानी उस कुत्ते को पिलाया। हक़ तआला शानुहू ने उसके इस कारनामे की क़द्र फ़रमायी और उस शख़्स की मग़्फ़िरत फ़रमा दी। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! जानवरों में भी अज्र होता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर जिगर रखने वाले (यानी जानदार) में अज्र है। *(बुख़ारी)*

एक और हदीस में है कि हर गरम जिगर वाले में अज्र है। *(कन्ज़)*

मोज़े में पानी भरने का मतलब यह है कि अरब में चमड़े के मोज़ों का आम रिवाज है और उनमें पानी भरने से कम गिरता है और मुंह से पकड़ने की ज़रूरत इसलिए पेश आयी कि जंगल के कुओं में आमतौर से कुछ ईंटें वग़ैरह

इस तरह बाहर को निकाल देते हैं कि जिनकी मदद से आदमी अगर उसके पास डोल रस्सी न हो तो नीचे उतर सकता है, लेकिन उतरने चढ़ने के लिए हाथों से मदद लेने की ज़रूरत ज़रूर पेश आया करती है इसलिऐ मोज़े को मुंह से संभालना पड़ा।

रिसाले के ख़त्म पर हिकायत के ज़ैल में नं॰ 47 पर एक ज़ालिम का क़िस्सा भी ऐसा ही है, जिसने एक ख़ारिशी कुत्ते को पनाह दी थी, उसकी वही बात पसंद आ गयी।

इन दोनों हदीसों में कुत्ते जैसे ज़लील जानवर पर एहसान करने का जब यह बदला है तो आदमी जो अशरफ़ुल मख़्लूक़ात है उस पर एहसान करने का क्या कुछ बदल होगा।

कुछ उलमा ने लिखा है कि ऐसे जानवर जिनको मारना मुस्तहब है जैसे सांप, बिच्छू वग़ैरह इससे मुस्तस्ना (अलग) हैं, लेकिन दूसरे अह्ले इल्म हज़रात फ़रमाते हैं कि इनके मारने के हुक्म का मतलब यह नहीं है कि अगर इनका प्यासा होना मालूम जो जाए तो इनको पानी न पिलाया जाये, इसलिए कि हम मुसलमानों को यह हुक्म है कि जिसको किसी वजह से क़त्ल किया जाए उसमें बेहतरी की रियायत रखी जाए। इसी वजह से जिसको क़त्ल करना ज़रूरी है उसके भी हाथ पांव वग़ैरह काटने की मनाही है। *(फ़त्ह)*

इन दोनों हदीसों से और इनके अलावा और भी बहुत सी अहादीस से एक लतीफ़ चीज़ यह भी मालूम हुई है कि हक़ तआला शानुहू को किसी शख़्स का कोई एक अमल भी अगर पसंद आ जाए तो उसकी बरकत से उम्र भर के गुनाह बख़्श देते हैं। उसके लुत्फ़ व करम के मुक़ाबले में यह कोई भी चीज़ नहीं है। अल-बत्ता क़ुबूल हो जाने और पसंद आ जाने की बात है। यह ज़रूरी नहीं कि हर गुनाहगार के सारे गुनाह पानी पिलाने से या किसी एक नेकी से बख़्श दिए जायेंगे, हां कोई चीज़ किसी की क़ुबूल हो जाए तो कोई मानेअ (रूकावट) नहीं। इसलिए आदमी को निहायत इख़्लास से कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह जाने कौन सा अमल वहां पसंद आ जाए। फिर बेड़ा पार है। बड़ी चीज़ इख़्लास है। यानी ख़ालिस अल्लाह के लिए कोई काम करना, जिसमें दुनिया की कोई ग़रज़ शामिल न हो, न उससे दुनिया कमाना मक़्सूद हो, न शोहरत व वजाहत मतलूब हो, इनमें से कोई चीज़ शामिल हो जाती है तो वह

सारा किया कराया बर्बाद कर देती है और महज़ उसके लिए कोई काम हो तो मामूली से मामूली काम भी पहाड़ों से वज़न में बढ़ जाता है।

हज़रत लुक़्मान अलै॰ ने अपने साहबज़ादे को नसीहत की कि जब तुझ से कोई गुनाह सादिर हो जाए तो सदक़ा किया कर। *(एहया)*

इसलिए कि यह गुनाह को धोता है और अल्लाह जल्ल शानुहू के गुस्से को दूर करता है।

(١١) عن علیؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ لغرفا یری ظھورھا من بطونھا وبطونھامن ظھورھا قالوالمن ھی قال لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام اخرجہ ابن ابی شیبۃ والترمذی وغیرھما کذا فی الدر

11. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जन्नत में ऐसे बालाख़ाने हैं। जो (गोया आईनों के बने हुए हैं कि) उनके अंदर की सब चीज़ें बाहर से नज़र आती हैं और उनके अंदर से बाहर की सब चीज़ें नज़र आती हैं। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! ये किन लोगों के लिये हैं ? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जो अच्छी तरह बात करें (यानी तुर्श रूई से मुंह चढ़ा कर बात न करें) और लोगों को खाना खिलाएं और हमेशा रोज़ा रखें और ऐसे वक़्त में रात को तहज्जुद पढ़ें कि लोग सो रहे हों।

फ़ायदा:- हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ि॰ जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे यहूदी थे कहते हैं कि जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, मैं ख़बर सुनते ही फ़ौरन गया और आप सल्ल॰ का चेहरा-ए-मुबारक देखकर मैं ने कहा कि यह मुबारक चेहरा झूठे शख़्स का नहीं हो सकता। वहां पहुँच कर जो सबसे पहला इर्शाद हुज़ूर सल्ल॰ की ज़बाने मुबारक से निकला, वह यह था लोगो ! सलाम का आपस में रिवाज डालो और खाना खिलाया करो। सिला रहमी किया करो और रात के वक़्त जब सब लोग सोते हों, नमाज़ पढ़ा करो। सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल हो जाओगे। *(मिश्कात)*

आयत के ज़ैल (तहत) में भी नं॰ 34 की तवील (लम्बी) आयत में

यह मज़्मून गुज़र चुका है कि हक़ तआला शानुहू की मुहब्बत में खाना खिलाते हैं। मिस्कीन को, और यतीम को और क़ैदी को और यह कहते हैं कि हम तुमको महज़ अल्लाह के वास्ते खाना खिलाते हैं, न तो हम तुमसे इसका बदला चाहते हैं और न शुक्रिया चाहते हैं।

एक हदीस में आया है कि जो शख़्स अपने भाई को रोटी खिलाए कि उसका पेट भर जाए और पानी पिलाए कि प्यास जाती रहे, हक़ तआला शानुहू उसके और जहन्नम के दर्मियान सात ख़ंदकें कर देते हैं। हर ख़ंदक इतनी बड़ी कि सात सौ साल में तै हो। *(कन्ज़)*

एक हदीस में है कि मख़्लूक़ सारी की सारी अल्लाह तलाआ की अयाल है (ब मंज़िला-ए-औलाद के) पस अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा महबूब वह है जो उसकी अयाल को ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाला है। *(कन्ज़)*

एक हदीस में आया है कि हर भलाई सदक़ा है और इसमें यह भी दाख़िल है कि तू अपने भाई से ख़न्दा पेशानी से पेश आये और अपने डोल में से पड़ोसी के बर्तन में डाल दे। *(कन्ज़)*

अच्छी तरह गुफ़्तगू करने का अहम हिस्सा यह भी है कि उससे ख़न्दा पेशानी से बात करे। मुंह चढ़ा कर तुर्श रूई से बात न करे।

एक हदीस में आया है कि एहसान का कोई हिस्सा भी हक़ीर नहीं है चाहे इतना ही हो कि अपने भाई से ख़ंदा पेशानी ही से पेश आये। एक हदीस में है कि कोई शख़्स एहसान के किसी दर्जे को भी हक़ीर न समझे और कुछ भी न हो तो कम से कम अपने भाई से ख़ंदा पेशानी ही से पेश आये। *(कन्ज़)*

एक हदीस में आया है, तेरा अपने भाई से ख़न्दा पेशानी से पेश आना भी सदक़ा है, किसी को नेकी का हुक्म करना या बुराई से रोकना भी सदक़ा है, किसी भूले हुए को रास्ता बताना भी सदक़ा है रास्ते से किसी कांटे वग़ैरह तक्लीफ़ देने वाली चीज़ को हटाना भी सदक़ा है। अपने डोल से किसी के बर्तन में पानी डाल देना भी सदक़ा है। *(कन्ज़)*

एक हदीस में आया है कि क़ियामत के दिन जहन्नमी आदमी एक सफ़ में खड़े किए जायेंगे, उन पर एक मुस्लिम (कामिल जन्नती) गुज़रेगा। उस सफ़ में से एक शख़्स उससे कहेगा कि तू मेरे लिए अल्लाह तआला के यहां

सिफ़ारिश कर दे। वह पूछेगा कि तू कौन है ? वह ज़हन्नमी कहेगा कि तू मुझे नहीं पहचानता, तूने दुनिया में एक मर्तबा मुझसे पानी मांगा था जिस पर मैं ने तुझे पानी पिलाया था। इस पर वह सिफ़ारिश करेगा (और वह क़ुबूल हो जाएगी) इसी तरह दूसरा शख़्स कहेगा कि तूने मुझसे दुनिया में फ़लां चीज़ मांगी थी, वह मैं ने तुझे दी थी। (कन्ज़)

एक और हदीस में है, जहन्नमियों की सफ़ पर एक जन्नती का गुज़र होगा, तो उनमें से एक शख़्स इसको आवाज़ देकर कहेगा कि तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं वही तो हूँ जिसने फ़लां दिन तुम्हें पानी पिलाया था, फ़लां वक़्त तुम्हें वुज़ू को पानी दिया था। (मिश्कात)

एक और हदीस में है कि क़ियामत के दिन जन्नती और जहन्नमी लोगों की जब सफ़ें लग जायेंगी, तो जहन्नमी सफ़ों में से एक शख़्स की नज़र जन्नती सफ़ों में से किसी शख़्स पर पड़ेगी, और वह उसको याद दिलायेगा कि मैं ने दुनिया में तेरे साथ फ़लां एहसान किया था। इस पर वह जन्नती शख़्स उसका हाथ पकड़ कर हक़ तआला शानुहू की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह! इसका मुझ पर फ़लां एहसान है। अल्लाह पाक की तरफ़ से इर्शाद होगा कि अल्लाह की रहमत के तुफ़ैल इसको जन्नत में दाख़िल कर दिया जाये। (कन्ज़)

एक हदीस में है कि फ़क़ीरों की जान पहचान कसरत से रखा करो और उनके ऊपर एहसानात किया करो। उनके पास बड़ी दौलत है किसी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! वह दौलत क्या है? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि उनसे क़ियामत के दिन कहा जायेगा कि जिस ने तुम्हें कोई टुकड़ा खिलाया हो या पानी पिलाया हो या कपड़ा दिया हो, उसका हाथ पकड़ कर जन्नत में पहुँचा दो।

एक हदीस में है कि हक़ तआला शानुहू फ़क़ीर से क़ियामत में इस तरह माज़रत करेंगे, जैसा कि आदमी आदमी से किया करता है और फ़रमायेंगे कि मेरी इज़्ज़त और जलाल की क़सम ! मैं ने दुनिया को तुझसे इसलिए नहीं हटाया था कि तू मेरे नज़दीक ज़लील था, बल्कि इसलिए हटाया था कि तेरे लिए आज बड़ा एज़ाज़ है। मेरे बन्दे उन जहन्नमी लोगों की सफ़ों में चला जा, जिसने तुझे मेरे लिए खाना खिलाया हो या कपड़ा दिया हो, वह तेरा है। वह इस हालत में उनमें दाख़िल होगा कि ये लोग मुँह तक पसीने में ग़र्क़ होंगे। वह पहचान कर उनको जन्नत में दाख़िल करेगा। (रौज़)

एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन एक एलान होगा कि उम्मते मुहम्मदिया के फ़ुक़रा कहां हैं ? उठो और लोगों को मैदाने क़ियामत में से तलाश कर लो। जिस शख़्स ने तुम में से किसी को मेरे लिए एक लुक़्मा दिया हो या मेरे लिए कोई घूँट पानी का दिया हो या मेरे लिए कोई नया या पुराना कपड़ा दिया हो, उनके हाथ पकड़ कर जन्नत में दाख़िल कर दो। इस पर फ़ुक़रा-ए-उम्मत उठेंगे और किसी का हाथ पकड़ कर कहेंगे कि या अल्लाह ! इसने मुझे खाना खिलाया था, इसने मुझे पानी पिलाया था। कोई भी फ़ुक़रा-ए-उम्मत में से छोटा या बड़ा शख़्स ऐसा न होगा जो उनको जन्नत में दाख़िल न कराये।

(कन्ज़)

एक हदीस में आया है कि जो शख़्स किसी जानदार को, जो भूखा हो, खाना खिलाए, हक़ तआला शानुहू उसको जन्नत के बेहतरीन खानों में से खाना खिलाएंगे।

एक हदीस में आया है कि जिस घर से लोगों को खाना खिलाया जाता हो, ख़ैर उस घर की तरफ़ ऐसी तेज़ी से बढ़ती है जैसी तेज़ी से छुरी ऊँट के कोहान में चलती है। *(कन्ज़)*

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० उम्दा खजूरें दूसरों को खिलाते और कहते कि जो शख़्स ज़्यादा खाएगा, उसको फ़ी खजूर एक दिरहम दिया जायेगा। *(एह्या)*

एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन एलान करने वाला एलान करेगा, कहां हैं वे लोग जिन्होंने फ़क़ीरों और मिस्कीनों का इक्राम किया। आज तुम जन्नत में ऐसी तरह दाख़िल हो जाओ कि न तुम पर किसी क़िस्म का ख़ौफ़ है, न तुम ग़मगीन हो और एक एलान करने वाला एलान करेगा, कहां हैं वे लोग, जिन्होंने बीमार, फ़क़ीरों और ग़रीबों की इयादत की, आज वे नूर के मिम्बरों पर बैठें और अल्लाह जल्ल शानुहू से बातें करें और दूसरे लोग हिसाब की सख़्ती में मुब्तला होंगे। *(कन्ज़)*

एक हदीस में है कितनी हूरें ऐसी हैं जिन का मह्र एक मुट्ठी भर खजूर या इतनी ही मिक़्दार में कोई चीज़ देना है। *(कन्ज़)*

एक हदीस में आया है कि भूखे को खाना खिलाने से ज़्यादा अफ़ज़ल कोई सदक़ा नहीं। *(कन्ज़)*

एक हदीस में आया है कि अल्लाह जल्ल शानुहू के नज़दीक सब आमाल से ज़्यादा महबूब किसी मुसलमान को ख़ुश करना या उस पर से ग़म का हटाना है या उस का क़र्ज़ अदा कर देना है या भूख की हालत में उसको खाना खिलाना है। *(कन्ज़)*

यानी ये सब आमाल ज़्यादा पसंदीदा हैं, जो भी हो सके। एक और हदीस में है कि मग़्फ़िरत को वाजिब करने वाली चीज़ों में किसी मुसलमान को ख़ुशी पहुँचाना है, उसकी भूख को ज़ाइल (ख़त्म) करना और उसकी मुसीबत को हटाना है। *(कन्ज़)*

एक और हदीस में आया है कि जो शख़्स अपने किसी मुसलमान भाई की दुन्यावी हाजत को पूरी करता है, हक़ तआला शानुहू उसकी बहत्तर हाजतें पूरी करते हैं, जिनमें से सबसे हल्की चीज़ उसके गुनाहों की मग़्फ़िरत है। *(कन्ज़)*

यानी और हाजतें मग़्फ़िरत से भी बढ़कर हैं, नीज़ (तथा) हदीस नं॰ 13 में भी इसका बयान आ रहा है।

(۱۲) عن اسماءؓ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك ارضخى ما استطعت متفق عليه كذا فى المشكوٰة.

12. हज़रत अस्मा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया है कि (ख़ूब) ख़र्च किया कर और शुमार न कर (अगर ऐसा करेगी) तो अल्लाह जल्ल शानुहू भी तुझ पर शुमार करेगा और महफ़ूज़ करके न रख। (अगर ऐसा करेगी) तो अल्लाह जल्ल शानुहू तुझ पर महफ़ूज़ करके रखेगा (यानी कम अता करेगा), अता कर जितना भी तुझ से हो सके।

फ़ायदा:- यह हज़रत अस्मा रज़ि॰ हज़रत आइशा रज़ि॰ की हमशीरा (बहन) हैं। हुज़ूर सल्ल॰ ने इस पाक हदीस में कई नौअ् से ख़र्च के ज़्यादा करने की तर्ग़ीब इर्शाद फ़रमायी, अव्वल तो ख़ूब ख़र्च करने का साफ़ साफ़ हुक्म ही फ़रमाया, लेकिन यह ज़ाहिर है कि ख़र्च वही पसंदीदा है जो शरीअते पाक के मुवाफ़िक़ अल्लाह की रिज़ा की चीज़ों में किया जाए। शरीअत के ख़िलाफ़ ख़र्च

करना सवाब को वाजिब करने वाला नहीं, वबाल है। इसके बाद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शुमार करने की मुमानअत (मनाही) फ़रमायी जो पहले ही मज़्मून की ताकीद है।

इसके उलमा ने दो मतलब इर्शाद फ़रमाये हैं।

एक यह कि गिनने से मुराद गिन गिन कर रखना और जमा करना है और मतलब यह है कि अगर तू गिन गिन कर रखेगी तो अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से अता में भी तंगी की जाएगी, जैसा करना वैसा भरना।

दूसरा मतलब यह है कि फ़ुक़रा को देने में शुमार न करना, ताकि अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से बदला और सवाब भी बेहिसाब मिले। इसके बाद फिर इस मज़्मून को और ज़्यादा मुअक्कद[1] फ़रमाया कि महफ़ूज़ कर के न रख। अगर तू अपने माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के बजाए महफ़ूज़ कर के रखेगी तो अल्लाह जल्ल शानुहू भी अपनी अता और एहसान व करम की ज़्यादती को तुझ से रोक लेगा। इसके बाद उसको और ज़्यादा मुअक्कद करने को इर्शाद फ़रमाया कि जितना भी तुम से हो सके ख़र्च किया करो यानी कम व ज़्यादा की परवाह न किया कर, न यह ख़्याल कर कि इतनी बड़ी मिक़्दार मुनासिब नहीं। न यह सोचा कर कि इतनी ज़रा सी चीज़ क्या दूँ। जो अपनी ताक़त और क़ुदरत में हो, उसके ख़र्च करने में दरेग़ न किया कर।

दूसरी अहादीस में कसरत से यह मज़्मून वारिद हुआ है कि जहन्नम की आग से सदक़े के साथ अपना बचाव और अपनी हिफ़ाज़त करो चाहे खजूर का टुकड़ा ही क्यों न हो कि वह भी जहन्नम की आग से हिफ़ाज़त का सबब है।

बुख़ारी शरीफ़ की एक और हदीस में है कि हज़रत अस्मा रज़ि० ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दर्याफ़्त किया कि हुज़ूर सल्ल० मेरे पास अपनी तो कोई चीज़ अब है नहीं, सिर्फ़ वही होता है जो (मेरे ख़ाविंद) हज़रत ज़ुबैर रज़ि० दे दें। क्या उसमें से सदक़ा कर दिया करूँ? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि सदक़ा किया कर और बर्तन में महफ़ूज़ करके न रखा कर (अगर ऐसा करेगी) तो अल्लाह जल्ल शानुहू भी तुझ से (अपनी अता को) महफ़ूज़ फ़रमा लेगा। इस हदीस पाक में अगर हज़रत ज़ुबैर रज़ि० के देने से मुराद उनका

1. यानी ज़्यादा ताकीद करते हुए फ़रमाया।

हज़रत अस्मा रज़ि० को मालिक बना देना है, तब तो यह माल हज़रत अस्मा रज़ि० का हो गया, वह जिस तरह चाहें अपने माल को ख़र्च करें, उनको इख़्तियार है, और अगर इससे मुराद घर के ख़र्चों के वास्ते देना है तो फिर हुज़ूर सल्ल० के इर्शादे मुबारक का मतलब यह है कि हुज़ूर सल्ल० को हज़रत ज़ुबैर रज़ि० की तबीअत से इसका अन्दाज़ा हो गया होगा कि उनको सदक़ा करने में गरानी नहीं होती, और इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ि० को ख़ास तौर से सदक़ा करने की तर्ग़ीब और ताकीद फ़रमायी थी। ये हज़रात सहाबा-ए-किराम रज़ि० हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उमूमी तर्ग़ीबात पर जान व दिल से फ़िदा होते थे और अगर किसी शख़्स को ख़ुसूसी तर्ग़ीब व नसीहत हुज़ूर सल्ल० फ़रमा देते तो उसकी क़द्रदानी का तो पूछना ही क्या है, सैंकड़ों नहीं, हज़ारों वाक़िआत इसके शाहिद हैं। 'हिकायाते सहाबा रज़ि०' के नवीं बाब में मिसाल के तौर पर कुछ क़िस्से इसके लिख चुका हूँ।

अल्लामा सुयूती रह० ने दुर्रे मन्सूर में हज़रत ज़ुबैर रज़ि० से एक क़िस्सा नक़ल किया है, जिसमें हुज़ूर सल्ल० ने उनको ख़र्च करने की ख़ुसूसी तर्ग़ीब दी है। हज़रत ज़ुबैर रज़ि० फ़रमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर सल्ल० के सामने बैठा था कि हुज़ूर सल्ल० ने (एहतिमाम और तंबीह के तौर पर) मेरे अमामे का पिछला किनारा पकड़ कर फ़रमाया कि ऐ ज़ुबैर! मैं अल्लाह का क़ासिद हूँ। तुम्हारी तरफ़ ख़ास तौर से और सब लोगों की तरफ़ आम तौर से (यानी यह बात तुम्हें अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ से ख़ास तौर से) पहुँचाता हूँ, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने क्या फ़रमाया है? मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० ही ज़्यादा जानते हैं। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू जब अपने अर्श पर जल्वा फ़रमा था तो अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने बन्दों की तरफ़ (करम की) नज़र फ़रमायी और यह इर्शाद फ़रमाया कि मेरे बन्दो! तुम मेरी मख़्लूक़ हो। मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ। तुम्हारी रोज़ियां मेरे कब्ज़े में हैं। तुम अपने आपको ऐसी चीज़ के अन्दर मशक़्क़त में न डालो जिसका ज़िम्मा मैं ने ले रखा है।, अपनी रोज़ियां मुझसे मांगो। इसके बाद हुज़ूर सल्ल० ने फिर फ़रमाया कि और बताऊँ तुम्हारे रब ने क्या कहा? यह कहा कि ऐ बन्दे! तू लोगों पर ख़र्च कर, मैं तुझ पर ख़र्च करूँगा, तू लोगों पर फ़राख़ी

कर, मैं तुझ पर फ़राख़ी करूँगा। तू लोगों पर ख़र्च में तंगी न कर ताकि मैं तुझ पर तंगी न करूँ, तू लोगों से (बचा कर) बांध कर न रख, ताकि मैं भी तुझ से बांध कर न रखूं, तू ख़ज़ाना जमा करके न रख, ताकि मैं तेरे (न देने) पर जमा करके रख लूँ। रिज़्क़ का दरवाज़ा सात आसमानों के ऊपर से खुला हुआ है। जो अर्श से मिला हुआ है। वह न रात को बन्द होता है, न दिन में। अल्लाह जल्ल शानुहू उस दरवाज़े से हर शख़्स पर रोज़ी उतारता रहता है, उस शख़्स की नीयत के बक़द्र उस की अता के बक़द्र, उसके सदक़े के बक़द्र, उसके इख़राजात के बक़द्र उसको अता फ़रमाता है। जो शख़्स ज़्यादा ख़र्च करता है, उसके लिए ज़्यादा उतारा जाता है, जो कम ख़र्च करता है, उसके लिए कमी कर दी जाती है, और जो रोक कर रखता है, उससे रोक दिया जाता है।

ऐ ज़ुबैर ! ख़ुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ और बांध कर न रखो कि तुम पर बांध कर रख दिया जाए और शुमार न करो कि तुम पर भी शुमार कर दिया जाये, तंगी न करो कि तुम पर भी तंगी कर दी जाए। मशक़्क़त में (लोगों को) न डालो! कि तुम पर मशक़्क़त डाल दी जाए।

ऐ ज़ुबैर ! अल्लाह जल्ल शानुहू ख़र्च करने को पसंद करता है। और तंगी को ना-पसंद करता है। सख़ावत (अल्लाह जल्ल शानुहू के साथ) यक़ीन से होती है और बुख़्ल शक से पैदा होता है। जो शख़्स (अल्लाह जल्ल शानुहू के साथ कामिल) यक़ीन रखता है, वह जहन्नम में दाख़िल न होगा। और जो शक करता है, वह जन्नत में दाख़िल न होगा। ज़ुबैर ! अल्लाह जल्ल शानुहू सख़ावत को पसंद करता है, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो, और अल्लाह तआला बहादुरी को पसंद करता है। चाहे सांप बिच्छु ही के मारने में क्यों न हो, ऐ ज़ुबैर ! अल्लाह जल्ल शानुहू ज़लज़लों (और हादसों) के वक़्त सब्र को महबूब रखता है और शह्वतों के ग़लबे के वक़्त ऐसे यक़ीन को पसंद करता है जो सब जगह सरायत कर जाए (और शह्वत के पूरा करने से रोक दे) और (दीन में) शुबहात पैदा होने के वक़्त अक़्ले कामिल को महबूब रखता है और हराम और गंदी चीज़ों के सामने आने पर तक़्वा को पसंद करता है। ऐ ज़ुबैर, भाईयों की ताज़ीम करो और नेक लोगों की अज़्मत बढ़ाओ और अच्छे आदमियों का एज़ाज़ करो, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करो और फ़ासिक़ लोगों के साथ रास्ता भी न चलो। जो इन चीज़ों का एहतिमाम करेगा, जन्नत में बग़ैर अज़ाब और बग़ैर हिसाब के दाख़िल होगा, यह अल्लाह की नसीहत है, मुझको और मेरी

नसीहत है तुमको।

आयत के ज़ैल में नं॰ 20 पर भी इस क़िस्से की तरफ़ मुख़्तसर इशारा गुज़र चुका है और इसके मुताल्लिक़ कलाम भी। हुज़ूर सल्ल॰ के इस तफ़्सीली इर्शाद के बाद हज़रत ज़ुबैर रज़ि॰ की तबीअत का जो अन्दाज़ा होगा वह ज़ाहिर है। ऐसी हालत में हज़रत असमा रज़ि॰ को उनके माल में से बे दरेग़ ख़र्च करने को अगर फ़रमाया हो तो बेमहल नहीं है। हज़रत ज़ुबैर रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के फूफीज़ाद भाई भी हैं। अगर क़राबत वालों से ताल्लुक़ात क़वी (मज़बूत) हों तो इस क़िस्म के तसर्रूफ़ात ताल्लुक़ात की क़ुव्वत और ज़्यादती का सबब हुआ करते हैं, जिन का मुशाहदा और तजुर्बा इस गये गुज़रे ज़माने में भी होता रहता है। इस सब के अलावा ख़ुद हज़रत ज़ुबैर रज़ि॰ की फ़य्याज़ी का क्या पूछना।

साहबे इसाबा ने लिखा है कि उनके एक हज़ार ग़ुलाम थे जो उनको ख़िराज अदा किया करते थे, लेकिन उसमें से ज़रा सा भी घर में न जाता था, यानी सब का सब सदक़ा ही होता था। इसी फ़य्याज़ी का यह समरा (नतीजा) था कि इंतिक़ाल के वक़्त बाईस लाख दिरम क़र्ज़ा था जिसका मुफ़स्सल क़िस्सा बुख़ारी शरीफ़ में मज़्कूर है और क़र्ज़े की सूरत क्या थी, यह कि अमानतदार बहुत थे, मुह्तात बहुत थे। लोग अपनी अमानतें रखवाते वह यह इर्शाद फ़रमा देते कि अमानत रखने की जगह मेरे पास है नहीं, मुझे क़र्ज़ दे दो जब ज़रूरत हो ले लेना। उसको बजाय अमानत के क़र्ज़ लेते और ख़र्च कर देते, और एक हज़रत ज़ुबैर रज़ि॰ ही क्या, इन सब हज़रात का एक ही सा हाल था। इन हज़रात के यहां माल रखने की चीज़ थी ही नहीं।

हज़रत उमर रज़ि॰ ने एक मर्तबा एक थैली में चार सौ दीनार (अशर्फ़ियां) भरीं और ग़ुलाम से फ़रमाया कि यह अबू उबैदा रज़ि॰ को दे आओ कि अपनी ज़रूरियात में ख़र्च कर लें और ग़ुलाम से यह भी फ़रमा दिया कि इनको देने के बाद वहीं किसी काम में मश्ग़ूल हो जाना ताकि देखो कि वह इनको क्या करते हैं? वह ग़ुलाम ले गये और ले जाकर उनकी ख़िदमत में पेश कर दिए। हज़रत अबू उबैदा रज़ि॰ ने हज़रत उमर रज़ि॰ को बड़ी दुआएं दीं और अपनी बांदी को बुलाया और उसके हाथ से सात फ़लां को और पांच फ़लां को, इतने इसको, इतने उसको, उसी मज्लिस में सब ख़त्म कर दिए। ग़ुलाम ने वापस आकर हज़रत उमर रज़ि॰ को क़िस्सा सुनाया। फिर हज़रत उमर रज़ि॰ ने उतनी

ही मिक़्दार उनके हाथ हज़रत मुआज़ रज़ि॰ को भेजी और उस वक़्त भी यही कहा कि वहां किसी काम में मश्गूल हो जाना ताकि यह देखो कि वह क्या करते हैं? उन्होंने भी बांदी के हाथ उसी वक़्त फ़लां घर इतने, फ़लां घर इतने भेजने शुरू करा दिये। इतने में हज़रत मुआज़ रज़ि॰ की बीवी आयीं कि हम भी तो मिस्कीन और ज़रूरत मंद हैं, कुछ हमें भी दे दो। हज़रत मुआज़ रज़ि॰ ने वह थैली उनके पास फेंक दी, उसमें दो बाक़ी रह गयी थीं बाक़ी सब तक़्सीम हो चुकी थीं। गुलाम ने आकर हज़रत उमर रज़ि॰ को क़िस्सा सुनाया। हज़रत उमर रज़ि॰ बहुत ख़ुश हुए और फ़रमाया कि ये सब भाई-भाई हैं यानी सब एक ही नमूने के हैं। *(तर्ग़ीब)*

(۱۳)عن ابی سعیدؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری کساہ اللہ من خضر الجنۃ وایما مسلم اطعم مسلمًا علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنۃ وایما مسلم سقی مسلمًا علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم رواہ ابوداؤد والترمذی کذا فی المشکوٰۃ.

13. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो शख़्स किसी मुसलमान को नंगेपन की हालत में एक कपड़ा पहनाएगा, हक़ तआला शानुहू उसको जन्नत के सब्ज़ लिबास पहनाएगा और जो शख़्स किसी मुसलमान को भूख की हालत में कुछ खिलाएगा, हक़ तआला शानुहू उसको जन्नत के फल खिलाएगा और जो शख़्स किसी मुसलमान को प्यास की हालत में पानी पिलाएगा, अल्लाह जल्ल शानुहू उसको ऐसी शराबे जन्नत पिलाएगा जिस पर मुहर लगी हुई होगी।

फ़ायदाः- मुहर लगी हुई शराब से उस पाक शराब की तरफ़ इशारा है जो क़ुरआन पाक में नेक लोगों के लिए तज्वीज़ की गयी है। चुनांचे अल्लाह जल्ल शानुहू का पाक इर्शाद सूरः तत्फ़ीफ़ में हैः-

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ۝ عَلَی الْاَرَآئِکِ یَنْظُرُوْنَ تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْھِھِمْ نَضْرَۃَ النَّعِیْمِ۝ یُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ۝ خِتٰمُہٗ مِسْکٌ وَفِیْ ذٰلِکَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ۝

तर्जुमाः- नेक लोग बड़ी आसाइश में होंगे, मसहरियों पर बैठे हुए (बहिश्त के अजाइब) देखते होंगे। ऐ मुख़ातब ! तू उनके चेहरों में आसाइश की बशाशत और तरावट पहचानेगा। उनको पीने के लिए ख़ालिस शराब सर ब मुहर,

जिस पर मुश्क की मुहर होगी, मिलेगी। हिर्स करने वालों को इस चीज़ में हिर्स करना चाहिए यानी हिर्स करने की ये चीज़ें हैं।

मुजाहिद रह० कहते हैं कि रहीक़ जन्नत की शराबों में से एक शराब है जो मुश्क से बनायी गयी है और उसमें तस्नीम की आमेज़िश (मिलावट) है। तस्नीम का ज़िक्र इसी सूर: में इस आयत से आगे है।

क़तादा रज़ि० कहते हैं कि तस्नीम जन्नत की शराबों में से अफ़ज़ल तरीन शराब है। मुक़र्रबीन उसको ख़ालिस पिएंगे और दूसरे दर्जे के लोगों की शराबों में उसकी आमेज़िश होगी।

हसन बसरी रह० से भी नक़ल किया गया है कि रहीक़ एक शराब है जिसमें तस्नीम की आमेज़िश है।

हदीसे बाला में जो फ़ज़ीलत इर्शाद फ़रमायी है, वह नंगेपन की हालत, भूख और प्यास की हालत में कपड़ा पहनाने और खिलाने पिलाने की फ़ज़ीलत बयान फ़रमायी है। यह हालत ख़र्च करने वाले की है या जिस पर ख़र्च किया गया है उसकी है, दोनों एहतिमाल हैं –

पहली सूरत में हदीस पाक का मतलब यह है कि ख़ुद नंगा है यानी कपड़े का ज़रूरतमंद है और दूसरे को इस हालत में कपड़ा पहनाये, ख़ुद भूखा है और खाना कुछ मयस्सर हो गया तो दूसरे को तर्जीह देता है, ख़ुद प्यासा है लेकिन अगर पानी मिल गया तो बजाए ख़ुद पीने के दूसरे पर ईसार करता है। इस मतलब के मुवाफ़िक़ यह हदीस पाक क़ुरआन पाक की उस आयते शरीफ़ा की तफ़्सीर होगी जो आयात के सिलसिले में नं० 28 पर गुज़री है –

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط

युअ् सि रू-न अला अन्फ़ुसिहिम व लौ का-न बिहिम ख़सास:०

कि ये लोग अपने ऊपर दूसरों को तर्जीह देते हैं, अगरचे ख़ुद को एह्तियाज हो।

दूसरा मतलब यह है कि ये सब हालात उन लोगों के हैं जिन पर ख़र्च किया जा रहा है। इस मतलब के मुवाफ़िक़ हदीस शरीफ़ का मतलब यह है कि हर चीज़ जितनी ज़्यादा ज़रूरत के मौक़े पर ख़र्च की जाएगी, उतने ही ज़्यादा सवाब की बात होगी। एक ग़रीब को कपड़ा दिया जाए, इसका बहरहाल सवाब

है लेकिन ऐसे शख़्स को कपड़ा पहनाया जाए जो नंगा फिर रहा है, फटे हुए कपड़े पहन रहा है, इसका सवाब आम ग़रिबों से कहीं ज़्यादा है। एक फ़क़ीर को खाना खिला दिया जाता है, हर हाल में उसका सवाब है लेकिन ऐसे शख़्स को खाना खिलाया जाए, जिस पर फ़ाक़ा मुसल्लत हो, उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हर शख़्स को पानी पिलाने का सवाब है लेकिन एक शख़्स को प्यास सता रही है, उसको पानी पिलाने का सवाब इतना ज़्यादा है कि उम्र भर के गुनाहों का कफ़्फ़ारा भी कभी बन जाता है। हदीस नं॰ 10 पर अभी गुज़र चुका है कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने से रंडी के उम्र भर के गुनाह माफ़ हो गये।

सिलसिला-ए-आयात में नं॰ 23 के ज़ैल में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद गुज़र चुका है कि मिस्कीन वह नहीं है, जिसको एक एक, दो दो लुक़्मा दर ब दर फिराता हो। असल मिस्कीन वह है जिसके पास न ख़ुद इतना माल हो कि जो उसकी हाजत को काफ़ी हो न लोगों को उसका हाल मालूम हो कि उसकी मदद करें। यही शख़्स अस्ल महरूम है। हदीस नं॰ 11 के ज़ैल में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बहुत से इर्शादात भूखे को खाना खिलाने की फ़ज़ीलत में गुज़र चुके हैं।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि जो शख़्स अपने किसी भाई की हाजत रवाई में मश्ग़ूल हो, हक़ तआला शानुहू उसकी हाजत रवाई में तवज्जोह फ़रमाते हैं और जो शख़्स किसी मुसलमान से किसी मुसीबत को ज़ायल करे, हक़ तआला शानुहू क़ियामत के मसाइब में से उसकी कोई मुसीबत ज़ायल फ़रमाते हैं और जो शख़्स मुसलमान की पर्दापोशी करे (ऐब से हो या लिबास से), हक़ तआला शानुहू क़ियामत के दिन उसकी पर्दापोशी (उसी नौअ् की) फ़रमाते हैं। *(मिश्कात)*

इस क़िस्म के मज़ामीन बहुत से सहाबा रज़ि॰ से मुख़्तलिफ़ रिवायात में ज़िक्र किये गये हैं।

एक और हदीस में है कि जो शख़्स किसी पर्दे के क़ाबिल चीज़ को (बदन हो या ऐब) देखे और उसकी पर्दापोशी करे, उसका अज्र ऐसा है जैसा कि किसी ऐसे शख़्स को क़ब्र से निकाला हो, जिसको ज़िन्दा क़ब्र में गाड़ दिया गया हो। *(मिश्काव)*

हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है -

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ (الاية)

ला यस्तवी मिन्कुम मन अन्-फ़-क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ा-त-ल०

जो सिलसिला-ए-आयत में नं० 25 पर गुज़र चुका है, इसकी वजह उलमा ने यही लिखी है कि फ़त्हे मक्का से पहले चूंकि ज़रूरत ज़्यादा थी, इसलिए उस वक़्त ख़र्च करने का दर्जा बढ़ा हुआ है। फ़त्हे मक्का के बाद में ख़र्च करने से 'साहिबे जुमल' कहते हैं, यह इसलिए कि उन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानो की इज़्ज़त के ज़माने से पहले ख़र्च किया है। उस वक़्त मुसलमान जान व माल की मदद के ज़्यादा मुहताज थे। यही वे हज़रात साबिक़ीने अव्वलीन हैं, मुहाजिरीन और अन्सार में से, जिनके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि अगर तुम लोग उहद के पहाड़ के बराबर सोना ख़र्च करो तो उनके एक मुद्द बल्कि आधे मुद्द के बराबर भी नहीं हो सकता। *(जुमल)*

इनके अलावा और भी बहुत सी रिवायात में मुख़्तलिफ़ उन्वानात से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़रूरत मन्द को तर्जीह देने पर तर्ग़ीब और तम्बीह फ़रमायी। वलीमा की दावत क़ुबूल करने की तर्ग़ीब बहुत सी रिवायात में वारिद है। लेकिन एक हदीस में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद वारिद हुआ है कि वलीमा का ख़ाना बदतरीन ख़ाना है कि अमीरों को उसके लिए दावत दी जाती है और फ़ुक़रा को छोड़ दिया जाता है। *(मिश्कात)*

यानी जो वलीमा की दावत इस तरह की हो कि उसमें उमरा को मद्ऊ किया जाए ग़ुरबा की दावत न की जाए, वह बद-तरीन ख़ाना है और यह बात न हो तो वलीमा का ख़ाना मस्नून है।

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद आया है कि जो शख़्स किसी मुसलमान को ऐसी जगह पानी पिलाए जहां पानी मिलता हो, उसने सवाब के एतिबार से गोया एक ग़ुलाम आज़ाद किया और जो शख़्स किसी ऐसी जगह पानी पिलाएं जिस जगह पानी न मिलता हो उसने गोया ज़िन्दगी बख़्शी यानी मरते हुए को गोया हलाकत से बचाया। *(कन्ज़)*

एक हदीस में है कि अफ़्ज़ल तरीन सदक़ा यह है कि किसी भूखे को

(आदमी हो या जानवर) खाना खिलाए। *(कन्ज़)*

एक हदीस में है कि अल्लाह जल्ल शानुहू को सबसे ज़्यादा यह अमल पसंद है कि किसी मिस्कीन को भूख की हालत में रोटी खिलाए या उसका क़र्ज़ अदा करे या उसकी मुसीबत को ज़ायल करे। *(कन्ज़)*

उबैद बिन उमैर रज़ि॰ कहते हैं कि क़ियामत के दिन आदमियों का हश्र ऐसी हालत में होगा कि वे इंतिहाई भूख और प्यास की हालत में बिल्कुल नंगे होंगे, पस जिस शख़्स ने दुनिया में किसी को अल्लाह के वास्ते खाना खिलाया होगा, अल्लाह जल्ल शानुहू उस दिन उसको शिकम सेर फ़रमाएंगे और जिसने किसी को अल्लाह के वास्ते पानी पिलाया होगा हक़ तआला शानुहू उसको सेराब फ़रमायेंगे और जिसने जिस किसी को कपड़ा पहनाया होगा, हक़ तआला शानुहू उसको लिबास अता फ़रमाएंगे। *(एहया)*

(١٤) عن ابی هريرةؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الساعی علی الارملة والمسكين كالساعی فی سبيل الله واحسبه قال
كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر متفق عليه (مشكوة)

14. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि बे-ख़ाविंद वाली औरत और मिस्कीन की ज़रूरत में कोशिश करने वाला ऐसा है जैसा कि जिहाद में कोशिश करने वाला और ग़ालिबन यह भी फ़रमाया कि ऐसा है जैसा रात भर नमाज़ पढ़ने वाला कि ज़रा भी सुस्ती न करे और दिन भर रोज़ा रखने वाला कि हमेशा रोज़ादार रहे।

फ़ायदा:- बे-ख़ाविंद वाली औरत से आम मुराद है कि रांड हो गयी हो या उसको ख़ाविंद मयस्सर ही न हुआ हो। इस हदीस पाक में इन दोनों के लिए कोशिश करने वाले के लिए यह अज्र व सवाब और फ़ज़ीलत है, ख़्वाह इसकी कोशिश से कोई समरा (नतीजा) पैदा हुआ हो या न हुआ हो।

एक हदीस में है कि जो शख़्स अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिये या उसको नफ़ा पहुँचाने के लिये चले तो उसको अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों का सवाब मिलता है। *(कन्ज़)*

एक हदीस में है कि जो शख़्स अपने मुज़्तर (परेशान) भाई की मदद करे, हक़ तआला शानुहू उसको उस दिन साबित क़दम रखेंगे, जिस दिन पहाड़ भी अपनी जगह से हट जायेंगे। *(कन्ज़)*

यानी क़ियामत के सख़्त दिन, जिस दिन पहाड़ भी अपनी जगह न जम सकेंगे, यह साबित क़दम रहेगा और इस हदीस पाक से एक लतीफ़ चीज़ यह भी पैदा होती है कि फ़ित्नों और हवादिस के ज़मानों में जब लोगों के क़दम उखड़ जाएं, जैसाकि आज कल का ज़माना गुज़र रहा है। ऐसे लोग साबित क़दम रहते हैं जो लोगों की इआनत और मदद करते रहते हों।

एक हदीस में है कि जो शख़्स अपने मुसलमान भाई की दुन्यावी हाजतों में से किसी हाजत को पूरा करे हक़ तआला शानुहू उसकी सत्तर हाजतें पूरी फ़रमाते हैं, जिनमें से सबसे अद्ना दर्जा यह है कि उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। *(कन्ज़)*

एक हदीस में है कि जो शख़्स अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत को हुकूमत तक पहुँचा देने का ज़रिया बन जाए, जिससे उसको कोई नफ़ा पहुँच जाए या उसकी कोई मुश्किल दूर हो जाए तो हक़ तआला शानुहू उस शख़्स को जो ज़रिया बना है, क़ियामत के दिन पुल सरात पर चलने में मदद फ़रमायेंगे, जिस वक़्त कि वहां लोगों के क़दम फिसल रहे होंगे। *(कंज़)*

इसलिए जो लोग हुक्काम रस हैं या मुलाज़िमों के आक़ाओं तक उनकी रसाई है, उनको ख़ासतौर से इस हदीस पाक से फ़ायदा उठाना चाहिए। नौकरों और मह्कूमों की ज़रूरियात की तफ़्तीश करके उनको आक़ाओं और हाकिमों तक पहुँचाना चाहिए, यह न समझना चाहिए कि हम क्यों ख़्वाह मख़्वाह दूसरों की फटन में पांव अड़ाएं। पुल सिरात पर गुज़रना बड़ी सख़्त मुश्किल तरीन चीज़ है इस मामूली कोशिश से उनके लिए ख़ुद कितनी बड़ी सहूलत मयस्सर होती है, लेकिन अल्लाह के वास्ते होना तो हर जगह शर्त है। अपनी वजाहत, अपनी शोहरत लोगों के दिलों में अपनी इज़्ज़त क़ायम करने की नीयत से न हो। अगरचे अल्लाह के लिए करने से ये सब चीज़ें ख़ुद ब ख़ुद हासिल होंगी और उससे ज़्यादा बढ़कर होंगी। जितनी अपने इरादे से होती हैं, लेकिन अपनी तरफ़ से इन चीज़ों का इरादा करना इस मेहनत को आक़ा के लिए होने से निकाल देगा।

(١٥)عن ابی ذرؓ قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ثلثة یحبھم اللّٰہ وثلثة یبغضھم اللّٰہ فامّاالذین یحبھم اللّٰہ فرجل اتی قوما فسألھم باللّٰہ ولم یسألھم لقرابة بینہٗ وبینھم فمنعوہ فتخلف رجل باعیانھم فاعطاہ سرًا لایعلم بعطیتہ الااللّٰہ والذی اعطاہ وقوم ساروالیلتھم حتی اذاکان النوم احب الیھم ممّایعدل بہ فوضعوا رؤسھم فقام یتملقنی ویتلوآیاتی ورجل کان فی سریہ فلقی العدو فھزموا فاقبل بصدرہ حتی یقتل اویفتح لہ والثلثة الذین یبغضھم اللّٰہ الشیخ الزانی والفقیر المختال والغنی الظلوم رواہ الترمذی والنسائی کذا فی المشکوٰۃ وعزاہ السیوطی فی الجامع الی ابن حبان والحاکم۔

15. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि तीन आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह जल्ल शानुहू महबूब रखते हैं और तीन शख़्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह जल्ल शानुहू को बुग़्ज़ है, जिन तीन आदमियों को अल्लाह जल्ल शानुहू महबूब रखता है, उनमें एक तो वह शख़्स है कि किसी मज्मा के पास कोई साइल आया और महज़ अल्लाह के वास्ते से उनसे कुछ सवाल करने लगा, कोई क़राबत रिश्तेदारी (वग़ैरह) इस साइल की उनसे न थी। उस मज्मा ने इस साइल को कुछ न दिया। उस मज्मे में से एक शख़्स उठा और चुपके से उस साइल को कुछ दे दिया, जिसकी कुछ ख़बर सिवाए अल्लाह जल्ल शानुहू के या इस साइल के और किसी को न हुई (तो यह देने वाला शख़्स अल्लाह जल्ल शानुहू को बहुत महबूब है, दूसरा) वह शख़्स है कि एक मज्मा कहीं सफ़र में जा रहा है। सारी रात चलने के बाद जब नींद का उन पर इतना ग़लबा हो जाए कि वह हर चीज़ से ज़्यादा महबूब बन गयी हो तो वह मज्मा थोड़ी देर के लिए सोने लेट गया, लेकिन एक शख़्स उनमें से खड़ा होकर अल्लाह जल्ल शानुहू के सामने गिड़गिड़ाने लगे और क़ुरआन पाक की तिलावत शुरू कर दे। तीसरा वह शख़्स है कि किसी जमाअत में जिहाद में शरीक था, वह जमाअत शिकस्त खा गयी, उनमें से एक शख़्स सीना सपर होकर आगे बढ़ा और शहीद हो गया या ग़ालिब हो गया और वह तीन शख़्स जिनसे अल्लाह जल्ल शानुहू बुग़्ज़ रखते हैं,

एक वह जो बूढ़ा होकर भी ज़िना में मुब्तला हो, दूसरा वह शख़्स जो फ़क़ीर होकर भी तकब्बुर करे, तीसरा वह शख़्स जो मालदार होकर ज़ुल्म करे।

फ़ायदाः- इन छः शख़्सों के मुताल्लिक़ इस क़िस्म के मज़ामीन बहुत सी मुख़्तलिफ़ रिवायात में वारिद हुए हैं और यह हदीस आयात के सिलसिले में नं॰ 9 के ज़ैल में भी गुज़र चुकी है। कुछ रिवायात में इनमें से एक शख़्स को ज़िक्र किया है और कुछ में एक से ज़ायद का ज़िक्र किया है।

एक हदीस में है कि तीन मौक़े ऐसे हैं, जिनमें बन्दे की दुआ रद्द नहीं की जाती यानी ज़रूर क़ुबूल होती है -

1. एक वह शख़्स, जो किसी जंगल में हो, जहां कोई उसको न देखता हो और वहां खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे। (उस वक़्त उसकी दुआ ज़रूर क़ुबूल होगी)

2. एक वह शख़्स जो किसी मज्मा के साथ जिहाद में हो और साथी भाग जाएं, वह अकेला जमा रहे।

3. तीसरा वह शख़्स है जो आख़िर रात में अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए। *(जामिउस्सग़ीर)*

एक हदीस में है, तीन आदमी ऐसे हैं। जिनसे अल्लाह जल्ल शानुहू क़ियामत में कलाम न करेंगे, न उनका तज़्किया करेंगे और न उनकी तरफ़ (रहमत की) नज़र फ़रमायेंगे और उनके लिए दुख देने वाला अज़ाब होगा, एक ज़ानी बूढ़ा, दूसरा झूठा बादशाह, तीसरा मुतकब्बिर फ़क़ीर। *(जामिउस्सग़ीर)*

तज़्किया न करने का मतलब यह भी हो सकता है कि उनको गुनाहों से पाक न करेंगे और यह भी हो सकता है कि उनकी तारीफ़ न करेंगे।

एक और हदीस में है कि तीन शख़्स ऐसे हैं जिनकी तरफ़ हक़ तआला शानुहू क़ियामत में (मरहमत) की नज़र न करेंगे और उनके लिए दुख देने वाला सख़्त अज़ाब होगा। एक अधेड़ उम्र का शख़्स ज़िनाकार, दूसरा मुतकब्बिर फ़क़ीर, तीसरा वह शख़्स जो ख़रीद फ़रोख़्त में हर वक़्त क़सम खाता रहे, जो ख़रीदे, क़समें खाकर ख़रीदे और जब फ़रोख़्त करे तो भी क़समें खाकर फ़रोख़्त करे। (यानी बात बे बात, ज़रूरत बे ज़रूरत बार बार क़समें खाता हो कि यह अल्लाह पाक की आलीशान की बे-अदबी है।)

एक और हदीस के अल्फ़ाज़ हैं कि तीन शख़्सों की तरफ़ कल को (क़ियामत के दिन) हक़ तआला शानुहू नज़र न करेंगे, बूढ़ा ज़ानी, दूसरे वह शख़्स जो क़समों को अपनी पूंजी बनाए कि हर हक़, ना हक़ पर क़सम खाता हो, तीसरे मुतकब्बिर फ़क़ीर जो अकड़ता हो। *(जामिउस्सग़ीर)*

एक और हदीस के अल्फ़ाज़ हैं कि तीन शख़्सों को हक़ तआला शानुहू महबूब रखते हैं और तीन शख़्सों को मब्ग़ूज़ रखते हैं -

1. जिनको महबूब रखते हैं, उनमें से एक वह शख़्स है जो किसी जमाअत के साथ जिहाद में शरीक हो और दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए, यहां तक कि फ़त्ह हो या शहीद हो जाए।

2. दूसरा वह शख़्स जो किसी जमाअत के साथ सफ़र कर रहा हो और जब रात का बहुत सा हिस्सा गुज़र जाए और वह जमाअत थोड़ी देर आराम लेने के लिए लेट जाए तो यह खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने लगे, यहां तक कि थोड़ी देर में साथियों को आगे चलने के लिए जगा दे। (यानी ख़ुद ज़रा भी न सोए)।

3. तीसरा वह शख़्स जिसका पड़ोसी उसको सताता हो और वह उसकी अज़ीयत (सताने) पर सब्र करे, यहां तक कि मौत से या सफ़र वग़ैरह से उस में और उसके पड़ोसी में जुदाई हो जाए (यानी यह कि जब तक उसका पड़ोसी बाक़ी रहे, मुसलसल सब्र करता रहे।)

और वे तीन शख़्स जिनको अल्लाह जल्ल शानुहू मब्ग़ूज़ रखते हैं- एक क़समें खाने वाला ताजिर, दूसरा मुतकब्बिर फ़क़ीर, तीसरा वह बख़ील जो सदक़ा करके, एहसान जताता हो। *(जामिउस्सग़ीर)*

(١٦) عن فاطمة بنت قيسؓ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في المال لحقا سوى الزكوٰة ثم تلا لَيْسَ الْبِرَّاَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الآية رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى كذافى المشكوٰة وقال الترمذ ى هذا حديث ليس اسناده بذلك وابوحمزة يضعف وروى بيان واسمٰعيل عن الشعبى هذا الحديث قوله وهواصح قلت واخرجه ابن ماجه بلفظ ليس فى المال حقا سوى الزكوٰة وقال العينى فى شرح البخارى رواه البيهقى بلفظ الترمذى ثم قال والذين يرويه اصحابنا في التعاليق ليس فى المال حق سوى الزكوٰة اه

16. हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि माल में ज़कात के अलावा और भी हक़ है (फिर अपने इस इर्शाद की ताईद में सूरः बक़रः के 22वें रूकूअ् की यह आयत)

"लैसल बिर्-र अन तुवल्लू वुजूह-कुम क़िब-लल् मशरिक़ि वल् मग़्रिबि॰" आख़िर तक तिलावत फ़रमायी।

फ़ायदाः- इस आयते शरीफ़ा का बयान सिलसिला-ए-आयात में नं॰ 2 पर गुज़र चुका है। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस आयते शरीफ़ा से यह तज्वीज़ फ़रमाया कि माल में ज़कात के अलावा और भी हक़ है और यह तज्वीज़ इस वजह से ज़ाहिर है कि आयते शरीफ़ा में अपने माल को रिश्तेदारों पर ख़र्च करने की, यतीमों पर, ग़रीबों पर, मुसाफ़िरों पर और सवाल करने वालों पर ख़र्च करने की, क़ैदियों और ग़ुलामों वग़ैरह की गरदन छुड़ाने में ख़र्च करने की मुस्तक़िल अलाहिदा तर्ग़ीब दी है और इस सब के बाद ज़कात अदा करने को अलाहिदा ज़िक्र फ़रमाया।

मुस्लिम बिन यसार रह॰ कहते हैं कि नमाज़ें दो हैं (एक फ़र्ज़, एक नफ़्ल) इसी तरह ज़कातें भी दो हैं (एक नफ़्ल, दूसरी फ़र्ज़) और क़ुरआन पाक में दोनों मज़्कूर हैं, मैं तुमको बताऊँ? लोगों के दर्याफ़्त करने पर उन्होंने यह आयते शरीफ़ा पढ़ी और इब्तिदाई हिस्सा पढ़कर जिसमें माल के मज़्कूरा मौक़ों पर ख़र्च करना मज़्कूर है, फ़रमाया कि यह तो सब का सब नफ़्ल है। इसके बाद ज़कात का ज़िक्र पढ़कर फ़रमाया कि यह फ़र्ज़ है। *(दुर्रे मन्सूर)*

अल्लामा तय्यबी रह॰ फ़रमाते हैं कि इस हदीस शरीफ़ में हक़ से मुराद यह है कि सवाल करने वाले को महरूम न रखे, क़र्ज़ मांगने वाले को महरूम न करे, अपने घर का मामूली सामान मुस्तआर[1] मांगने वाले को इंकार न करे, मसलन हांडी प्याला वग़ैरह कोई आरियतन[2] मांगे तो उसको न रोके, पानी और नमक और आग को लोगों को इन्कार न करे।

अल्लामा क़ारी रह॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ ने इस हदीसे पाक में जो आयते शरीफ़ा पढ़ी है उसमें ज़कात के अलावा जो उमूर ज़िक्र किए हैं वे मुराद हैं जैसा कि सिला-रहमी, यतीमों पर एहसान करना, मिस्कीन, मुसाफ़िर

1. 2. उधार

और सवाली को देना, लोगों की गरदनों को आज़ादी वग़ैरह के ज़रिए से ख़लास करना। *(मिर्क़ात)*

साहिबे मज़ाहिरे हक़ रह० ने लिखा है कि ज़कात तो फ़र्ज़ है, ज़रूर देनी चाहिए, सिवाए ज़कात के सदक़ा-ए-नफ़्ल भी मुस्तहब है वह भी दिया करें, और वह यह है कि इसके बाद अल्लामा तय्यबी रह० और अल्लामा क़ारी रह० के कलाम का तर्जुमा तहरीर फ़रमा कर लिखा है कि यह आयत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सनद के लिए पढ़ी है इस वास्ते कि इसमें अव्वल तो अल्लाह तआला ने तारीफ़ की मोमिनों की साथ देने माल के अपनों और यतीमों वग़ैरह को, बाद उसके तारीफ़ की साथ क़ायम करने नमाज़ के और देने ज़कात के, पस मालूम हुआ कि देना माल का सिवाए देने ज़कात के है और वह सदक़ा-ए-नफ़्ल है और हासिल यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो फ़रमाया था कि माल में हक़ है सिवाए ज़कात के, वह इस आयत से साबित हुआ कि अव्वल सदक़ा-ए-नफ़्ल ज़िक्र किया गया, फिर सदक़ा-ए-वाजिब। *(मज़ाहिरे हक़)*

अल्लामा जस्सास राज़ी रह० ने लिखा है कि कुछ उलमा ने इस आयते शरीफ़ा से हुक़ूक़े वाजिबा मुराद लिए हैं जैसा कि सिला रहमी, जब कि किसी ज़ी रहम को सख़्त मशक़्क़त में पाए या किसी मुज़्तर पर ख़र्च करना, जब कि उसको इज़्तिरार ने हलाकत के अन्देशे तक पहुँचा दिया हो तो उस पर इतनी मिक़्दार ख़र्च करना लाज़िम है, जिस से उस की भूख जाती रहे।

इसके बाद अल्लामा रह० ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद कि माल में ज़कात के अलावा हक़ है, नक़ल करके फ़रमाया कि इस से नादार रिश्तेदारों पर ख़र्च करना भी मुराद हो सकता है कि हाकिम ने उनका नफ़्क़ा ज़िम्मे कर दिया हो और मुज़्तर पर ख़र्च करना भी हो सकता है और नफ़्ली हुक़ूक़ भी हो सकते हैं इसलिए कि हक़ का लफ़्ज़ वाजिब और नफ़्ल दोनों पर इत्लाक़ किया जाता है।

फ़तावा आलमगीरिया में है कि लोगों के ज़िम्मे मुहताज का खिलाना फ़र्ज़ है जबकि वह (कमाने के लिए) निकलने से और मांगने से आजिज़ हो और उसमें तीन बातें हैं -

1. अव्वल यह कि जब मुहताज निकलने से आजिज़ हो, तो हर उस

शख़्स पर जिसको उसका हाल मालूम हो, उसका खिलाना फ़र्ज़ है और इतनी मिक़्दार खिलाना ज़रूरी है, जिससे वह निकलने पर और फ़र्ज़ अदा करने पर क़ादिर हो जाए, बशर्ते कि जिसको उसका हाल मालूम है वह खिलाने पर क़ादिर हो और अगर उसमें ख़ुद खिलाने की क़ुदरत न हो, तो उसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि दूसरों को उसके हाल की इत्तिला करे और वह मुहताज मर जाए, तो वे सब गुनाहगार होंगे जिनको उसका हाल मालूम है।

2. दूसरी बात यह है कि अगर मुहताज निकलने पर क़ादिर है, लेकिन कमाने पर क़ादिर नहीं है तो लोगों के ज़िम्मे जिनको उसका हाल मालूम है ज़रूरी है कि वे अपने सदक़ाते वाजिबा से उसकी मदद करें और अगर वह कमाने पर भी क़ादिर है तो फिर उसको जायज़ नहीं कि सवाल करे।

3. तीसरी बात यह है कि अगर वह मुहताज निकलने पर क़ादिर है, लेकिन कमाने पर क़ादिर नहीं तो उसके ज़िम्मे ज़रूरी है कि निकल कर लोगों से सवाल कर ले। अगर वह सवाल नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा।

(आलमगीरी)

(١٧) عن بهيسةؓ عن ابيهاقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماالشئ الذى لا يحل منعه قال الماء قال يانبى الله ماالشئ الذى لايحل منعه قال الملح قال يانبى الله ماالشئ الذى لايحل منعه قال ان تفعل الخيرخير لك رواه الترمذى وابوداؤد كذافى المشكوة.

17. हज़रत बहैसा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि मेरे वालिद साहब ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दर्याफ़्त किया कि वह क्या चीज़ है जिसका (किसी मांगने वाले को देने से) रोकना जायज़ नहीं ? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, पानी, मेरे वालिद ने फिर यही सवाल किया तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि नमक, मेरे वालिद ने फिर यही सवाल किया तो हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया जो भलाई तू (किसी के साथ) कर सके वह तेरे लिए बेहतर है।

फ़ायदा:- अगर पानी से मुराद कुएं से पानी लेना हो और नमक से मुराद उसके मादन (खान) से नमक लेना मुराद हो तब तो शरई हैसियत से भी किसी को इन चीज़ों से रोकने का हक़ नहीं है। लेकिन अपना मम्लूक पानी और मम्लूक नमक है तो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ग़रज़ इस

पर तम्बीह फ़रमाना है कि ऐसी मामूली चीज़ों को साइल को इन्कार करना हरगिज़ न चाहिए, जिसमें देने वाले को ज़्यादा नुक़्सान नहीं और मांगने वाले की बड़ी एहतियाज पूरी होती है, बशर्ते कि देने वाले की अपनी हाजत भी उसी दर्जे की न हो लेकिन आमतौर पर चूंकि घरों में यह चीज़ें अक्सर मौजूद होती हैं और अपनी कोई वक़्ती ज़रूरत उनसे ऐसी वाबस्ता नहीं होती। अगर किसी शख़्स की हांडी फीकी है, ज़रा से नमक में उसका सारा खाना दुरूस्त हो जाता है और तुम्हारा कोई ऐसा नुक्सान इसमें नहीं होता, ऐसे ही पानी का हाल है।

हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि तीन चीज़ों का रोकना जायज़ नहीं, पानी, नमक, आग। मैं ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! पानी तो हम समझ गये। (कि वाक़ई बहुत मजबूरी की चीज़ है) लेकिन नमक और आग में क्या बात है? हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि ऐ हुमैरा, जब कोई शख़्स किसी को आग देता है तो गोया उसने वह सारी चीज़ सदक़ा की जो आग पर पकी और जिसने नमक दिया उसने गोया वह सारी चीज़ सदक़ा की जो नमक की वजह से लज़ीज़ हो गयी। *(मिश्कात)*

गोया इन दोनों में मामूली ख़र्च से दूसरों का बहुत ज़्यादा नफ़ा है।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऊपर वाली हदीस में मिसाल के तौर पर दो चीज़ों का ज़िक्र फ़रमा कर फिर एक ज़ाब्ता इर्शाद फ़रमा दिया कि जो भलाई किसी के साथ कर सकते हो, वह तुम्हारे लिए बेहतर है

"भला कर जो अपना भला चाहता है।"

हक़ीक़त यही है कि आदमी जो कोई एहसान किसी क़िस्म का भी किसी के साथ करता है वह सूरत में दूसरे के साथ एहसान है, हक़ीक़त में वह अपने ही साथ एहसान है।

अल्लाह जल्ल शानुहू के पाक इर्शाद में बसिलसिला-ए-आयात नं॰ 20 पर गुज़र चुका है कि जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करोगे, अल्लाह जल्ल शानुहू उसका बदल अता फ़रमायेगा और बसिलसिला-ए-अहादीस नं॰ 2 पर गुज़र चुका है कि दो फ़रिश्ते रोज़ाना इसकी दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह! ख़र्च करने वाले को बदल अता फ़रमा और रोकने वाले को बर्बादी अता कर। ऐसी हालत में जो एहसान भी कोई शख़्स किसी के साथ करता है वह अपने माल को बर्बादी से बचा कर उसके बदल का अल्लाह जल्ल शानुहू के ख़ज़ाने

से अपने लिए इस्तिहक़ाक़ क़ायम करता है और ग़ौर की निगाह अगर मयस्सर हो तो हक़ीक़त में दूसरों पर ज़रा भी एहसान नहीं, बल्कि ऐसा है, जैसा कि उसने तुम्हारे मकान को लूट से बचा दिया हो, इस लिहाज़ से उसका तुम पर एहसान है, न कि तुम्हारा उस पर।

(۱۸) عن سعدبن عبادةؓ قال یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام سعد ماتت فای الصدقۃ افضل قال الماء فحفربیرًا وقال ھذہ لام سعد رواہ مالک وابوداؤد والنسائی کذا فی المشکوٰۃ.

18. हज़रत सअ़द रज़ि॰ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा का इन्तिक़ाल हो गया, (उनके ईसाले सवाब के लिए) कौन सा सदक़ा ज़्यादा अफ़ज़ल है ? हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि पानी सबसे अफ़ज़ल है। इस पर हज़रत सअ़द रज़ि॰ ने अपनी वालिदा के सवाब के लिए एक कुवां खुदवा दिया।

फ़ायदा:- हुज़ूर सल्ल॰ ने पानी को ज़्यादा अफ़ज़ल इसलिए फ़रमाया कि मदीना तैय्यबा में इसकी ज़रूरत ज़्यादा थी। अव्वल तो गर्म मुल्कों में सब ही जगह पानी की ज़रूरत ख़ास तौर से होती है और मदीना मुनव्वरा में उस वक़्त पानी की क़िल्लत भी थी। इसके अलावा पानी का नफ़ा भी आम है और ज़रूरत भी उमूमी है।

एक हदीस में है कि जो शख़्स पानी का सिलसिला जारी कर जाए तो जो इन्सान या जिन्न या परिन्दा भी उससे पानी पिएगा तो मरने वाले को क़ियामत तक इसका सवाब होता रहेगा।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ि॰ के पास एक शख़्स हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मेरे घुटने में एक ज़ख़्म है, सात साल हो गये, हर क़िस्म की द.. और इलाज कर चुका हूँ किसी से भी फ़ायदा नहीं होता, बड़े बड़े तबीबों से भी रूजू कर चुका हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ि॰ ने फ़रमाया कि जिस जगह पानी की क़िल्लत हो वहां एक कुवां बनवा दो। मुझे अल्लाह की ज़ात से यह उम्मीद है कि जब उसमें पानी निकल आएगा, तुम्हारे घुटने का ख़ून बन्द हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया और घुटने का ज़ख़्म अच्छा हो गया।

मशहूर मुहद्दिस हज़रत अबूअब्दुल्लाह हाकिम रह॰ के चेहरे पर एक

ज़ख़्म हो गया था। हर क़िस्म के इलाज किए कोई भी कारगर न हुआ। एक साल इसी हाल में गुज़र गया। एक मर्तबा उस्ताद अबू उस्मान साबूनी रह० से दुआ की दर्ख़्वास्त की। जुमा का दिन था, उन्होंने बड़ी देर तक दुआ की। मज्मे ने आमीन कहा। दूसरे जुमा को एक औरत हाज़िर हुई और एक पर्चा मज्लिस में पेश किया, जिसमें यह लिखा था कि मैं गुज़िश्ता जुमा को जब घर वापस गयी तो हाकिम के लिए बहुत एहतिमाम से दुआ करती रही। मैं ने ख़्वाब में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़ियारत की। हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि हाकिम से कह दो कि मुसलमानों पर पानी की वुसअ़त करे। हाकिम ने यह सुनकर अपने घर के दरवाज़े पर एक सबील क़ायम कर दी। जिसमें पानी के भरने का और उसमें बर्फ़ डालने का एहतिमाम किया। एक हफ़्ता गुज़रा था कि चेहरे के सब ज़ख़्म बिल्कुल अच्छे हो गये और पहले से ज़्यादा ख़ुश्नुमा चेहरा हो गया। *(मिश्कात)*

एक हदीस में है कि हज़रत सअ़द रज़ि० ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा अपनी जिन्दगी में मेरे माल से हज करती थीं, मेरे ही माल से सदक़ा देतीं थीं, सिलारहमी करती थीं, लोगों की इम्दाद करती थीं, अब उनका इन्तिक़ाल हो गया। यह सब कांम अगर हम उनकी तरफ़ से करें तो उनको इनका नफ़ा पहुँचेगा? हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि पहुंचेगा। *(कन्ज़)*

एक हदीस में आया है कि एक औरत ने हुज़ूर सल्ल० से सवाल किया कि मेरी वालिदा का अचानक इन्तिक़ाल हो गया। अगर अचानंक न होता तो वह कुछ सदक़ा वग़ैरह करतीं। अगर मैं उनकी तरफ़ से कुछ सदक़ा करूँ तो उनकी तरफ़ से हो जाएगा? हुज़ूर सल्ल० नें फ़रमाया हाँ, उनकी तरफ़ से सदक़ा कर दो। *(अबू दाऊद)*

अपने मां बाप, ख़ाविंद, बीवी, बहिन, भाई, औलाद और दूसरे रिश्तेदार ख़ुसूसन वे लोग जिनके मरने के बाद उनका कोई माल अपने पास पहुँचा हो या उनके ख़ुसूसी एहसानात अपने ऊपर हों, जैसे असातिज़ा[1] और मशाइख़, उनके लिए ईसाले सवाब का बहुत ज़्यादा एहतिमाम करना चाहिए। बड़ी बे ग़ैरती है कि उनके माल से आदमी नफ़ा उठाता रहे, उनकी ज़िन्दगी के एहसानात से फ़ायदा उठाता रहे, और जब वे अपने अताया और अपने हदाया के ज़रूरतमन्द

1. उस्ताद की जमा।

हों, तो उनको फ़रामोश कर दे। आदमी जब मर जाता है तो उसके अपने आमाल ख़त्म हो जाते हैं, सिवाए इस सूरत के कि वह कोई सदक़ा-ए-जारिया छोड़ गया हो या कोई और ऐसा अमल कर गया हो जो सदक़ा-ए-जारिया के हुक्म में हो जैसाकि आइन्दा आ रहा है। उस वक़्त वह दूसरों के ईसाले सवाब और उनकी दुआ वग़ैरह से इम्दाद का मुहताज और मुन्तज़िर रहता है।

एक हदीस में आया है कि मुर्दा अपनी क़ब्र में उस शख़्स की तरह से होता है जो पानी में डूब रहा हो और हर तरफ़ से किसी मददगार का ख़्वाहिशमंद हो और वह इसका मुन्तज़िर रहता है कि बाप भाई वग़ैरह किसी दोस्त की तरफ़ से कोई मदद दुआ की (कम से कम) उसको पहुँच जाए और जब उसको कोई मदद पहुँचती है तो वह उसके लिए सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब होती है। *(एहया)*

बशर बिन मन्सूर रह० कहते हैं कि ताऊन के ज़माने में एक आदमी थे जो कसरत से जनाज़ों की नमाज़ों में शरीक होते और शाम के वक़्त क़ब्रस्तान के दरवाज़े पर खड़े होकर यह दुआ करते :-

انس اللہ وحشتکم ورحم غربتکم وتجاوز عن سیاتکم وقبل اللہ حسناتکم

(अल्लाह जल्ल शानुहू तुम्हारी वह्शत को दिलबस्तगी से बदल दे और तुम्हारी ग़ुर्बत पर रहम फ़रमाये और तुम्हारी लग़्ज़िशों से दरगुज़र फ़रमाये और तुम्हारी नेकियों को क़ुबूल फ़रमाये)

इस दुआ के बाद अपने घर वापस चले जाते। एक दिन इत्तिफ़ाक़ से इस दुआ को पढ़ने की नौबत नहीं आयी, वैसे ही घर आ गये तो रात को ख़्वाब में एक बड़ा मज्मा देखा जो उनके पास गया। उन्होंने पूछा कि तुम कौन लोग हो? कैसे आये हो? उन्होंने कहा कि क़ब्रस्तान के रहने वाले हैं। तुमने हमको इसका आदी बना दिया था कि रोज़ाना शाम को तुम्हारी तरफ़ से हमारे पास हद्या आया करता था। उन्होंने पूछा कैसा हद्या? वे लोग कहने लगे कि तुम जो दुआ रोज़ाना शाम को किया करते थे, वह हमारे पास हद्या बन कर पहुँचती थी। वह शख़्स कहते हैं कि फिर मैं ने कभी इस दुआ को तर्क नहीं किया।

बिशार बिन ग़ालिब नजरानी रह० कहते हैं कि मैं हज़रत राबिया बसरिया के लिए बहुत कसरत से दुआ किया करता था। मैं ने एक मर्तबा उनको ख़्वाब में देखा। वह कहती हैं कि बिशार ! तुम्हारे तोहफ़े हमारे पास नूर के ख़्वानों

में रखे हुए पहुँचते हैं, जिन पर रेशम के ग़िलाफ़ ढके हुए होते हैं। मैं ने पूछा यह क्या बात है? उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो दुआ मुर्दे के हक़ में क़ुबूल हो जाती है, तो वह दुआ नूर के ख़्वान पर रेशम के ग़िलाफ़ से ढकी हुई मय्यित के पास पेश होती है कि यह फ़लां शख़्स ने तुम्हारे पास हद्‌या भेजा है। *(एहया)*

आइन्दा हदीस के ज़ैल में भी इस क़िस्म के कई वाक़िआत आ रहे हैं।

इमाम नववी रह॰ ने मुस्लिम शरीफ़ की शरह में लिखा है कि सदके का सवाब मय्यित को पहुँचने में मुसलमानों में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, यही मज़हब हक़ है और कुछ लोगों ने जो यह लिख दिया कि मय्यित को उसके मरने के बाद सवाब नहीं पहुँचता, यह क़त्अन बातिल है और खुली हुई ख़ता है, यह क़ुरआन पाक के ख़िलाफ़ है, यह हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की अहादीस के ख़िलाफ़ है, यह इज्माए उम्मत के ख़िलाफ़ है, इसलिए यह क़ौल हरगिज़ क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं। *(बज़्ल)*

शैख़ तक़ियुद्दीन रह॰ फ़रमाते हैं कि जो शख़्स यह ख़्याल करे कि आदमी को सिर्फ़ अपने ही किये का सवाब मिलता है, वह इज्माए उम्मत के ख़िलाफ़ कर रहा है। इसलिए कि उम्मत का इस पर इज्मा है कि आदमी को दूसरों की दुआ से फ़ायदा पहुँचता है यह दूसरे के अमल से नफ़ा हुआ। नीज़ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मैदाने हश्र में शफ़ाअत फ़रमाएंगे, नीज़ दूसरे अम्बिया और सुलहा सिफ़ारिश फ़रमाएंगे, यह सब दूसरों के अमल से फ़ायदा हुआ, नीज़ फ़रिश्ते, मोमिनों के लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करते हैं, (जैसा कि सूरः मोमिन के पहले रूकूअ् में है) यह दूसरे के अमल से फ़ायदा हुआ, नीज़ हक़ तआला शानुहू महज़ अपनी रहमत से बहुत से लोगों के गुनाह माफ़ फ़रमा देंगे, यह अपनी कोशिश और अमल के अलावा से फ़ायदा हुआ, नीज़ मोमिनों की औलाद अपने वालिदैन के साथ जन्नत में दाख़िल की जाएगी।(जैसा कि वत्तूर के पहले रूकूअ् में है) यह दूसरे के अमल से फ़ायदा हुआ, नीज़ हज्जे बदल करने से मय्यित के ज़िम्मे से फ़र्ज़ हज अदा हो जाता है, यह दूसरे के अमल से नफ़ा हुआ। ग़रज़ बहुत सी चीज़ें इसके लिए दलील और हुज्जत हैं जिन का शुमार भी दुश्वार है। *(बज़्ल)*

एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरे भाई का इन्तिक़ाल हो गया। मैंने उनको ख़्वाब में देखा और उनसे पूछा कि क़ब्र में रखने के बाद तुम पर क्या गुज़री?

वह कहने लगे कि उस वक़्त मेरे पास एक आग का शोला आया, मगर साथ ही एक शख़्स की दुआ मुझ तक पहुँची। अगर वह न होती तो वह शोला मुझको लग जाता। अली बिन मूसा हद्दाद रह० कहते हैं कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल रह० के साथ एक जनाज़े में शरीक था। मुहम्मद बिन क़ुदामा रह० भी हमारे साथ थे। जब उस लाश को दफ़्न कर चुके तो एक ना बीना शख़्स आए और वह क़ब्र के पास बैठकर क़ुरआन शरीफ़ पढ़ने लगे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रह० ने फ़रमाया कि क़ब्र के पास बैठकर क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना बिद्अत है। जब हम वहां से वापस होने लगे तो रास्ते में मुहम्मद बिन क़ुदामा रह० ने हज़रत इमाम अहमद रह० से पूछा कि आप के नज़दीक मुबश्शिर बिन इस्माईल हल्बी रह० कैसे आदमी हैं? इमाम रह० ने फ़रमाया कि वह मोतबर आदमी हैं। इब्ने क़ुदामा रह० ने पूछा कि आप ने भी उनसे कुछ इल्म हासिल किया है? फ़रमाया हाँ, मैं ने यही हदीसें उनसे ली हैं। इब्ने क़ुदामा रह० ने कहा कि मुबश्शिर रज़ि० ने मुझसे बयान किया कि अब्दुर रहमान बिन अला बिन लजलाज रह० ने अपने वालिद से यह नक़ल किया कि जब उनका इन्तिक़ाल होने लगा तो उन्हों ने यह वसीयत फ़रमायी थी कि उनकी क़ब्र के सिरहाने सूरः बक़रः का अव्वल व आख़िर पढ़ा जाए और यह कह कर फ़रमाया था कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० को यह वसीयत करते हुए सुना था। हज़रत इमाम रह० ने यह क़िस्सा सुनकर इब्ने क़ुदामा रह० से कहा कि क़ब्रस्तान में वापस जाओ और उन ना बीना से कहो कि वह क़ुरआन शरीफ़ पढ़ लें। मुहम्मद बिन अहमद मरूज़ी रह० कहते हैं कि मैं ने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रह० से सुना, वह फ़रमाते थे कि जब तुम क़ब्रस्तान में जाया करो, तो अल-हम्दु शरीफ़, क़ुल हुवल्लाहु, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास पढ़ कर क़ब्रस्तान वालों को बख़्शा करो, इसका सवाब उनको पहुँच जाता है। *(एहया)*

साहबे मुग़नी रह० ने जो फ़िक़्ह-ए-हम्बली की बहुत मोतबर किताब है, इस क़िस्से को नक़ल किया है और इस मज़्मून की और रिवायात भी नक़ल की हैं।

बज़्लुल मजहूद में बहर से नक़ल किया है कि जो शख़्स रोज़ा रखे या नमाज़ पढ़े या सदक़ा करे और उसका सवाब दूसरे शख़्स को बख़्श दे, ख़्वाह वह शख़्स जिस को बख़्शा है ज़िन्दा हो या मुर्दा, उसका सवाब उसको पहुँचता है, इसमें कोई फ़र्क़ नहीं कि जिसको सवाब बख़्शा है वह ज़िन्दा हो या मुर्दा।

अबूदाऊद शरीफ़ में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ का यह इर्शाद नक़्ल किया गया है कि कोई शख़्स ऐसा है जो इसका ज़िम्मा ले कि मस्जिदे इशार (बसरा के क़रीब है) में जाकर दो रक्अत या चार रक्अत नमाज़ पढ़ कर यह कहे कि यह नमाज़ (यानी इसका सवाब) अबू हुरैरह रज़ि॰ के लिए है।

(अबू दाऊद)

अपने अज़ीज़ मुर्दों को सवाब पहुँचाने का बहुत ज़्यादा एहतिमाम चाहिए, उनके हुक़ूक़ के अलावा अनक़रीब मरने के बाद उनसे मिलना होगा। कैसी शर्म आएगी, जब उनके हुक़ूक़ उनके एहसानात और उनके मालों में जो आदमी अपने काम में ख़र्च करता रहता है, उनको याद न रखे।

(۱۹) عن ابی ھریرۃؓ قال قال رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم اذامات الانسان انقطع عنہ عملہ الامن ثلثۃ الامن صدقۃ جاریۃ اوعلم ینتفع بہ اوولد صالح یدعولہ رواہ مسلم کذافی المشکوٰۃ قلتٗ وابوداؤد والنسائی وغیرھما

19. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके आमाल का सवाब ख़त्म हो जाता है, मगर तीन चीज़ें ऐसी हैं जिन का सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है, एक सदक़ा-ए-जारिया, दूसरे वह इल्म जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचता रहे, तीसरे सालेह औलाद, जो उसके लिए मरने के बाद दुआ करती रहे।

फ़ायदा:- अल्लाह जल्ल शानुहू का किस क़दर ज़्यादा इन्आम व एहसान है, लुत्फ़ व करम है कि आदमी अगर यह चाहे कि मर जाने के बाद जबकि उसके आमाल का वक़्त ख़त्म हो जाए वह अमल करने से बेकार हो जाए, वह क़ब्र में मीठी नींद पड़ा सोता रहे और उसके नेक आमाल में इज़ाफ़ा होता रहे तो उसका ज़रिया भी अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने फ़ज़्ल से पैदा फ़रमा दिया।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनमें से तीन चीज़ें इस हदीस पाक में ज़िक्र फ़रमायी हैं, एक सदक़ा-ए-जारिया यानी कोई ऐसी चीज़ सदक़ा कर गया जिसका नफ़ा बाक़ी रहने वाला हो, मसलन कोई मस्जिद बनवा

गया, जिसमें लोग नमाज़ पढ़ते रहें, तो जब तक उसमें नमाज़ होती रहेगी, उसको सवाब ख़ुद ब ख़ुद मिलता रहेगा। इसी तरह से कोई मुसाफ़िर ख़ाना, कोई मकान किसी दीनी काम के लिए बनवा कर वक़्फ़ कर गया, जिससे मुसलमानों को या दीनी कामों को नफ़ा पहुँचता रहा, तो उसको इस नफ़े का सवाब मिलता रहेगा। कोई कुवां रिफ़ाहे आम के लिए बनवा गया, तो जब तक उससे लोग पानी पीते रहेंगे, वुज़ू वग़ैरह करते रहेंगे, उसको मरने के बाद भी उसका सवाब पहुँचता रहेगा।

एक और हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ है कि आदमी के मरने के बाद जिन चीज़ों का सवाब उसको मिलता है, एक तो वह इल्म है जो किसी को सिखाया हो और इशाअत की हो और वह सालेह (नेक) औलाद है, जिसको छोड़ गया हो और वह क़ुरआन शरीफ़ जो मीरास में छोड़ गया हो और वह मस्जिद है और मुसाफ़िर ख़ाना है जिनको बना गया हो और वह नहर है जो जारी कर गया हो और वह सदक़ा है जिसको अपनी ज़िन्दगी और सेहत में इस तरह दे गया हो कि मरने के बाद उसका सवाब मिलता रहे। *(मिश्कात)*

'सवाब मिलता रहे' का मतलब यह है कि सदक़ा-ए-जारिया के तौर पर दे गया, मसलन वक़्फ़ कर गया हो और इल्म की इशाअत का मतलब यह है कि किसी मदरसे में चन्दा दिया हो या कोई दीनी किताब तालीफ़ की हो या पढ़ने वालों को तक़सीम की हो या मस्जिदों और मदरसों में क़ुरआन पाक या किताबें वक़्फ़ की हों।

एक और हदीस में है कि आदमी के मरने के बाद सात चीज़ों का सवाब उसको मिलता रहता है, किसी को इल्म पढ़ाया गया हो, कोई नहर जारी कर दी हो, कोई कुवां बना दिया हो, कोई दरख़्त लगा दिया हो, कोई मस्जिद बना दी हो, क़ुरआन पाक मीरास में छोड़ा हो या ऐसी औलाद छोड़ी हो जो उसके लिए दुआ-ए-मग़्फ़िरत करती रहे। *(तर्ग़ीब)*

और इन सब चीज़ों में यह भी ज़रूरी नहीं कि सारी अकेले ख़ुद ही की हों, बल्कि अगर किसी चीज़ में थोड़ी बहुत शिर्कत भी अपनी हो गयी तो बक़द्र अपने हिस्से के उसके सवाब में से हिस्सा मिलता रहेगा।

दूसरी चीज़ ऊपर की हदीस में वह इल्मे दीन है जिससे लोगों को नफ़ा

पहुँचता रहे, मसलन किसी मदरसे में कोई किताब वक़्फ़ कर गया। जब तक वह किताब बाक़ी है, उससे लोग नफ़ा उठाते रहेंगे, उसको सवाब खुद ब खुद मिलता रहेगा। किसी तालिबे इल्म को अपने ख़र्च से हाफ़िज़े कुरआन या आलिम बना गया, जब तक उसके इल्म व हिफ़्ज़ से नफ़ा पहुँचता रहेगा चाहे वह हाफ़िज़ और आलिम खुद जिन्दा रहे या न रहे उस शख़्स को सवाब मिलता रहेगा। मसलन किसी शख़्स को हाफ़िज़ बनाया था। उसने दस बीस लड़कों को कुरआन पाक पढ़ा दिया और वह हाफ़िज़ उस के बाद मर गया तो जब तक ये लड़के कुरआन पाक पढ़ते पढ़ाते रहेंगे उस हाफ़िज़ को मुस्तक़िल सवाब मिलता रहेगा और उस हाफ़िज़ बनाने वाले को अलाहिदा सवाब होता रहेगा और इसी तरह से जब तक इन पढ़ने वाले लड़कों का सिलसिला पढ़ने पढ़ाने का क़ियामत तक चलता रहेगा, उस असल हाफ़िज़ बनाने वाले को सवाब खुद ब खुद मिलता रहेगा, चाहे ये लोग सवाब पहुँचायें या न पहुँचायें।

यही सूरत बेऐनिही किसी शख़्स को आलिम बनाने की है कि जब तक बिला वास्ता या वास्ते से उसके इल्म से लोगों को नफ़े का सिलसिला चलता रहेगा उस अव्वल आलिम बनाने वाले को इन सब का सवाब मिलता रहेगा, और यहां भी वही पहली बात है कि यह ज़रूरी नहीं कि पूरा हाफ़िज़ या पूरा आलिम तने तन्हा (अकेले) बनाए। अगर किसी हाफ़िज़ के हिफ़्ज़ में अपनी तरफ़ से मदद हो गयी, किसी आलिम के इल्म हासिल करने में अपनी तरफ़ से कोई इआनत हो गयी तो इस इआनत (मदद) के बक़द्र सवाब का सिलसिला क़ियामत तक जारी रहेगा। ख़ुशनसीब हैं वे लोग, जिनकी किसी क़िस्म की जानी या माली कोशिश इल्म के फैलाने में दीन के बक़ा और हिफ़्ज़ में लग जाए कि दुनिया की ज़िन्दगी ख़्वाब से ज़्यादा नहीं, न मालूम कब इस आलम से एक दम जाना हो जाए, जितना ज़ख़ीरा अपने लिए छोड़ जाएगा, वही देरपा और कारआमद है। अज़ीज़, क़रीब, अह्बाब, रिश्तेदार, सब दो चार दिन रोकर याद करके अपने अपने मशाग़िल में लग कर भूल जायेंगे। काम आने वाली चीज़ें यही हैं। जिनको आदमी अपनी ज़िन्दगी में अपने लिए कभी फ़ना न होने वाले बैंक में जमा कर जाए कि सरमाया महफ़ूज़ रहे और नफ़ा क़ियामत तक मिलता रहे।

तीसरी चीज़ जो इस हदीसे पाक में ज़िक्र की गयी है वह औलादे सालेह है, जो मरने के बाद दुआ-ए-ख़ैर भी करती रहे।

अव्वल तो औलाद का सालेह बन जाना भी मुस्तक़िल सदक़ा-ए-जारिया

है कि जब तक कोई भी नेक काम करती रहेगी, अपने आप को उसका सवाब मिलता रहेगा। फिर अगर वह नेक औलाद वालिदैन के लिए दुआ भी करती रहे और जब वह सालेह है तो दुआएं करती ही रहेगी, यह मुस्तक़िल ज़ख़ीरा वालिदैन के लिए है।

एक नेक औरत का क़िस्सा रौज़ में लिखा है, जिसको बाहीता कहते थे, बड़ी कसरत से इबादत करने वाली थी। जब उसका इन्तिक़ाल होने लगा, तो उसने अपना सर आसमान की तरफ़ उठाया और कहा, ऐ वह ज़ात ! जो मेरा तोशा और मेरा ज़ख़ीरा है और उसी पर मेरा ज़िन्दगी और मौत में भरोसा है, मुझे मरते वक़्त रूसवा न कीजियो और क़ब्र में मुझे वहशत में न रखियो। जब वह इन्तिक़ाल कर गयी तो उसके लड़के ने यह एहतिमाम शुरू कर दिया कि हर जुमा को वह मां की क़ब्र पर जाता और क़ुरआन शरीफ़ पढ़ कर उसको सवाब बख़्शता और उसके लिए और सब क़ब्रस्तान वालों के लिए दुआ करता। एक दिन उस लड़के ने अपनी मां को ख़्वाब में देखा और पूछा अम्मां ! तुम्हारा क्या हाल है ? मां ने जवाब दिया, मौत की सख़्ती बड़ी सख़्त चीज़ है। मैं अल्लाह की रहमत से क़ब्र में बड़ी राहत से हूँ। रैहान मेरे नीचे बिछी हुई है, रेशम के तकिए लगे हुए हैं, क़ियामत तक यही बर्ताव मेरे साथ रहेगा। बेटे ने पूछा कि कोई ख़िदमत मेरे लायक़ हो तो कहो। उसने कहा कि तू हर जुमा को मेरे पास आकर क़ुरआन पाक पढ़ता है, उसको न छोड़ना। जब तू आता है, सारे क़ब्रस्तान वाले खुश होकर मुझे ख़ुशख़बरी देने आते हैं कि तेरा बेटा आ गया। मुझे भी तेरे आने की बड़ी ख़ुशी होती है और उन सबको भी बहुत ख़ुशी होती है। वह लड़का कहता है कि मैं इसी तरह हर जुमा को एहतिमाम (पाबन्दी) से जाता था। एक दिन मैं ने ख़्वाब में देखा कि बहुत बड़ा मज्मा मर्दों और औरतों का मेरे पास आया। मैं ने पूछा, तुम लोग कौन हो? क्यों आये हो? वे लोग कहने लगे कि हम फ़लां क़ब्रस्तान के आदमी हैं, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं, तुम जो हर जुमा को हमारे पास आते हो और हमारे लिए दुआ-ए-मग़्फ़िरत करते हो, इससे हमको बड़ी ख़ुशी होती है, इसको जारी रखना। इसके बाद से मैं ने और भी ज़्यादा एहतिमाम इसका शुरू कर दिया।

एक और आलिम फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने ख़्वाब में देखा कि एक क़ब्रस्तान की सब क़ब्रें एकदम शक़ हो (फट या खुल) गयीं और मुर्दे उनमें से बाहर निकल कर ज़मीन पर से कोई चीज़ जल्दी जल्दी चुन रहे हैं, लेकिन एक

शख़्स फ़ारिग़ बैठा है, वह कुछ नहीं चुनता। मैं ने उसके पास जाकर सलाम किया और उससे पूछा कि ये लोग क्या चुन रहे हैं ? उस शख़्स ने कहा जो लोग कुछ सदक़ा, दुआ, दरूद वग़ैरह करके इस क़ब्रस्तान वालों को भेजते हैं उसकी बरकात समेट रहे हैं। मैं ने कहा कि तुम क्यों नहीं चुनते ? उसने कहा कि मुझे इस वजह से इस्तिग़ना[1] है कि मेरा एक लड़का है, जो फलां बाज़ार में ज़ुलाबिया (हलवे की एक क़िस्म है जो मुंह को चिपक जाती है) बेचा करता है, वह रोज़ाना मुझे एक क़ुरआन शरीफ़ पढ़कर बख़्शता है, मैं सुबह को उठकर उस बाज़ार में गया। मैं ने एक नौजवान को देखा कि ज़ुलाबिया फ़रोख़्त कर रहा है और उसके होंठ हिल रहे हैं। मैं ने पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो उसने कहा कि मैं रोज़ाना एक क़ुरआन पाक ख़त्म करके अपने वालिद को हद्या पेश किया करता हूँ। इस क़िस्से के अर्से के बाद मैंने फिर एक मर्तबा उस क़ब्रस्तान के आदमियों को उसी तरह चुनते देखा और इस मर्तबा उस शख़्स को भी चुनते देखा। जिससे पहली मर्तबा बात हुई थी। फिर मेरी आंख खुल गयी। मुझे इस पर ताज्जुब था। सुबह उठकर फिर मैं उसी बाज़ार में गया। तह्क़ीक़ से मालूम हुआ कि उस लड़के का इन्तिक़ाल हो गया। *(रौज़)*

हज़रत सालेह मुर्री रह० फ़रमाते हैं कि मैं एक मर्तबा जुमा की रात में अख़ीर रात में जामा मस्जिद जा रहा था ताकि सुबह की नमाज़ वहां पढ़ूं। सुबह में देर थी। रास्ते में एक क़ब्रस्तान था। मैं वहां एक क़ब्र के क़रीब बैठ गया। बैठते ही मेरी आंख लग गयी। मैं ने एक ख़्वाब में देखा कि सब क़ब्रें शक़ हो गयीं। और उनमें से मुर्दे निकल कर आपस में हंसी ख़ुशी बातें कर रहे हैं। उनमें से एक नौजवान भी क़ब्र से निकला, जिसके कपड़े मैले और वह मग़मूम सा एक तरफ़ बैठ गया। थोड़ी देर बाद आसमान से बहुत से फ़रिश्ते उतरे, जिनके हाथों में ख़्वान थे, जिन पर नूर के रूमाल ढके हुए थे, वे हर शख़्स को एक ख़्वान देते थे और जो ख़्वान ले लेता था, वह अपनी क़ब्र में चला जाता था। जब सब ले चुके तो यह जवान भी ख़ाली हाथ अपनी क़ब्र में जाने लगा। मैं ने उससे पूछा कि क्या बात है? तुम इस क़दर ग़मगीन क्यों हो? और ये ख़्वान कैसे थे? उसने कहा कि यह ख़्वान उन हदाया के थे, जो ज़िन्दा लोग अपने अपने मुर्दों को भेजते हैं। मेरे तो कोई और है नहीं जो भेजे। एक वालिदा है, मगर वह दुनिया में फंस

1. यानी बेनियाज़ी, बे-फ़िक्री।

रही है। उसने दूसरी शादी कर ली। वह अपने ख़ाविंद में मश्गूल रहती है मुझे कभी भी याद नहीं करती। मैंने उससे उसकी वालिदा का पता पूछा और सुबह को उस पते पर जाकर उसकी वालिदा को पर्दे के पीछे बुलाया और उससे उसके लड़के को पूछा और यह ख़्वाब उसे सुनाया। उस औरत ने कहा, बेशक वह मेरा लड़का था। मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरी गोद उसका बिस्तर था। इसके बाद उस औरत ने मुझे एक हज़ार दिरम दिये कि मेरे लड़के और मेरी आंखों की ठंडक के लिए इसको सदक़ा कर देना और मैं आइन्दा हमेशा उसको दुआ और सदक़े से याद रखूँगी, कभी न भूलूँगी।

हज़रत सालेह रह० फ़रमाते हैं कि मैं ने फिर ख़्वाब में उस मज्मे को उसी तरह देखा और उस नौजवान को भी बड़ी अच्छी पोशाक में बहुत ख़ुश देखा। वह मेरी तरफ़ को दौड़ा हुआ आया और कहने लगा कि सालेह! हक़ तआला शानुहू तुम्हें जज़ा-ए-ख़ैर अता फ़रमाए, तुम्हारा हद्या मेरे पास पहुँच गया। *(रौज़)*

इस क़िस्म के हज़ारों वाक़िआत किताबों में मौजूद हैं। कुछ इससे पहली हदीस में भी गुज़र चुके हैं। पस अगर कोई शख़्स यह चाहता है कि मेरी औलाद मरने के बाद भी मेरे काम आये तो अपने मक़्दूर के मुवाफ़िक़ उसको नेक और सालेह बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि यह हक़ीक़त में औलाद के लिए भी ख़ैर ख़्वाही है और अपने लिए भी कारआमद है। अल्लाह जल्ल शानुहू का पाक इर्शाद है :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (تحريم)

या अय्युहल्लज़ी-न आ म-नू क़ू अन फ़ु स-कुम व अह्ली कुम नारा० *(सूरः तहरीम)*

तर्जुमाः- ऐ ईमान वालो! अपने आपको और अपने अह्ल व अयाल को (जहन्नम की) आग से बचाओ।

ज़ैद बिन अस्लम रज़ि० फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयते शरीफ़ा तिलावत फ़रमायी, तो सहाबा रज़ि० ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! अपने अह्ल व अयाल को किस तरह आग से बचाएं? हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि उनको ऐसे कामों का हुक्म करते रहो जिससे अल्लाह जल्ल शानुहू राज़ी हों और ऐसी चीज़ों

से रोकते रहो जो अल्लाह तआला को ना पसंद हों।

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू से इस आयते शरीफ़ा की तफ़्सीर में नक़ल किया गया कि अपने आपको और अपने अह्ल को ख़ैर की बातों की तालीम और तम्बीह करते रहो। *(दुर्रे मंसूर)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल किया गया है कि अल्लाह जल्ल शानुहू उस बाप पर रहम करे जो औलाद की इस बात में मदद करे कि वह बाप के साथ नेकी का बर्ताव करे। यानी ऐसा बर्ताव उससे न करे। जिससे ना फ़रमानी करने लगे। *(एहया)*

औलाद को नेक बनाना भी इसमें दाख़िल है। अगर वह नेक न होगी तो फिर वालिदैन के साथ जो करे वह बर महल है।

एक हदीस में है कि बच्चे का सातवें दिन अक़ीक़ा किया जाए और उसका नाम रखा जाये और जब छः साल का हो जाए तो उसको आदाब सिखाए जायें और जब नौ साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलाहिदा कर दिया जाये (यानी दूसरों के पास न सोये) और जब तेरह साल का हो जाए तो नमाज़ न पढ़ने पर मारा जाये और जब सोलह साल का हो जाए तो निकाह कर दिया जाए। फिर उसका बाप उसका हाथ पकड़ कर कहे कि मैं ने तुझे आदाब सिखा दिये, तालीम दे दी, निकाह कर दिया, अब मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ दुनिया में तेरे फ़ित्ने से और आख़िरत में तेरी वजह से अज़ाब से। *(एहया)*

तेरी वजह से अज़ाब का मतलब यह है कि बहुत सी अहादीस में मुख़्तलिफ़ उन्वानात से यह इर्शादे नबवी वारिद हुआ है कि जो शख़्स कोई बुरा तरीक़ा इख़्तियार करता है तो उसको अपने अमल का गुनाह भी होता है और जितने लोग उसकी वजह से उस पर अमल करेंगे उन सब का गुनाह भी उसको होगा। इस तरह पर कि करने वालों के अपने गुनाह में कोई कमी न होगी, उनको अपने फ़ेल का मुस्तक़िल गुनाह होगा और उसको ज़रिया और सबब बनने का मुस्तक़िल गुनाह होगा।

इस बिना पर जो औलाद अपने बड़ों की बुरी हरकात उनके अमल की वजह से इख़्तियार करती है, उन सब का गुनाह बड़ों को भी होता है, इसलिए अपने छोटों के सामने बुरी हरकत करने से ख़ास तौर से एहतिराज़ करना (बचना) चाहिए।

इस हदीस शरीफ़ में तेरह वर्ष की उम्र में नमाज़ छोड़ने पर मारने का हुक्म है और बहुत सी अहादीस में है कि बच्चे को जब सात साल का हो जाए नमाज़ का हुक्म करो। और जब दस वर्ष का हो जाए तो नमाज़ न पढ़ने पर मारो। ये रिवायात अपनी सेहत और कसरत के लिहाज़ से मुक़द्दम हैं। बहरहाल बच्चे के नमाज़ न पढ़ने पर बाप को मारने का हुक्म है और उस पर नमाज़ में तंबीह न करना अपना जुर्म है और इसके बिल मुक़ाबिल अगर उसको नमाज़, रोज़ा और दीनी अह्काम का पाबंद और आदी बना दिया, तो उसके आमाले हसना का सवाब अपने आपको भी मिलेगा और इसके साथ जब वह सालेह बन कर वालिदैन के लिए दुआ भी करेगा तो उससे भी ज़्यादा अज्र व सवाब मिलता रहेगा।

इब्ने मालिक रह॰ कहते हैं कि हदीसे बाला में औलाद को सालेह के साथ इसलिए मुक़य्यद किया है कि सवाब ग़ैर सालेह औलाद का नहीं पहुँचता और उसकी दुआ का ज़िक्र औलाद को दुआ की तर्ग़ीब देने के लिए है। चुनांचे यह कहा गया है कि वालिद को सालेह औलाद के अमल का सवाब ख़ुद ब ख़ुद पहुँचता रहता है। चाहे वह दुआ करे या न करे। जैसा कि कोई शख़्स रिफ़ाहे आम के लिए कोई दरख़्त लगा दे और लोग उसका फल खाते रहें तो इन खाने वालों के खाने का सवाब उसको मिलता रहेगा, चाहे ये लोग दरख़्त लगाने वाले के लिए दुआ करें या न करें।

अल्लामा मनावी रह॰ कहते हैं कि वालिद को दुआ के साथ तंबीह और तह्रीज़ के तौर पर ज़िक्र फ़रमाया कि वह दुआ करे, वरना दुआ हर शख़्स को नाफ़ेअ् है चाहे वह औलाद हो या न हो।

इस हदीस शरीफ़ में तीन चीज़ों का ज़िक्र एहतिमाम की वजह से किया है। इनके अलावा और भी कुछ चीज़ें अहादीस में ऐसी आयी हैं जिनके मुताल्लिक़ यह वारिद हुआ है कि उनका दायमी सवाब मिलता रहता है।

मुतअद्दद अहादीस में यह मज़्मून वारिद हुआ है कि जो शख़्स कोई नेक तरीक़ा जारी कर दे, उसको अपने अमल का सवाब भी मिलेगा और जितने आदमी उस पर अमल करेंगे उन सबके अमल का सवाब भी उसको मिलता रहेगा और करने वालों के अपने अपने सवाब में कोई कमी न होगी। और जो शख़्स बुरा तरीक़ा जारी कर दे, उस पर अपने किये का भी गुनाह है और जितने

आदमी उस पर अमल करेंगे, उन सबके अमल का गुनाह भी उसको होगा और इसकी वजह से उनके गुनाहों में कोई कमी न होगी।

इसी तरह एक और हदीस में है कि हर शख़्स के अमल का सवाब मरने के बाद ख़त्म हो जाता है, मगर जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में सरहदों की हिफ़ाज़त करने वाला है, उसका सवाब क़ियामत तक बढ़ता रहता है।

(मिर्क़ात)

इनके अलावा अहादीस में और भी कुछ आमाल का ज़िक्र आया है, जैसा कि कोई दरख़्त लगा देना या नहर जारी कर देना, जिनको अल्लामा सुयूती रह॰ ने जमा करके ग्यारह चीज़ें बतायी हैं और इब्ने इमाद रह॰ ने तेरह चीज़ें गिनवायी हैं लेकिन इनमें से अक्सर इन ही तीन की तरफ़ राजेअ् हो जाती हैं जैसा कि दरख़्त लगाना, या नहर जारी करना सदक़ा-ए-जारिया में दाख़िल है।

(औन)

(٢٠) عن عائشةؓ انهم ذبحوا شاة فقال النبی صلی الله علیه وسلم مابقی منها قالت مابقی منها الا کتفها قال بقی کلها الا کتفها رواه الترمذی وصححه کذا فی المشکوٰة.

20. हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि एक मर्तबा घर के आदमियों ने या सहाबा किराम रज़ि॰ ने एक बकरी ज़िब्ह की (और उसमें से तक़्सीम कर दिया) हुज़ूर सल्ल॰ ने दर्याफ़्त फ़रमाया कि कितना बाक़ी रहा? हज़रत आइशा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया कि सिर्फ़ एक शाना बाक़ी रह गया है (बाक़ी सब तक़्सीम हो गया) हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि वह सब बाक़ी है इस शाने के सिवा।

फ़ायदा:- मक़्सद यह है कि जो अल्लाह के लिए ख़र्च कर दिया गया वह तो हक़ीक़त में बाक़ी है कि उसका दायमी सवाब बाक़ी है और जो रह गया वह फ़ानी है, न मालूम बाक़ी रहने वाली जगह ख़र्च हो या न हो।

साहिबे मज़ाहिर रह॰ कहते हैं कि इसमें इशारा है अल्लाह जल्ल शानुहू के इस पाक इर्शाद की तरफ़ -

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ (نحل ع ١٣)

"मा अिनद-कुम यन्फ़दु व मा अिन्दल्लाहि बाक़॰"

(नहल रूकूअ् नं॰ 13)

'जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है, वह एक दिन ख़त्म हो जाएगा (चाहे उसके ज़वाल से हो या तुम्हारी मौत से) और जो कुछ अल्लाह जल्ल शानुहू के पास है वह हमेशा बाक़ी रहने वाला है'।

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद वारिद हुआ है कि बन्दा कहता है, मेरा माल मेरा माल, इसके सिवा दूसरी बात नहीं है कि उसका माल वह है जो खा कर ख़त्म कर दिया या पहन कर पुराना कर दिया या अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके अपने लिए ज़ख़ीरा बना लिया, और इसके अलावा जो रह गया, वह जाने वाली चीज़ है जिसको वह लोगों के लिए छोड़कर चला जाएगा। *(मुस्लिम)*

एक और हदीस में है, कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन से दर्याफ़्त फ़रमाया कि तुममें से कौन शख़्स ऐसा है जिसको अपने वारिस का माल अपने माल से ज़्यादा महबूब हो। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, ऐसा तो कोई भी नहीं है, हर शख़्स को अपना माल ज़्यादा महबूब होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि आदमी का अपना माल वही है जिसको (ज़ख़ीरा बना कर) आगे भेज दिया और जो माल छोड़ गया, वह वारिस का माल है। *(मिश्कात, बुख़ारी)*

एक सहाबी रज़ि॰ कहते हैं कि मैं हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूरः 'अल्हाकुमुत्तकासुर' तिलावत फ़रमायी। फिर इर्शाद फ़रमाया, आदमी कहता है, मेरा माल, मेरा माल ! ओ आदमी ! तेरे लिए इसके सिवा कुछ नहीं जो खाकर ख़त्म कर दे या पहन कर पुराना कर दे या सदक़ा कर के आगे चलता कर दे, ताकि अल्लाह जल्ल शानुहू के ख़ज़ाने में महफ़ूज़ रहे। *(मिश्कात, मुस्लिम)*

मुतअद्दद सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से इस क़िस्म के मज़ामीन की रिवायतें नक़ल की गयीं। लोगों को दुनिया के बैंक में रूपया जमा करने का बड़ा एहतिमाम होता है, लेकिन वही क्या साथ रहने वाला है ? अगर अपनी ज़िंदगी ही में उस पर कोई आफ़त न भी आए, तो मरने के बाद बहरहाल वह अपने काम आने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू के बैंक में जमा किया हुआ रूपया हमेशा काम आने वाला है, न उस पर कोई आफ़त है न ज़वाल और मज़ीद बरआं (इससे बढ़कर यह) कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं।

हज़रत सह्ल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रह० अपने माल को अल्लाह के रास्ते में बड़ी कसरत से ख़र्च किया करते थे। उनकी वालिदा और भाईयों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ि० से इसकी शिकायत की कि यह सब कुछ ख़र्च करना चाहते हैं, हमें ड़र है कि यह कुछ रोज़ में फ़क़ीर हो जायेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ि० ने हज़रत सह्ल रज़ि० से दर्याफ़्त किया। उन्होंने फ़रमाया कि आप ही बताएं की अगर कोई मदीना तैय्यबा का रहने वाला रूस्ताक़ में (जो मुल्क फ़ारस का एक शहर है) ज़मीन ख़रीद ले और वहां मुंतक़िल होना चाहे, वह मदीना तैय्यबा में अपनी कोई चीज़ छोड़ेगा? उन्होंने फ़रमाया कि नहीं? कहने लगे, बस यही बात है। लोगों को उनके जवाब से यह ख़्याल हो गया कि वह दूसरी जगह इंतिक़ाले आबादी करने का इरादा कर रहे हैं।

(तंबीहुल ग़ाफ़िलीन)

और उनकी ग़रज़ दूसरे आलम को इंतिक़ाल थी, और आजकल तो हर शख़्स को इसका ज़ाती तजुर्बा भी है। जो लोग हिन्द से पाकिस्तान या पाकिस्तन से हिन्द में मुस्तक़िल क़ियाम की नीयत से इंतिक़ाले आबादी अपने इख़्तियार से करना चाहते हैं, वे अपने जाने से पहले अपनी जायदाद, मकानात वग़ैरह सब चीज़ों के तबादले की कितनी कोशिश करते हैं और इतने तबादला मुकम्मल नहीं हो जाता, सारी तकालीफ़ बर्दाश्त करने के बावजूद इन्तिक़ाले आबादी का इरादा नहीं करते और जो बिला इख़्तियार जब्री तौर पर एक जगह अपनां सब कुछ छोड़ कर दूसरी जगह मुंतक़िल हो गये हैं। उनकी हसरत व अफ़सोस की न कोई इंतिहा है, न ख़ात्मा, यही सूरत बे ऐनिही हर शख़्स की इस आलम से इंतिक़ाल की है। अभी तक हर शख़्स को अपने सामान, जायदाद वग़ैरह सब चीज़ के इंतिक़ाल का इख़्तियार है, लेकिन जब मौत से जब्री इंतिक़ाल हो जाएगा, सब कुछ इसी आलम में रह जाएगा और गोया बहक़्क़े सरकार ज़ब्त हो जाएगा। अभी वक़्त है कि समझ रखने वाले अपने सामान को दूसरे आलम में मुंतक़िल कर लें।

(۲۱) عن ابی ہریرةؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلایؤذجارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرًا اولیصمت وفی روایة بدل الجار ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ متفق علیہ کذا فی المشکوٰة۔

21. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जो शख़्स अल्लाह पर ईमान रखता है, और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि मेहमान का इक्राम करे और अपने पड़ोसी को न सताए और जबान से कोई बात निकाले तो भलाई की निकाले वरना चुप रहे।

और दूसरी रिवायत में है कि सिला रहमी करे।

फ़ायदाः- इस हदीसे पाक में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कई उमूर पर तंबीह फ़रमायी और हर मज़्मून को हुज़ूर सल्ल० ने इस इर्शाद के साथ ज़िक्र फ़रमाया कि जो शख़्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है। तर्जुमे में इख़्तिसार की वजह से शुरू ही में ज़िक्र पर इक्तिफ़ा किया गया। हर हर जुम्ले के साथ इस को ज़िक्र फ़रमाने से मक़्सूद इन उमूर की अहमियत और ताकीद है, जैसा कोई शख़्स अपनी औलाद में से किसी को कहे कि अगर तू मेरा बेटा है तो फ़लां काम कर दे।

मक़्सद इस तंबीह से यह है कि ये चीज़ें कामिल ईमान के अफ़राद हैं जो इन का एहतिमाम न करे उसका ईमान भी कामिल नहीं। *(मज़ाहिर)*

और अल्लाह पर ईमान और आख़िरत पर ईमान के ज़िक्र में ख़ुसूसियत ग़ालिबन इस वजह से है कि अल्लाह जल्ल शानुहू पर ईमान बग़ैर तो आख़िरत में किसी नेकी का कोई सवाब नहीं। और अल्लाह जल्ल शानुहू पर ईमान में आख़िरत पर ईमान ख़ुद आ गया था। फिर उसको ख़ुसूसियत से ग़ालिबन इसलिए ज़िक्र फ़रमाया कि यह तंबीह और सवाब की नीयत पर शौक़ दिलाना है कि इन उमूर का हक़ीक़ी बदला और सवाब आख़िरत के दिन मिलेगा, जिस दिन यह मालूम होगा कि दुनिया की ज़रा ज़रा सी चीज़ और अमल पर अल्लाह जल्ल शानुहू के यहां कितना कितना अज्र व सवाब है। इस के बाद हुज़ूर सल्ल० ने इस हदीसे पाक में चार चीज़ों पर तंबीह फ़रमायी।

1. पहली चीज़ मेहमान का इक्राम है, वही इस जगह बंदे का इस रिवायत के ज़िक्र करने से मक़्सूद है इसकी तौज़ीह (खुलासा) आइन्दा हदीस में आएगी।

2. दूसरा मज़्मून पड़ोसी को ईज़ा (तक्लीफ़) न देने के मुताल्लिक़ है। इस हदीस शरीफ़ में अद्ना दर्जे का हुक्म किया गया कि पड़ोसी को ईज़ा न

पहुँचाये, यह बहुत ही अद्‌ना दर्जा है, वरना रिवायात में पड़ोसी के हक़ के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा ताकीदें वारिद हुई हैं।

शैख़ैन की कुछ रिवायात में 'फ़ल् युक्रिम जा-र-हू' वारिद हुआ है। यानी पड़ोसी का इक्राम करे और शैख़ैन की बाज़ रिवायात में 'फल युह्सिन इला जारिही' आया है कि उसके साथ एहसान का मामला करे यानी जिस चीज़ का वह मुहताज हो, उसमें उसकी इआनत (मदद) करे, उससे बुराई को दफ़ा करे।

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ है, जानते हो कि पड़ोसी का क्या हक़ है? अगर वह तुझसे मदद चाहे, उसकी मदद कर, अगर क़र्ज़ मांगे तो उसको क़र्ज़ दे, अगर मुहताज हो तो उसकी इआनत कर, अगर बीमार हो तो इयादत कर, अगर वह मर जाये तो उसके जनाज़े के साथ जा, अगर उसको खुशी हासिल हो तो मुबारकबाद दे, अगर मुसीबत पहुँचे तो ताज़ियत कर। बग़ैर उसकी इजाज़त के उसके मकान के पास अपना मकान ऊँचा न कर, जिससे उसकी हवा रूक जाए। अगर तू कोई फल ख़रीदे तो उसको भी हद्‌या दे, और अगर यह न हो सके तो उस फल को ऐसी तरह पोशीदा घर में ला कि वह न देखे और उसको तेरी औलाद बाहर लेकर न निकले ताकि पड़ोसी के बच्चे उसको देखकर रंजीदा न हों और अपने घर के धुएं से उसको तक्लीफ़ न पहुँचा, मगर उस सूरत में कि जो पकाए, उसमें से उसका भी हिस्सा लगाये, तुम जानते हो कि पड़ोसी का कितना हक़ है? क़सम है उस पाक ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि उसके हक़ को उसके सिवा कोई नहीं जानता, जिस पर अल्लाह रहम करे। रिवायत किया इस को ग़ज़ाली रह० ने अर्बओन में। *(मज़ाहिर)*

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह० ने फ़त्हुल बारी में भी इस हदीस को ज़िक्र किया है।

एक हदीस में आया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (तीन मर्तबा) फ़रमाया, ख़ुदा की क़सम ! मोमिन नहीं है ! ख़ुदा की क़सम ! मोमिन नहीं है।, ख़ुदा की क़सम ! मोमिन नहीं है। किसी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! कौन शख़्स ? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया जिसका पड़ोसी उसकी मुसीबतों (और बदियों) से मामून (महफ़ूज़) न हो।

एक और हदीस में है कि जन्नत में वह शख़्स दाख़िल न होगा जिस

का पड़ोसी उसकी मुसीबतों से मामून न हो। *(मिश्कात)*

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ और हज़रत आइशा दोनों हज़रात हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नक़ल करते हैं कि हज़रत जिब्रील अलै॰ मुझे पड़ोसी के बारे में इस क़दर ताकीद करते रहे कि मुझे उनकी ताकीदों से यह गुमान हुआ कि पड़ोसी को वारिस बना कर रहेंगे। *(मिश्कात)*

हक़ सुब्हान-हू का पाक इर्शाद है -

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۲ (نسآء ع ٦)

तर्जुमाः- 'तुम अल्लाह तआला की इबादत इख़्तियार करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक मत करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा मामला करो और दूसरे अह्ले क़राबत के साथ भी और यतीमों के साथ और ग़ुरबा के साथ और पास वाले पड़ोसी के साथ भी और दूर वाले पड़ोसी के साथ भी और हम मज्लिस के साथ भी और मुसाफ़िर के साथ भी।

पास वाले पड़ोसी से मुराद यह है कि उसका मकान क़रीब हो और दूर के पड़ोसी से मुराद यह है कि उसका मकान दूर हो।

हसन बसरी रह॰ से किसी ने पूछा कि पड़ोस कहाँ तक है? उन्होंने फ़रमाया कि चालीस मकान आगे की जानिब और चालीस पीछे की जानिब, चालीस दाएं और चालीस बाएं जानिब ।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि दूर के पड़ोसी से इब्तिदा न की जाए, बल्कि पास के पड़ोसी से इब्तिदा की जाए।

हज़रत आइशा रज़ि॰ ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दर्याफ़्त किया कि मेरे दो पड़ोसी हैं, किस से इब्तिदा करूँ? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, जिसका दरवाज़ा तेरे दरवाज़े के क़रीब हो।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ से मुख़्तलिफ़ तरीक़ से नक़ल किया गया है कि पास का पड़ोसी वह है जिस से क़राबत हो और दूर का पड़ोसी वह है जिससे क़राबत न हो।

नौफ़ शामी रह॰ से नक़ल किया गया कि पास का पड़ोसी मुसलमान

पड़ोसी है और दूर का पड़ोसी यहूद व नसारा (यानी ग़ैर-मुस्लिम)।

(दुर्रे मंसूर)

मुस्नद बज़्ज़ार वग़ैरह में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद नक़ल किया गया है कि पड़ोसी तीन तरह के हैं –

1. एक वह पड़ोसी, जिसके तीन हक़ हों, पड़ोस का हक़, रिश्तेदारी का हक़ और इस्लाम का हक़।

2. दूसरी क़िस्म वह है जिसके दो हक़ हों, पड़ोस का हक़ और इस्लाम का हक़।

3. तीसरी क़िस्म वह है जिसका एक ही हक़ हो, वह ग़ैर मुस्लिम पड़ोसी है। (जुमल) गोया पड़ोस के तीन दर्जे तर्तीबवार हो गये।

इमाम ग़ज़्ज़ाली रह॰ ने भी इस हदीस शरीफ़ को नक़ल फ़रमाया है। इसके बाद फ़रमाते हैं कि देखो, इस हदीस शरीफ़ में महज़ पड़ोसी होने की वजह से मुश्रिक का हक़ भी मुसलमान पर क़ायम कर दिया गया है।

एक और हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद नक़ल किया गया है कि क़ियामत के दिन सबसे पहले दो पड़ोसियों में फ़ैसला किया जाएगा।

एक शख़्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि॰ के पास आए और अपने पड़ोसी की कसरत से शिकायत करने लगे। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि॰ ने फ़रमाया, जाओ (अपना काम करो) अगर उसने तुम्हारे बारे में अल्लाह जल्ल शानुहू की ना-फ़रमानी की (कि तुमको सताया) तो तुम उसके बारे में अल्लाह तआला शानुहू की ना-फ़रमानी न करो।

एक सही हदीस में आया है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक औरत का हाल बयान किया गया कि वह रोज़े भी कसरत से रखती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, लेकिन अपने पड़ोसियों को सताती है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि वह जहन्नम में दाख़िल होगी (चाहे फिर सज़ा भुगत कर निकल आवे) इमाम ग़ज़्ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि पड़ोसी का हक़ सिर्फ़ यह ही नहीं कि तकलीफ़ न दी जाये बल्कि उसका हक़ यह है कि उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया जाये।

हज़रत इब्नुल मुक़फ़्फ़ा रह॰ अपने पड़ोसी की दीवार के साए में अक्सर बैठ जाया करते थे। उन को मालूम हुआ कि उसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो गया, जिसकी

वजह से वह अपना घर फ़रोख़्त करना चाहता है फ़रमाने लगे कि हम उसके घर के साए में हमेशा बैठे, उसके साए का हक़ हमने कुछ अदा न किया। यह कह कर उसके घर की क़ीमत उसको नज़र कर दी और फ़रमाया कि तुम्हें क़ीमत वसूल हो गयी, अब इसको फ़रोख़्त करने का इरादा न करना।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ के गुलाम ने एक बकरी ज़िब्ह की। हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि जब उसकी खाल निकाल चुको तो सबसे पहले उसके गोश्त में से मेरे यहूदी पड़ोसी को देना। कई दफ़ा यही लफ़्ज़ फ़रमाया। गुलाम ने अर्ज़ किया कि आप कितनी मर्तबा इसको फ़रमायेंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ ने फ़रमाया कि मैं ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, वह फ़रमाते थे कि मुझे हज़रत जिब्रील अलैहि॰ बार बार पड़ोसी के मुताल्लिक़ ताकीद फ़रमाते रहे, (इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ।)

हज़रत आइशा रज़ि॰ फ़रमाती हैं कि मकारिमे अख़्लाक़ दस चीज़ें हैं, बसा औक़ात ये चीज़ें बेटे में हो जाती हैं, बाप में नहीं होतीं, गुलाम में हो जाती हैं, आक़ा में नहीं होतीं। हक़ तआला शानुहू की अता है, जिसको चाहे अता कर दे।

1. सच बोलना, 2. लोगों के साथ सच्चाई का मामला करना, (धोखा न देना) 3. साइल को अता करना, 4. एहसान का बदला देना, 5. सिला रहमी करना, 6. अमानत की हिफ़ाज़त करना, 7. पड़ोसी का हक़ अदा करना, 8. साथी का हक़ अदा करना, 9. मेहमान का हक़ अदा करना, 10. इन सबकी जड़ और असल उसूल हया है। *(एहया)*

3. तीसरा मज़्मून हदीसे बाला में यह है कि जो शख़्स अल्लाह पर आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो, वह ख़ैर की बात ज़बान से निकाले या चुप रहे।

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सल्ल॰ का यह पाक इर्शाद जामेअ् कलिमा है, इसलिए कि जो बात कही जाए वह ख़ैर होगी या शर और ख़ैर में हर वह चीज़ दाख़िल है जिसका कहना मतलूब है, फ़र्ज़ हो या मुस्तहब, इसके अलावा जो रह गया वह शर है। *(फ़त्ह)*

यानी अगर कोई ऐसी बात हो जो बज़ाहिर न ख़ैर मालूम होती हो, न शर वह हाफ़िज़ रह॰ के कलाम के मुवाफ़िक़ शर में दाख़िल हो जाएगी, इसलिए कि जब कोई फ़ायदा उससे मक़्सूद नहीं, तो लग़्व (बेकार) हुई, वह ख़ुद शर है।

हज़रत उम्मे हबीबा रज़ि॰ ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल किया कि आदमी का हर कलाम उस पर वबाल है, कोई नफ़ा देने वाली चीज़ नहीं, सिवाए इसके कि भलाई का हुक्म करे या बुराई से रोके या अल्लाह जल्ल शानुहू का ज़िक्र करे। इस हदीस को सुनकर एक शख़्स कहने लगे, यह हदीस तो बड़ी सख़्त है। हज़रत सुफ़ियान सोरी रह॰ ने फ़रमाया इसमें हदीस की सख़्ती की क्या बात है? यह तो ख़ुद अल्लाह जल्ल शानुहू ने क़ुरआन शरीफ़ में फ़रमाया –

لَاخَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ ، بَيْنَ النَّاسِ ، وَمَنْ
يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاةِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (نسآء ع ١٧)

तर्जुमा:– 'लोगों की अक्सर सरगोशियों में ख़ैर नहीं होती, हां मगर जो लोग ऐसे हैं कि ख़ैरात या किसी नेक काम की या लोगों में बाहम इस्लाह कर देने की तर्ग़ीब देते हैं और जो शख़्स अल्लाह तआला की ख़ुश्नूदी के वास्ते यह काम करेगा, हम उसको अन्क़रीब बहुत ज़्यादा अज्र अता करेंगे।

हज़रत अबूज़र रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैं ने हुज़ूर सल्ल॰ से अर्ज़ किया, मुझे कुछ वसीयत फ़रमा दीजिए। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि तुम्हें अल्लाह के ख़ौफ़ की वसीयत करता हूँ कि यह तुम्हारे हर काम के लिए ज़ीनत है। मैंने अर्ज़ किया कुछ और इर्शाद? फ़रमाया कि क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत और अल्लाह के ज़िक्र का एहतिमाम कि यह आसमानों में तुम्हारे ज़िक्र का सबब है और ज़मीन में तुम्हारे लिए नूर है। मैं ने और ज़्यादती चाही तो इर्शाद फ़रमाया कि सुकूत (ख़ामोशी) बहुत कसरत से रखा करो, यह शैतान के दूर रहने का ज़रिया है और दीनी कामों में मदद का सबब है। मैं ने और ज़्यादती चाही तो फ़रमाया कि हंसने की ज़्यादती से एहतराज़ करो, (यानी बचो) इससे दिल मर जाता है और मुंह की रौनक़ कम हो जाती है। मैं ने अर्ज़ किया, और कुछ? फ़रमाया, हक़ की बात कहो, चाहे कड़वी क्यों न हो। मैं ने अर्ज़ किया और कुछ? फ़रमाया, अल्लाह के मामले में किसी का ख़ौफ़ न करो। मैं ने अर्ज़ किया, और कुछ? फ़रमाया कि तुम्हें अपने उयूब (का फ़िक्र) लोगों के उयूब को देखने से रोक दे। (दुर्रे मंसूर)

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि ज़बान अल्लाह जल्ल शानुहू की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है और उसकी ग़रीब व लतीफ़ सन्अतों में से एक

सन्अत है, उसका जुस्सा छोटा है, लेकिन उसकी इताअत और गुनाह बहुत बड़े हैं, हत्ताकि क़ुफ़्र व इस्लाम जो गुनाह और इताअत में दो आख़िरी किनारों पर हैं, इसी से ज़ाहिर होते हैं। इसके बाद इसकी बहुत सी आफ़तें शुमार की हैं। बेकार गुफ़्तगू, बेहूदा बातें, जंग व जदल, मुँह फुला कर बातें करना, मुक़फ़्फ़ा इबारतों और फ़साहत में तकल्लुफ़ करना, फ़हश बात करना, गाली देना, लानत करना, शेर व शायरी में इन्हिमाक, किसी के साथ तमस्ख़ुर करना, किसी का राज़ ज़ाहिर करना, झूठा वायदा करना, झूठ बोलना, झूठी क़सम खाना, किसी पर तारीज़ (छींटाकशी) करना, तारीज़ के तौर पर झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुग़लख़ोरी करना, दोरंगी बातें करना, बे-महल किसी की तारीफ़ करना, बे-महल सवाल करना, वग़ैरह-वग़ैरह। इतनी कसीर आफ़तें इस छोटी सी चीज़ के साथ वाबस्ता हैं कि उनका मस्अला निहायत ख़तरनाक है। इसी वजह से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चुप रहने की बहुत तर्ग़ीब फ़रमायी है।

हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है कि जो शख़्स चुप रहा, वह निजात पा गया। एक सहाबी रज़ि० ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मुझे इस्लाम के बारे में ऐसी चीज़ बता दीजिए कि आप के बाद मुझे किसी से पूछना न पड़े। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, अल्लाह जल्ल शानुहू पर ईमान लाओ और उस पर इस्तिक़ामत रखो, उन्होंने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्ल० मैं किस चीज़ से बचूँ? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, अपनी ज़बान से।

एक और सहाबी रज़ि० ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! निजात की क्या सूरत है? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि अपनी ज़बान को रोके रखो, अपने घर में रहो, (फ़ुज़ूल बाहर न फिरो) और अपनी ख़ताओं पर रोते रहो।

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद नक़ल किया गया कि जो शख़्स दो चीज़ों का ज़िम्मा ले ले, मैं उसके लिए जन्नत का ज़िम्मेदार हूँ, एक ज़बान, दूसरी शर्मगाह।

एक हदीस में है, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया गया कि जो चीज़ें जन्नत में दाख़िल करने वाली हैं, उनमें सबसे अहम क्या चीज़ है ? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, अल्लाह का ख़ौफ़ और अच्छी आदतें। फिर अर्ज़ किया गया कि जहन्नम में जो चीज़ें दाख़िल करने वाली हैं उनमें अहम क्या चीज़ है ? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया मुँह और शर्मगाह।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ सफ़ा और मर्वः की सई कर रहे थे और अपनी ज़बान को ख़िताब करके फ़रमाते थे, ऐ ज़बान! अच्छी बात कह। नफ़ा कमाएगी। और शर से सुकूत कर, सलामत रहेगी, इससे पहले कि शर्मिन्दा हो। किसी ने पूछा कि यह जो कुछ आप फ़रमा रहे हैं, अपनी तरफ़ से फ़रमा रहे हैं या आपने इस बारे में कुछ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है? उन्होंने फ़रमाया कि मैं ने हुज़ूर सल्ल॰ से सुना है कि आदमी की ख़ताओं का अक्सर हिस्सा उसकी ज़बान में होता है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि जो शख़्स अपनी ज़बान को रोके रहे, अल्लाह जल्ल शानुहू उसकी ऐबपोशी करते हैं और जो शख़्स अपने गुस्से पर क़ाबू रखे अल्लाह जल्ल शानुहू उसको अपने अज़ाब से महफ़ूज़ फ़रमाते हैं और जो शख़्स अल्लाह जल्ल शानुहू की बारगाह में माज़िरत करता है, हक़ तआला शानुहू उसके उज़्र को क़ुबूल फ़रमाते हैं।

हज़रत मुआज़ रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! मुझे कुछ वसीयत फ़रमाएं। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू की इस तरह इबादत करो, कि गोया उसको देख रहे हो और अपने आपको मुर्दों में शुमार करो और अगर तुम कहो तो मैं वह चीज़ बताऊँ जिससे इन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा क़ुदरत हासिल हो जाए और यह फ़रमाकर अपनी ज़बान की तरफ़ इशारा फ़रमाया। *(एहया)*

हज़रत सुलैमान अला नीबिय्यिना व अलैहिस्सलाम से नक़ल किया गया कि अगर कलाम चांदी है तो सुकूत (ख़ामोशी) सोना है।

हज़रत लुक्मान हकीम अलै॰ जो अपनी हिक्मत व दानाई की वजह से दुनिया में मशहूर हैं, एक हब्शी गुलाम, निहायत बद-सूरत थे, मगर अपनी हिक्मतों की वजह से मुक्तदा-ए-आलम[1] थे। किसी ने उनसे पूछा कि तू फ़लां शख़्स का गुलाम नहीं है? उन्होंने फ़रमाया बेशक हूँ, फिर उसने कहा कि तू फ़लां पहाड़ के नीचे बकरियां न चराता था? उन्होंने फ़रमाया सही है। फिर उसने कहा कि फिर यह मर्तबा किस बात से मिला? उन्होंने फ़रमाया, (चार चीज़ों से)

1. यानी पूरी दुनिया जिसके पीछे चले।

1. अल्लाह का ख़ौफ़, 2. बात में सच्चाई, 3. अमानत का पूरा पूरा अदा करना और 4. बे-फ़ायदा बात से सुकूत, और भी मुतअद्द (कई) रिवायात में उनकी ख़ुसूसी आदत कसरते सुकूत ज़िक्र की गयी। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत बरा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक बद्दू (देहाती) ने आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मुझे ऐसा अमल बता दीजिए जो जन्नत में ले जाने वाला हो। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अच्छी बातों का लोगों को हुक्म करो और बुरी बातों से रोको, और यह न हो सके तो अपनी ज़बान को भली बात के अलावा बोलने से रोके रखो।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि अपनी ज़बान को ख़ैर के अलावा से महफ़ूज़ रखो कि उसके ज़रिये से तुम शैतान पर ग़ालिब रहोगे। ये कुछ रिवायात मुख़्तसरन ज़िक्र की हैं, इनके अलावा बहुत सी रिवायात और आसार हैं जिनको इमाम ग़ज़ाली रह॰ ने ज़िक्र किया और अल्लामा ज़ुबैदी रह॰ और हाफ़िज़ इराक़ी रह॰ ने उन की तख़्रीज की है। उनसे मालूम होता है कि ज़बान का मस्अला अहम मस्अला है जिससे हम लोग बिल्कुल ग़ाफ़िल हैं, जो चाहा, ज़बान से कह दिया, हालांकि अल्लाह जल्ल शानुहू के दो निगहबान हर वक़्त दिन और रात, दाएं और बाएं मोंढों पर मौजूद रहते हैं जो हर भलाई और बुराई को लिखते हैं। इस सब के बाद अल्लाह जल्ल शानुहू और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का क्या क्या एहसान ज़िक्र किया जाए। आदमी से बे-इल्तिफ़ाती में फ़ुज़ूल बात निकल ही जाती है। हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया, कफ़्फ़ारा मज्लिस का यह है कि उठने से पहले तीन मर्तबा यह दुआ पढ़ ले -

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"सुब्हानल्लाहि व बिहम्दि ही सुब्हान-कल्लाहुम्-म व बिहम्दि-क अश्ह-दु अल्ला इला-ह इल्ला अन्-त अस्तग़्फ़िरू-क व अतूबु इलै-क॰"

(हिस्न हसीन)

एक हदीस में है कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अख़ीर में इन कलिमात को पढ़ा करते थे। किसी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह!

आप पहले तो इन कलिमात को नहीं पढ़ते थे। हुज़ूर सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया कि ये कलिमात मज्लिस का कफ़्फ़ारा हैं।

एक और हदीस में है कि हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, कुछ कलिमे ऐसे हैं कि जो शख़्स मज्लिस से उठने के वक़्त तीन मर्तबा उनको पढ़े तो वे मज्लिस की गुफ़्तगू के लिए कफ़्फ़ारा होते हैं और अगर मज्लिसे ख़ैर में पढ़े जाएं तो उस मज्लिस (के ख़ैर होने) पर उनसे मुहर लग जाती है, जैसा कि ख़त के ख़त्म पर मुहर लगायी जाती है, वे कलिमात ये हैं–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"सुब्हा–न कल्लाहुम्–म व बिहम्दि–क ला इला–ह इल्ला अन्–त अस्तग़्फ़िरू–क व अतूबु इलैक॰" *(अबूदाऊद)*

4. चौथा मज़्मून हदीसे बाला (ऊपर की हदीस) में सिला रहमी के मुताल्लिक़ है, इस का मुफ़स्सल बयान आइन्दा फ़स्लों में आ रहा है।

(۲۲) عن ابی شریح الکعبیؓ ان رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللّٰہ والیوم الاٰخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلۃ والضیافۃ ثلثۃ ایام فما بعد ذلک فھو صدقۃ ولایحل لہ ان یثوی عندہ حتی یخرجہ متفق علیہ کذا فی المشکوٰۃ

22. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि जो शख़्स अल्लाह जल्ल शानुहू पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मेहमान का इकराम करे। मेहमान का जायज़ा एक दिन रात है और, मेहमानी तीन दिन रात और मेहमान के लिए यह जायज़ नहीं कि इतना तवील क़ियाम करे, जिससे मेज़बान मशक़्क़त में पड़ जाये।

फ़ायदाः– इस हदीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो अदब इर्शाद फ़रमाए। एक मेज़बान के मुताल्लिक़, दूसरा मेहमान के मुताल्लिक़। मेज़बान का अदब यह है कि अगर वह अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है जैसा कि पहली हदीस में गुज़र चुका है तो उसको चाहिए कि मेहमान का इक्राम करे और मेहमान का इक्राम यह है कि कुशादारूई (चेहरे की खुशी के साथ) और ख़ुश खुल्क़ी (अच्छे अख़्लाक़) से पेश आए, नर्मी से गुफ़्तगू करे। *(मज़ाहिर)*

एक हदीस में है कि सुन्नत यह है कि आदमी मेहमान के साथ घर के दरवाज़े तक मुशायअत[1] के लिए जाए। *(मिश्कात)*

हज़रत उक़्बा रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि जो शख़्स मेहमानी न करे उसमें कोई ख़ैर नहीं।

हज़रत समरा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेहमानों की ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी) का हुक्म फ़रमाया करते थे। *(मज्मउज़्ज़वाइद)*

एक शख़्स ने देखा कि हज़रत अली रज़ि॰ रो रहे हैं। उसने सबब पूछा तो आपने फ़रमाया कि सात दिन से कोई मेहमान नहीं आया, मुझे इसका डर है कि कहीं हक़ तआला शानुहू ने मेरी इहानत[2] (तौहीन) का इरादा तो नहीं कर लिया। *(एहया)*

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हदीसे बाला में मेहमान के इक्राम का हुक्म फ़रमाने के बाद इर्शाद फ़रमाया कि उसका जायज़ा एक दिन रात है। इसकी तफ़्सीर में उलमा के कई क़ौल हैं:-

हज़रत इमाम मालिक रज़ि॰ से यह नक़ल किया गया कि इससे मुराद इक्राम व एज़ाज़ और ख़ुसूसी तोहफ़े हैं, यानी एक दिन रात तो उस के एज़ाज़ में अच्छा खाना तैयार करे और बाक़ी अय्याम में मामूली मेहमानी। इसके बाद फिर उलमा के इसमें दो क़ौल हैं कि तीन दिन की मेहमानी, जो हुज़ूर सल्ल॰ के पाक इर्शाद में वारिद हुई है वह उस एक दिन के बाद है, यानी मेहमान का हक़ कुल चार दिन हो गये या वह एक दिन ख़ुसूसी एज़ाज़ का भी इन ही तीन दिन में दाख़िल है।

दूसरा मतलब यह है कि जायज़ा से मुराद नाश्ता है रास्ते का, और हासिल यह है कि अगर मेहमान क़ियाम करे तो तीन दिन की मेहमानी है और क़ियाम न कर सके तो एक दिन का नाश्ता। *(फ़तहुल बारी)*

तीसरा मतलब यह है कि जायज़ा से मुराद तो नाश्ता ही है लेकिन जो मतलब उलमा ने लिखा है कि तीन दिन की मेहमानी और चौथे दिन रूख़सत के वक़्त एक दिन का नाश्ता।

---

1. यानी साथ देने के लिए, 2. तौहीन करने का।

चौथा मतलब यह है कि जायज़ा से मुराद गुज़र है और मतलब यह है कि जो शख़्स मुस्तक़िल मुलाक़ात के लिए आए उसका हक़ तीन दिन क़ियाम का है और जो रास्ते में गुज़रते हुए ठहर जाये कि असल मक़्सूद आगे जाना था। यह जगह रास्ते में पड़ गयी इसलिए यहां भी क़ियाम कर लिया, तो उसके क़ियाम का हक़ सिर्फ़ एक दिन है। *(मुन्ज़री)*

और इन सब क़ौलों का खुलासा मुख़्तलिफ़ हैसियात से मेहमान के इक्राम का एहतिमाम ही है, कि एक दिन का उसका खुसूसी एहतिमाम खाने का करे और रवानगी के वक़्त नाश्ते का भी, बिलखुसूस ऐसे रास्तों में जहां रास्ते में खाना न मिल सकता हो।

दूसरा अदब हदीसे वाला में मेहमान के लिए है कि कहीं जाकर इतना तवील (लम्बा) क़ियाम न करे जिससे मेज़बान को तंगी और दिक़्क़त पेश आए।

एक और हदीस में इस लफ़्ज़ की जगह यह इर्शाद है कि इतना न ठहरे कि मेज़बान को गुनाहगार बना दे, यानी यह कि उसके तवील क़ियाम की वजह से मेज़बान उसकी ग़ीबत करने लगे, या कोई ऐसी हरकत करे जिससे मेहमान को अज़ीयत (तक्लीफ़) हो या मेहमान के साथ किसी क़िस्म की बदगुमानी करने लगे, कि ये सब उमूर मेज़बान को गुनाहगार बनाने वाले हैं। लेकिन यह सब कुछ इस सूरत में है कि मेज़बान की तरफ़ से मेहमान के क़ियाम पर इसरार और तक़ाज़ा न हो या उसके अंदाज़ से ग़ालिब गुमान यह हो कि ज़्यादा क़ियाम उस पर गरां (भारी) नहीं है।

एक हदीस में है कि किसी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! क्या चीज़ है जो उसको गुनाह में डाले? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि उसके पास इतना क़ियाम करे कि मेज़बान के पास उसके खिलाने को कुछ न हो।

हाफ़िज़ रह० कहते हैं कि इसमें हज़रत सलमान रज़ि० का अपने मेहमान के साथ एक क़िस्सा पेश आया। *(फ़त्ह)*

जिस क़िस्से की तरफ़ हाफ़िज़ रह० ने इशारा किया है। इमाम ग़ज़्ज़ाली रह० ने उसको नक़ल किया है।

हज़रत अबू वाइल रह० कहते हैं कि मैं और मेरा एक साथी हज़रत सलमान रज़ि० की ज़ियारत के लिए गये। उन्होंने जौ की रोटी और नीम कोफ़्ता नमक हमारे सामने रखा। मेरा साथी कहने लगा कि अगर इसके साथ सातर

(पोदीने की एक क़िस्म है) होता तो बड़ा लज़ीज़ होता। हज़रत सलमान रज़ि॰ तशरीफ़ ले गये और वुज़ू का लोटा रेहन (गिवी) रख कर सातर ख़रीद लाये। जब हम खा चुके तो मेरे साथी ने कहा –

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ قَنَّعَنَا بِمَا رَزَقَنَا

"अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी क़न्-न-अना बिमा र-ज़ क़ना" (सब तारीफ़ अल्लाह जल्ल शानुहू के लिए है, जिसने हमें मा ह-ज़र पर क़नाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमायी। हज़रत सलमान रज़ि॰ ने फ़रमाया अगर तुम्हें मा हज़र पर क़नाअत होती तो मेरा लोटा गिरवी न रखा जाता।) *(एहया)*

हासिल यह है कि मेज़बान पर ऐसी फ़रमाइश करना जिससे उसको दिक़्क़त हो, यह भी मेज़बान को तंगी में डालने में दाख़िल है। दूसरे के घर जाकर चुनां चुनीं करना, यह चाहिए, वह चाहिए, हरगिज़ मुनासिब नहीं है। जो वह हाज़िर कर रहा है, उसको सब्र व शुक्र से बशाशत के साथ खा लेना चाहिए। फ़रमाइशें करना बसा औक़ात मेज़बान की दिक़्क़त और तंगी का सबब होता है। अलबत्ता अगर मेज़बान के हाल से अंदाज़ा हो कि वह फ़रमाइश से ख़ुश होता है, मसलन फ़रमाइश करने वाला कोई महबूब हो और जिससे फ़रमाइश की जाए वह जां निसार (जान निछावर करने वाला) हो तो जो चाहे फ़रमाइश करे।

हज़रत इमाम शाफ़ई रह॰ बग़दाद में ज़ाफ़रानी रह॰ के मेहमान थे और वह हज़रत इमाम रह॰ की ख़ातिर में रोज़ाना अपनी बांदी को एक पर्चा लिखा करता था। जिसमें उस वक़्त के खाने की तफ़सील होती थी। हज़रत इमाम शाफ़ई रह॰ ने एक वक़्त बांदी से पर्चा लेकर देखा और उसमें अपने क़लम से एक चीज़ का इज़ाफ़ा फ़रमा दिया। दस्तरख़वान पर जब ज़ाफ़रानी ने वह चीज़ देखी तो बांदी पर एतिराज़ किया कि मैं ने इसके पकाने को नहीं लिखा था। वह पर्चा लेकर आक़ा के पास आयी और पर्चा दिखा कर कहा कि यह चीज़ हज़रत इमाम रह॰ ने ख़ुद अपने क़लम से इज़ाफ़ा की थी। ज़ाफ़रानी ने जब उसको देखा और हज़रत रह॰ के क़लम से उसमें इज़ाफ़े पर नज़र पड़ी तो ख़ुशी से बाग़ बाग़ हो गया और इस ख़ुशी में उस बांदी को आज़ाद कर दिया। *(एहया)*

अगर ऐसा कोई मेहमान हो और ऐसा मेज़बान हो तो यक़ीनन फ़रमाइश भी लुत्फ़ की चीज़ है।

(۲۳) عن ابی سعیدؓ انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم یقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامك الا تقی رواه الترمذی وابوداؤد والدارمی کذافی المشکوٰة وبسط فی تخریجه صاحب الاتحاف.

23. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि मुसलमान के अलावा किसी के साथ मुसाहबत और हम-नशीनी न रख और तेरा खाना ग़ैर मुत्तक़ी न खाये।

फ़ायदाः- इस हदीस पाक में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो आदाब इर्शाद फ़रमाये।

1. अव्वल यह कि हमनशीनी और नशिस्त व बर्ख़ास्त ग़ैर मुस्लिम के साथ न रख। अगर इससे कामिल मुसलमान मुराद है तब तो मतलब यह है कि फ़ासिक़ व फ़ाजिर लोगों के साथ मुजालसत (उठना बैठना) इख़्तियार न कर। दूसरे जुम्ले में चूंकि मुत्तक़ी का ज़िक्र है, उससे इस मफ़्हूम की ताईद होती है, नीज़ इससे भी ताईद होती है कि एक हदीस में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद है। कि न दाख़िल हों तेरे घर में मगर मुत्तक़ी लोग। *(कन्ज़)*

और अगर इससे मुतलक़न मुसलमान मुराद है तो मतलब यह है कि काफ़िरों के साथ बेज़रूरत मुजालसत इख़्तियार न की जाए, और हर सूरत में तंबीह मक़्सूद है अच्छी सोहबत इख़्तियार करने पर, इसलिए कि आदमी जिस क़िस्म के लोगों में कसरत से नशिस्त व बर्ख़ास्त (उठना बैठना) रखा करता है उसी क़िस्म के आसार आदमी में पैदा हुआ करते हैं। इसी बिना पर हुज़ूर सल्ल० का वह इर्शाद है जो अभी गुज़रा है कि तेरे घर में मुत्तक़ियों के अलावा दाख़िल न हों यानी उनसे मेल जोल होगा तो उनके असरात पैदा होंगे।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद है कि सालेह हमनशीन की मिसाल मुश्क बेचने वाले की है, कि अगर उसके पास बैठा जाए तो वह तुझे थोड़ा सा मुश्क का हद्या भी दे देगा। तू उससे ख़रीद भी लेगा। और दोनों बातें न हों तो पास बैठने की वजह से मुश्क की ख़ुश्बू से दिमाग़ मुअत्तर रहेगा (और फ़रहत पहुँचती रहेगी) और बुरे साथी की मिसाल लोहार की भट्ठी के पास बैठने वाले की है, कि अगर उसकी भट्ठी से कोई चिंगारी उड़ कर लग गयी तो कपड़े जला देगी और यह भी न हो तो बदबू और धुआं तो कहीं गया नहीं। *(मिश्कात)*

एक और हदीस में है कि आदमी अपने दोस्त के मज़हब पर हुआ करता है, पस अच्छी तरह ग़ौर कर ले कि किससे दोस्ती कर रहा है?

(मिश्कात)

मतलब यह है कि पास बैठने का और सोहबत का असर बे इरादा रफ़्ता रफ़्ता आदमी में सरायत करता (घुसता) रहता है। यहां तक कि आदमी उसका मज़हब भी इख़्तियार कर लिया करता है, इसलिए पास बैठने वालों की दीनी हालत में अच्छी तरह से ग़ौर कर लेना चाहिए। बद दीनों के पास कसरत से बैठने से बद दीनी आदमी में पैदा हुआ करती है। रोज़मर्रा का तजुर्बा है कि शराब पीने वालों के, शतरंज खेलने वालों के पास थोड़े दिन कसरत से उठना बैठना हो तो ये मर्ज़ आदमी में लग जाते हैं।

एक और हदीस में है, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबू रज़ीन रज़ि॰ से फ़रमाया कि मैं तुझे ऐसी चीज़ बताऊँ, जिससे उस चीज़ पर क़ुदरत हो जाए। जो दारैन की ख़ैर का सबब हो, अल्लाह का ज़िक्र करने वालों की मज्लिस इख़्तियार कर और जब तू तंहा (अकेला) हुआ करे तो जिस क़दर भी कर सके, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को हरकत देता रहा कर और अल्लाह के लिए दोस्ती कर और उसी के लिए दुश्मनी कर।

(मिश्कात)

यानी जिससे दोस्ती या दुश्मनी हो वह अल्लाह ही की रज़ा के वास्ते हो, अपने नफ़्स के वास्ते न हो।

इमाम ग़ज़्ज़ाली रह॰ फ़रमाते हैं कि जिस शख़्स की मुसाहबत इख़्तियार करे, उसमें पांच चीज़ें होना चाहिएं –

1. अव्वल साहिबे अक़्ल हो, इसलिए कि अक़्ल असल रासुल माल है। बेवक़ूफ़ की मुसाहबत में कोई फ़ायदा नहीं है। उसका मआले कार (अन्जाम) वहशत और क़ता रहमी है।

हज़रत सुफ़ियान सोरी रह॰ से तो यह भी नक़ल किया गया कि अहमक़ की सूरत को देखना भी ख़ता है।

2. दूसरी चीज़ यह है कि उसके अख़्लाक़ अच्छे हों कि जब आदमी के अख़्लाक़ ख़राब हों तो वह अक़्ल पर बसा औक़ात ग़ालिब आ जाते हैं। एक आदमी समझदार है, बात को खूब समझता है लेकिन गुस्सा, शह्वत, बुख़्ल

वग़ैरह उसको अक्सर अक़्ल का काम नहीं करने देते।

3. तीसरी चीज़ यह है कि वह फ़ासिक़ न हो, इसलिए कि जो शख़्स अल्लाह जल्ल शानुहू से भी न डरता हो, उसकी दोस्ती का कोई एतिबार नहीं, न मालूम किस जगह किस मुसीबत में फंसा दे।

4. चौथी चीज़ यह है कि वह बिदअती न हो कि उसके ताल्लुक़ात से बिदअत के साथ मुतास्सिर हो जाने का अंदेशा रहे और उसकी नहूसत के मुतअद्दी होने का ख़ौफ़ है। बिदअती इसका मुस्तहिक़ है कि उससे ताल्लुक़ात अगर हों तो ख़त्म कर लिए जाएं न यह कि ताल्लुक़ात पैदा किए जाएं।

5. पांचवी चीज़ यह है कि वह दुनिया कमाने पर हरीस न हो कि उसकी सोहबत, सिम्मे क़ातिल है, इसलिए कि तबीअत तशब्बुह और इक़्तिदा पर मजबूर हुआ करती है और मख़फ़ी तौर पर दूसरे के असरात लिया करती है। *(एहया)*

हज़रत इमाम बाक़र रह० फ़रमाते हैं कि मुझे मेरे वालिद हज़रत जैनुल आबिदीन रह० ने वसीयत फ़रमायी है कि पांच आदमियों के साथ न रहना, उनसे बात भी न करना, हत्ता की रास्ता चलते हुए उनके साथ रास्ता भी न चलना –

1. एक फ़ासिक़ शख़्स कि वह तुझे एक लुक़्मा, बल्कि एक लुक़्मे से भी कम में फ़रोख़्त कर देगा। मैंने पूछा कि एक लुक़्मे से कम में फ़रोख़्त करने का क्या मतलब? फ़रमाया कि एक लुक़्मे की उम्मीद पर वह तुझे फ़रोख़्त कर दे फिर उसको वह लुक़्मा भी जिसकी उम्मीद थी, न मिले (महज़ उम्मीद पर फ़रोख़्त कर दे)

2. बख़ील के पास न जाइयो कि वह तुझसे ऐसे वक़्त में ताल्लुक़ तोड़ देगा जब तू उसका सख़्त मुहताज हो।

3. झूठे के पास न जाईयो कि वह बालू (रेत) की तरह से क़रीब को दूर और दूर को क़रीब ज़ाहिर करेगा।

4. अहमक़ के पास को न गुज़रना कि वह तुझे नफ़ा पहुँचाना चाहेगा, नुक़सान पहुँचा देगा।

5. क़ता रहमी करने वाले के पास को न गुज़रियो कि मैं ने उस पर क़ुरआन पाक में तीन जगह लानत पायी है। *(रौज़)*

असरात का लेना आदमियों ही के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि जिस चीज़ के साथ आदमी का तलब्बुस ज़्यादा हुआ करता है, उसके असरात मख़्फ़ी (छिपे) तौर पर आदमी के अंदर आ जाया करते हैं।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल किया गया कि बकरियों वालों में मस्कनत होती है और फ़ख़्र व तकब्बुर घोड़े वालों में होता है, इसकी वजह ज़ाहिर है कि इन दोनों जानवरों में ये सिफ़ात पायी जाती हैं। ऊँट और बैल वालों में शिद्दत और सख़्तदिली भी वारिद हुई है।

मुतअद्दद रिवायात में चीते की खाल पर सवारी की मुमानअत (मनाही) आयी है। उलमा ने मिनजुम्ला दूसरी वुजूह के इसकी एक वजह यह भी फ़रमायी है कि ताबिस्ता की वजह से उसमें दरिंदगी की ख़स्लत पैदा होती है।

(कौकब)

2. दूसरा अदब हदीसे बाला में यह है कि तेरा खाना मुत्तक़ी लोग ही खाएं यह मज़्मून भी मुतअद्दद रिवायात में आया है।

एक हदीस में आया है कि अपना खाना मुत्तक़ी लोगों को खिलाओ और अपने एहसान का मोमिनों को मोरद बनाओ। *(इत्तिहाफ़)*

उलमा ने लिखा है कि इससे मुराद दावत का खाना है, हाजत का खाना नहीं है, चुनांचे एक हदीस में है कि अपने खाने से उस शख़्स की ज़ियाफ़त करो, जिससे अल्लाह की वजह से मुहब्बत हो। *(इत्तिहाफ़)*

दफ़्ए हाजत के खाने में हक़ तआला शानुहू ने क़ैदियों के खिलाने की भी मद्ह (तारीफ़) फ़रमायी है और क़ैदी उस ज़माने के काफ़िर थे। *(मज़ाहिर)*

जैसा कि आयात के सिलसिले में नं॰ 34 पर यह मज़्मून गुज़र चुका है, और अहादीस के सिलसिले में नं॰ 10 पर गुज़र चुका है कि एक फ़ाहिशा औरत की महज़ इसी वजह से मग़्फ़िरत हुई कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। और भी मुतअद्दद (कई सारी) रिवायात में मुख़्तलिफ़ मज़ामीन से इसकी ताईद होती है।

हुज़ूर सल्ल॰ ने तो क़ायदा और ज़ाब्ता फ़रमा दिया कि हर जानदार में अज्र है, इसमें मुत्तक़ी, ग़ैर मुत्तक़ी, मुस्लिम काफ़िर, आदमी, हैवान, सब ही दाख़िल हैं। लिहाज़ा एहतियाज और ज़रूरत के खाने में ये चीज़ें नहीं देखी जातीं, वहां तो एहितयाज की शिद्दत और क़िल्लत देखी जाती है। जितनी ज़्यादा

एहितयाज हो, उतना ही ज़्यादा सवाब होगा।

यह खाना दावत और ताल्लुक़ात का है, इसमें भी अगर कोई दीनी मस्लहत हो, ख़ैर की नीयत हो, तो जिस दर्जे की वह ख़ैर और मस्लहत होगी, उसी दर्जे का अज्र होगा, अल-बत्ता अगर कोई दीनी मस्लहत न हो तो फिर खाने वाला जितना ज़्यादा मुत्तक़ी होगा, उतना ही ज़्यादा अज्र का सबब होगा।

साहिबे मज़ाहिर और इमाम ग़ज़्ज़ाली रह० ने लिखा है कि मुत्तक़ियों को खिलाना ताअत और नेकियों पर इआनत (मदद) है और फ़ासिक़ों को खिलाना फ़िस्क़ व फ़ुजूर (बुरे कामों) पर इआनत है और ज़ाहिर चीज़ है कि मुत्तक़ी और नेक आदमी में जितनी ज़्यादा ताक़त और क़ुव्वत आएगी इबादत में ज़्यादा मसरूफ़ होगा और फ़ासिक़ फ़ाजिर में अच्छे खानों से जितनी ज़्यादा क़ुव्वत होगी, लह्व व लअिब, फ़िस्क़ व फ़ुजूर में बढ़ेगा, जिससे उसकी इआनत हुई।

एक बुज़ुर्ग अपने खाने को फ़ुक़रा-ए-सूफ़िया ही को खिलाते थे। किसी ने अर्ज़ किया कि अगर आप आम फ़ुक़रा को भी खिलाएं तो बेहतर हो। उन्होंने फ़रमाया कि इन लोगों की सारी तवज्जोह अल्लाह तआला की तरफ़ है। जब इनको फ़ाक़ा होता है तो इससे तवज्जोह में इन्तिशार (फ़रक़ पड़ता) होता है। मैं एक शख़्स की तवज्जोह को अल्लाह जल्ल शानुहू तक लगाये रखूँ। यह इससे बेहतर है कि ऐसे हज़ार आदमियों की इआनत करूँ जिन की सारी तवज्जोह दुनिया की तरफ़ है। हज़रत जुनैद बग़दादी रह० ने जब यह बात सुनी तो बहुत पसंद फ़रमाया। *(एह्या, इत्तिहाफ़)*

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० से एक दर्ज़ी ने दर्याफ़्त किया कि मैं ज़ालिम बादशाहों के कपड़े सीता हूँ क्या आपका ख़्याल है कि मैं भी ज़ालिमों की इआनत कर रहा हूँ? उन्होंने इर्शाद फ़रमाया कि नहीं, तू इआनत करने वालों में नहीं है, तू तो ख़ुद ज़ालिम है, ज़ालिम की इआनत करने वाले वे लोग हैं जो तेरे हाथ सुई धागा फ़रोख़्त करें। *(एह्या)*

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद वारिद हुआ है कि जो शख़्स करीम पर एहसान करता है उसको गुलाम बना लेता है, और जो ज़लील (लईम) शख़्स पर एहसान करता है, उसकी दुश्मनी अपनी तरफ़ खींचता है। *(कंज़)*

एक और हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ है कि अपना खाना मुत्तक़ी लोगों को खिलाओ और अपना

एहसान मोमिनीन पर करो। *(मिश्कात)*

और इसमें अलावा ऊपर वाली मस्लेहतों के मुत्तक़ी और मोमिनीन का एज़ाज़ व इक्राम भी है और यह ख़ुद मुस्तक़िल तौर पर मंदूब और मामूर बिही है। इसी वजह से उलमा ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाक इर्शाद की जिसमें आपने फ़ासिक़ों की दावत क़ुबूल करने से मना फ़रमाया है। (इत्तिहाफ़) मिन जुम्ला दूसरी वज्हों के एक वजह यह भी लिखी है कि फ़ासिक़ की दावत क़ुबूल करने में उसका एज़ाज़ व इक्राम है।

(٢٤) عن ابی هريرةؓ قال يارسول الله ای الصّدقة افضل قال جهد المقل وابدابمن تعول رواه ابوداؤد وغيره (مشكوٰة)

24. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया कि सबसे अफ़ज़ल सदक़ा क्या है? हुज़ूर सल्ल॰ ने इर्शाद फ़रमाया कि नादार की इंतिहाई कोशिश, और इब्तिदा उससे करो, कि जिसकी परवरिश तुम्हारे ज़िम्मे है।

फ़ायदा:- यानी जो शख़्स ख़ुद ज़रूरतमंद हो, फ़क़ीर हो, नादार हो, वह अपनी कोशिश से अपने को मशक़्क़त में डाल कर जो सदक़ा करे, वह अफ़ज़ल है।

हज़रत बिश्र रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि तीन अमल बहुत सख़्त हैं यानी उनमें हिम्मत का काम है -

1. एक तंगदस्ती की हालत में सख़ावत,

2. दूसरे तंहाई में तक़्वा और अल्लाह का ख़ौफ़,

3. तीसरे ऐसे शख़्स के सामने हक़ बात का कहना जिससे ख़ौफ़ हो या उम्मीद हो। *(इत्तिहाफ़)*

यानी उससे अग़राज़ वाबस्ता हैं और यह अंदेशा है कि वह हक़ बात कहने से मेरी अग़राज़ पूरी न करेगा या किसी क़िस्म की मज़र्रत (नुक़सान या तक्लीफ़) पहुँचाएगा। हक़ तआला शानुहू के पाक कलाम में भी इसकी तरफ़ इशारा गुज़र चुका है जैसा कि आयात के सिलसिले में नं॰ 28 पर गुज़रा कि वे हज़रात बावजूद अपनी हाजत और फ़क़्र के दूसरों को तर्जीह देते हैं। और उसके

ज़ैल में इसकी कुछ तफ़्सील भी गुज़र चुकी है।

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू इर्शाद फ़रमाते हैं कि तीन शख़्स हुज़ूर सल्ल॰ की ख़िदमत में हाज़िर हुए। उनमें से एक ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मेरे पास सौ दीनार (अशर्फ़ियां) थे। मैं ने उनमें से दस दीनार अल्लाह के वास्ते सदक़ा कर दिए। दूसरे साहब ने अर्ज़ किया कि मेरे पास दस दीनार थे मैं ने एक दीनार सदक़ा कर दिया। तीसरे साहब ने अर्ज़ किया कि मेरे पास एक ही दीनार था मैं ने उसका दसवां हिस्सा सदक़ा किया है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि तुम तीनों का सवाब बराबर है। इसलिए कि हर शख़्स ने अपने माल का दसवां हिस्सा सदक़ा किया है।

एक और हदीस में इसी क़िस्म का एक और क़िस्सा वारिद हुआ है। उसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यही इर्शाद जवाब में है कि तुम सब, सवाब में बराबर हो कि हर शख़्स ने अपने माल का दसवां हिस्सा सदक़ा कर दिया।

उस हदीस में यह भी वारिद है कि उसके बाद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयते शरीफ़ा पढ़ी:-

"लि युन्फ़िक़् ज़ू स-अ-तिम् मिन् स-अ-तिही॰"

यह आयते शरीफ़ा सूरः तलाक़ के पहले रूकूअ् के ख़त्म पर है। पूरी आयते शरीफ़ा का तर्जुमा यह है कि वुसअत वाले को अपने वुसअत के मुवाफ़िक़ ख़र्च करना चाहिए और जिसकी आमदनी कम हो, उसको चाहिए कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने जितना उसको दिया है, उसमें से ख़र्च करे (यानी अमीर आदमी अपनी हैसियत के मुवाफ़िक़ ख़र्च करे और ग़रीब आदमी अपनी हैसियत के मुवाफ़िक़, क्योंकि) ख़ुदा-ए-तआला किसी शख़्स को उससे ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देता, जितना उसको दिया है। (और ग़रीब आदमी ख़र्च करता हुआ इससे न डरे कि फिर बिल्कुल ही नहीं रहेगा) ख़ुदा-ए-तलाआ तंगी के बाद जल्दी ही फ़राग़त भी दे देगा।

अल्लामा सुयूती रह॰ ने दुर्रे मंसूर में इस आयते शरीफ़ा के ज़ैल में हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू की रिवायत के हम मआनी दूसरे बाज़ सहाबा रज़ि॰ से भी रिवायत नक़ल की है और उनसे बढ़ कर एक सही हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद नक़ल किया गया कि एक

दिरम एक लाख दिरम से भी सवाब में बढ़ जाता है। इस तरह कि एक आदमी के पास दो ही दिरम फ़क़त हैं, उसने उनमें से एक सदक़ा कर दिया। दूसरा शख़्स ऐसा है कि उसके पास बहुत बड़ी मिक़्दार में माल है, उसने अपने कसीर माल में से एक लाख दिरम सदक़ा किए, तो यह एक दिरम सवाब में बढ़ जायेगा।

अल्लामा सुयूती रह० ने जामिउस्सग़ीर में हज़रत अबूज़र रज़ि० और हज़रत अबू हुरैरह की रिवायात से इसको नक़ल किया है और सही की अलामत लिखी, यही नादार की कोशिश है, कि एक शख़्स के पास सिर्फ़ दो दिरम हैं, यानी सात आने कि एक दिरम तक़रीबन साढ़े तीन आने का होता है, उनमें से एक सदक़ा कर दे। इससे भी बढ़कर यह है कि जिसको इमाम बुख़ारी रह० ने रिवायत किया।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० इर्शाद फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब हम लोगों को सदक़े का हुक्म फ़रमाया करते थे तो हममें से कुछ आदमी बाज़ार जाते और अपने ऊपर बोझ लाद कर मज़दूरी में एक मुद्द (जो हनफ़िया के नज़दीक एक सेर वज़न है और दूसरे हज़रात के नज़दीक तीन पाव से भी कुछ कम है) कमाते और उसको सदक़ा कर देते। *(फ़त्ह)*

कुछ रिवायात में है कि हममें से बाज़ आदमी जिनके पास एक दिरम भी न होता था, बाज़ार जाते और लोगों से इसकी ख़्वाहिश करते कि कोई मज़दूरी पर काम करा ले और अपनी कमर पर बोझ लाद कर एक मुद्द मज़दूरी हासिल करते।

रावी यह कहते हैं कि हमें जहां तक ख़्याल है, ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने यह अपना ही ख़ुद हाल बताया है।

हज़रत इमाम बुख़ारी रह० ने इस पर यह बाब ज़िक्र किया है, 'बयान उस शख़्स का जो इसलिए मज़दूरी करे कि अपनी कमर पर बोझ लादे और फिर उस मज़दूरी को सदक़ा कर दे'। *(फ़त्ह)*

आज हममें से भी कोई इस उमंग का आदमी है कि स्टेशन पर जाकर सिर्फ़ इसलिए बोझ उठाए कि दो चार आने जो मिल जायेंगे वह उनको सदक़ा कर देगा?

इन हज़रात को आख़िरत के खाने का हर वक़्त उतना ही फ़िक्र रहता था, जितना हमें दुनिया के खाने का। हम इसलिए मज़दूरी कर सकते हैं कि आज खाने को कुछ नहीं, लेकिन ये इसलिए मज़दूरी करते थे कि आज आख़िरत में जमा करने को कुछ नहीं है।

इब्तिदा-ए-इस्लाम में बाज़ मुनाफ़िक़ ऐसे लोगों पर तान करते थे, जो मशक़्क़त उठा कर थोड़ा थोड़ा सदक़ा करते थे। हक़ तआला शानुहू ने उन पर इताब (नाराज़गी व ग़ुस्सा) फ़रमाया। चुनांचे इर्शाद है:-

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ط سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ز وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

(توبہ رکوع ۱۰)

तर्जुमाः- ये (मुनाफ़िक़) ऐसे लोग हैं कि नफ़्ल सदक़ा करने वाले मुसलमानों पर सदक़ात के बारे में तान करते हैं। और (बिल् ख़ुसूस) उन लोगों पर (और भी ज़्यादा) तान करते हैं। जिनको सिवाए मेहनत और मज़दूरी के कुछ मयस्सर नहीं होता। ये (मुनाफ़िक़) उनका मज़ाक़ उड़ाते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहू उनके मज़ाक़ उड़ाने का बदला (इसी नौअ् से) देगा (कि आख़िरत में इन अहमक़ों का भी अव्वल मज़ाक़ उड़ाया जाएगा) और दुख देने वाला अज़ाब तो उनके लिए है ही, (वह तो टलता नहीं।)

मुफ़स्सिरीन ने इस आयते शरीफ़ा के ज़ैल में बहुत सी रिवायात इस क़िस्म की ज़िक्र की हैं कि ये हज़रात रात भर हम्माली करके मज़दूरी कमाते और सदक़ा करते और जो कुछ थोड़ा बहुत घर में होता, वह तो उनकी निगाह में सदक़े के वास्ते ही होता था। मजबूरी के दर्जे में कुछ ख़ुद भी इस्तेमाल कर लिया।

एक मर्तबा हज़रत अली रज़ि॰ की ख़िदमत में एक साइल हाज़िर हुआ। आपने अपने साहबज़ादे हज़रज हसन या हज़रत हुसैन रज़ियाल्लाहु अन्हुमा से फ़रमाया कि अपनी वालिदा (हज़रत फ़ातिमा रज़ि॰) से कहो कि मैं ने जो छः दिरम तुम्हारे पास रखे हैं। उनमें से एक दे दो। साहबज़ादे गये और यह जवाब लाये कि वे आपने आटे के वास्ते रखवाए थे। हज़रत अली रज़ि॰ ने फ़रमाया कि आदमी अपने ईमान में उस वक़्त तक सच्चा नहीं होता जब तक अपने पास की मौजूद चीज़ से उस चीज़ पर ज़्यादा एतिमाद न हो जो अल्लाह जल्ल शानुहू के

पास है। अपनी वालिदा से कहो कि वह छः दिरम सब के सब दे दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ि॰ ने तो याद दहानी के तौर पर फ़रमाया था उनको इसमें क्या ताम्मुल हो सकता था ? इसलिए हज़रत फ़ातिमा रज़ि॰ ने दे दिए। हज़रत अली रज़ि॰ ने वह सब साइल को दे दिए। हज़रत अली रज़ि॰ अपनी उस जगह से उठे भी नहीं थे कि एक शख़्स ऊँट फ़रोख़्त करता हुआ आया। आपने उसकी क़ीमत पूछी। उसने एक सौ चालीस दिरम बताए। आपने वह क़र्ज़ ख़रीद लिया और क़ीमत की अदाएगी का बाद का वायदा कर लिया। थोड़ी देर बाद एक और शख़्स आया और ऊँट को देखकर पूछने लगा कि यह किसका है? हज़रत अली रज़ि॰ ने फ़रमाया कि मेरा है। उसने दर्याफ़्त किया कि फ़रोख़्त करते हो? हज़रत अली रज़ि॰ ने फ़रमाया हाँ, उसने क़ीमत दर्याफ़्त की। हज़रत अली रज़ि॰ ने दो सौ दिरम बताए। वह ख़रीद कर ले गया। हज़रत अली रज़ि॰ ने एक सौ चालीस दिरम अपने क़र्ज़ ख़्वाह यानी पहले मालिक को देकर साठ दिरम हज़रत फ़ातिमा रज़ि॰ को लाकर दे दिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ि॰ ने पूछा कि यह कहां से आये? हज़रत अली रज़ि॰ ने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के वास्ते से वायदा फ़रमाया है कि जो शख़्स नेकी करता है उसको दस गुना बदला मिलता है। *(कंज़ुल उम्माल)*

यह भी ज़ुहद वाले की मशक़्क़त थी कि कुल सिर्फ़ छः दिरम तक़रीबन एक रूपया पांच आने कुल मौजूद थे, जो आटे के लिए रखे हुए थे। अल्लाह जल्ल शानुहू पर कामिल एतिमाद करते हुए उनको ख़र्च फ़रमा दिया और वह दुनिया का बदला वसूल कर लिया, और भी बहुत से वाक़िआत इन हज़रात के अल्लाह जल्ल शानुहू पर एतिमादे कामिल करके सब कुछ ख़र्च कर डालने के वारिद हुए हैं।

हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ का क़िस्सा ग़ज़्वा-ए-तबूक का मशहूर व मारूफ़ है जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सदक़े का हुक्म फ़रमाया तो जो कुछ घर में था, सब कुछ लाकर पेश कर दिया, और हुज़ूर सल्ल॰ के दर्याफ़्त फ़रमाने पर कि घर में क्या छोड़ा, अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल को, यानी उनकी रज़ा को। हालांकि उलमा ने लिखा है कि जब हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ ईमान लाये तो उनके पास चालीस हज़ार अशर्फ़ियां थीं। *(तारीख़ुल ख़ुलफ़ा)*

मुहम्मद बिन अबाद महलबी रह॰ कहते हैं कि मेरे वालिद मामून रशीद

बादशाह के पास गये। बादशाह ने एक लाख दिरम हद्या दिया। वालिद साहब, जब वहां से उठ कर आये तो सबके सब सदक़ा कर दिये। मामून को इसकी इत्तिला हो गयी। जब दोबारा वालिद साहब की मुलाक़ात हुई तो मामून ने नाराज़ी का इज़्हार किया। वालिद साहब ने कहा, ऐ अमीरूल मोमिनीन ! मौजूद का रोकना माबूद के साथ बदगुमानी है। *(एह्या)*

यानी जो चीज़ मौजूद है, उसको ख़र्च न करना इसी ख़ौफ़ से तो होता है कि यह न रहेगी तो कहां से आएगी, तो गोया कि जिस मालिक ने इस वक़्त दिया है उसको दोबारा देना मुश्किल पड़ जायेगा।

बहुत से वाक़िआत अस्लाफ़ व अकाबिर के ऐसे गुज़रे हैं कि नादारी की हालत में भी जो कुछ था, सब दे दिया, लेकिन इन सब रिवायात और वाक़िआत के ख़िलाफ़ अहादीस में एक मज़्मून और भी आया है, और वह हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक और मशहूर इर्शाद – **"ख़ैरू स-द-क़-तिन मा का-न अन ज़हरि ग़िना"** (बेहतरीन सदक़ा वही है जो ग़िना से हो।) यह मज़्मून भी मुतअद्दद रिवायात से वारिद हुआ है।

अबू दाऊद शरीफ़ में एक क़िस्सा वारिद हुआ है। हज़रत जाबिर रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हम लोग हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर थे। एक शख़्स हाज़िर हुए और एक बैज़े के बक़द्र सोना पेश कर के अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! यह मुझे एक मादन (कान) से मिल गया है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। हुज़ूर सल्ल॰ ने उस जानिब से एराज़ फ़रमा लिया। वह साहब दूसरी जानिब से हाज़िर हुए और यही दर्ख़्वास्त मुकर्रर (दोबारा) पेश की। हुज़ूर सल्ल॰ ने उस तरफ़ से भी मुँह फेर लिया। इसी तरह मुतअद्दद मर्तबा हुआ। हुज़ूर सल्ल॰ ने उस डली को लेकर ऐसे ज़ोर से फेंका कि अगर वह उनके लग जाती तो ज़ख़्मी कर देती। इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, कुछ लोग अपना सारा माल सदक़े में पेश कर देते हैं, फिर वे लोगों के सामने सवाल का हाथ फैलाते हैं। बेहतरीन सदक़ा वही है जो ग़िना से हो।

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक शख़्स मस्जिद में हाज़िर हुए। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (उनकी बदहाली देखकर) लोगों को कपड़ा सदक़ा करने की तर्ग़ीब दी। लोगों ने कुछ कपड़े पेश किए। जिनमें से दो कपड़े हुज़ूर सल्ल॰ ने उनको भी मरहमत फ़रमाये। जो उस

वक़्त मस्जिद में दाख़िल हुए थे। इसके बाद दूसरे मौक़े पर हुज़ूर सल्ल॰ ने फिर लोगों को सदक़े की तर्ग़ीब दी तो उन्होंने भी अपने दो कपड़ों में से एक कपड़ा सदक़ा कर दिया। हुज़ूर सल्ल॰ ने उन को तंबीह फ़रमायी और उनका कपड़ा वापस फ़रमा दिया। *(अबूदाऊद)*

एक और हदीस में इस क़िस्से में हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद वारिद हुआ है कि यह साहब निहायत बुरी हैयत से मस्जिद में आए थे। मुझे यह उम्मीद थी कि तुम उनकी हालत देखकर ख़ुद ही ख़्याल करोगे, मगर तुमने ख़्याल न किया तो मुझे कहना पड़ा कि सदक़ा लाओ, तुम सदक़ा लाए और उनको दो कपड़े दे दिए। फिर मैं ने दूसरी मर्तबा जब सदक़े की तर्ग़ीब दी तो यह भी अपने दो कपड़ों में से एक सदक़ा करने लगे लो अपना कपड़ा वापस लो।

(कंज़ुल उम्माल)

एक और हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद वारिद हुआ है कि कुछ आदमी अपना सारा माल सदक़ा कर देते हैं फिर बैठ कर लोगों के हाथों को देखते हैं। बेहतरीन सदक़ा वह है जो ग़िना से हो।

एक और हदीस में इर्शाद है कि बग़ैर ग़िना के सदक़ा है ही नहीं।

(कंज़ुल उम्माल)

ये रिवायात बज़ाहिर पहली रिवायात के ख़िलाफ़ हैं, गो हक़ीक़त में कुछ ख़िलाफ़ नहीं हैं। इसलिए कि इन रिवायात में मुमानअत की वजह की तरफ़ हुज़ूर सल्ल॰ ने ख़ुद ही इर्शाद फ़रमा दिया कि सारा माल सदक़ा करके फिर लोगों के हाथों को तकते हैं, ऐसे आदमियों के लिए यक़ीनन तमाम माल सदक़ा करना मुनासिब नहीं, बल्कि निहायत बेजा है। लेकिन जो हज़रात ऐसे हैं कि उनको अपने पास जो माल मौजूद हो उससे ज़्यादा एतिमाद उस माल पर हो जो अल्लाह के क़ब्ज़े में है, जैसा कि हज़रत अली रज़ि॰ के क़िस्से में अभी गुज़रा और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि॰ के हालात तो इससे भी बालातर (ऊंचे दर्जे के) हैं, ऐसे हज़रात को सारा माल सदक़ा कर देने में मुज़ाइक़ा नहीं, अलबत्ता इसकी कोशिश ज़रूर करते रहना चाहिए कि अपना हाल भी इन हज़रात जैसा बन जाए और दुनिया से ऐसी ही बे रग़्बती और हक़ तआला शानुहू पर ऐसा ही एतिमाद पैदा हो जाए जैसा इन हज़रात को था, और जब आदमी किसी काम की कोशिश करता है तो हक़ तआला शानुहू वह चीज़ अता फ़रमाते ही हैं। "मन

जद्-द-व-ज-द" ज़र्बुल मसल (कहावत) है कि जो कोशिश करता है, वह पा लेता है।

एक बुज़ुर्ग से किसी ने दर्याफ़्त किया कि कितने माल में कितनी ज़कात वाजिब होती है ? उन्होंने फ़रमाया कि अवाम के लिए दो सौ दिरम में पांच दिरम यानी चालीसवां हिस्सा शरीअत का हुक्म है। लेकिन हम लोगों पर सारा माल सदक़ा कर देना वाजिब है। *(एहया अव्वल)*

इसी ज़ैल में हुज़ूर सल्ल॰ के वे इर्शादात हैं जो अहादीस के सिलसिले में नं॰ 1 पर गुज़रे कि अगर उहद का पहाड़ सारे का सारा सोना बन जाए तो मुझे यह गवारा नहीं कि उसमें से एक दिरम भी बाक़ी रखूं, अलावा उसके जो क़र्ज़ की अदाएगी के लिए हो। इस बिना पर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अस्र की नमाज़ के बाद निहायत उज्लत (जल्दी) से मकान तशरीफ़ ले गये और सोने का टुकड़ा जो घर में इत्तिफ़ाक़ से रह गया था। उसको सदक़े का हुक्म फ़रमा कर वापस तशरीफ़ लाये। और कुछ दामों की मौजूदगी की वजह से अपनी अलालत (बीमारी) में बेचैन हो गये। जैसा कि सिलसिला-ए-अहादीस में नं॰ 4 पर गुज़रा।

हज़रत इमाम बुख़ारी रह॰ ने अपनी सहीह बुख़ारी शरीफ़ में फ़रमाया कि सदक़ा बग़ैर ग़िना के नहीं है, और जो शख़्स ऐसी हालत में सदक़ा करे, कि वह ख़ुद मुहताज हो या उसके अह्ल व अयाल मुहताज हों, या उस पर क़र्ज़ हो तो क़र्ज़ का अदा करना मुक़द्दम है। ऐसे शख़्स का सदक़ा उस पर लौटा दिया जायेगा। अलबत्ता अगर कोई शख़्स सब्र करने में मारूफ़ (मशहूर) हो और अपने नफ़्स पर बावजूद अपनी एहतियाज के तर्जीह दे जैसा कि हज़रत सिद्दीक़े अक्बर रज़ि॰ का फ़ेल था, या अन्सार ने मुहाजिरीन को अपने ऊपर तर्जीह दी (तो इसमें मुज़ाइक़ा नहीं)

अल्लामा तबरी रह॰ कहते हैं कि जमहूर उलमा का मज़्हब यह है कि जो शख़्स अपना सारा माल सदक़ा कर दे बशर्ते कि उस पर क़र्ज़ न हो और तंगी की उसमें बर्दाश्त हो और उसके अयाल न हों या अगर हों तो वे भी उसकी तरह से साबिर हों तो सारा माल सदक़ा करने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं और इनमें से कोई शर्त न पायी जाए तो सारा माल सदक़ा करना मक्रूह है। *(फ़त्ह)*

हमारे हज़रत हकीमुल उम्मत शाह वलिय्युल्लाह साहब नव्वरल्लाहु

मर्क़-द-हू इर्शाद फ़रमाते हैं कि (हुज़ूर सल्ल० के पाक इर्शाद) बेहतरीन सदक़ा वह है जो ग़िना से हो। ग़िना से मुराद दिल का ग़िना है। *(हुज्जतुल्लाह)*

इस सूरत में ये अहादीस पिछली अहादीस के ख़िलाफ़ भी नहीं हैं ख़ुद हुज़ूर सल्ल० का पाक इर्शाद भी अहादीस में आया है कि ग़िना माल की कसरत से नहीं होता, बल्कि असल ग़िना दिल का ग़िना होता है। *(मिश्कात)*

ऊपर जो क़िस्सा सोने की डाली का गुज़रा, उसमें भी इशारतन यह मज़्मून मिलता है कि उन साहब का बार-बार यह अर्ज़ करना कि यह सारा सादक़ा है और मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है, इस तरफ़ इशारा कर रहा है कि दिल को उससे वाबस्तगी है।

साहिबे मज़ाहिर फ़रमाते हैं कि यह ज़रूरी है सद्क़ा ग़िना से दिया जाए, चाहे ग़िना-ए-नफ़्स हो यानी अल्लाह जल्ल शानुहू पर एतिमादे कामिल हो, जैसा कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने जब तमाम माल अल्लाह के लिए दे दिया और हुज़ूर सल्लह० के इर्शाद पर कि अपने आयाल के लिए क्या छोड़ा ? उन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह तआला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! तो हुज़ूर सल्ल० ने उनकी तारीफ़ फ़रमायी और यह दर्जा हासिल न हो तो फिर माल का ग़िना बाक़ी रहे। हासिल यह है कि तवक्कुले कामिल हो तो जो चाहे ख़र्च कर दे और यह कामिल न हो तो अहल व आयाल की रियायत को मुक़द्दम करे । *(मज़ाहिर)*

मगर अपने दिल को अपनी इस कोताही पर तंबीह करता रहे और ग़ैरत दिलाता रहे कि तुझे इस नापाक दुनिया पर जितना एतिमाद है, अल्लाह जल्ल शानुहू पर उसका आधा-तिहाई भी नहीं है। इन्शाअल्लाह इसके बार-बार तंबीह करने से ज़रुर असर होगा। काश ! हक़ तआला शानुहू इन आकाबिर के तवक्कुल और एतिमाद का कुछ हिस्सा इस कामीने को भी आता फ़रमा देता।

(٢٥) عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا متفق عليه كذا فى المشكوة

25. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है

कि जब औरत अपने घर के खाने में से ऐसी तरह सद्क़ा करे कि (इस्राफ़ अगैरह से) उस को खराब न करे तो उसको खर्च करने का सवाब है और खाविंद को इस लिए सवाब है कि उसने कमाया था और खाने का इंतिज़ाम करने वाले को (मर्द हो या औरत) ऐसा ही सवाब है और इन तीनों में से एक के सवाब की वजह से दूसरे के सवाब में कमी न होगी। इस हदीस शरीफ़ में दो मज़्मून वारिद हुए है-

एक बीवी के खर्च करने के मुताल्लिक़ है, दूसरा सामान के मुहाफ़िज़ ख़ज़ानची और मुनतज़िम के मुतालिक़ि है और दोनों मज़ामीन में रिवायात कसरत से वारिद हुई हैं।

शैख़ैन की एक और रिवायत में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद वारिद हुआ है कि जब औरत खाविंद की कमाई में से उसके बग़ैर हुक्म के खर्च करे तो उस औरत को आधा सवाब है। *(मिश्कात)*

हज़रत सअद रज़ि॰ फ़रमाते है कि जब हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने औरतों की जमाअत को बैअत किया, तो एक औरत ख़ड़ी हुई, जो बड़े क़द की थी, ऐसा मालूम होता था जैसा कि क़बीला मुज़र की हों कि उनके क़द लम्बे होते होंगे, और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लह ! हम औरतें अपने वालिदों पर भी बोझ हैं, अपनी औलाद पर भी और अपने खाविन्दों पर भी बोझ हैं। हमें उनके माल में से क्या चीज़ लेने का हक़ है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, तरो-ताज़ा चीज़ें (जिनके रोकने में खराब होने का अन्देशा हो) खा भी सकती हो और दूसरों को दे भी सकती हो। *(मिश्कात)*

एक और हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद वारिद हुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहू रोटी के एक लुक़्मे और खजूरों की एक मुट्ठी की वजह से तीन आदमियों को जन्नत में दाखिल फ़रमाते हैं-

1. एक घर के मालिक को यानी खाविंद को,
2. दूसरे बीवी को, जिसने यह खाना पकाया,
3. तीसरे उस खदिम को जो दरवाज़े तक मिस्कीन को देकर आया। *(कन्ज़)*

हज़रत आइशा रज़ि॰ की हमशीरा (बहन) हज़रत आस्मा रज़ि॰ ने अर्ज़

किया, या रसूलल्लाह। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, सिवाए उसके जो (मेरे खाविंद) हज़रत ज़ुबैर रज़ि॰ मेझे दे दें, क्या में उसमें से खर्च कर लिया करूं? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, खूब खर्च किया करो, बांध कर न रखो कि तुम पर भी बन्दिश कर दी जाएगी। *(कन्ज़)*

यह रिवायत और इसके हम मायने कई रिवायतें अभी गुज़री हैं।

एक और रिवायत में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जब औरत खाविंद की कमाई में से उसके बग़ैर हुक्म के ख़र्च करे तो खाविंद को आधा सवाब है। *(ऐनी, मुस्लिम से)*

अभी एक रिवायत में इसका उल्टा गुज़र चूका कि ऐसी सूरत में औरत के लिए आधा सवाब है, लेकिन ग़ौर से मालूम होता है कि खाविंद की कमाई से खर्च करने की दो सूरत होती हैं-

1. एक सूरत यह है कि खाविंद ने कमा कर माल का कुछ हिस्सा औरत को बिल्कुल दे दिया, उसको मालिक बना दिया, ऐसे माल में से अगर औरत खर्च करे, तो उसको पूरा सवाब और खाविंद को निस्फ़ (आधा) सवाब बज़ाहिर है कि खाविंद तो बहरहाल औरत को दे चुका है। अब अगर वह ख़र्च करती है तो हक़ीक़त में ख़ाविंद के माल में से ख़र्च नहीं करती, बल्कि अपने माल में से ख़र्च करती है, लेकिन कमाई चूंकि खाविंद की है, इस लिए उसको भी अल्लाह के लुत्फ़ व करम से उसकी कमाई की वजह से उसके सद्क़ा करने का आधा सवाब है और बीवी को दे देने का मुस्तक़िल सवाब पहले अलाहिदा हो चुका है।

2. दूसरी सूरत यह है कि ख़ाविंद ने कमाने के बाद औरत को मालिक नहीं बनाया, बल्कि घर के इख़्राजात के लिए उसको दिया है, उस माल में से सद्क़ा करने का ख़ाविंद को पूरा सवाब हुआ कि वह असल मालिक है और औरत को आधा कि इख़्राजात में तंगी तो उसको भी पेश आएगी।

इनके अलावा और भी कई रिवायत में मुख़्तलिफ़ उन्वानात से औरतों को तर्ग़ीब दी गयी कि वे खाने की चीज़ों में से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करें, ज़रा-सी चीज़ों में यह बहाना न तलाश किया करें कि ख़ाविंद की इजाज़त तो नहीं, लेकिन इन सब रिवायात के ख़िलाफ़ बाज़ (कुछ) रिवायात में इसकी मुमानअत भी वारिद हुई है।

हज़रत अबू उमामा रज़ि० फ़रमाते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल विदाअ् के ख़ुत्बे में मिन्जुम्ला और इर्शादात के यह भी फ़रमाया कि कोई औरत ख़ाविंद के घर से (यानी उसके माल में से) बग़ैर उसकी इजाज़त के ख़र्च न करे। किसी ने दर्याफ़्त किया, हुज़ूर ! खाना भी बग़ैर उसकी इजाज़त ख़र्च न करे? हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, खाना तो बेहतरीन माल है। *(तर्ग़ीब)*

यानी उसको भी बग़ैर इजाज़त ख़र्च न करे।

इस रिवायत को पहली रिवायत से कोई हक़ीक़त में मुख़ालफ़त नहीं है। पहली सब रिवायात आम हालात और मारूफ़ आदात की बिना पर हैं। घरों का आम उर्फ़ सब जगह यही है और यही होता है कि जो चीज़ें, सामान या रुपया पैसा घर में इख़्राजात के वास्ते दे दिया जाता है, उसमें ख़ाविंदों को इससे ख़िलाफ़ नहीं होता कि औरतें उसमें से कुछ सद्क़ा कर दें या ग़ुरबा को कुछ खाने को दे दें, बलिक, ख़ाविंदों का ऐसी चीज़ों में कंज काव और पूछना, तहक़ीक़ करना, कंजूसी और छिछोरापन शुमार होता है। लेकिन इस उर्फ़ आम के बावजूद अगर कोई बख़ील इसकी इजाज़त न दे कि उसमें से किसी को दिया जाए, तो फिर औरत को जायज़ नहीं कि उस के माल में से कुछ सद्क़ा करे या हद्या दे दे, अलबत्ता अपने माल में से जो चाहे ख़र्च करे।

एक शख़्स ने हुज़ूर सल्ल० से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ! मेरी बीवी मेरे माल में से मेरी बग़ैर इजाज़त ख़र्च करती है। हुज़ूर सल्ल ने फ़रमाया, तुम दोनों को उसका सवाब होगा। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं उसको मना कर देता हूं। हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया, तुझे तेरे बुख़्ल का बदला मिलेगा, उसको उसके एहसान का अज्र होगा। *(कंज़)*

मालूम हुआ ख़विंदों का ऐसी मामूली चीज़ से रोकना बुख़्ल है और उसके रोकने के बाद उसके माल में से औरत को ख़र्च करना जायज़ नहीं, अलबत्ता औरत का अगर दिल ख़र्च करने को चाहता है और ख़ाविंद की मजबूरी से रुकी हुई है, तो उस को उसकी नीयत की वजह से सद्क़े का सवाब मिलता ही रहेगा।

अल्लामा ऐनी रह० फ़रमाते हैं, हक़ीक़त में इन चीज़ों में हर शहर का उर्फ़ और आदत मुख़्तलिफ होती है और ख़ाविंदों के अह्वाल भी मुख़्तलिफ़ होते

हैं, बाज़ पसन्द करते हैं, बाज़ पसन्द नहीं करते। इसी तरह जो चीज़ ख़र्च की जाए, उसके एतिबार से भी मुख़्तलिफ़ अह्वाल होते हैं, एक तो मामूली चीज़ क़ाबिले तसामुह होती है और कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी ख़ाविंद को अहमियत हो। इसी तरह से कोई एसी चीज़ होती है, जिसके रखने में, उसके ख़राब हो जाने का अंदेशा हो और कोई ऐसी चीज़ होती है, जिसके रोकने में कोई नुक़्सान नहीं होता।

हाफ़िज़ इब्ने हजर रह॰ ने नक़्ल किया है कि यह शर्त तो मुत्तफ़क़ अलैह् है कि वह औरत ख़र्च करने में फ़साद करने वाली न हो।

कुछ उलमा ने कहा है कि ख़र्च करने की तर्ग़ीबें हिजाज़ के उर्फ़ के मुवाफ़िक़ वारिद हुई हैं कि वहां बीवियों को इस क़िस्म के तसर्रुफ़ात की आम इजाज़त होती थी कि वे मसाकीन को, मेहमानों को, पड़ोस की औरतों को, सवाल करने वालों को, खाने वग़ैरह की चीज़ दे दें।

हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मक़्सद इन रिवायात से अपनी उम्मत को तर्ग़ीब देना है कि अरब की यह नेक ख़स्लत इख़्तियार करें। *(मज़ाहिर)*

चुनांचे हमारे दियार में भी बहुत से घरों में यह उर्फ़ है कि अगर साइल को या किसी अज़ीज़ या ज़रूरतमंद को, भूखे को खाने-पीने की चीज़ें दे दी जाएं, तो खाविंदों के नज़दीक यह चीज़ न उनसे क़ाबिले इजाज़त है न यह उनके लिए मुजिबे तकद्दुर (गरानी का सबब) होता है।

दूसरा मज़्मून हदीसे बाला में मुहाफ़िज़ और ख़ज़ांची के मुताल्लिक़ वारिद हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि असल मालिक किसी शख़्स को हद्या देने की, सद्क़ा करने की ख्वाहिश रखता है, मगर यह ख़ज़ांची और मुहाफ़िज़ कारकुन उसमें रूखना पैदा किया करते हैं, बिलख़ुसूस उमरा और सलातीन के यहां अक्सर ऐसा होता है कि मालिक की तरफ़ से सद्क़ात के परवाने जारी होते हैं और ये मीर मुंशी हमेशा गुंजाइश न होने का उज़्र खड़ा करते हैं । इस लिए हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुतअद्दद रिवयात में इसकी तर्ग़ीब दी है कि कारकुन हज़रात अगर निहायत तीबे ख़ातिर और ख़नदा पेशानी से मालिक के हुक्म की तामील करें तो उनको महज़ ज़रिया और वास्ता होने की वजह से अल्लह के फ़ज़्ल व इनाम से मुस्तक़िल सवाब मिले जैसा कि ऊपर

के मज़्मुन में मुतअद्दद रिवायात इसकी गुज़र चुकी हैं।

एक हदीस में है कि अगर मुसलमान ख़ज़ांची अमानतदार मालिक के हुक्म की तामील पूरी-पूरी ख़ंदापेशानी और ख़ुशदिली के साथ करे और जितना देने का उसको हुक्म है, उतना ही दे दे, तो वह भी सद्क़ा करने वालों में है। *(मिश्कात)*

एक हदीस में है कि अगर सद्क़ा (बिल् फ़र्ज़) सात करोड़ आदमियों के हाथ में को निकल कर आए तो आख़िर वाले को भी ऐसा ही सवाब होगा जैसा कि अव्वल वाले को। *(कंज़)*

यानी मसलन किसी बादशाह ने सद्क़े का हुक्म दे दिया और उसके अमले के इतने आदमियों को उसमें वास्ता बनना पड़ा तो सब को सवाब होगा यानी अज्र व सवाब के एतिबार से वे भी सब ऐसे ही हैं जैसा कि सद्क़ा करने वाला सवाब का मुस्तहिक़ है, गो दोनों के सवाब में फ़र्क़ मरातिब है। और फ़र्क़ मरातिब के लिए यह ज़रूरी नहीं कि मालिक ही का सवाब ज़्यादा हो। कहीं मालिक का सवाब ज़्यादा होगा, मसलन सौ रुपए मुलाज़िम को दिए या ख़ज़ानची को हुक्म करे कि फ़्लां शख़्स को जो दरवाज़े पर या अपने पास मौजूद है दे दे, इस सूरत में यक़ीनन मालिक को सवाब ज़्यादा होगा, और एक अनार किसी को दे कि फ़्लां मुहल्ले में जो बीमार हैं, उसको दे आओ कि इतनी दूर जाना आनार की क़ीमत से भी मश्क़्क़त के एतिबार से बढ़ जाए तो उस सूरत में उस वास्ते का सवाब असल मालिक से भी बढ़ जाएगा। *(ऐनी)*

इसी तरह उस ख़ाज़िन को माल की तहसील में मशक़्क़त ज़्यादा अठानी पड़ती हो और मालिक को बे-मेहनत मुफ़्त में मिल जाए तो ऐसे माल के सद्क़ा करने में यक़ीनन ख़ाज़िन का सवाब ज़्यादा हो जाएगा। 'अल-अजरु अला क़द्रिन्नस्बि' (सवाब मशक़्क़त के बक़द्र हुआ करता है।) यह शरीअते पाक का मुस्तक़िल ज़ाब्ता है, लेकिन जैसा कि बीवी के लिए बग़ैर ख़ाविंद की इजाज़त के तसर्रुफ़ करने का फ़िलजुम्ला हक़ है। ख़ाज़िन के लिए यह जायज़ नहीं कि बग़ैर इज़्ने मालिक के कोई तसर्रुफ़ उसके माल में करे, अल-बत्ता अगर मालिक की तरफ़ से तसर्रुफ़ की इजाज़त हो तो मुज़ायक़ा नहीं।

(٢٦) عن ابن عباسؓ مرفوعًا فی حدیث لفظه کل معروف صدقة والدّال علی الخیر کفا عِلهٖ واللّٰه یحب اغاثة اللهفان کذا فی المقاصد الحسنة وبسط فی تخریجه وطرقهٖ والسیوطی فی الجامع الصغیر حدیث الدّال علی الخیر کفاعله من روایة ابن مسعود وابی مسعود وسهل بن سعد وبریدة وانس.

26. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि हर भलाई सद्क़ा है और किसी कारे ख़ैर पर दूसरे को तर्ग़ीब देने का सवाब ऐसा है जैसा कि ख़ुद करने का सवाब है और अल्लाह जल्ल शनुहू मुसीबत ज़दा लोगों की मदद को महबूब रखता है।

फ़ायदाः- इस हदीस पाक में तीन मज़्मून हैं-

अव्वल यह कि हर भलाई सद्क़ा है यानी सद्क़े के लिए माल ही देना ज़रूरी नहीं है और सद्क़ा इसी में मुनहसर नहीं बल्कि जो भलाई किसी के साथ की जाए, वह सवाब के एतिबार से सद्क़ा है।

एक रिवायत में है कि अदमी के अन्दर तीन सौ साठ जोड़ हैं। उस के लिए ज़रूरी है कि हर जोड़ की तरफ़ से रोज़ाना एक सद्क़ा किया करे।

सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! इसकी ताक़त किसको है? (कि तीन सौ साठ सद्क़े रोज़ाना किया करे?) हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, मस्जिद में थूक पड़ा हो, उसको हटा दो, यह भी सद्क़ा है। रास्ते में कोई तक्लीफ़ देने वाली चीज़ पड़ी हो, उस को हटा दो, यह भी सद्क़ा है और कुछ न मिले तो चाश्त की दो रक्अत नफ़्ल सब के क़ायम मक़ाम हो जाती है। *(मिश्कात)*

इसलिए कि नमाज़ में हर जोड़ को अल्लाह की इबादत में हरकत करना पड़ती है। एक हदीस में है कि रोज़ाना जब आफ़्ताब तुलू होता है तो आदमी पर हर जोड़ के बदले में एक सद्क़ा है, दो आदमियों के दर्मियान इंसाफ़ कर दो यह भी सद्क़ा है, किसी शख़्स की सवारी पर सवार होने में मदद कर दो, यह भी सद्क़ा है, हर वह क़दम जो नमाज़ के लिए चले, सद्क़ा है, किसी को रास्ता बता दो, यह भी सद्क़ा है। रास्ते से तक्लीफ़ देने वाली चीज़ हटा दो, यह भी सद्क़ा है। *(जामिउस्सग़ीर)*

एक हदीस में है कि रोज़ाना आदमी के हर जोड़ के बदले में उस पर

सद्का ज़रूरी है, हर नमाज़ सद्का है, रोज़ा सद्का है, हज सद्का है सुब्हानल्लाह कहना सद्का है, अल्हम्दु लिल्लाह कहना सद्का है, अल्लाहु अक्बर कहना सद्का है।

एक और हदीस में है कि जो कोई रास्ते में मिल जाए, उसको सलाम करना भी सद्का है। *(अबूदाऊद)*

और भी इस क़िस्म की मुतअद्द रिवायात वारिद हुई हैं, जिनसे मालूम होता है कि–हर भलाई, हर नेकी, हर एहसान सद्का है बशर्ते कि अल्लाह के वास्ते हो।

दूसरी चीज़ हदीसे बाला में यह ज़िक्र की गयी कि जो शख़्स किसी कारे ख़ैर पर किसी को तर्ग़ीब दे, उसको ऐसा ही सवाब है, जैसा करने वाले को।

यह हदीस मशहूर है, बहुत से सहाबा–ए–किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन से हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद नक़ल किया गया कि भलाई का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि उसको करने वाला हो। हक़ तआला शनुहू व अम्म नवालुहू की अता और एहसान, बख़्शिश और इन्आम का क्या ठिकाना है। उसकी अताएं, उसके अल्ताफ़ बे–मेहनत मिलते हैं। मगर हम लेना ही न चाहें, तो इसका क्या इलाज है। एक शख़्स ख़ुद नफ़्लें कसरत से नहीं पढ़ सकता, वह दूसरों को तर्ग़ीब देकर नफ़्लें पढ़वाए उसको भी उनका सवाब हो, ख़ुद नादार होने की वजह से या किसी और वजह से माल कसरत से ख़र्च नहीं कर सकता, दूसरों को तर्ग़ीब देकर ख़र्च कराये और ख़र्च करने वालों के साथ ख़ुद भी सवाब का शरीक बने, एक शख़्स ख़ुद रोज़े नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, जिहाद नहीं कर सकता और कोई इबादत नहीं कर सकता, लेकिन इन चीज़ों की दूसरों को तर्ग़ीब देता है और ख़ुद इन सब का शरीक बनता है।

बहुत ग़ौर से सोचने और समझने की बात है कि अगर आदमी अपने आप ही इन सब इबादतों को करने वाला हो, एक ही के करने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन इन चीज़ों पर सौ आदमियों को तर्ग़ीब देकर ख़ड़ा कर दे तो सौ का सवाब मिलेगा और हज़ार–दो हज़ार को और उनसे ज़्यादा को लगा दे तो जितने लोगों को आमादा कर देगा, सबका सवाब मिलता रहेगा और लुत्फ़ यह है कि ख़ुद अगर मर भी जाएगा तो इन आमाल के करने वालों के आमाल का सवाब बाद में भी पहुंचता रहेगा। क्या अल्लाह जल्ल शानुहू के एहसानात की

कोई हद है और किस क़दर ख़ुशनसीब हैं वे जो लाखों को अपनी ज़िंदगी में दीनी कामों पर लगा गये और अब मरने के बाद वे उन आमाल के करने वालों के सवाब में शरीक हैं। मेरे चचा जान मौलाना मौलवी मुहम्मद इल्यास साहब नव्वरल्लाहु मर्क़दहू फ़रमाया करते थे और मसर्रत से फ़रमाया करते थे कि लोग अपने बाद आदमियों को छोड़ कर जाते हैं, मैं मुल्क को छोड़ कर जा रहा हूं। मतलब यह था कि मेवात का ख़ित्ता जहां लाखें आदमी उनकी कोशिश से नमाज़ी बने, हज़ारों तहज्जुद गुज़ार बने, हज़ारों हाफ़िज़े क़ुरआन, इन सब का सवाब इन्शाअल्लाह उनको मिलता रहेगा और अब यह खुश क़िस्मत जमाअत अरब और अजम में तब्लीग़ कर रही है, उनकी कोशिश से जितने आदमी किसी दीनी काम में लग जाएंगे, नमाज़ व क़ुरआन पढ़ने लगेंगे, उन सब का सवाब इन कोशिश करने वालों को भी होगा और उनको भी होगा, जिनको यह मसर्रत (ख़ुशी) थी कि मैं मुल्क को छोड़कर जा रहा हूं। ज़िंदगी बहरहाल ख़त्म होने वाली चीज़ है और मरने के बाद वही काम आता है जो अपनी ज़िंदगी में आदमी कर ले, ज़िंदगी के इन लम्हात को बहुत ग़नीमत समझना चहिए और जो चीज़ ज़ख़ीरा बनायी जा सकती हो, उसमें कसर न छोड़नी चाहिए और बेहतरीन चीज़ें वे हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहे।

मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों ! वक़्त को बहुत ग़नीमत समझो और जो साथ ले जाना है, ले जाओ। बाद में न कोई बाप पूछता है न बेटा, सब चंद रोज़ रोकर चुप हो जाएंगे और बेहतरीन चीज़ सद्क़ा-ए-जारिया है।

तीसरी चीज़ हदीसे बाला में यह ज़िक्र फ़रमायी है कि अल्लाह जल्ल शानुहू मुसीबत ज़दा लोगों की फ़रयाद रसी को पसन्द करते हैं।

एक हदीस में है कि अल्लाह जल्ल शानुहू उस पर रहम नहीं फ़रमाते जो आदमियों पर रहम नहीं करता।

एक हदीस में है कि जो शख़्स मुसीबत ज़दा औरतों की मदद करता है या ग़रीब की मदद करता है, वह ऐसा है जैसा कि जिहाद में कोशिश करने वाला हो और ग़ालिबन यह भी फ़रमाया कि और वे ऐसा है जैसा कि तमाम रात नफ़्लें पढ़ने वाला हो कि ज़रा भी सुस्ती नहीं करता और वह ऐसा है जैसा कि हमेशा रोज़ा रखता हो, कभी इफ़्तार न करता हो। *(मिश्कात)*

एक हदीस में है कि जो शख़्स किसी मोमिन से दुनिया की किसी

मुसीबत को ज़ायल (ख़त्म) करता है, अल्लाह जल्ल शानुहू उससे क़ियामत के दिन की मुसीबत को ज़ायल करता है और जो शख़्स किसी मुश्किल में फंसे हुए को सहूलत पहुंचाता है अल्लाह जल्ल शानुहू उस को दुनिया और आख़िरत की सहूलत अता फ़रमाता है, जो शख़्स किसी मुसलमान की दुनिया में पर्दापोशी करता है अल्लाह जल्ल शानुहू दुनिया और आख़िरत में उसकी पर्दापोशी करता है। *(मिश्कात)*

एक हदीस में है कि जो शख़्स अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत पूरी कर ले, उसका ऐसा सवाब है जैसा कि हक़ तआला शानुहू की तमाम उम्र ख़िदमत (इबादत) की हो।

एक हदीस में है कि जो शख़्स अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत को हाकिम तक पहुंचाए, तो उसकी पुलसिरात पर चलने में मदद की जाएगी, जिस दिन की उस पर पांव फ़िसल रहे होंगे।

एक हदीस में है कि अल्लाह तआला के कुछ बन्दे ऐसे हैं, जिनको हक़ तआला शानुहू ने इसी लिए पैदा किया है कि वे लोगों की हाजतें पूरी किया करें, उनके कामों में मदद दिया करें। ये लोग क़ियामत के सख़्त दिन में बे-फ़िक्र होंगे, उनको कोई ख़ौफ़ न होगा।

एक हदीस में है कि जो शख़्स अपने मुज़्तर भाई की मदद करे, हक़ तआला शनुहू उसको उस दिन साबित क़दम रखेंगे, जिस दिन पहाड़ भी अपनी जगह न ठहर सकेंगे (यानी क़ियामत के दिन)।

एक हदीस में है कि जो शख़्स किसी मुसलमान की किसी कलमे से इआनत करे या उसकी मदद में क़दम चलाये, हक़ तआला शानुहू उस पर 73 रहमतें नाज़िल फ़रमाते हैं, जिनमें से एक में उसकी दुनिया और आख़िरत की दुरुस्तगी है और बहत्तर आख़िरत में रफ़्ए- दरजात (दर्जों की बुलन्दी) के लिए ज़ख़ीरा हैं, उनके अलावा और भी बहुत सी अहादीस इस क़िस्म के मज़ामीन की साहिबे कंज़ुल उम्माल ने नक़ल की हैं।

एक हदीस में है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे पर रहम करने में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में, एक दूसरे पर मेहरबानी करने में एक जिस्म की तरह हैं कि जब बदन का कोई उज़्व (हिस्सा) माऊफ़ हो जाता है, तो सारे आज़ा जागने में, बुख़ार में, उसका साथ देते हैं। *(मिश्कात)*

यानी जैसा कि एक उज़्व की तक्लीफ़ से सारे आज़ा बेचैन हो जाते हैं, मसलन हाथ में ज़ख़्म हो जाता है तो फिर किसी उज़्व को भी नींद नहीं आती, सब को जागना पड़ता है, इससे बढ़ कर यह कि उसके अकड़ाहट से सारे बदन को बुख़ार हो जाता है। इसी तरह एक मुसलमान की तक्लीफ़ से सब को बेचैन हो जाना चाहिए।

एक और हदीस में है कि रहम करने वाले आदमियों पर रहमान भी रहम फ़रमाता है, तुम उन लोगों पर रहम करो, जो दुनिया में हैं, तुम पर वे रहम करेंगे जो आसमान में हैं। इससे हक़ तआला शानुहू भी मुराद हो सकते हैं और फ़रिश्ते भी।

एक हदीस में है कि मुसलमानों का बेहतरीन घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाता हो और बदतरीन घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता हो।

(मिश्कात)

एक हदीस में है जो शख़्स मेरी उम्मत में से किसी शख़्स की हाजत पूरी करे ताकि उसकी ख़ुशी हो, उसने मुझको ख़ुश किया और जिसने मुझे ख़ुश किया, उसने अल्ला जल्ल शनुहू को ख़ुश किया और जो शख़्स हक तआला शनुहू को खुश करता है, वह उसको जन्नत में दाख़िल फ़रमा देता है।

एक हदीस में है कि जो शख़्स किसी मुसीबत ज़दा आदमी की मदद करता है, उसके लिए तिहत्तर दर्जे मग़्फ़िरत के लिए लिखे जाते हैं, जिन में से एक दर्जे से तो उसकी दुरुस्तगी होती है (यानी लग़्ज़िशों का बदला हो जाता है) बाक़ी बहत्तर दर्जे रफ़्ए-दरजात का सबब होते हैं।

एक और हदीस में है कि मख़्लुक़ सारी की सारी अल्लाह तआला की अयाल है। आदमियों में सब से ज़्यादा महबूब अल्लाह जल्ल शानुहू के नज़्दीक वह है जो उसके अयाल के साथ अच्छा बर्ताव करे। *(मिश्कात)*

मख़्लूक़ सारी की सारी अल्लाह की अयाल है, मशहूर हदीस है कि मुतअद्द सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अज्मईन से नक़ल की गयी।

उलमा ने लिखा है कि जैसे आदमी अपने अयाल की रोज़ी का एहतिमाम करने वाला होता है। उसी तरह हक़ तआला शानुहू भी अपनी सारी मख़्लूक़ के रोज़ी रसां है । इसी लिहाज़ से उनको अल्लाह की अयाल बताया

गया। (मक़ासिदे हसना)

और इस सिफ़त में मुसलमानें की भी ख़ुसूसियत नहीं है, मुसलमान, काफ़िर सब ही शरीक हैं, बल्कि सारे हैवानात इसमें दाख़िल हैं कि सब के सब अल्लाह तआला शानुहू की मख़्लूक़ और उसकी अयाल हैं। जो शख़्स सब के साथ हुस्ने सुलूक और अच्छा बर्ताव करने वाला होगा, वह हक़ तआला शानुहू को सबसे ज़्यादा महबूब होगा।

(۲۷) عن شداد بن اوسؓ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلّى يرائى فقد اشرك ومن صام يرائى فَقَدْ اَشرك ومن تصدق يرائى فقد اشرك رواه احمد كذا فى المشكوٰة

27. हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जिस ने रिया की नीयत से नमाज़ पढ़ी, उस ने शिर्क किया, जिसने रिया के इरादे से रोज़ा रखा, उसने शिर्क किया , जिसने रिया की नीयत से सद्क़ा दिया उसने शिर्क किया।

फ़ायदा:- यानी जिसने अपनी इन इबादतों में अल्लाह जल्ल शानुहू के साथ दूसरों को शरीक बना लिया और वे वे लोग हैं, जिनको दिखाना मक़्सूद है उसने अपनी इबादत को ख़ालिस हक़ तआला शानुहू के लिए नहीं रखा, बलिक उसकी इबादत साझे की इबातद बन गयी और इबादत की ग़रज़ में उनका हिस्सा भी हो गया, जिनको दिखाना मक़्सूद है, यह बहुत ही अहम चीज़ है। इस पर फ़स्ल को ख़त्म करता हूं।

मक़्सद यह है कि जो इबादत भी हो ख़ालिस अल्लाह जल्ल शानुहू की रज़ा के वास्ते हो, उसमें कोई फ़ासिद ग़रज़-रिया, शोहरत, वजाहत वग़ैरह हरगिज़ न होना चाहिए कि इसमें नेकी बर्बाद, गुनाह लाज़िम हो जाता है।

अहादीस में बहूत कसरत से इस पर वईदें और तंबीहें वारिद हुई हैं। एक हदीसे क़ुदसी में हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस का इर्शाद वारिद हुआ है कि मैं सब शरीकों में सबसे ज़्यादा बे परवा हूं। जो शख़्स किसी इबादत में मेरे साथ किसी दूसरे को शरीक कर देता है, मैं उस इबादत करने वाले को उसके (बानाये हुए) शरीक के साथ छोड़ देता हूं। (मिश्कात)

यानी वह अपना बदला और सवाब उस शरीक से जाकर ले ले, मुझसे

कोई वास्ता नहीं है। एक और हदीस में है कि क़ियामत के दिन एक मुनादी एलान करेगा कि जिस शख़्स ने अपने किसी अमल में अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे को शरीक किया है, वह उस शरीक से अपना सवाब मांग ले, अल्लाह जल्ल शानुहू शिर्कत से बे-नियाज़ है। *(मिश्कात)*

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर सल्ल॰ हमारे पास तशरीफ़ लाये, तो हम लोग दज्जाल का तज़्किरा कर रहे थे। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊं, जिसका मैं तुम पर दज्जाल से भी ज़्यादा ख़ौफ़ करता हूं, हमने अर्ज़ किया कि ज़रूर बताएं। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि वह शिर्के ख़फ़ी है, मसलन एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है, (इख़्लास से शुरू की है, कि कोई शख़्स उसकी नमाज़ को देखने लगे) वह आदमी के देखने की वजह से अपनी नमाज़ लम्बी कर दे।

एक दूसरे सहाबी रज़ि॰ हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद नक़ल करते हैं कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा ख़ौफ़ छोटे शिर्क का है। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, छोटा शिर्क क्या है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, रिया है।

एक हदीस में इसके बाद यह भी है कि जिस दिन हक़ तआला शानुहू बन्दों को उनके आमाल का बदला अता फ़रमाएंगे, उन लोगों से यह इर्शाद होगा कि जिनको दिखाने के लिए किए थे, देखो, उनके पास तुम्हारे आमाल का बदला है या नहीं। *(मिश्कात)*

क़ुरआन पाक में भी हक़ तआला शानुहू का पाक इर्शाद है--

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ۝ كهف ع ١٢

फ़-मन का-न यर्जू लिक़ा-अ रब्बिही फ़ल यअ्मल अ-म-लन सालिहंव्-वला युश्रिक् बिअिबाद-ति रब्बिही अ-ह-दा॰

(कहफ़ रुकूअ् 12)

'जो शख़्स अपने रब से मिलने की आरज़ू रखे (और उनका महबूब व मुक़र्रब बनना चाहे) तो नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे।'

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि एक शख़्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम से दर्याफ़्त किया कि मैं बाज़े (दीनी) मवाक़े में अल्लाह जल्ल शानुहू की रज़ा के वास्ते खड़ा होता हूँ, मगर मेरा दिल चाहता है कि मेरी इस कोशिश को लोग देखें! हुज़ूर सल्ल॰ ने इसका कोई जवाब मरहमत नहीं फ़रमाया हत्ता कि यह आयत नाज़िल हो गयी।

हज़रत मुजाहिद रह॰ कहते हैं कि एक साहब ने हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि मैं सद्क़ा करता हूँ और सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू की रज़ा मक़्सूद होती है, मगर दिल यह चाहता है कि लोग मुझे अच्छा कहें। इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

एक हदीसे क़ुदसी में है, हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है कि जो शख़्स अपने अमल में मेरे साथ किसी दूसरे शख़्स को शरीक करता है, तो मैं उस अमल को सारे ही को छोड़ देता हूँ। मैं सिर्फ़ उसी अमल को क़ुबूल करता हूँ जो ख़ालिस मेरे लिए हो। इसके बाद हुज़ूर सल्ल॰ ने यह आयते शरीफ़ा तिलावत फ़रमायी।

एक और हदीस में है, अल्लाह जल्ल शानुहू फ़रमाते हैं कि मैं अपने साथी के साथ बेहतरीन तक़्सीम करने वाला हूँ, जो शख़्स अपनी इबादत में मेरे साथ किसी दूसरे को साझी कर दे, मैं अपना हिस्सा भी उस साझी को दे देता हूँ।

एक हदीस में है कि जहन्नम में एक वादी ऐसी है जिस से जहन्नम ख़ुद भी रोज़ाना चार सौ बार पनाह मांगती है, वह रियाकार क़ारियों के लिए है। एक और हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अर्शाद आया है कि 'जुब्बुल हुज़्न' से पनाह मांगा करो (यानी ग़म के कुएं से जो जहन्नम में है)। सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! उसमें कौन लोग रहेंगे? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जो अपने आमाल में रियाकारी करते हैं।

एक सहाबी रज़ि॰ कहते हैं कि यह आयते शरीफ़ा क़ुरआन पाक में सब से आख़िर में नाज़िल हुई। *(दुर्रे मंसूर)*

क़ुरआन पाक में दूसरी जगह इर्शाद है:-

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ
رِئَآءَ النَّاسِ (بقره ع ٣٦)

या अय्युहल्लज़ी न आ म-नू ला तुब्तिलू स-द-क़ाति कुम बिल् मन्नि वल् अज़ा कल्लज़ी युन्फ़िक़ु मा ल-हू रिआ अन्ना-सि॰

(बक़रः रुकूअ् 36)

'ऐ ईमान वालो! तुम एहसान जता कर या ईज़ा पहुंचा कर अपनी ख़ैरात को बर्बाद मत करो, जिस तरह वह शख़्स (बर्बाद) करता है, जो अपना माल लोगों को दिखलाने की ग़रज़ से ख़र्च करता है और ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर। उस शख़्स की मिसाल ऐसी है जैसा कि एक चिकना पत्थर हो, जिस पर कुछ मिट्टी आ गयी (और उस मिट्टी में कुछ सब्ज़ह् वग़ैरह जम गया हो) फिर उस पत्थर पर ज़ोर की बारिश पड़ जाए, तो वह उसको बिल्कुल साफ़ कर देगी, (इसी तरह इन एहसान रखने वालों, तक्लीफ़ देने वालों और रियाकारों का ख़र्च करना भी बिलकुल साफ़ उड़ जाएगा और क़ियामत के दिन)ऐसे लोगों को अपनी कमाई ज़रा भी हाथ न लगेगी यानी ये जो नेकियां की थीं, सद्क़ात दिए थे, ये सब ज़ाया जाएंगे। इसके अलावा और भी कई जगह क़ुरआन पाक में रिया की मज़म्मत फ़रमायी है।

एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों का फ़ैसला होगा, उनमें एक तो शहीद होगा, उसको बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद दुनिया में जो अल्लाह जल्ल शानुहू के इन्आमात उस पर हुए थे, वे उसको याद दिलाए जाएंगे, इसके बाद उससे मुतालबा होगा कि अल्लाह जल्ल शानुहू की इन नेमतों में रह कर तू ने क्या नेक अमल किया? वह अर्ज़ करेगा कि मैंने तेरी रज़ा हासिल करने के लिए जिहाद किया हत्ता कि शहीद हो गया (और तुझ पर क़ुर्बान हो गया)। इर्शाद होगा कि यह झूठ है। तू ने जिहाद इस लिए किया है कि लोग बड़ा बाहदुर बताएंगे। वे तुझे बहुत बड़ा बहादुर बता चुके हैं (जो ग़रज़ अमल की थी, वह पुरी हो गयी है)। इसके बाद उसको जहन्नम में फेंक देने का हुक्म किया जाएगा और तामीले हुक्म में उस को मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।

दूसरा शख़्स एक आलिम होगा जिसको बुला कर अल्लाह जल्ल शानुहू के इन्आमात और एहसानात जता कर उस से भी पूछा जायेगा कि अल्लाह तआला की इन नेअमतों में तूने क्या अमल किया? वह कहेगा मैंने इल्म सीखा और लोगों को सिखाया। तेरी रज़ा जोई में क़ुरआन पाक पढ़ता रहा। इर्शाद होगा

यह सब झूठ है। यह सब कुछ इसलिए किया गया था, कि लोग कहेंगे कि फ़लाँ शख़्स बड़ा आलिम, बड़ा क़ारी है सो लोगों ने कह दिया है। (और जो मक़्सद इस मेहनत से था वह हासिल हो चुका है।) उसके बाद उसको भी ज़हन्नम में फेंकने का हुक़्म किया जाएगा। और तामिले हुक़्म में मुँह के बल खींच कर ज़हन्नम में फेंक दिया जाएगा।

तीसरा शख़्स एक सख़ी होगा, जिस पर अल्लाह जल्ल शानुहू ने दुनिया में बड़ी वुस्अत फ़रमा रखी थी। हर क़िस्म के माल से उसको नवाज़ा था, उसको बुलाया जाएगा और जो इन्आमात अल्लाह जल्ल शानुहू ने उस पर दुनिया में फ़रमाये थे, वे जता कर सवाल किया जाएगा कि इन इन्आमात में तेरी क्या कारगुज़ारी है? वह अर्ज़ करेगा कि मैंने ख़ैर का कोई मौक़ा, जिसमें ख़र्च करना आपको पसन्द हो, ऐसा नहीं छोड़ा, जिसमें आपकी ख़ुश्नूदी के लिए ख़र्च न किया हो। इर्शाद होगा, यह झूठ है। तू ने महज़ इस लिए ख़र्च किया कि लोग कहेंगे, बड़ा सख़ी शख़्स है, सो कहा जा चुका है। इसके बाद उसको भी जहन्नम में फेंकने का हुक्म होगा और तामीले हुक्म में मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। *(मिश्कात, मुस्लिम)*

इस हदीस में और इसी तरह और अहादीस में, जहां एक एक शख़्स का ज़िक्र आता है, इससे एक क़िस्म आदमियों की मुराद होती है। यह मतलब नहीं कि यह मामला सिर्फ़ तीन आदमियों के साथ किया जाएगा, बल्कि मतलब यह है कि तीनों क़िस्म के आदमियों से यह मुतालबा होगा और मिसाल के तौर पर हर क़िस्म में से एक एक आदमी का ज़िक्र कर दिया।

इनके अलावा और भी अहादीस में कसरत से इस पर तंबीह की गयी है और बहुत ज़्यादा अहमयित से हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी उम्मत को इस पर मुतनब्बेह किया है कि जो काम भी किया जाए वह ख़ालिस अल्लाह जल्ल शानुहू के लिए किया जाए, और जितना भी एहतिमाम हो सके, इसका किया जाए कि उसमें रिया और नमूद व शोहरत और दिखावे का शायबा भी न आने पाये, मगर इस जगह शैतान के एक बड़े मक्र से बेफ़िक्र न होना चाहिए। दुश्मन जब क़वी होता है, वह मुख़्तलिफ़ अन्वाअ्[1] से अपनी दुश्मनी निकाला करता है। यह बहुत मर्तबा आदमी को इस वस्वसे की बदौलत

1. अलग-अलग ढंगों से और शक्लों से।

कि इख़्लास तो है ही नहीं अहम तरीन इबादतों से रोक दिया करता है।

इमाम गज़ाली रह० फ़रमाते हैं कि शैतान अव्वल तो नेक काम से रोका करता है और ऐसे ख़्यालात दिल में डाला करता है जिस से उस काम के करने का इरादा ही पैदा न हो, लेकिन जब आदमी अपनी हिम्मत से उसका मुक़ाबला करता है और उसके रोकने पर अमल नहीं करता, तो वह कहा करता है, तुझ में इख़्लास तो है नहीं, यह तेरी इबादत, मेहनत बेकार है। जब इख़्लास ही नहीं, फिर ऐसी इबादत करने से क्या फ़ायदा, और इस क़िस्म के वस्वसे पैदा करके नेक काम से रोक दिया करता है और जब आदमी रुक जाता है तो उसकी ग़रज़ पूरी हो जाती है। *(एहया)*

इस लिए इस ख़्याल से नहीं रुकना चाहिए कि इख़्लास तो है नहीं, बल्कि नेक काम करने में इख़्लास की कोशिश करते रहना चाहिए, और इसकी दुआ करता रहे कि हक़ तआला शानुहू महज़ अपने लुत्फ़ से दस्तगीरी फ़रमाए ताकि न तो दीन का मशग़ला ज़ाया हो, न बर्बाद हो।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

व मा ज़ालि-क अलल्लाहि बिअज़ीज़०

दूसरी फ़स्ल

बुख़्ल की मज़म्मत में

पहली फ़स्ल में जितनी आयात और अहादीस अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की गुज़र चुकी हैं, उनसे ख़ुद ही यह बात ज़ाहिर हो गयी कि जब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के इतने फ़ज़ाइल व फ़वाइद और ख़ूबियां हैं तो जितनी इसमें कमी होगी, ये मुनाफ़े हासिल न होंगे यह ख़ुद ही काफ़ी मज़म्मत, इंतिहाई नुक़्सान है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहू और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम ने तंबीह और एहतिमाम की वजह से बुख़्ल और माल को रोक कर रखने पर ख़ुसूसी वईदें भी इर्शाद फ़रमायी हैं, जो अल्लाह का इन्आम और उसके पाक रसूल सल्ल० की उम्मत पर इंतिहाई शफ़्क़त है कि उसने इस मुह्लिक मर्ज़ पर ख़ास तौर से बहुत सी तंबीहें फ़रमा दीं। क़ुरआन व हदीस में हर मज़्मून निहायत ही कसरत से ज़िक्र किया गाया और मुख़्तलिफ़ उन्वानों से हर ख़ैर के करने पर तर्ग़ीब और हर बुराई से रुकने पर तंबीहें की गयीं। किसी एक मज़्मून का एहाता भी दुश्वार है नमूने के तौर पर इसके मुताल्लिक़ भी कुछ आयात और कुछ अहादीस लिखी जाती हैं।

आयात

(١) وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ (بقره ع ٢٤)

1. तुम लोग अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया करो और अपने आपको अपने हाथों हलाकत में न डालो। *(बक़रः रुकूअ् 24)*

फ़ायदः- यह आयते शरीफ़ा पहली फ़स्ल के सिलसिला-ए-आयात में में न० 3 पर गुज़र चुकी है। इस आयते शरीफ़ा में अललह के रास्ते में ख़र्च न करने को अपने हाथों अपने आप को हलाकत और तबाही में डालना क़रार दिया है, जैसा कि पहले मुफ़स्सल सहाबा-ए-किराम रज़ि० से नक़ल किया जा चुका है। कौन शख़्स है जो अपनी तबाही और बर्बादी चाहता हो, मगर कितने आदमी हैं, जो यह मालूम हो जाने के बावजूद कि यह तबाही और बर्बादी का ज़रिया है, इससे बचते हैं और माल को जोड़-जोड़ कर नहीं रखते, इसके सिवा क्या है कि ग़फ़लत का पर्दा हम लोगों के दिलों पर पड़ा हुआ है और अपने हाथों ही अपने आप को हलाकत में डालते जा रहे हैं।

(٢) اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝ لا (بقره ع ٢٧)

2. शैतान तुमको मुहताजी (और फ़क़्र) से डराता है और तुमको बुरी बात (बुख़्ल) का मश्वरा देता है, और अल्लाह तआला तुम से (ख़र्च करने पर) अपनी तरफ़ से गुनाह माफ़ कर देने का और ज़्यादा देने का वायदा करता है और अल्लाह तआला वुसुअत वाले हैं (वह सब कुछ दे सकते हैं) ख़ुब जानने वाले हैं (नीयत के मुवाफ़िक़ समरा

देते हैं।) *(सूर: बक़र: रुकूअ् 27)*

फ़ायदाः- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि॰ फ़रमाते हैं, हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया कि आदमी के अन्दर एक तो शैतान तसर्रुफ़ करता है और एक फ़रिश्ता तसर्रुफ करता है। शैतान का तसर्रुफ़ तो बुराई से डराना है (मसलन सद्क़ा करेगा तो फ़क़ीर हो जाएगा, वग़ैरह-वग़ैरह) और हक़ बात का झुठलाना है। और फ़रिश्ते का तसर्रुफ़ भलाई का वायदा करना है और हक़ बात की तस्दीक़ करना है जो उसको पावे (यानी भलाई की बात का ख़्याल दिल में आवे तो उसको) अल्लाह तआला की तरफ़ से समझे और उसका शुक्र अदा करे। और जो दूसरी बात को पावे (यानी बुरा ख़्याल दिल में आवे) तो शैतान से पनाह मांगे, इसके बाद हुज़ूरे अक़्दस सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयते शरीफ़ा पढ़ी। *(मिश्कात)*

यानी हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपने इर्शाद की ताईद में यह आयते शरीफ़ा पढ़ी, जिसमें हक़ तआला शानुहू का इर्शाद है कि शैतान फ़क्र का ख़ौफ़ और फ़हश बातों की तर्ग़ीब देता है और यही हक़ का झुठलाना है।

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि इस आयते शरीफ़ा में दो चीज़ें अल्लाह जल्ल शानुहू की तरफ़ से हैं और दो चीज़ें शैतान की तरफ़ से हैं। शैतान फ़क्र का वायदा करता है और बुरी बात क हुक्म करता है। यह कहता है कि माल न ख़र्च कर, एहितयात से रख, तुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और अल्लाह जल्ल शानुहू इन गुनाहों पर मग़्फ़िरत का वायदा फ़रमाता है और रिज़्क़ में ज़्यादती का वायदा फ़रमाता है। *(दुर्रे मंसूर)*

इमाम ग़ज़ाली रह॰ फरमाते हैं कि आदमी को आइंदा के फ़िक्र में ज़्यादा मुब्तला नहीं रहना चाहिए कि क्या होगा, बल्कि जब हक़ तआला शानुहू ने रिज़्क़ का वायदा फरमा रखा है तो उस पर एतिमाद करना चाहिए और यह समझते रहना चाहिए कि आइन्दा एहितयाज का ख़ौफ़ शैतानी असर है जैसा कि इस आयते शरीफ़ा में बताया गया। वह आदमी के दिल में यह ख़्याल पकाता रहता है कि अगर तू माल जमा करके नहीं रखेगा तो जिस वक़्त तू बीमार हो जाएगा या कमाने के क़ाबिल नहीं रहेगा या कोई और वक़्ती ज़रूरत पेश आ जाएगी, तो उस वक़्त तू मुश्किल में फंस जाएगा और तुझे बड़ी दिक़्क़त और

तक्लीफ़ होगी और इन ख़्यालात की वजह से उसको इस वक़्त मश्क़्क़त और कोफ़्त और तक्लीफ़ में फांस देता है और हमेशा इसी तक्लीफ़ में मुब्तला रखता है और फिर उसका मज़ाक़ उड़ाता है कि यह अहमक़ आइन्दा की मौहूम (यानी जो वहम पर आधारित है) तक्लीफ़ के डर से इस वक़्त की यक़ीनी तक्लीफ़ में फंस रहा है। *(एह्या)*

कि जमा की फ़िक्र में हर वक़्त परेशान रहता है और आइन्दा का फ़िक्र सवार रहता है।

(۳)وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَخَيْرًا لَّهُمْ ط
بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ(ال عمران ع ۱۸)

3. हरगिज़ ख़्याल न करें ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ के ख़र्च करने में बुख़्ल करते हैं जो उनको अल्लाह जल्ल शानुहू ने महज़ अपने फ़ज़्ल से अता की है कि यह बात (यानी बुख़्ल करना) उनके लिए कुछ अच्छी होगी (हरगिज़ नहीं) बल्कि यह बात उनके लिए बहुत बुरी होगी, इस लिए कि वे लोग क़ियामत के दिन तौक़ पहनाए जाएंगे उस माल का, जिसके साथ बुख़्ल किया था (यानी सांप बना कर उनकी गरदनों में) डाल दिया जाएगा और अख़ीर में आसमान व ज़मीन (और जो कुछ उनके अन्दर है, लोगों के मर जाने के बाद) अल्लाह ही का रह जाएगा, (तुम अपने इरादे से उस को दे दो तो सवाब भी हो, वरना है तो उसी का) और अल्लाह जल्ल शानुहू तुम्हारे सारे आमाल से ख़बरदार है। *(आले इम्रान रुकूअ़ 18)*

फ़ायदाः- बुख़ारी शरीफ में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इर्शाद वारिद हुआ है कि जिस शख़्स को अल्लाह जल्ल शानुहू ने माल अता किया हो और वह उसकी ज़कात अदा न करता हो तो वह माल क़ियामत के दिन एक गंजा सांप (जिसके ज़हर की कसरत और शिद्दत की वजह से उसके सर के बाल भी जाते रहे हों) बनाया जाएगा, जिसके मुँह के नीचे दो नुक्ते होंगे (यह भी ज़हर की ज़्यादती की अलामत है) और वह सांप उसके गले

में डाल दिया जाएगा, जो उस शख़्स के दोनों जबड़े पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा ख़ज़ाना हूं। इसके बाद हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयते शरीफ़ा तिलावत फ़रमायी। *(मिश्कात)*

यह हदीस शरीफ़ ज़कात अदा न करने की वईदों में पांचवीं फ़स्ल की अहादीस में नं० 2 पर आ रही है।

हज़रत हसन बसरी रह० फ़रमाते हैं कि यह आयते शरीफ़ा काफ़िरों के बारे में और उस मोमिन के बारे में जो अपने माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने से बुख़्ल (कन्जूसी) करता हो, नाज़िल हुई है।

हज़रत इक्रमा रज़ि० कहते हैं कि माल में से जब अल्लाह जल्ल शानुहू के हुक़ूक़ अदा न होते हों तो वह माल गंजा सांप बन कर क़ियामत में उसके पीछे लग जाएगा और वह आदमी उस सांप से पनाह मांगता हुआ होगा।

हजर बिन बयान रज़ि० हुज़ूर सल्ल० का इर्शाद नक़ल करते हैं कि जो ज़ी रहम, अपने क़रीबी रिश्तेदार से उसकी ज़रूरत से बचे हुए माल से मदद माँगे और वह मदद न करे और बुख़्ल करे तो वह माल क़ियामत के दिन सांप बना कर उसको तौक़ पहना दिया जाएगा । और फिर हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह आयते शरीफ़ा तिलावत फ़रमायी और मुतअद्द सहाबा-ए-किराम रज़ि० से भी यह मज़्मून नक़ल किया गया।

मसरूक़ रह० कहते हैं कि यह आयते शरीफ़ा उस शख़्स के बारे में है जिसको अल्लाह जल्ल शानुहू ने माल अता किया और वह अपने रिश्तेदारों के उन हुक़ूक़ को जो अल्लाह जल्ल शानुहू ने उस पर रखे हैं, अदा न करे, तो उसका माल सांप बना कर उसको तौक़ पहनाया जायेगा। वह शख़्स उस सांप से कहेगा कि तू ने मेरा पीछा क्यों किया ? वह कहेगा कि मैं तेरा माल हूँ। *(दुर्रे मंसूर)*

इमाम राज़ी रह० तफ़्सीरे कबीर में तहरीर फ़रमाते हैं कि ऊपर की आयात में जिहाद में अपनी जानों की शिर्कत पर ताकीद व तर्ग़ीब थी, उसके बाद इस आयत में जिहाद में माल खर्च करने की ताकीद है और तंबीह है कि जो लोग जिहाद में माल खर्च नहीं करते तो वह माल सांप बन कर उनके गले का हार बन जाएगा। इसके बाद इमाम राज़ी रह० तवील (लम्बी) बहस इस पर करते

हैं कि जो शदीद वईद इस आयते शरीफ़ा में हैं, वह ततव्वुआत[1] के तर्क पर तो मुश्किल है, तर्के वाजिब पर ही हो सकती है। अल बत्ता वाजिबात कई क़िस्म के हैं।

1. अव्वल अपने ऊपर और अपने उन अक़ारिब पर ख़र्च करना जिनका नफ़्क़ा (ख़र्चा) अपने ज़िम्मे वाजिब है।

2. दूसरे ज़कात,

3. तीसरे जिस वक़्त मुसलमानों पर कुफ़्फ़ार का हुजूम हो कि वे उनके जान व माल को हलाक करना चाहते हों तो उस वक़्त सब मालदारों पर हस्बे ज़रूरत ख़र्च करना वाजिब है, जिससे मुदाफ़अत करने वालों की मदद हो कि यह दर असल अपनी ही जान व माल की हिफ़ाज़त में ख़र्च है।

4. चौथे मुज़्तर पर ख़र्च करना है, जिससे उसकी जान का ख़तरा ज़ायल (ख़त्म) हो जाए, ये सब इंख़राजात वाजिब हैं। *(1. तफ़सीरे कबीर)*

(٤) اِنَّ اللهَ لَايُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا ۨ ۟ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا
مُّهِيْنًا ۟ۚ (نسآء ع ٦)

4. बेशक अल्लाह जल्ल शानुहू ऐसे आदमियों को पसन्द नहीं करता जो (दिल में) अपने आपको बड़ा समझते हों (ज़बान से) शेख़ी की बातें करते हों, जो ख़ुद भी बुख़्ल करते हों और दूसरों को भी बुख़्ल की तालीम देते हों और जो चीज़ अल्लाह जल्ल शानुहू ने उनको अपने फ़ज़्ल से दी है, उसको छुपाते हों और हमने ऐसे ना-शुक्रों के लिये इहानत वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। *(सूरः निसा रूकूअ् 6)*

फ़ायदाः- 'दूसरों को बुख़्ल की तालीम देते हों, आम है कि ज़ुबान से उनको तर्ग़ीब देते हों या अपने अमल से तालीम देते हों कि उनके अमल को देख कर दूसरों को बुख़्ल की तर्ग़ीब होती हो। बहुत सी आहादीस में यह मज़्मून वारिद हुआ है कि जो शख़्स बुरा तरीक़ा इख़्तियार करता है, उसको अपने किये

1. अपनी मर्ज़ी से किए जाने वाले भले काम।

का वबाल भी होता है और जितने आदमी उसकी वजह से उस पर अमल करें, उन सब का गुनाह भी उसको होता है, इस तरह पर कि उनकी अपनी-अपनी सज़ाओं में कोई कमी न होगी, यह मज़्मून क़रीब ही मुफ़स्सल गुज़र चुका है।

हज़रत मुजाहिद रह० से 'मुख़्तालन् फ़ख़ूरा' की तफ़्सीर में नक़ल किया गया है कि यह हर वह मुतकब्बिर है जो अल्लाह की आता की हुई चीज़ों को गिन-गिन कर रखता है और अल्लाह जल्ल शानुहू का शुक्र अदा नहीं करता।

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० हुज़ूरे अक़्दस सल्लाल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि क़ियामत के दिन जब हक़ तआला शानुहू सारी मख़्लूक़ को एक जगह जमा फ़रमा देंगे तो जहन्म की आग तह बतह चढ़ती हुई उनकी तरफ़ शिद्दत से बढ़ेगी, जो फ़रिश्ते उस पर मुतअय्यन हैं, वे उसको रोकना चाहेंगे तो वह कहेगी कि मेरे रब की इज़्ज़त की क़सम! या तो मुझे छोड़ दो कि मैं अपने जोड़ीदारों (यारों) को ले लूं, वरना मैं सब पर छा जाऊंगी, वे पूछेंगे तेरे जोड़ीदार कौन हैं? वह कहेगी हर तकब्बुर करने वाला ज़ालिम, इसके बाद जहन्नम अपनी ज़ुबान निकाल लेगी और हर ज़ालिम मुतकब्बिर को चुन-चुन कर अपने पेट में डाल लेगी (जैसा कि जानवर ज़ुबान के ज़रिए से घास वग़ैरह खाता है) उन सब को चुन कर पीछे हट जाएगी। उस के बाद इसी तरह दोबारा ज़ोर करके आएगी और यह कहेगी कि मुझे अपने जोड़ी दारों को लेने दो और जब उस से पूछा जाएगा कि तेरे जोड़ी दार कौन हैं? तो वह कहेगी, हर अकड़ने वाला, ना-शुक्री करने वाला और पहले की तरह चुन कर उन को भी अपने पेट में डाल लेगी। फिर इसी तरह तीसरी बार ज़ोश करके चलेगी और अपने जोड़ी दारों का मुतालबा करेगी और जब उससे पूछा जाएगा कि तेरे जोड़ी दार कौन लोग हैं? तो वह इस मर्तबा कहेगी, हर अकड़ने वाला, फ़ख़्र करने वाला और उनको भी चुन कर अपने पेट में डाल लेगी। इसके बाद लोगों का हिसाब-किताब होता रहेगा।

हज़रत जाबिर बिन सुलैम हुजैमी रज़ि० फ़रमाते हैं कि मैं हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की ख़िदमात में हाज़िर हुआ। मदीना मुनव्वरा की एक गली में चलते हुए हुज़ूर सल्ल० से मुलाक़ात हो गयी। मैंने सलाम किया और लुन्गी के बारे में मस्अला पूछा, हुज़ूर सल्ल० ने फ़रमाया कि पिंडली के मोटे हिस्से तक होनी चाहिए और यह भी पसन्द न हो तो टख़नों के ऊपर तक और यह भी पसन्द न हो तो (आगे गुंजाइश नहीं, इस लिए कि) अल्लाह जल्ल

शानुहू मुतकब्बिर फ़ख़्र करने वाले को पसन्द नहीं करते (और टख़नों से नीचे लुंगी या पाजामा को लटकाना तकब्बुर में दाख़िल है)। फिर मैं ने किसी के साथ एहसान और भलाई करने के मुताल्लिक़ दर्याफ़्त किया। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि भलाई को हक़ीर न समझो (कि इसकी वजह से मुलतवी कर दो) चाहे रस्सी का टुकड़ा ही क्यों न हो, जूते का तस्मा ही क्यों न हो, किसी पानी मांगने वाले के बर्तन में पानी का डोल ही डाल दो, रास्ते में कोई अज़ीयत (तक्लीफ़) पहुंचाने वाली चीज़ हो, उसको हटा दो, हत्ताकि अपने भाई से खन्दा पेशानी से बात ही सही, रास्ता चलने वाले से सलाम ही सही, कोई घबरा रहा हो, उसकी दिलबस्तगी ही सही (कि ये सब चीज़ें एहसान और नेकी में दाख़िल हैं) और अगर कोई शख़्स तुम्हारे ऐब को ज़ाहिर करे और तुम्हें उसके अन्दर कोई दूसरा ऐब मालूम है तो तुम उसको ज़ाहिर न करो, तुम्हें इस इख़्फ़ा (छुपाने) का सवाब मिलेगा, उसको इस इज़्हार का गुनाह होगा, और जिस काम को तुम यह समझो कि अगर किसी को इसकी ख़बर हो गयी, तो मुज़ाइक़ा नहीं, उस को करो और जिसको तुम यह समझो कि किसी को इस की ख़बर न हो, उसको न करो। (कि यह अलामत उसके बुरा होने की है)।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि कर्दम बिन यज़ीद रह॰ वग़ैरह बहुत से आदमी अन्सार के पास आते और उनको नसीहत करते कि इतना ख़र्च न किया करो, हमें डर है कि यह सब ख़र्च हो जाएगा, तुम फ़क़ीर बन जाओगे, हाथ रोक कर ख़र्च किया करो, न मालूम कल को क्या ज़रूरत पेश आ जाए, उन लोगों की मज़म्मत में यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई। *(दुर्रे मंसूर)*

(٥) وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ۭ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ (توبه ع ٥)

5. जो लोग सोना-चांदी जमा करके खज़ाने के तौर पर रखते हैं और अल्लाह तआला की राह में ख़र्च नहीं करते, आप उनको बड़े दर्दनाक अज़ाब की खुशख़बरी सुना दीजिए, वह उस दिन होगा जिस दिन

उनको (चांदी सोने को) अव्वल जहन्नम की आग में तपाया जायेगा, फिर उनसे उन लोगों की पेशानियों और पसलियों और पुश्तों को दाग़ दिया जाएगा और कहा जाऐगा कि यह वह है जिसको तुमने अपने वास्ते जमा कर रखा था, अब उसका मज़ा चखो, जिसको जमा करके रखा था।

(तौबा रूकूअ् 5)

फ़ायदाः- उलमा ने लिखा है कि पेशानियों वग़ैरह के ज़िक्र से आदमी के चारों तरफ़ मुराद हैं, पेशानी से अगला हिस्सा, पसलियों से दायां और बायां और पुश्त से पिछला हिस्सा मुराद है और मतलब यह है कि सारे बदन को दाग़ दिया जाएगा।

एक हदीस से इसकी ताईद भी होती है, जिस में मुंह से क़दम तक दाग़ दिया जाना वारिद हुआ है और कुछ उलमा ने लिखा है कि इन तीन आज़ा की खुसूसियत इस लिए है कि इन में ज़रा-सी तक्लीफ़ भी ज़्यादा महसूस होती है। और कुछ आलिमों ने लिखा है कि इन तीन को इस वजह से ज़िक्र किया कि आदमी जब चेहरे से फ़क़ीर को देखता है तो पहलू बचा कर उस तरफ़ पुश्त करके चल देता है, इस लिए इन तीनों आज़ा को खुसूसियत से अज़ाब है, इसके अलावा और भी वजहें ज़िक्र की गयीं। *(तफ़सीरे कबीर)*

इस आयते शरीफ़ा में उस माल को तपा कर दाग़ देना वारिद हुआ है और आयत न॰ 3 पर उसका सांप बन कर पीछे लगना वारिद हुआ है। इन दोनों में कुछ इश्काल नहीं, ये दोनों अज़ाब अलाहिदा-अलाहिदा हैं, जैसा कि ज़कात अदा न करने के बयान में पांचवीं फ़स्ल की हदीस न॰ 2 पर आ रहा है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि॰ और बहुत से सहाबा-ए-किराम रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि इस आयते शरीफ़ा में ख़ज़ाने से मुरादा वह माल है जिसकी ज़कात अदा न की गयी हो और जिसकी ज़कात अदा कर दी गयी हो, वह ख़ज़ाना नहीं है।

हज़रत इब्ने उमर रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि यह हुक्म ज़कात का हुक्म नाज़िल होने से पहले था। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हो गया तो हक़ तआला शानुहू ने ज़कात अदा कर देने को बक़ीया माल के पाक हो जाने का सबब क़रार दिया।

हज़रत सौबान रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई

तो हम हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ एक सफ़र में थे, तो कुछ सहाबा रज़ि॰ ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह! सोना-चांदी जमा करने का तो यह हश्र है, अगर हमें यह मालूम हो जाये कि बेहतरीन माल क्या है जिसको ख़ज़ाने के तौर पर जमा करके रखें। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, अल्लाह का शुक्र-अदा करने वाला दिल और नेक बीवी, जो आख़िरत के कामों में मदद देती रहे।

हज़रत उमर रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई तो वह हुज़ूर सल्ल॰ को ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि यह आयते शरीफ़ा तो लोगों पर बहुत बार हो रही है। हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने ज़कात इसी लिए मशरूअ् फ़रमायी है कि बाक़ी माल पाक हो जाए और मीरास तो उसी माल में जारी होगी जो बाद में बाक़ी रहे और बेहतरीन चीज़ जिसको आदमी ख़ज़ाने की तरह महफ़ूज़ रखे, वह नेक बीवी है, जिसको देख कर जी राज़ी हो जाए, जब उसको कोई हुक्म किया जाए, फ़ौरन इताअत करे और जब ख़ाविंद ग़ायब हो (सफ़र वग़ैरह में), तो अपनी (और उसके माल की) हिफ़ाज़त करे।

हज़रत बरीदा रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि, जब यह आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई तो सहाबा रज़ि॰ में इसका चर्चा हुआ। हज़रत अबूबक्र रज़ि॰ ने हुज़ूर सल्ल॰ से दर्याफ़्त किया, या रसूलल्लाह! ख़ज़ाना बनाने के लिए क्या चीज़ बेहतर है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र करने वाला दिल और वह नेक बीवी, जो ईमानी चीज़ों पर मदद करे।

हज़रत अबूज़र रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करते हैं कि जो शख़्स दीनार (सोने का सिक्का), दिरम (चांदी का सिक्का) या सोने-चांदी का टुकड़ा रखेगा और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च न करेगा, बशर्ते कि क़र्ज़ के अदा करने के वास्ते न रखा हो, वह ख़ज़ाने में दाख़िल है, जिसका क़ियामत के दिन दाग़ दिया जाएगा।

हज़रत अबू उमामा रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नक़ल करते हैं कि जो शख़्स सोना या चांदी छोड़ कर मर जाए, उसका क़ियामत के दिन दाग़ दिया जाएगा, बाद में चाहे जहन्नम में जाए या मग़्फ़िरत हो जाए।

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद नक़ल करते हैं कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने मुसलमानों के अग़्निया के मालों में वह मिक़्दार फ़र्ज़ कर दी है, जो उनके फ़ुक़रा को काफ़ी है। फ़ुक़रा को भूखे या नंगे होने की मशक़्क़त सिर्फ़ इस वजह से पड़ती है कि अग़्निया उनको देते नहीं। ख़बरदार रहो कि हक़ तआला शानुहू क़ियामत के दिन इन अग़्निया से सख़्त मुतालबा करेंगे या सख़्त अज़ाब देंगे। (दुर्रे मंसूर)

कंज़ुल उम्माल में इस हदीस पर कलाम भी किया है और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि॰ की हदीस से नक़ल किया है कि अगर अल्लाह जल्ल शानुहू के इल्म में यह बात होती कि अग़्निया की ज़कात फ़ुक़रा को काफ़ी न होगी तो ज़कात के अलावा और कोई चीज़ उनके लिए तज्वीज़ फ़रमाते, जो उन को काफ़ी हो जाती। पस अब जो फ़ुक़रा भूखे हैं, वे अग़्निया के ज़ुल्म की वजह से हैं, (कंज़) कि वे ज़कात पूरी नहीं निकालते।

हज़रत बिलाल रज़ि॰ से नक़ल किया गया कि हुज़ूर सल्ल॰ ने उन से इर्शाद फ़रमाया, अल्लाह तआला से फ़क़्र की हालत में मिलो, तवंगरी की हालत में न मिलो। उन्हों ने अर्ज़ किया, इसकी क्या सूरत है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया कि जब कहीं से कुछ मयस्सर हो, उसको छुपा कर न रखो, मांगने वाले से इंकार न करो। उन्हों ने अर्ज़ किया हुज़ूर सल्ल॰! यह कैसे हो सकता है? हुज़ूर सल्ल॰ ने फ़रमाया, यही है और यह न हो तो जहन्नम है। (दुर्रे मंसूर)

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ि॰ भी उन्हें हज़रात में हैं, जिनका मस्लक यह है कि रूपया-पैसा बिल्कुल रखने की चीज़ नहीं है, एक दिरहम जहन्नम का एक दाग़ है और दो दिरहम दो दाग़ हैं। इनके मुख़्तलिफ़ वक़िआत पहले गुज़र चुके हैं, जिनमें से कुछ पहली फ़स्ल के सिसिला-ए-अहादीस में नं॰ 1 पर गुज़रे।

एक मर्तबा हबीब बिन सल्मा रह॰ ने जो शाम के अमीर थे, हज़रत अबूज़र रज़ि॰ के पास तीन सौ दीनार (अशर्फ़ियां) भेजे और अर्ज़ किया कि इनको अपनी ज़रूरियात में सर्फ़ कर लें। हज़रत अबूज़र रज़ि॰ ने वापस फ़रमा दिए और यह फ़रमा दिया कि दुनिया में अल्लाह जल्ल शानुहू के साथ धोखा खाने वाला मेरे सिवा कोई न मिला? (यानी दुनिया की इतनी बड़ी मिक़्दार अपने पास रखना अल्लाह तआला शानुहू से ग़ाफ़िल होना है और यही अल्लाह के साथ धोखा है कि उसके अज़ाब से आदमी बे-फ़िक्र हो जाए, जिसको हक़

तआला शानुहू ने मुतअद्दद जगह क़ुरआन पाक में इर्शाद फ़रमाया कि तुमको धोखेबाज़ शैतान अल्लाह तआला के साथ धोखे में न डाल दे, जैसा कि छठी फ़स्ल में दुनिया और आख़िरत की आयात में नं॰ 38 पर आ रहा है। इसके बाद हज़रत अबूज़र रज़ि॰ ने फ़रमाया, मुझे सिर्फ़ थोड़ा सा साया चाहिए, जिसमें अपने को छिपा लूं और तीन बकरियां, जिनके दूध पर हम सब गुज़र कर लें और एक बांदी जो अपनी ख़िदमत का एहसान हम पर कर दे, इससे ज़ायद जो हो, मुझे उसके अन्दर अल्लाह जल्ल शानुहू से डर लगता है। उनका यह भी इर्शाद है कि क़ियामत के दिन दो दिरम वाला एक दिरम वाले की ब-निस्बत ज़्यादा क़ैद में होगा। *(दुर्रे मंसूर)*

हज़रत अब्दुल्लाह बिन सामित रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत अबूज़र रज़ि॰ के पास था कि उनका रोज़ीना बैतुलमाल से आया। एक बांदी उनके पास थी, जो उसमें से ज़रूरी चीज़ें ख़रीद कर लायी, उस के बाद सात दिरम उनके पास बचे। फ़रमाने लगे कि इसके पैसे कर लाओ (ताकि तक़्सीम कर दें)। मैं ने कहा, उनको अपने पास रहने दो, कोई ज़रूरत पेश आ जाए, कोई मेहमान आ जाए। फ़रमाया, मुझ से मेरे महबूब (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने यह तै शुदा बात फ़रमायी थी कि जिस सोने या चांदी को बांध कर रखा जाएगा वह अपने मालिक पर आग की चिंगारी है, जब तक कि उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च न कर दिया जाए। *(तर्ग़ीब)*

हज़रत शद्दाद रज़ि॰ फ़रमाते हैं कि हज़रत अबूज़र रज़ि॰ हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कोई सख़्त हुक्म सुनते थे, फिर जंगल चले जाते थे, (कि अकसर जंगल में क़ियाम रहता था)। उनके तशरीफ़ ले जाने के बाद उस हुक्म में कुछ सहूलत पैदा हो जाती, जिसका उनको इल्म न होता, इस लिए वह सख़्त ही हुक्म पर क़ायम रहते। *(दुर्रे मंसूर)*

यह सही है कि हज़रत अबूज़र रज़ि॰ का मस्लक इस बारे में बहुत ही सख़्ती और शिद्दत का है, बाक़ी इसमें तो शक नहीं कि ज़ुह्द का कमाल यही है जो उनका मस्लक था और बहुत से अकाबिर का यही पसंदीदा मामूल रहा, मगर इस पर न तो किसी को मजबूर किया जा सकता है, न इस पर अमल न करने में जहन्नमी क़रार दिया जा सकता है, अपनी ख़ुशी और रज़ा व रग़बत से इख़्तियार करने की चीज़ यही है। जिस ख़ुश नसीब को भी अल्लाह जल्ल शानुहू अपने लुत्फ़ व करम से नसीब फ़रमा दे। काश ! इस दुनिया के कुत्ते को भी

अल्लाह जल्ल शानुहू इन हज़राते ज़ाहिदीन के औसाफ़े जमीला का कुछ हिस्सा अता फ़रमा देता।

फ़ इन्-नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् क़दीर॰

(٦) وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ ۝ فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ (توبه ع ٧)

6. और इन॰ (मुनाफ़िक़ों) की ख़ैर-ख़ैरात क़बूल होने से इसके सिवा कोई चीज़ मानेअ् नहीं है कि उन्हों ने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ कुफ़्र किया (निफ़ाक़ से अपने को मोमिन बताते हैं,) ये लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, मगर बहुत काहिली से (हारे दिल से) और (नेक कामों में) ख़र्च नहीं करते, मगर ना-गवारी के साथ (बदनामी से बचने की वजह से)। इन (मर्दूदों) का माल और औलाद आप को ताज्जुब में न डाले (कि ऐसे मर्दूदों पर इतने इन्आमात क्यों हैं) अल्लाह जल्ल शानुहू का इरादा यह है कि इन चीज़ों की वहज से उनको दुन्यवी अज़ाब में मुब्तला रखे (कि हर वक़्त उनके फ़िक्रों में मुब्तला रहें) और कुफ़्र ही की हालत में उनकी जानें निकल जाए।

फ़ायदाः- इब्तिदा में ख़ैरात के क़ुबूल न होने में कुफ़्र के अलावा काहिली से नमाज़ पढ़ने और बद-दिली से सद्क़ा देने का भी दख़ल बताया है। नमाज़ के मुताल्लिक़ मज़ामीन इस नाकारा के रिसाला 'फ़ज़ाइले नमाज़' में गुज़र चुके हैं, उसमें हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद गुज़रा है कि इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जिसकी नमाज़ नहीं। उसके लिऐ दीन नहीं, जिसकी नमाज़ नहीं, नमाज़ दीन के लिए ऐसी ज़रूरी चीज़ है जैसा कि आदमी के लिए उसका सर जरूरी है।

हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जो नमाज़ को ख़ुशूअ्-ख़ुज़ूअ् से अच्छी तरह पढ़े वह नमाज़ निहायत रोशन चमकादार बन कर दुआ-ए-ख़ैर देती हुई जाती है और जो बुरी तरह पढे, वह बुरी सूरत में स्याह रंग में बद्दुआ देती हुई

जाती है कि अल्लाह जल्ल शानुहू तुझे भी ऐसा ही बरबाद करे जैसा तूने मुझे बरबाद किया और ऐसी नमाज़ पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाज़ी के मुंह पर मार दी जाती है।

एक हदीस में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद वारिद है कि क़ियामत के दिन सब से अव्वल नमाज़ का हिसाब होगा, अगर वह अच्छी हुई तो बाक़ी आमाल अच्छे होंगे, वह बुरी हुई तो बाक़ी आमाल भी बुरे होंगे।

दूसरी हदीस में है कि अगर वह क़ुबूल हुई तो बाक़ी आमाल भी क़ुबूल होंगे, वह मुर्दूद हो गयी तो बाक़ी आमाल भी मर्दूद होंगे। *(फ़ज़ाइले नमाज़)*

इसके बाद आयते शरीफ़ा में बद-दिली से सद्क़ा का ज़िक्र फ़रमाया है और बद्-दिली से सद्क़ा देना ज़ाहिर है कि क्या क़ाबिले क़ुबूल हो सकता है, लेकिन अगर वह सद्क़ा फ़र्ज़ है जैसा कि ज़कात, तो वुजूब साक़ित हो ही जाएगा। इसी वास्ते हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़कात अदा करने की रिवायात में मुतअद्द जगह 'तय्यिब-तन बिहा नफ़्सुहू' *(तर्ग़ीब)*

'राफ़िद-तन अलैहि कुल्ल आम' *(अबू दाऊद)*

वग़ैरह अल्फ़ाज़ ज़िक्र फ़रमाये, जिनका मतलब यही है कि निहायत ख़ुशदिली से अदा करे ताकि फ़र्ज़। अदा होने के अलावा उसका अज्र व सवाब भी हो और उस पर इन्आम व इक्राम भी हो।

अबू दाऊद की एक रिवायत में हुज़ूर सल्ल॰ का इर्शाद है कि जो शख़्स सवाब की नीयत से अदा करेगा, उसको उसका अज्र मिलेगा और जो अदा न करेगा, हम उसको लेकर रहेंगे और कुछ रिवायात में उसके साथ तावान भी वारिद है कि अदा न करने की सूरत में जुर्माना भी करेंगे।

हज़रत जाफ़र बिन मुहम्मद रह॰ कहते हैं कि वह अमीरुल मोमिनीन अबू जाफ़र मंसूर के पास गये तो वहां हज़रत ज़ुबैर रह॰ की औलाद में से कोई शख़्स थे, जिन्हों ने मंसूर से कोई अपनी हाजत पेश की थी और मंसूर ने उनकी दर्ख़्वास्त पर कुछ उनको देने का हुक्म भी कर दिया था, मगर वह मिक़्दार ज़ुबैरी के नज़दीक कम थी, जिसकी शिकायत उन्होंनें की और मंसूर को उस पर ग़ुस्सा आ गया। हज़रत जाफ़र रह॰ ने फ़रमाया कि मुझे अपने बाप-दादों के वास्ते से हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद पहुंचा है कि जो अता ख़ुशदिली से की जाए, उसमें

देने वाले के लिए भी बरकत होती है और लेने वाले के लिए भी। मंसूर ने यह हदीस सुनते ही कहा, ख़ुदा की क़सम! देते वक़्त तो मुझे ख़ुश दिली न थी, मगर तुम्हारी हदीस सुनकर मुझमें तीबे नफ़्स पैदा हो गया, उसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ि॰ उन ज़ुबैरी की तरफ़ मुतवज्जह हुए और उनसे फ़रमाया कि मुझे अपने बाप-दादों के ज़रिए से हुज़ूर सल्ल॰ का यह इर्शाद पहुंचा है कि जो शख़्स क़लील रिज़्क़ को कम समझे, अल्लाह जल्ल शानुहू उसको कसीर से महरूम फ़रमा देते हैं। ज़ुबैरी कहने लगे कि ख़ुदा की क़सम! पहले से तो यह अतीया मेरी निगाह में कम था, तुम्हारी हदीस सुनने के बाद बहुत मालूम होने लगा। सुफ़ियान बिन ऐनिया रह॰ जो इस क़िस्से को नक़ल करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने ज़ुबैरी से पूछा कि वह क्या मिक़्दार थी, जो तुम्हें मंसूर ने दी थी? वह कहने लगे कि उस वक़्त तो बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन मेरे पास पहुंचने के बाद अल्लाह जल्ल शानुहू ने उसमें ऐसी बरकत और नफ़ा अता फ़रमाया कि वह पचास हज़ार कि मिक़्दार तक पहुंच गयी।

सुफ़ियान रह॰ कहते हैं कि ये लोग (अहले बैत हज़रत जाफ़र रज़ि॰ और उनके अकाबिर की तरफ़ इशारा है) भी बारीश की तरह से जहां पहुंच जाते हैं, नफ़ा ही पहुंचाते हैं। (कन्ज़)

मतलब यह है कि इस जगह दो हदीसें सुना कर दोनों को ख़ुश और मुत्मइन कर दिया, इसी तरह से ये हज़रात जहां भी पहुंचते हैं रूहानी या माद्दी नफ़ा पहुंचाए बग़ैर नहीं रहते, इसके साथ ही उस ज़माने के उमरा की यह चीज़ भी क़ाबिले रश्क है कि बादशाहत के बावजूद हुज़ूर सल्ल॰ के इर्शादात सुनकर उनके सामने गरदन रख देना उस ज़माने की आम फ़िज़ा थी।

आयते शरीफ़ा में इसके बाद आल-औलाद और माल को दुनिया में अज़ाब का ज़रिया फ़रमाया। इन चीज़ों का दुनिया में मूजिबे दिक़्क़त और कुल्फ़त होना ज़ाहिर है, कहीं औलाद की बीमारी है, कहीं उन पर मुसीबतें हैं, कहीं उनके मरने का रंज व हसरत है और ये सब चीज़ें मुसलमानों पर भी पेश आती हैं, लेकिन मुसलमान के लिए चूंकि हर तक्लीफ़ जो दुनिया में पेश आये, वह आख़िरत में अज्र व सवाब का ज़रिया है, इस लिए वह तक्लीफ़ नहीं रहती, क्योंकि वह तक्लीफ़ नहीं बल्कि राहत है, जिसके बदले में उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए और जिनको आख़िरत में इन मुसीबतों का बदला नहीं है, उनके लिए